लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
4th

LOK SABHA DEBATES

[बारहवां सत्र
Twelfth Session]

[खण्ड 45 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. XLV contains Nos. 1 to 10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

अंक 6. मंगलवार. 17 नवम्बर. 1970/26 कार्तिक. 1892 (शक)
No. 6 Tuesday, November 17, 1970/Kartika 26, 1892 (Saka)

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS		1—18
ता० प्र० संख्या S. Q. No.		
151. रेलगाड़ियों में टेलीफोन सुविधा की व्यवस्था	Introduction of Telephone facility in Trains ...	1—2
153. ट्यूब उद्योग में संकट	Crisis in Tube Industry ...	2—4
154. रेलवे ठेकेदारों द्वारा दिये जाने वाले भोजन के सम्बन्ध में संसद सदस्यों की शिकायतें	Complaints by Members of Parliament regarding Meals served by Railway Contractors ...	4—6
161. तकनीकी जानकारी का आयात	Import of Industrial know-how ...	6—13
163. कृषि उद्योग को एक मुख्य उद्योग घोषित करना	Declaring of Agricultural Industry as Major Industry ...	13—17
प्रश्नों के लिखित उत्तर/Written Answers to Questions		18—150
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
152. व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान की राष्ट्रीय परिषद् द्वारा औद्योगिक विकास के बारे में सुझाव	Suggestions of NCAER regarding Industrial Growth ...	18
155. टायरों के मूल्यों का पुनरीक्षण	Revision of Tyre Prices ...	19
156. गोआ में इस्पात संयंत्र	Steel Plant in Goa ...	19

* किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

* The sin + marked above the name of a Member indicated that the Question was actually asked on the floor of the House by him.

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
157. एकाधिकार वाले उद्योगों की अनधिकृत क्षमता को नियमित किया जाना	Regularisation of Unauthorised capacity of Monopoly Groups ...	20
158. भारत ब्रिटिश प्रौद्योगिकीय सहयोग	Indo-British Technological Collaboration ...	20—21
159. इस्पात के मूल्य में वृद्धि	Rise in Price of Steel ...	21
160. खाद्य उत्पादों तथा घरेलू उपकरणों का मानकीकरण	Standardization of Food Products and Domestic Appliances ...	21—22
162. झांसी स्टेशन (मध्य रेलवे) के मुख्य खजाने से चोरी	Theft from Head Treasury of Jhansi Station (Central Railway) ...	22
164. भारतीय रेलवे के सम्मुख आर्थिक संकट	Indian Railways facing Economic crisis ...	22—24
165. दुर्गापुर इस्पात कारखाने में सामान्य औद्योगिक सम्बन्ध स्थापित किया जाना	Restoration of Normal Industrial Relations in Durgapur Steel Plant ...	24
166. गुजरात में हाल की बाढ़ में क्षतिग्रस्त हुए पुल का पुनः निर्माण	Reconstruction of Bridge in Gujrat damaged in the recent Floods ...	24—25
167. स्टील्स बर्थ प्राइवेट लिमिटेड, आसाम को एम० एस० प्लेटों और पट्टियों की सप्लाई	Supply of M.S. plates and Strips to Steelworth Private Limited, Assam ...	25
168. पश्चिम जर्मनी के इस्पात विशेषज्ञ प्रतिनिधि मण्डल की भारत यात्रा	Visit by West German Steel Experts Delegation to India ...	25
169. बंगलौर में विश्वविद्यालय के भवन के लिये इस्पात का आवंटन	Allotment of Steel for University Building in Bangalore ...	25—26
170. भारतीय तेल निगम द्वारा मैसर्स स्टेण्डर्ड ड्रम एण्ड बैरल मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी को इस्पात की चादरों की बिक्री	Sale of Steel Sheets by Indian Oil Corporation to M/s Standard 'Drum' and Barrel Mfg. Co, ...	26

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
171. मैसर्ज स्वतन्त्र फैब्रिकेटर्स संघ को लोहे तथा इस्पात का वितरण	Distribution of Iron and Steel to Messrs Swatantra Fabricators Union ...	26—27
172. जापान की तरह भारत के लिये तीव्रगामी रेलगाड़ियां	High Speed Trains in India on the Japanese Pattern ...	27
173. औद्योगिक उत्पादन में कमी	Fall in Industrial Production ...	27—28
174. तम्बाकू उद्योग	Tobacco Industry ...	28
175. गन्दी बस्तियों के बच्चों के लिये विशेष पोषाहार कार्यक्रम	Special Nutrition Programme for Children of slum Areas ...	28—29
176. गैर सरकारी क्षेत्र में औद्योगिक पूंजी निवेश	Industrial Investment in Private Sector ...	29
177. आम चुनाव	General Elections ...	29—30
178. पंजाब में हरिजनों का सामाजिक बहिष्कार	Social Boycott of Harijans in Punjab ...	30
179. सिगरेट उद्योग पर विदेशी नियन्त्रण	Foreign Control in Cigarette Industry ...	30—31
180. हिन्दुस्तान वहीकल्स प्रोजेक्ट (प्राइवेट) लिमिटेड, फूलवारी शरीफ (पटना) का विक्रय	Sale of Hindustan Vehicles Project (P) Ltd. Phulwari Shariff (Patna) ...	31
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
1001. बांद्रा, बम्बई में पश्चिम रेलवे के क्वार्टरों के समीप रेलवे भूमि पर अनधिकृत निर्माण	Unauthorised Structures on Railway Land near Western Railway Quarters at Bandra, Bombay ...	31
1002. विभिन्न रेलवे जोनों में तांबे के तारों की चोरी	Theft of Copper wire from various Railway Zones ...	32
1003. वर्ष 1970 में नये कारखानों की स्थापना	Setting up of New Factories during 1970 ...	32—33
1004. विभिन्न राज्यों में आई बाढ़ों से रेलवे को हुई हानि	Loss Suffered by Railways due to Flood in various states ...	33

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
1005.	रेलवे स्टेशन और गाड़ियों में सफाई की व्यवस्था — Sanitary Arrangements at Railway Station and in Trains ...	33
1006.	इस्पात की बिक्री के लिये उचित दर केन्द्रों का खोला जाना — Opening of Fair Price Centres for Sale of Steel ...	33—34
1007.	भारत में हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के तथा जापान के इस्पात का उत्पादन मूल्य — Cost of production of Steel in India by Hindustan Steel Ltd. and in Japan ...	34
1008.	हिन्दू दत्तकग्रहण तथा अनुरक्षण अधिनियम, 1956 का दुरुपयोग — Misuse of Hindu Adoption and Maintenance Act, 1956 ...	35
1009.	केरल के विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना — Setting up of National Institute for Rehabilitation of Handicapped people of Kerala ...	35—36
1010.	हरिजनों और अनुसूचित जातियों के लिये नई दिल्ली में आवास स्थान — Accommodation for Harijans and Scheduled Castes in New Delhi ...	36
1011.	आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के अभ्यार्थियों के लिए नौकरियों के लिए व्यवस्था — Jobs for Economically Backward Class Candidates ...	36
1012.	इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भारतीय प्रशासनिक सेवा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र — Pre IAS Coaching Centre in Allahabad University ...	36—37
1013.	पिछड़े वर्गों सम्बन्धी आयोग के प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही — Action taken on the Report of the Commission for Backward Class ...	37
1014.	महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्रों में उत्पादन की कमी — Shortfalls in Key Industrial Sectors ...	37—38
1016.	प्रशासनिक सुधार आयोग के प्रतिवेदन पर विचार — Examination of Report of the Administrative Reforms Commission ...	38
1017.	बुलन्दशहर में जाटवों को मकानों के निर्माण के लिये भूमि का आवंटन — Allotment of Land for Construction of Houses to the Jatav community of Bulandshahar ...	38

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
1018. केवल उद्योग द्वारा अनुभव की जा रही कठिनाइयों के बारे में दिल्ली प्लास्टिक केबल निर्माता संघ की ओर से ज्ञापन	Memorandum from Delhi Plastic Cable Manufactures Association Re : Difficulties faced by Cable Industry ...	38—39
1019. माइनिंग एण्ड एलाईड मशीनरी कारपोरेशन द्वारा निर्मित खनिज तथा उपस्कर बक्सों का निर्यात	Export of Excavators and Gear Boxes Manufactured by Mining and Allied Machinery Corporation ...	39
1020. शान्ति निकेतन में कुटीर उद्योग	Cottage Industries at Shantiniketan ...	39
1021. केरल में मध्यावधि चुनावों पर व्यय	Expenditure on Kerala Mid Term Elections ...	40
1022. इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय के अधीन क्षेत्रीय निगम	Public Sector Corporations under Ministry of Steel and Heavy Engineering ...	40—42
1023. छोटी कार परियोजना में मोटर गाड़ी उद्योगों द्वारा विकसित तकनीकी जानकारी का उपयोग	Utilisation of the technical know-how developed by Automobile Industries for Small Car Project ...	42
1024. फ्रांसीसी सहयोग से टोंक में एक चमड़ा कमाने के कारखाने की स्थापना का प्रस्ताव	Proposal for Setting up of a Tannery at Tonk with French Collaboration ...	42—43
1025. दाकन्या तालब रेलवे स्टेशन (पश्चिमी रेलवे) से विस्फोटक पदार्थ ले जाने वाली मालगाड़ी में आग लगना	Fire in Goods Train Carrying Explosive material from Dakanya Talav Railway Station (Western Railway) ...	43
1026. रेलवे स्क्रैप के निपटान पर मतभेद	Controversy over disposal of Rail Scrap ...	43—44
1027. कानपुर में मुर्रे क्रासिंग पर उपरि/भूमिगत पुल का निर्माण	Construction of over/Under Bridge at Muray Crossing in Kanpur ...	44
1028. तमिलनाडु में रेलवे के गोल्डन राक वर्कशाप में बनाए गए माल डिब्बे	Wagons Manufactured in Golden Rock Workshop of Railways in Tamil Nadu ...	44—45

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
1029. गार्डों की पदोन्नति	Promotion of Guards ...	45
1030. दिल्ली के लिये रिंग रेलवे	Ring Railway for Delhi ...	45—46
1031. राज्यों में पिछड़े जिलों का विकास	Development of Backward Districts in States ...	46
1032. हरियाणा के विकास के लिये इस्पात की आवश्यकता	Steel requirement for development of Haryana ...	46
1033. दिल्ली-शाहदरा के समीप महिला डिब्बे में लूटने की घटनायें	Looting in Ladies Compartments near Delhi Shahdara ...	46—47
1034. भारी इंजीनियरिंग निगम, रांची के कर्मचारियों के लिये मकान	Quarters for employees of HEC Ranchi ...	47—48
1035. हरिजन बस्तियों में उपलब्ध आवास तथा पीने के पानी की सुविधायें	Drinking Water and Housing facilities provided in Harijan colonies ...	48—49
1036. अमृतसर खेमकरण क्षेत्र में यात्री रेलगाड़ियों के आने तथा जाने का समय	Timings of UP and Down Passenger Trains in Amritsar Khemkaran Sector ...	49
1037. स्कूटरों के निर्माण के लिये लाइसेंसों का जारी किया जाना	Issue of Licences for Manufacture of Scooters ...	49—50
1038. झाझा (पूर्वी रेलवे) के खलासी मुहल्ला में जल निष्कासन की व्यवस्था का अभाव	Lack of Drainage system in Kahlasi Mohalla and Jahajha (Eastern Railway) ...	50
1039. दक्षिण में इस्पात कारखानों की स्थापना	Setting up of Steel Plants in the South ...	50—51
1040. उद्योगों की अधिकतम क्षमता के उपयोग के लिये परिपत्र	Circulars for Utilisation of Maximum Capacity of Industries ...	51—52
1041. योजना आयोग तथा रेलवे मंत्रालय के अधिकारियों के बीच विचार-विमर्श	Discussion between officials of Planning Commission and Ministry of Railways ...	52—53

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अ ता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
1042. नीलाम्बूर रोड से मैसूर तक (दक्षिण रेलवे) नई रेलवे लाइन का निर्माण	New Railway Line from Nilambur Road to Mysore (Southern Railway) ...	54
1043. पश्चिम रेलवे के नैमित्तिक तथा अस्थायी कर्मचारियों की मांगें	Demands of Casual and Temporary Workers of Western Railway ...	54—55
1044. दिल्ली रिवाड़ी रेलवे लाइन (उत्तरी रेलवे) पर जनता एक्सप्रैस रेलगाड़ी का पटरी से उतर जाना	Derailment of Janata Express on Delhi-Rewari Railway Line (Northern Railway) ...	55
1045. इराक के रेगिस्तान क्षेत्र में रेलवे लाइन का निर्माण	Construction of Desert Railway in Iraq ...	55—56
1046. भारी इंजीनियरिंग निगम के अध्यक्ष का स्थानान्तरण	Transfer of Chairman of Heavy Engineering Corporation ...	56
1047. चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान मद्यनिषेध सम्बन्धी कार्यक्रम	Programmes for Prohibition during Fourth Plan ...	56
1048. जापानी सहयोग से स्कूटरों का निर्माण	Manufacture of Scooters with Japanese Collaboration ...	56—57
1049. पश्चिम निमाड़ (मध्य प्रदेश) में प्लाईवुड का कारखाना	Plywood Factory in West Nimar (Madhya Pradesh) ...	57
1050. बैलाडिला, मध्य प्रदेश में इस्पात कारखाने की स्थापना	Setting up of Steel Plant at Baila Dilla (Madhya Pradesh) ...	57—58
1051. केरल का औद्योगीकरण	Industrialisation of Kerala ...	58—59
1052. छुटपुट चोरियों से हुई रेलवे को हानि	Loss to Railways owing to pilferage ...	59—60
1053. 1970 में लाइसेंसों का जारी किया जाना	Issue of Licences during 1970 ...	60—61
1054. राजस्थान में बड़े उद्योग स्थापित करने की मांग	Demand for establishing of big industries in Rajasthan ...	61—62

विषय	ubject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
1055. भारी बिजली उपकरण बनाने वाले उद्योग के लिये संयुक्त एजेंसी	Joint Agency for Heavy Electrical Industry ...	62
1056. इलाया पेरुमल समिति की सिफारिशें राज्य सरकारों को भेजने से सम्बन्धित प्राप्ति पत्र	Acknowledgement letters regarding recommendations of Elayaperumal Committee sent to State Government ...	62—63
1057. चोरी-चोरा (पूर्वोत्तर रेलवे) पर एक्सप्रैस। डाक रेल-गाड़ियों का रोका जाना	Stoppage of Express/Mail trains at Chauri Chaura (North Eastern Railway) ...	63
1058. भारतीय सीमेन्ट निगम में काम करने वाले सीमेन्ट वितरण समन्वय संगठन के कर्मचारियों की मांगें	Demands of employees of CACO working in Cement Corporation of India ...	63—94
1059. गैरसरकारी स्थायी स्वैच्छिक सहायता समिति की स्थापना के बाद रेलवे में सुधार	Improvement in Railways after the setting up of non-official standing voluntary Help Committee ...	64—65
1060. विभिन्न संस्थाओं को सभी मार्गों के लिये मानार्थ रेलवे पास देना	Issue of all route complementary Railway passes to various institutions ...	65
1061. प्रधान मंत्री के निवास स्थान पर मेरठ (उ० प्र०) के हरिजनों का धरना	Dharna by Harijans of Meerut (U. P.) at the residence of Prime Minister ...	65—66
1062 लोक सभा तथा राज्य सभा के उप-चुनावों का किया जाना	Holding of Lok Sabha and Rajya Sabha-bye-Elections ...	66—67
1063. चण्डीगढ़ रेलवे स्टेशन के सुधार के लिये स्वीकृत राशि	Amount sanctioned for improvement of Chandigarh Railway station ...	67—68
1064. हापुड़ उप-मंडल (उत्तर रेलवे) के कुछ कर्मचारियों के स्थानांतरण के लिये अनुरोध	Request for transfer of certain employees of Hapur subdivision (Northern Railway) ...	68
1065. एच० एम० टी० द्वारा ट्रैक्टरों का निर्माण	Manufacture of Tractors by H.M.T. ...	68—69
1066. पावर टिलरों के उत्पादन के लिये एक जापानी कम्पनी के साथ करार	Agreement with a Japanese firm for production of power tillers ...	69—70

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
1067. पश्चिम बंगाल में मैसर्स मार्टिन बर्न एण्ड कम्पनी की शाखाओं का बन्द किया जाना	Proposed closure of branches of M/S. Martin Burn and Company in West Bengal ...	70
1068. भारत, संयुक्त अरब गणराज्य और यूगोस्लाविया के बीच त्रिपक्षीय करार	Tripartite agreement among India-UAR and Yugoslavia ...	71
1069. 11-सूत्रीय कार्यक्रम को लागू करने के लिये स्थापित किये गये सैल की उपलब्धियां	Achievement of Sell set up to Implement 11-point programme ...	71—72
1070. हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन रांची द्वारा मशीनों की सप्लाई	Supply of Machines by HEC Ranchi ...	72—73
1071. हिन्दुस्तान स्टील लि० द्वारा दिये गये विज्ञापन	Advertisements published by Hindustan Steel & Ltd. ...	73
1072. उच्च तथा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अमान्य ठहराये गये कानून	Laws struck down by High Courts and Supreme Court ...	74
1073. फर्मों और कम्पनियों द्वारा रेलवे से रद्दी माल की खरीद	Purchase of Scrap by firms and Companies from Railways ...	74
1074. मुकदमेबाजी पर खर्च	Cost of Litigation ...	75
1075. रुई के वायदा बाजार को पुनः आरम्भ करने की मांग	Demand for Revival of Forward Trading in Cotton ...	75
1076. पटना (पूर्व रेलवे) के निकट खुसरोपुर स्टेशन पर रेलगाड़ी की टक्कर	Train collision at Khusropur Station near Patna (Eastern Railway) ...	75—76
1077. रेलवे के माल डिब्बे बनाने वाले उद्योग में संकट की स्थिति	Crisis in Railway Wagon Manufacturing Industry ...	76
1078. खादी बोर्डों द्वारा ऊनी वस्तुओं का निर्माण तथा सप्लाई	Manufacture and Supply of Woollen Goods by Khadi Boards ...	76—77

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
1079. ट्रैक्टर और कृषि उपकरणों के कारखानों की स्थापना	Setting up of Tractor and Agro-Implements Factories ...	77—79
1080. बजुआ कोसद, उतरान, उधना आदि क्षेत्रों में कार्य करने वाले कर्मचारियों के लिए मकान किराया भत्ता	House Rent Allowance to Staff working at Bajuva, Kosad, Utran, Udhna etc. ...	79—80
1081. रेलगाड़ियों में यात्रियों की वृद्धि का सामना करने के लिये उठाए गए कदम	Steps to meet increase in passenger Traffic on Railway Trains ...	80—81
1082. बिहार सरकार द्वारा स्कूटर कारखाना स्थापित करने की योजना	Scheme for setting up of a Scooter Factory by Bihar Government ...	81
1083. रेलगाड़ियों के देर से चलने के बारे में संसद सदस्यों द्वारा शिकायत	Complaint by Members of Parliament about late running of trains ...	81—82
1084. सोनपुर (पूर्वोत्तर रेलवे) में डिवीजनल कार्यालय	Divisional office and Sonepur (North Eastern Railway) ...	82
1085. भुसावल इटारसी सैक्शन (मध्य रेलवे) के दुलरिया रेलवे स्टेशन पर माल गाड़ियों की टक्कर	Collision of Goods Trains at Dulariya Railway Station on Bhusaval-Itarsi (Central Railway) ...	82—83
1086. खेत्री तांबा परियोजना तथा डाबला स्टेशन को मिलाने वाली मीटर गेज रेलवे लाइन	Metre Gauge line connecting Khetri Copper Project with Dabla Station ...	83
1087. सैलम में इस्पात कारखाने की स्थापना	Setting up of Steel Plant at Salem	83—84
1088. गोल्डन टुबैको कम्पनी और इंडियन टुबैको कम्पनी के बीच विवाद	Controversy between Golden Tobacco Company and Indian Tobacco Company ...	84
1089. नए कारखानों को सिग्रेट उत्पादन सम्बन्धी लाइसेंसों का दिया जाना	Diversification of Licences of Cigarette production new units ...	84—85

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
1090. उड़ीसा में अन्य इस्पात कारखाने की स्थापना	Setting up of another Steel Plant in Orissa ...	85
1091 अंतरिम राहत पर रेलवे कर्मचारियों में असंतोष	Discontentment amongest Railway Employees regarding Interim Relief ...	85—86
1092. दिल्ली किशनगंज की रेलवे बस्ती में रेलवे क्वार्टरों के किराये में वृद्धि करने का प्रस्ताव	Proposal to increase in Rent of Railway Quarters in Railway Colony Delhi Kishan Ganj ...	86
1093. लोको शैड रेलवे कालोनी, दिल्ली किशनगंज के निवासियों की जीवनयापन की अस्वस्थ दशा	Unhealthy living conditions of Residents of Loco Shed Railway Colony, Delhi, Kishan Ganj ...	86—87
1094. दिल्ली में रेलवे बस्तियों में सफेदी	White washing in Railway Colonies of Delhi ...	87
1095. हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के कारखानों के कच्चे माल के लाने लेजाने में होने वाली क्षति	Handling losses of Raw Materials in the Plants of Hindustan Steel Ltd. ...	87—88
1096. इस्पात संयन्त्रों में लेखा पद्धतियां	Accounting Methods in Steel Plants ...	88—89
1097. बोकारो इस्पात कारखाने में उत्पादन प्रारम्भ करने में विलम्ब	Delay in Commencement of production at Bokaro Steel Plant ...	89—90
1098. अजमेर में पिसाई करने वाले मशीनी औजारों का कारखाना	Ajmer Grinding Machine Tool Plant ...	90—91
1099. पुलगांव अरबी और यवतमाल अचलपुर छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के बारे में ज्ञापन	Memorandum Regarding conversion of Pulgaon Arvi and Yeotmal Achalpur Narrow Gauge line into Broad Gauge Line ...	91
1100. महाराष्ट्र में चनक से वानी तक नई रेलवे लाइन का सर्वेक्षण	Survey for new Railway Line from Chanaka to Wani in Maharashtra ...	91

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
1101. भारतीय रेलवे में तेज रफतार वाली गाड़ियां	Faster Trains on Indian Railways ...	91—92
1102. उत्तर प्रदेश में उद्योगों की स्थापना	Setting up of Industries in U.P. ...	92—93
1103. इस्पात का मूल्य	Price of Steel ...	93
1104. वातानुकूलित डिब्बों, प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के डिब्बों और सैलून कारों की समाप्ति	Abolition of Air conditioned and Second Class Coaches and Saloon Care ...	93
1105. प्रतिबन्धित सूची में आने वाली वस्तुओं के लिये नये एककों की स्थापना	Setting up of New Units for Items on Banned List ...	94
1106. बोकारो इस्पात कारखाना	Bokaro Steel Plant ...	94—95
1107. मैसर्स स्वतन्त्र फेब्रीकेटर्स यूनियन को टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी द्वारा इस्पात की सप्लाई	Supply of steel by Tata Iron and Steel Company to M/s Swatantra Fabricators Union ...	95—96
1109. उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास	Industrial Development in U. P. ...	96—97
1110. अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों के लोगों को भूमि का आवंटन	Allotment of Land to Scheduled Castes and Scheduled Tribes ...	97
1111. औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिलों का सर्वेक्षण	Survey of industrially backward districts ...	98
1112. उद्योगों की स्थापना के लिये राय बरेली का सर्वेक्षण	Survey of Raebareli for setting up industries ...	98—99
1113. मैसर्स हिन्द गैलवेनाइजिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड	M/s Hind Galvanising and Engineering Co. (P) Ltd. ...	99—100
1114. इलाहाबाद डिवीजन में रेलवे विद्युतीकरण के कार्य में लगे कर्मचारियों की छंटनी के बाद अन्य काम पर लगाया जाना	Alternative jobs to retrenched workers engaged on Railway electrification work in Allahabad Division ...	100

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
1115. धातु मल से सिमेंट का उत्पादन	Production of Cement from Slag	100
1116. रांची पटना एक्सप्रैस गाड़ी से चन्द्रपुर रेलवे स्टेशन के निकट माल का लूटा जाना	Looting of goods from Ranchi Patna Express train near Chandrapur Railway Station ...	100—101
1117. मैसूर में सरकारी क्षेत्र के उद्योग	Public sector industries in Mysore	101—102
1118. कोलार से होकर बंगलौर से मद्रास तक सीधी रेलवे लाइन	Direct Railway line from Bangalore to Madras via Kolar ...	102
1119. औद्योगिक संस्थाओं द्वारा लाइसेंसशुदा क्षमता का नवीकरण	Renewal of licenced capacity by Industrial concerns ...	102—103
1120. साइकिल उद्योग का राष्ट्रीयकरण	Nationalisation of cycle industry	103
1121. सांभर साल्ट्स लिमिटेड तथा सांभर में नमक पर आधारित उद्योगों का प्रबन्ध	Management of Sambhar Salts Ltd. and Salt based industries in Sambhar ...	103
1122. पंजाब में बिना चौकीदार के रेलवे फाटक	Unmanned level crossings in Punjab	103—104
1123. उद्योगों का सर्वेक्षण	Survey of Industries	104
1124. गैर सरकारी क्षेत्र के साथ सहयोग द्वारा उपभोक्ता सामग्री का निर्माण	Manufacture of consumer goods in collaboration with private sector ...	104
1125. जबलपुर के मोटर गाड़ी निर्माण कारखाने में छोटी कार का निर्माण	Manufacture of small car in vehicles factory at Jabalpur ...	105
1126. बड़े औद्योगिक गृहों को लाइसेंस देना	Issue of licences to big industrial Houses ...	105
1127. इस्पात की प्रौद्योगिकी का विकास तथा इस्पात कारखानों के लिये फालतू पुर्जों का निर्माण	Development of Steel Techonology and production of spares for steel plants	105—106

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
1128. कागज उद्योग संबंधी विचार गोष्ठी	Seminar on paper Industry ...	106
1129. अखबारी कागज के आयात के लिये विदेशी मुद्रा	Foreign Exchange for Import of News print ...	106—107
1130. राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम द्वारा टैक्टर बनाने के कारखाने की स्थापना	Establishment of Tractor Factory by Rajasthan State Agro-Industries Corporation ...	107—108
1131. गुजरात में बाढ़ के कारण रेलवे को हुई हानि	Loss to Railways due to Floods in Gujarat ...	108
1132. महाराष्ट्र में औद्योगिक परियोजनाएं	Industrial projects in Maharashtra	108—109
1133. स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और समाज कल्याण, सम्बन्धी कार्य के विकास के लिए यूनिसेफ के साथ करार	Agreement with UNICEF regarding development of Health, Nutrition Education and Social Welfare ...	109
1134. औद्योगिक विकास में क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करना	Removal of Regional Disparities in industrial Development ...	109—110
1135. स्कूटरों का निर्माण करने वाले कारखानों का विस्तार	Expansion of Scooter Manufacturing units ...	110
1136. लघु इंजीनियरिंग उद्योगों में संकट की स्थिति	Crisis in Small Engineering Industries ...	111
1137. मनीपुर में लोहे की नालीदार चादरों के कारखाना मूल्य तथा बाजार मूल्य	Ex-Factory and Market prices of Corrugated Iron Sheet in Manipur ...	111
1138. मनीपुर में कागज बनाने का कारखाना स्थापित करना	Setting up of a paper plant in Manipur ...	112
1139. मनीपुर में सरकारी क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना	Setting up of Public Sector Industries in Manipur ...	112
1141. सरकारी उपक्रमों से संयन्त्रों तथा उपकरणों को बदलने का कार्यक्रम	Programme for replacement of plant and Equipment of Public Undertaking ...	113

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
1142. दुर्गापुर इस्पात संयन्त्र के इस्पात प्रद्रावन विभाग में तालाबन्दी	Lock-out in Steel Melting shop of Durgapur Plant	... 113—114
1143. 11 सूत्री कार्यक्रम में इन्चार्ज संयुक्त निदेशक के विरुद्ध याचिका	Petition against Joint Director Incharge of 11 Point Programme	... 114
1145. कोटुक से चित्तल दुर्ग (दक्षिण मध्य रेलवे) तक रेलवे लाइन का बढ़ाया जाना	Extension of Railway Line from Kotturu to Chitaldurg (South Central Railway)	... 114—115
1146. रेलवे कर्मचारियों के लिये सीमित आरक्षण (विशेषाधिकार पास पी० टी० ओ०)	Restricted Reservations for Railway Staff	... 115
1147. कुर्ग जिले में सूक्ष्म उपकरण उद्योग	Precision Industry in Coorg District	... 116
1148. निर्वाचित निकायों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व	Representation of Women in Elected Bodies	... 116—117
1149. सरकारी कालोनियों आदि में महिलाओं के लिये कार्यक्रम	Programmes for Women in Government colonies etc.	... 117
1150. त्रिपुरा में कागज बनाने वाली मिल	Paper Mill in Tripura	... 117—118
1151. धर्मनगर से अगरतला तक रेलवे लाइन के विस्तार के लिये सर्वेक्षण प्रतिवेदन	Survey report for extension of Railway line from Dharamanagar to Agartala	... 118
1152. विदेशी सहयोग से सरकारी क्षेत्र में छोटी कारों का निर्माण	Manufacture of Small Cars with foreign Collaboration in Public Sector	... 119
1153. प्राइम स्टील का निर्यात	Export of Prime Steel	... 119
1154. भारत में फोर्ड फाउन्डेशन द्वारा छोटी कारों का निर्माण	Production of Small Cars in India by Ford Foundation	... 119—120
1155. माल यातायात के लक्ष्य को कम किया जाना	Reduction in freight traffic target	... 120

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
1156. भिक्षावृत्ति पर प्रतिबन्ध	Ban on begging ...	120—121
1157. आधा टिकट प्रणाली की समाप्ति	Abolition of half ticket system ...	121
1158. दिल्ली, मद्रास, बम्बई और कलकत्ता के लिये ट्यूब रेलवे	Tube Railways for Delhi, Madras, Bombay and Calcutta ...	121—124
1159. हिमाचल प्रदेश में मोटे कागज की कमी	Shortage of thick paper in Himachal Pradesh ...	124
1160. मेरठ शहर स्टेशन (उत्तर रेलवे) के सरकारी धन के गबन से सम्बद्ध कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही	Disciplinary proceedings against employees involved in embezzlement of Government cash at Meerut city Station (Northern Railway) ...	124
1161. मध्य प्रदेश के होशंगाबाद तथा पूर्व निमाड़ जिलों हरिजनों का कल्याण	Welfare of Harijans of Hoshangabad and East Nimar Districts M.P. ...	125
1162. रेलवे लाइनों के विस्तार के बारे में मध्य प्रदेश सरकार का प्रस्ताव	Proposal by Madhya Pradesh Government regarding extension of Railway lines ...	125
1163. कुछ स्टेशनों पर वाराणसी एक्सप्रेस को रुकवाने के संबंध में अध्यावेदन	Representations regarding stoppage of Varanasi Express at certain stations ...	125—126
1164. रेलवे के स्कूलों में कार्य कर रहे अध्यापकों के लिये पदोन्नति के अवसर	Avenues of promotion of teachers employed in Railway Schools ...	126
1165. प्रशिक्षित स्नातक की परिभाषा	Definition of Trained Graduates ...	126
1166. वैस्ट कोस्ट रेल मार्ग का निर्माण कार्य	Construction of West Coast Railway	126—127
1167. बजाज बन्धुओं तथा आटोमोबाइल प्राडक्ट्स आफ इंडिया, बम्बई द्वारा निर्मित स्कूटर की लागत	Cost of Scooters manufactured by M/s Bajaj and Automobile Products of India, Bombay ...	127—128

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
1169. बम्बई के लिये भूमिगत रेलवे	Underground Railway for Bombay ...	128—129
1171. पश्चिम रेलवे में टाइपिस्टों के अस्थायी पदों को स्थायी बनाया जाना	Conversion of Temporary posts of Typists into Permanent Ones in Western Railway ...	129—130
1172. पश्चिम रेलवे में छुट्टी रिजर्व टाइपिस्ट	Leave Reserve Typists on Western Railway ...	130—131
1173. पश्चिम रेलवे में नियोजित टाइपिस्ट	Typists employed on Western Railway	131
1174. एक्सरे और अन्य प्रकार की फिल्मों के उत्पादन में गिरावट	Decline in production of X-Ray and other types of Films ...	131—132
1175. अर्हनिशि रोड और उत्तर कोयम्बटूर रेलवे के क्रासिंग पर ऊपरी पुल का निर्माण	Construction overbridge at Areinashi Road and North Coimbatore Railway Crossings ...	132
1176. नेत्रहीनों के प्रशिक्षण सुविधाओं के बारे में रूस में गये भारतीय दल की सिफारिशें	Recommendations of Indian Team to USSR regarding Training Facilities for the Blind ...	132—135
1177. इंडियन चैम्बर्स आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज द्वारा इस्पात के आयात की मांग	Demand for Import of Steel by Indian Chamber of Commerce and Industry ...	135
1178. ग्यारह सूत्री पर्यवेक्षण कार्य का रेलवे बोर्ड को हस्तांतरण	Transfer of work regarding supervision of 11 Point Programme to RailwayBoard ...	135
1179. खुर्जा जंकशन (उत्तर रेलवे) पर रेल दुर्घटना	Railway Accident at Khurja Jn. (N. Rly) ...	135—136
1180. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के कल्याण के लिये राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में समितियां नियुक्त करना	Setting up committees in States and Union Territories for welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes ...	136—137
1181. अनुसूचित जातियों और जन जातियों के आयुक्त के प्रतिवेदन पर विधान मंडलों द्वारा चर्चा	Discussion on the Report of Commissioner for S.C. & S.T. by State Legislatures ...	137—138

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
1182. आन्ध्र प्रदेश के पिछड़ी जाति आयोग द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाना	Submission of Report by Backward Class Commission of Andhra Pradesh ...	138
1183. दिल्ली से विजयवाड़ा होकर विशाखापत्तनम तक और वापसी की एक अतिरिक्त रेल गाड़ी	Additional Train from Delhi to Visakhapatnam and back Via Vijaywada ...	138—139
1184. अधिक विद्युतचालित गाड़ियों चलाया जाना	Introduction of more Electric Trains	139—140
1185. इलाहाबाद रेलवे स्टेशन के बाढ़ग्रस्त हो जाने के कारण रेलवे को हानि	Loss to Railways due to Flooding of Allahabad Railway Station ...	140
1186. साझे क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना	Setting up of Industries in Joint Sector ...	140
1187. विदेशी सहयोग से ट्रैक्टरों तथा विद्युतचालित हलों का निर्माण	Manufacture of Tractors and Power Tillers with Foreign Collaboration ...	140—142
1188. अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में कागज कारखाने में लवणरहित जल की कमी को दूर करने के उपाय	Measures to remove shortage of Non-Saline Water for Paper Industry in Andaman und Nicobar, Islands ...	142
1189. निजी व्यापार क्षेत्र को इस्पात का आवंटन	Allocation of Steel to Private Trade ...	142—143
1190. मुगलसराय मार्शलिंग यार्ड से संपत्ति की चोरी	Theft of Property from Mughal Saria Marshalling Yard ...	143—144
1191. रेलवे अधिकारियों द्वारा सैलून कारों का प्रयोग	Use of Saloon Cars by Railway Officials ...	144
1192. राजस्थान राज्य औद्योगिक तथा खनिज विकास निगम को स्कूटरों के निर्माण के लिए लाइसेंस जारी करना	Issue of Licences for Manufacture of Scooters by Rajasthan State Industrial Mineral Development Corporation ...	145—146
1193. भारतीय परामर्शदात्री फर्मों में प्रतियोगिता	Competition among Indian Consultancy firms ...	146

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
1194. हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन रांची के निदेशक मडल की वार्षिक महासभा तथा इसके अध्यक्ष द्वारा त्यागपत्र दिया जाना	Holding of Annual General Meeting of Board of Directors of Heavy Engineering Corporation Ranchi and resignation of its Chairman ...	146—147
1195. कुर्ग जिले में रेलवे लाइनें	Railway lines in Coorg district	147
1196. सिग्रेट उत्पादन के लिए स्थापित क्षमता का उपयोग	Utilisation of installed Capacity for Manufacture of Cigarettes ...	148
1197. गोल्डन टुबैको कम्पनी द्वारा सिगरेट कम्पनियों की तीसरी पारी न चलाने की मांग	Demand for discontinuation of 3rd Shift operations of Cigarette Companies by Golden Tobacco Company ...	148
1198. गोल्डन टुबैको कम्पनी द्वारा आन्ध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में सिग्रेट के कारखाने खोलने का प्रस्ताव	Proposal for setting up of cigarette factory in Andhra Pradesh and Tamil Nadu by Golden Tobacco Company ...	148—149
1199. महाराष्ट्र में मद्यनिषेध कार्यक्रम के लिये धन का नियतन	Allotment of funds for prohibition programme for Maharash ra ...	149
1200. सिगरेट के नये कारखाने स्थापित करने के लिये लाइसेंसों की क्रियान्विति	Implementation of Licences for setting up of New Cigarette factory ...	149—150
अविलम्बनीय लोक-महत्त्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance ...	150—154
इम्फाल में उत्पन्न हुई स्थिति	Situation in Imphal ...	150—151
श्री धीरेश्वर कलिता	Shri Dhireshwar Kalita ...	151
श्री कृष्ण चन्द्र पन्त	Shri K. C. Pant ...	151—152
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	154
कराधान विधि (संशोधन) विधेयक	Taxation Laws (Amendment) Bill ...	154—155
खण्ड 17 से 74	Clauses 17 to 74	155—182
पारित करने का प्रस्ताव, संशोधित रूप में	Motion to pass, as amended	

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
श्री तेन्नेटी विश्वनाथम	Shri Tenneti Viswanatham	182—183
श्री नन्दकुमार सोमानी	Shri N.K. Somani	183—184
श्री एस० आर० दामानी	Shri S. R. Damani	184—185
श्री कंवर लाल गुप्त	Shri Kanwar Lal Gupta	185—186
श्री नरेन्द्र कुमार सातवे	Shri N.K.P. Salve	186—187
श्री शिव चन्द्र झा	Shri Shiva Chandra Jha	187
श्री विद्याचरण शुक्ल	Shri Vidya Charan Shukla	187—188
अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) विधेयक	Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Bill	189—198
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider, as reported by Joint Committee ...	189
श्री हनुमन्तय्या	Shri K. Hanumanthaiya	189
श्री आर० एस० अरुमुगम	Shri R.S. Arumugam	194
श्री प्र० के० देव	Shri P. K. Deo	194—196
श्री बसुमतारी	Shri Basumatari	196—198
श्री राम सिंह अयरवाल	Shri Ram Singh Ayarwal	198

लोक-सभा
LOK SABHA

मंगलवार, 17 नवम्बर, 1970/26 कार्तिक 1892 (शक)
Tuesday, November 17, 1970/Kartika 26, 1892 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

रेलगाड़ियों में टेलीफोन सुविधा की व्यवस्था

* 151. **श्री नि० रं० लास्कर :**

श्री श्रद्धाकर सूपकार :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलगाड़ियों में टेलीफोन की सुविधा प्रदान किये जाने का प्रस्ताव किया गया है; और

(ख) यह सुविधा किस तारीख से आरम्भ की जाएगी और क्या इसका शुल्क साधारण ट्रंक शुल्क के बराबर ही होगा ?

रेलवे मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री रोहनलाल चतुर्वेदी) : (क) परिचालनिक प्रयोजनों के लिए चलती गाड़ी और नियन्त्रण कार्यालय के बीच टेलीफोन संचार व्यवस्था स्थापित करने के लिए प्रयोगात्मक परीक्षण किए जा रहे हैं। यदि ये परीक्षण सफल सिद्ध हो गये तो यात्रियों के उपयोग के लिए ऐसी संचार व्यवस्था के विस्तार की संभावना की जांच संचार मंत्रालय के परामर्श से की जायेगी।

(ख) जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, प्रयोगात्मक परीक्षण किये जा रहे हैं और यात्रियों के उपयोग के लिए इस संचार व्यवस्था के विस्तार पर केवल तभी विचार किया जा सकता है जब

ये परीक्षण सफल सिद्ध हो जायें और उसके बाद इसके लिए किरायों का विनिश्चय संचार मंत्रालय के परामर्श से किया जा सकता है ।

श्री नि० रं० लास्कर : इन परीक्षणों के परिणाम क्या हैं और क्या इन परीक्षणों की सफलता से रेलों का चलना सुरक्षित होगा ?

श्री रोहनलाल चतुर्वेदी : आजकल हम इन प्रयोगात्मक परीक्षणों को दो खण्डों अर्थात् बम्बई-पूना तथा मद्रास-बंगलौर में काम में ला रहे हैं । बम्बई-पूना खण्ड एक घाट खण्ड भी है और वहां कटाव काफी मात्रा में है । इसमें कई कठिनाइयां हैं लेकिन हमें आशा है कि एक साल के अन्दर-अन्दर हम इन प्रयोगों को पूरा कर लेंगे । इससे अगला कदम प्रयोगों के परिणाम जानने के बाद उठाया जायेगा ।

Shri Rabi Ray : Will you provide it in 3rd class compartments also ? Will you kindly give details ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : It will the provided to those who are prepared to pay.

श्री हेम बरुआ उठे

अध्यक्ष महोदय : यह जानना चाहते हैं कि क्या मंत्रियों को बिना व्यय के गाड़ियों में टेलीफोन कर दिया जावेगा ?

श्री हेम बरुआ : कहा जाता है कि प्रयोग चलती गाड़ी तथा कन्ट्रोल रूम के बीच किया गया । क्या आजकल यह सुविधा है ? यदि है, तो प्रयोग में इतना समय क्यों लगता है ।

श्री रोहनलाल चतुर्वेदी : जी नहीं । इन खण्डों में यह प्रयोग इसलिये चलाया जा रहा है कि यहां सूक्ष्म तरंग प्रणाली है । बम्बई-पूना खण्ड में हमारे पास माथेरन नामक स्थान पर एक बुर्ज है । जिन स्थानों पर बुर्ज हैं, वहीं प्रयोग सम्भव हैं ।

Shri Atal Bihari Vajpayee : Has the Railway Ministry decided whether the provision of telephone is necessary or seats or drinking water for passengers is necessary ?

Shri Nanda : It was proposed in the same way and the work is also going on accordingly. But the contact between moving train and watch tower is also necessary for the purpose of safety.

ट्यूब उद्योग में संकट

*153 **श्री यशपालसिंह :** क्या **औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाट-रोल्ड शीट की सप्लाई के अभाव में ट्यूब उद्योग को संकट का सामना करना पड़ रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) देशी इस्पात के स्कल्प/चादरों के कायलों की कमी के कारण ट्यूब उद्योग उत्पादन में कुछ कमी का सामना कर रहा है ।

(ख) सरकार आजकल ट्यूब उद्योग के लिए अपेक्षित इस्पाती स्कैल्प/चादर कायलों की जरूरत के 25 प्रतिशत तक के आयात की स्वीकृति दे रही है। इसके अतिरिक्त कारखाने वाले 1969-70 वर्ष में वास्तविक खपत के 50 प्रतिशत तक के लिए अतिरिक्त आयात लाइसेंस हेतु आवेदन कर सकते हैं । कच्चे सामान के आवंटन के लिए संयुक्त संयंत्र समिति द्वारा प्रदत्त किए जाने वाले अनुपलब्धि प्रमाणपत्र के मामले में अग्रेत्तर आवश्यकताओं पर भी विचार किया जाता है ।

Shri Yashpal Singh : Is the Govt. in a position to state the present requirement, quantity being imported and the time when we will attain self-sufficiency in this ?

श्री मं० रं० कृष्ण : इसकी उत्पादन क्षमता 4,59,960 टन है लेकिन 1969 के दौरान 2,99, 273 टन का उत्पादन हुआ । अत: कमी बहुत है जिसे आयात आदि द्वारा पूरा किया जा रहा है ।

Shri Yashpal Singh : What is the extent to which we are short of seamless tubes and the time to be taken for making up this deficiency.

श्री मं० रं० कृष्ण : जैसा कि मैंने कहा है इस कमी को पूरा करने के लिए हम समूची सामग्री का आयात कर रहे हैं । मेरे विचार में अब हमारी स्थिति सुधर गयी है और 29 करोड़ की लागत के इस्पात के आयात से कारखाना अच्छी तरह से चल पड़ेगा । कठिनाई इस तरह उत्पन्न हुई । 1969-70 के दौरान यह वस्तु हमारे पास काफी मात्रा में फालतू थी और कारखाना इसका उपयोग नहीं कर रहा था और पी० जे० पी० सी० के लिए इन चीजों का भुगतान करना कठिन हो गया । जब उद्योग चलने लगा तो कच्चा माल नहीं था । इस प्रकार यह कठिनाई पैदा हुई ।

अध्यक्ष महोदय : श्री महाराजसिंह भारती । काफी समय के बाद आप आए हैं, आपका स्वागत है ।

Shri Maharaj Singh Bharati : Keeping in view the fact that there is a great demand of tubes throughout the world and that we are supplying tubes to many countries and we are consuming 50% of the entire production capacity of tubes, will the Govt. state that there will be no shortage of raw material to this industry till the plants, which in turn will be utilised for production of tubes, are manufactured in Bokaro Steel Plant so that the export is not allowed to fall ?

श्री मं० रं० कृष्ण : जहां तक निर्यात का सम्बन्ध है, प्रयोक्ता को निर्यात के लिए पूरा कच्चा माल मिलेगा । जो कारखाने निर्यात कर रहे हैं उनके लिए जे० पी० सी० ने 72000 टन का आवंटन किया है ।

श्री ई० के० नायनार : इस्पात की कमी के कारण कुछ कारखाने बंद हो रहे हैं जिनमें से कुछ मेरे निर्वाचन क्षेत्र में भी हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि लोहे की ट्यूब के कारखानों का उत्पादन

1969 के दौरान उत्पादन क्षमता का 47% रहा है ? यदि ऐसा है, तो इस्पात की कमी को दूर करने के लिए सरकार क्या कर रही है ? इस्पात कारखाने की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए भी सरकार क्या कर रही है ?

श्री मं० रं० कृष्ण : यह बात सर्वविदित है कि इस्पात की कमी के कारण कुछ कारखाने काम नहीं कर रहे । इसी कारण आयात को और अधिक उदार किया गया है । कारखानों के लिए 29 करोड़ तथा छोटे उद्योगों के लिए 10 करोड़ रु० की लागत की इस्पात का आयात किया गया है । इसके अतिरिक्त देश में उत्पादन को भी बढ़ाया गया है । ये सारे प्रयत्न किए जा रहे हैं ।

Complaints by Members of Parliament Regarding Meals Served by Railways/Contractors.

* 154. **Shri K. M. Madhukar** : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the quality of meal served to the passengers by the Railway Department or Catering Contractors has not improved;

(b) if so, the reasons therefor;

(c) the number of complaints received from Members of Parliament this year in this connection and the number of those on which action has since been taken; and

(d) the details of action taken on those complaints and the improvements effected as a result thereof ?

रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मु० युनुस सलीम) : (क) और (ख) रेलों में खान-पान के स्तर के सुधार के लिए अभी हाल में एक जोरदार अभियान शुरू किया गया है और इसका कुछ प्रभाव दिखाई देने लगा है । जब तक पर्याप्त सुधार नहीं हो जाता, तब तक यह अभियान जारी रखा जाएगा ।

(ग) और (ग) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

Shri K. M. Madhukar : Even after twenty years of independence the hon. Minister is saying that a vigorous drive to improve the quality of meals served in Railways has been undertaken and its impact is becoming visible but my experience is that there is no improvement in chapaties, dal, vegetables and curd. May I know the improvements effected as a result of speeches regarding quality of meals made in twenty two years after independence.

May I also know the action taken by Govt. on numerous complaints made by M.Ps during the last one year ?

Shri M. Yunus Saleem : Railway catering is being arranged in two ways *i.e.* through contractors and departmental catering. We are making experiments to run departmental catering on some stations. Two things are there. Firstly, quality should be good and secondly the rates should be reasonable for which all arrangements have been made. To watch over the quality of the meals served we have Inspectors who examine and see the grievances and challan and fine the man who provide adulterated food. All attempts are being made to provide best quality food within the fixed rates but no work can be done within a day. We are gradually realising it and taking strict action in case of default.

Shri Yogendra Sharma : The question was that as to how many times attempts were made for bringing improvements and what were the results thereof ?

Shri M. Yunus Saleem : Efforts are being made to bring in improvements. If the Hon'ble Members want to know I can tell them that we have analised 821 samples in 1967, 924 in 1968 and 1186 in 1969. Those whose samples were found adulterated were challaned and fined. We are ensuring that low quality food is not served.

Shri Hukam Chand Kachwai : There can be no second opinion on the subject that the food provided by the contractors in the Railways is of low standard. Railway's catering is also bad. The contractors go on changing that the employees are continuing for the last 15 or 20 years. The dealings of the contractors with them is not proper and do not pay them their due salary and bonus and terminate their services at their sweet will. May I know from the hon. Minister whether the Govt. propose to frame rules, governing the service conditions of the employees working with the contractors.

Secondly, there are same contractors who are still there for the last 15 and 20 years. Your inspecting staff gets some money from them every month. Will the Hon'ble Minister enquire into it ? We simply receive acknowlegements of our complaints from the Department.....

Mr. Speaker : Don't be irrelevant.

Shri Hukam Chand Kachwai : Sir, they do not issue vegetables, flour etc. after weighing according to the rules. They only serve good food to the Member of Parliament that is the type of discrimination there. I would like to know the steps being taken to deal with these shortcomings severely ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : It will be wrong to say that all is satisfactory. We receive complaints as well as information about the improvements. I have sent directions to the fact that the contractor against whom complaints are received will be straightway terminated. So many people are interested but two things are there. Firstly, complaints are received against defaulters and secondly conditions are such which create such problems. Keeping in view all these factors, we tried to introduce new system with effect from 1st September.

Shri M.A. Khan : Mr. Speaker, Sir, we should know as to what improvements were effected. In my view there are no improvements nor are we realising any relief. I would like to know the action taken so far by the Railway Department on the complaints of Members of Parliament and some other responsible people, regarding Kanpur and Faizabad Railway Stations.

Shri Nanda : At present I am getting the complaints analised received during the last three months. I am getting the information about the action taken in each case. I have noted down the complaints received from the Members of Parliament during the last two and three months. Enquiries are going on and some cases have been registered that I cannot give the details at present.

Shri M.A. Khan : These are old complaints. I myself had sent complaints about Kanpur and Faizabad and also quoted instances. I have also gone through the report of Acharyaji about Faizabad. Some other responsible Members of Parliament have also complained about these canteens. Accordingly, the reply that a separate cell has been opened to deal with the complaints received during the last three months, will not serve the purpose.

Shri M. Yunus Saleem : It is very difficult to say the action taken against each station.

Shri M.A. Khan : In fact, the Hon'ble Minister has no information about it and that is why he is avoiding the issue.

Shri M. Yunus Saleem : He has particularly put a question about Faizabad and Kanpur and I will let the Hon'ble Member know the action taken in this regard. I assure the Hon'ble Member that no avoiding tactics are done from our side. We enquire and take action on the complaints as and when received from them. We always try to avoid the chances for such complaints.

Shri Sheo Narain : Do the Minister propose to go to the canteen at Lucknow Railway Station without any previous intimation for taking meals ?

Lucknow is the capital of Uttar Pradesh and there are so many irregularities in the departmental catering. Will the Govt. receive the old catering by Kalnoor company by giving contract so that it could provide food at the Railway Stations ?

Shri M. Yunus Saleem : I have already stated that I cannot indicate the action taken in respect of a particular station. In case the Hon'ble Member tells us specifically the type of grievances about Lucknow station, we shall take all possible action in the matter.

Shri Sheo Narain : Once I showed a 'Sukhi roti' in Parliament to show as to what a bad type of food is provided, but no improvements were effected. Good food is not provided there.

Shri M. Yunus Saleem : We will consider it and take necessary action.

Shri Sheo Narain : The Hon'ble Minister has not given any reply regarding catering contract to Kalnoor company.

अध्यक्ष महोदय : यह एक सामान्य प्रश्न है ।

श्री दत्तात्रेय कुन्टे : क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि डिपार्टमैंटल केटरिंग के लिए वस्तुएँ अच्छे साधनों से नहीं लाई जातीं और उनकी क्वालिटी, जिनमें दूध आदि भी शामिल है, बहुत नीची होती है । यदि हां, तो इन कमियों को दूर करने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

श्री मु० यूनुस सलीम : यदि माननीय सदस्य की शिकायत का अर्थ अशुद्ध दूध से है तो जैसा कि मैंने पहले कहा है, हर प्रकार की अशुद्ध वस्तु सप्लाई करने वाले के विरुद्ध हम कार्यवाही करते हैं । लेकिन किस स्टेशन के बारे में क्या कार्यवाही की गयी, यह बताना कठिन है ।

श्री धीरेश्वर कलिता : सात सितम्बर को मैं तथा कुछ अन्य संसद सदस्य दिल्ली से आसाम जा रहे थे । कंडक्टर ने आकर हमसे रात के डिनर का आर्डर लिया । रात गुज़र गयी लेकिन हमें खाना नहीं मिला । अन्य यात्रियों को खाना मिला लेकिन हम सात संसद सदस्यों को नहीं । हमने शिकायत की लेकिन इस शिकायत पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई । मैं जानना चाहता हूँ कि सरकार ने इस शिकायत पर क्या कार्यवाही की है या क्या कार्यवाही करने का विचार है ।

अध्यक्ष महोदय : मूल प्रश्न एक सामान्य-सा है । यह विशिष्ट प्रश्न है । यदि मन्त्री महोदय जवाब देना चाहते हैं तो कोई बात नहीं लेकिन यह इस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं । लेकिन मैं अनुरोध करूंगा कि वे इस पर विचार करें । अब मैं अगला प्रश्न लेता हूं ।

तकनीकी जानकारी का आयात

* 161 **श्री रा० बरुआ** : क्या **औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में औद्योगिक तकनीक सम्बन्धी जानकारी रखने वाले व्यक्तियों की बहुत कमी है जिसके परिणामस्वरूप देश में औद्योगिक विकास में बाधा पड़ रही है और देश में अनुभवी तकनीकी जानकारी का आयात करने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार देश में एक औद्योगिक सेवा का गठन करने का है जिससे देश में औद्योगिक एककों को चलाने के लिए तकनीकी जानकारी रखने वाले व्यक्ति उपलब्ध कराये जा सकें ।

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) और (ख) : एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) यद्यपि देश में तकनीकी कर्मचारी हैं जिनमें इंजीनियर और कुशल मानव शक्ति सम्मिलित है और यद्यपि पिछले दो दशकों में विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में विशेषता में पर्याप्त वृद्धि हुई है तो भी टेकनोलाजी विशेष रूप में सूक्ष्म वस्तुओं के उत्पादन के क्षेत्र में क्षमता की आवश्यकता अब भी बनी हुई है । कुछ ऐसे क्षेत्रों में, जिनमें पिछले कुछ समय से उत्पादन होने लगा है, अन्य देशों में प्रौद्योगिकी का विकास बड़ी तेजी से हुआ है । विदेशों में हुए प्रौद्योगिकी विकास के साथ ही हमारे देश में भी उद्योगों का विकास हो इसके लिए कुछ प्रौद्योगिकी का विकास करना आवश्यक हो जाता है जिससे भारतीय निर्माता अन्तर्राष्ट्रीय बाज़ारों के साथ प्रभावपूर्ण ढंग से मुकाबला कर सकें और देश के उपभोक्ताओं को बढ़िया किस्म का माल और अधिक प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यों पर उपलब्ध हो सके। आज प्रौद्योगिकी का प्रवाह अन्तर्राष्ट्रीय तत्व बन गया है और यहां तक कि औद्योगिक दृष्टि से उन्नत राष्ट्र भी अन्य देशों में हुए इस प्रकार के प्रौद्योगिकीय विकासों का लाभ उठाते हैं । प्रौ ोगिकी के आयात के साथ-साथ यह भी आवश्यक हो सकता है कि अन्य देशों से अपेक्षाकृत कम अवधि के लिए उन पदों पर तब तक के लिए तकनीशियनों की नियुक्ति की जाए जब तक कि हमारे इंजीनियर और कुशल कर्मचारी इन प्रविधियों को सीख नहीं लेते। फिर भी इस प्रकार के तकनीशियनों की संख्या शीघ्रता से कम होती जा रही है और वह हमारी अर्थव्यवस्था में प्रौद्योगिकी वृद्धि और विकास में हुई वृद्धि के साथ-साथ कम होती जाएगी ।

(ख) जहां तक प्रौद्योगिकी के आयात का सम्बन्ध है इस बात का सुनिश्चय करना आवश्यक हो जाता है कि विदेशों से प्राप्त प्रविधियां और जानकारी तो भारतीय एककों द्वारा जितनी शीघ्रता से सम्भव हो सके सीख लिया जाए, अपना लिया जाए और उनमें और आगे विकास कर लिया जाए। इस प्रयोजन के लिए निर्माण करने वाले एककों द्वारा अलग-अलग और सम्मिलित रूप से उद्योग के कुछ विशेष क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास की आवश्यकता पर अत्यधिक बल दिया जा रहा हैं । इसका सुनिश्चय करने के लिए भी प्रयत्न किये जा रहे हैं, कि देश में अनुसंधान करने वाले निकायों और संस्थानों के कार्यकलापों और उद्योग की आवश्यकताओं के बीच और अधिक समन्वय स्थापित किया जा सके । तकनीकी परामर्शदायी इंजीनियरी सेवाओं का विकास करने की आवश्यकता को भी पूरी तरह समझ लिया गया है और उत्पादन के विभिन्न क्षेत्रों में देशी परामर्शदायी इंजीनियरी के विकास को सभी प्रोत्साहन दिया जा रहा है । जहां तक विदेशी तकनीशियनों का सम्बन्ध है सामान्यत: उन्हें केवल उतनी अवधि के लिए अनुमति दी जाती है जितनी अवधि के लिए उपयुक्त भारतीय कर्मचारियों को इन पदों पर कार्य करने के लिए प्रशिक्षित होने की आवश्यकता होती है ।

श्री रा० बरुआ : क्या विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी में तेजी से परिवर्तन हुआ है और हम उस

परिवर्तन को उद्योगों में लागू करने के लिए पीछे रह गए हैं ? वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् भी इस मांग को पूरा करने में समर्थ नहीं हुआ है। क्या मैं जान सकता हूं कि उद्योग में तकनीकी जानकारी के सम्बन्ध में वैज्ञानिक विकास के साथ-साथ चलने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री दिनेशसिंह : उसी का तो हमने उत्तर में उल्लेख किया है। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् इस विधेयक की जांच करती है। हमने हाल ही में नया पेटेन्ट विधेयक पारित किया है। हमारी यह आशा है कि अधिक से अधिक भारतीय तकनीशियन आगे आ रहे हैं, उद्योगों में वृद्धि हो रही है और देश में उन लोगों के लिए वृहतर अवसर है और हमारी यह आशा है कि वे इस स्थान को भरने के लिए आयेंगे। जैसा कि आपको ज्ञात ही है, देश में विदेशी तकनीशियन बहुत बड़ी संख्या में नहीं हैं। इसका तात्पर्य यह है कि देश में से अधिक से अधिक व्यक्ति अपना स्थान ले रहे हैं।

श्री रा० बरुआ : यद्यपि सरकार ने बड़ी मात्रा में आयात प्रतिस्थापन करने का प्रयास किया है, गत कुछ वर्षों का हमारा यह अनुभव है कि उत्पादक उचित जानकारी के अभाव में घटिया किस्म का माल तैयार कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि हम इलेक्ट्रोनिक्स के प्रयोग में बहुत पीछे हैं जबकि कुछ अन्य देशों में इसका तेजी से विकास हुआ है। हम आगामी कुछ वर्षों में दूसरे देशों के स्तर के बराबर आ जायें, इसके लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री दिनेशसिंह : प्रश्न कुछ ऐसा सामान्य-सा है कि जिसका मैं कोई विशेष उत्तर नहीं दे सकता। देश में इलैक्ट्रोनिक्स के विकास के बारे में हमारी गहन रुचि है। यह बहुत ही तकनीकी प्रश्न है। इसे उचित औद्योगिक आधार की, उचित अनुभव की, उचित प्रोत्साहन की तथा बाहर से उचित तकनीकी जानकारी यहां आने की आवश्यकता है जिनके आधार पर कोई और अधिक सुधार कर सकता है। हम अपने व्यक्तियों को देश तथा विदेश में प्रशिक्षण देने का भरसक प्रयास कर रहे हैं और यदि आवश्यक हुआ तो बाहर से तकनीकी जानकारी भी यहां मंगा कर सुधार कर सकते हैं। माननीय सदस्य इस बात की सराहना करेंगे कि जितनी बातों की हमें आवश्यकता है उनके लिए हम स्वयं बहुत कार्य कर रहे हैं। वास्तव में हमें देशी प्रौद्योगिकी के पूर्ण आधार की आवश्यकता है परन्तु उसे थोड़ा समय लगेगा।

श्री तेन्नेटी विश्वनाथम : भारत में विदेशी तकनीशियनों की कुल संख्या कितनी है ? क्या सरकार की नीति यह नहीं है कि बड़ी संख्या में तकनीशियनों के भारत आने को निरुत्साहित किया जाए। विदेशी तकनीशियनों को प्रोत्साहित अथवा हतोत्साहित करने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री दिनेशसिंह : हमारी नीति यह है कि यदि देशी सामग्री उपलब्ध है तो हमें विदेशी तकनीशियनों को यहां नहीं बुलाना चाहिए; वास्तव में जब नितांत आवश्यक होता है तभी विदेशी तकनीशियनों को यहाँ बुलाने की इजाजत दी जाती है वरना इस पर कठोर नियंत्रण है। सबसे अधिक बल इसी बात पर दिया जाता है कि यहां अधिक से अधिक भारतीय तकनीशियन हों।

श्री रवि राय : कृपया संख्या बताइये।

Shri Madhu Limaye : Please define 'absolutely essential'. Are biscuits and chocolates etc. absolutely essential ?

श्री दिनेशसिंह : माननीय सदस्य के अनुसार बहुत सी चीजें आवश्यक नहीं हो सकती हैं।

Shri Madhu Limaye : Is collaboration essential for chocolates ?

श्री दिनेशसिंह : वास्तव में देश में बिस्कुट तथा चाकलेट आवश्यक हैं। हम अपने बच्चों को बिस्कुट तथा चाकलेट दोनों देते हैं।

Shri Rabi Ray : Is collaboration needed for biscuits ?

Shri Madhu Limaye : Are biscuits not manufactured here ?

श्री तेन्नेटी विश्वनाथम : कुल संख्या कितनी है ?

श्री दिनेशसिंह : मेरे पास इस समय कुल संख्या के सम्बन्ध में कोई कागज नहीं है।

डा० रोनन सेन : हमारे देश के तकनीशियनों तथा सरकारी वैज्ञानिक संस्थानों में कार्य कर रहे वैज्ञानिकों की तरफ से इस सम्बन्ध में शिकायतें की गई हैं कि ऐसे तकनीशियनों तथा वैज्ञानिकों से जानकारी प्राप्त करने में गैर-सरकारी उद्यमियों और सरकारी क्षेत्र के उद्योगों के प्रबन्ध के लिए देशी विशेषज्ञता अथवा जानकारी की अवहेलना करने और विदेशी तकनीशियनों, प्रौद्योगिकों और उद्योग के साथ अच्छे सम्बन्ध बनाने के लिए बाहर से आयात करने का प्रयत्न करने की एक सामान्य प्रवृत्ति है। यदि ऐसी बात है तो स्थानीय जानकारी अथवा विशेषज्ञता पर विश्वास करने और विदेशी जानकारी को जहां तक हो सके समाप्त करने और विदेशी जानकारी का आयात करना समाप्त करने में सरकार द्वारा अपनाये गए नवीनतम उपायों से इस कमी को कैसे दूर किया जा सकता है ?

श्री दिनेशसिंह : माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है उसका मूल आशय मैं नहीं समझ सका। मैंने पहले दिये गए उत्तर में यह बता दिया था कि हमारा यह प्रयास रहा है कि यदि इस देश में प्रौद्योगिकी और तकनीशियन उपलब्ध हैं तो हमें उन्हें बाहर से मंगाने की आवश्यकता नहीं है। परन्तु निश्चय ही माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि हमें यदि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कोई स्थान पाना है और अपने उद्योग को आधुनिक बनाना है तो हमें यह देखना होगा कि नवीनतम प्रौद्योगिकी यहां उपलब्ध हो। हमारा देश ही प्रौद्योगिकी का आयात नहीं करता है परन्तु बहुत से विकसित देश भी एक-दूसरे से उसका आयात करते हैं। प्रौद्योगिकी आज कुशल प्रबन्ध तथा कुशल उत्पादन का महत्त्वपूर्ण पहलू बन चुकी है। अतः जहां कहीं हमें यह महसूस होता है कि देश में प्रौद्योगिकी हमारे स्वयं के उत्पादन और निर्यात बाजार के लिए आवश्यक है परन्तु उपलब्ध नहीं है तो हम प्रौद्योगिकी के आयात की इजाजत दे देते हैं। हमारा यह प्रयास है कि एक बार प्रौद्योगिकी का आयात कर लिया गया है तो हमें यह देखना है कि उसे आधुनिक रखा जाता है अथवा नहीं और अनुसंधान और विकास पर अधिक व्यय किया जाता है अथवा नहीं किया जाता है। दुर्भाग्य से अनुसंधान और विकास पर अभी तक हमने पर्याप्त व्यय नहीं किया है। हम गत बीस वर्षों से अथवा स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय से वास्तव में अपने देश को औद्योगीकृत बनाने का प्रयास करते रहे हैं। विकसित देशों में से बहुत से देशों के विकास के लिए अधिक लम्बा समय प्राप्त हुआ है जिस समय में उन्होंने प्रौद्योगिकी के विकास पर भी बहुत अधिक धन व्यय किया। अतः प्रौद्योगिकी का आयात

कुछ सीमा तक आवश्यक हो गया है। परन्तु सर्वाधिक बल इसी बात पर दिया जाना है कि यह न्यूनतम संभव है और यह देखना है कि एक बार आयात कर लिया गया है तो हम उसे अन्त तक रखने का प्रयत्न करते हैं।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : यह दुर्भाग्य की बात है कि हमारे ऊंची योग्यता वाले तकनीशियनों और वैज्ञानिकों की विदेश में जाने और वहां जाकर विकसित देशों में बस जाने की प्रवृत्ति रहती है। वे यह महसूस करते हैं कि वहाँ उनके ज्ञान को अच्छी तरह जाना जायेगा और सेवाओं में उन्हें श्रेष्ठतर अवसर प्राप्त होंगे। क्या यह सच है कि ऊंची योग्यता वाले विशेषज्ञों को देश से बाहर जाने से रोकने के लिए सरकार किसी कार्यवाही पर विचार करती है क्योंकि ये विशेषज्ञ श्रेष्ठतर सेवा शर्तों के मायावी लालच के पीछे देश छोड़ रहे हैं ?

एक माननीय सदस्य : मायावी ?

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : मैंने इसे मायावी इसलिए कहा है कि भारत में वे लोग अपने पैसे से जो कुछ खरीदते हैं वह विकसित देश में जो खरीदते हैं उससे कहीं अधिक होता है।

श्री पीलु मोदी : परन्तु पैसा कहां है ?

श्री दिनेशसिंह : माननीय सदस्य ने ठीक ही कहा है कि थोड़ी मात्रा में लालच अवश्य है और लोग सोचते हैं कि विदेशों में बृहत्तर अवसर मिलते हैं, अतः उनमें से कुछ व्यक्ति बाहर चले जाते हैं। यह हमारे लिए अफसोस की बात है कि ऐसा होता है। परन्तु यह अद्भुत बात विश्व में सभी स्थानों पर व्याप्त हो रही है। सभी स्थानों पर योग्य व्यक्तियों का बहिर्गमन हो रहा है। लोगों में उन स्थानों पर जाने की प्रवृत्ति है जहाँ उन्हें कार्य करने के लिये न केवल श्रेष्ठतर अवसर ही प्राप्त होते हैं अपितु अनुसंधान और अन्य कार्य करने का भी श्रेष्ठतर अवसर प्राप्त होता है। मैं माननीय सदस्य के विचारों के साथ-साथ चलकर उनसे कहूंगा कि जो व्यक्ति अपनी सेवाओं के लिए श्रेष्ठतर उपलब्धियों के लिए विदेशों में जा रहे हैं उन्हें वास्तविक लाभ नहीं हो रहा है क्योंकि देश में रुपये से सामान खरीदने में जो रुपये की क्रय शक्ति है वह निश्चय ही, विदेशों में जो कुछ प्राप्त हो रही है, उससे कहीं अधिक है। परन्तु जब कभी उनमें से कुछ व्यक्तियों को विदेशों में काम करने का श्रेष्ठ अवसर प्राप्त हो जाता है तो वे चले जाते हैं। देश में शनैः-शनैः श्रेष्ठतर अवसर उत्पन्न करने और उद्योगों तथा अनुसंधान केन्द्रों में विकास करके इस पर नियन्त्रण किया जा सकता है। हमारी कठिनाई यह है कि हमारे देश के कुछ बड़े उद्यमों में, जिनकी विश्व के बड़े उद्यमों से तुलना की जा सकती है, पारिश्रमिक बहुत थोड़े हैं। उसी कारण लोग समझते हैं कि उन्हें सभी अवसर प्राप्त नहीं हैं।

Shri Kanwar Lal Gupta : I want to know from the hon. Minister about two things. Firstly, is it true that very low amount is spent on research in Private Sector as well as in Public Sector in our country in comparison to the other countries and as a result of that we are lagging behind in the required amount of research ? Will there be any such provision by enacting legislation that a particular percentage of the profit earned by the big industrialists or the Government would definitely be spent on research work.

Secondly, is it true that there is inflow of know-how and the foreign collaboration is allowed for the production of such items as cosmetics which is not essential and the items

which are manufactured in U.S.A. and Britain are manufactured in this country in collaboration with foreign firms? What steps are being taken by the Government to stop all this which is happening inspite of the policy of the Government?

श्री दिनेशसिंह : जैसा कि मैंने प्रारंभ में ही कहा है कि यह हमने महसूस किया है कि देश में पर्याप्त अनुसंधान और विकास नहीं हुआ है। हम इन दोनों कार्यों पर पर्याप्त धन भी व्यय नहीं कर सके हैं। मैं उद्योगपतियों, उनके संगठनों और संघों से बातचीत करता रहा हूं तथा सुझाव देता रहा हूँ कि वे अनुसंधान और विकास के लिए सुविधायें प्रदान करें। मैं यह कहता रहा हूं कि जहां उद्योग-धंधे इतने छोटे हैं कि वे स्वयं इस कार्य को नहीं कर सकते तो वे यह देखें कि क्या उनके संगठनों अथवा संघों के लिए ऐसा करना संभव है। यदि सरकार से किसी प्रकार की किसी सहायता की अपेक्षा की गई, तो हम उसे निश्चय ही पूरा करने का प्रयास करेंगे। सरकारी क्षेत्र में भी हम अनुसंधान और विकास विभाग में वृद्धि करने का प्रयास कर रहे हैं तथा यह देख रहे हैं कि अधिक अनुसंधान और विकास किया जाए। मेरे विचार से इनमें वृद्धि करना सम्भव होगा।

इस समय हम किसी सांविधिक उपबन्ध के बारे में नहीं सोच रहे हैं। परन्तु यदि आवश्यक हुआ तो हम निश्चय ही इसके लिए सदन में आयेंगे। माननीय सदस्य के दूसरे प्रश्न के उत्तर में मेरा यह कहना है कि हम कास्मेटिक्स और उपभोक्ता सामान के लिए विदेशी सहयोग करने की इजाजत नहीं दे रहे हैं। हम ऐसी विलासिता की वस्तुओं के लिए सहयोग की अनुमति नहीं देते हैं जब तक आयातित प्रौद्योगिकी की लागत को पूरा करने के लिए कोई निश्चित दृष्टिकोण न हो। परन्तु किसी सीमा तक इन वस्तुओं के लिए सहयोग के लिए अनुमति देना आवश्यक हो जाता है जिन्हें कोई व्यक्ति विलासिता की वस्तुएं कह सकता है। जब तक हमारे पास संतुलित विकास नहीं है तब तक जितने भी उत्पाद और उप-उत्पाद यहाँ बनते हैं उनका पूर्ण उपयोग करना कठिन होगा। अत: मैं स्पष्ट रूप से कहूंगा कि विलासिता की वस्तुओं के लिए प्रौद्योगिकी के आयात पर बिलकुल बल नहीं दिया गया है। उसे सबसे नीची प्राथमिकता दी गई है। कभी-कभी देश में उद्योग की वृद्धि के लिए आयात करने की अनुमति देना जरूरी हो जाता है।

श्री लोबो प्रभु : प्रौद्योगिकी अनुसंधान पर निर्भर करती है और अनुसंधान में व्यय होता है और वर्षों पश्चात् कुछ मिलने की आशा होती है। इस संदर्भ में मैं चाहूँगा कि मंत्री महोदय हाल ही के पेटेन्ट विधेयक के प्रभाव की जांच करें। क्या उन्हें ऐसी शिकायतें मिली हैं कि पार्टियां अपनी जानकारी और प्रौद्योगिकी को इस भय से नहीं लाना चाहती हैं कि इस देश में उनके पेटेन्ट अधिकारों की हत्या हो जायेगी और वे खतरे में पड़ जायेंगे ?

दूसरा प्रश्न यह है कि औद्योगिक विकास के हित में क्या वह, नवीन खोज के मामले में जो देश के लिए आवश्यक है, पेटेन्ट कानून को शिथिल करने के इच्छुक हैं जिससे हमें विशेषतया औषधियों के मामले में लाभ हो सके।

श्री दिनेशसिंह : केवल दूसरे ही दिन सदन ने पेटेन्ट विधेयक को लगभग सर्वसम्मति से पारित किया था·····(**व्यवधान**) इसलिये मैंने माननीय सदस्य को छोड़ दिया था। मैंने 'लगभग सर्वसम्मति से' कहा था। वरना मैं 'सर्वसम्मति से' कहता। (**व्यवधान**) बिना किसी कठिनाई के श्री पीलु मोदी का नाम लिया जा सकता है। क्या मैं कह सकता हूं कि जिस पेटेन्ट

विधेयक को इस सदन ने पारित किया और अब कानून बन गया है, वह उन सब आर्थिक उपायों में से सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण उपाय है जिन्हें हम इस संसद में कानून का रूप दे सके हैं तथा यह न केवल अपने देश के लिये ही लाभप्रद होगा अपितु दूसरे देशों के लिए भी एक दृष्टान्त हो सकता है। मुझे इसके विरुद्ध कोई शिकायत नहीं मिली है।

श्री वेदव्रत बरुआ : इस देश में जो बार-बार आरोप लगाया गया है वह यह है कि औद्योगिक जानकारी को प्रौद्योगिकी में कभी नहीं लाया जाता है बल्कि इसका बार-बार आयात किया जाता है। हाल ही में मंत्री महोदय के उत्तराधिकारी ने एक वक्तव्य भी दिया था कि उन्होंने जानकारी का विस्तार किया है। मैं जानना चाहूंगा कि क्या वास्तव में जानकारी का आयात करना बंद कर दिया गया है। इस समय विरोधी सूचनाएं मिली हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या परियोजनाओं को रोक दिया जायेगा और क्या प्रौद्योगिकी संभाव्यता के लिये कोई मांग की गई है। यह बार-बार कहा जाता है कि यह उपलब्ध नहीं है। क्या सरकार ने इस बात का कोई निर्धारण किया है कि उत्पादन के लिये देश में कितनी प्रौद्योगिकी सम्बन्धी संभाव्यता है अथवा क्या सरकार का विचार न केवल इंजीनियरों का वरन् देश में उपलब्ध तकनीक का प्रौद्योगिकी सम्बन्धी सम्भाव्यता का निर्धारण करने का है ?

श्री दिनेशसिंह : प्रौद्योगिकी और इंजीनियरों की नियुक्ति का परस्पर सम्बन्ध है परन्तु सही-सही अर्थ में वे एक ही बात नहीं हैं। प्रौद्योगिकी वास्तव में जानकारी का अधिग्रहण है तथा इंजीनियर उस जानकारी को क्रियान्वित करते हैं। प्रौद्योगिकी अनुसंधान तथा विकास का प्रश्न है।

जहां तक प्रौद्योगिकी के बार-बार आयात करने तथा अन्य बातों का प्रश्न है, सामान्य प्रश्न का उत्तर देना कठिन है। यदि माननीय सदस्य कोई विशेष प्रश्न करें और कहें कि प्रौद्योगिकी इस क्षेत्र में उपलब्ध थी फिर भी उसका आयात किया गया तो मैं कारण सहित उत्तर दूंगा कि उसका आयात क्यों किया गया। उदाहरण के लिए, टार्च के सैल और बैटरियों को लीजिए। अभी बहुत सी ऐसी कम्पनियां हैं जिनको विदेशों के साथ सहयोग करने की अनुमति दी गयी है क्योंकि उनकी प्रक्रिया भिन्न-भिन्न है और भिन्न-भिन्न प्रक्रिया होने के कारण उन्हें कई आवश्यकताओं को पूरा करना पड़ता है। अभी कोई कह सकता है, 'हमें किसी टार्च सैल में एक ही सहयोग करना चाहिए।' फिर कोई दूसरे माननीय सदस्य कहेंगे कि 'आप एकाधिकार कर रहे हैं। आपको किसी एक कम्पनी को सहयोग करने की अनुमति नहीं देनी चाहिये क्योंकि ऐसा करने से एकाधिकार हो जायेगा। यदि प्रौद्योगिकी उपलब्ध है तो किसी अन्य कम्पनी को भी मौका मिलना चाहिए, उन्हें भी सहयोग करना है।' अतः यह ऐसा प्रश्न नहीं है जहाँ कोई सामान्य व्यवहार में 'हां' अथवा 'नहीं' कह सके। यदि कोई विशेष समस्याएं हैं तो मैं उन पर चर्चा कर सकता हूं।

Shri Rabi Ray : Mr. Speaker, Sir, Shri Madhu Limaye was present in the House. Please listen to him.

Shri Madhu Limaye : Please listen to me so that it may be beneficial for all in future. You have started this convention that all the answers of the questions are kept in the Notice Office...

अध्यक्ष महोदय : उसे पहले ही किया जाना चाहिए था; प्रश्न काल में नहीं किया जाना चाहिए।

Shri Madhu Limaye : You asked me to come here. What was the intention of keeping there after Question hour starts ?

Shri Rabi Ray : He had gone to see the answer.

अध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है कि मैं पीछे का कार्य सम्भालने की प्रथा की इजाजत नहीं दे सकता हूं। मैंने अगला प्रश्न ले लिया है।

Shri Madhu Limaye : Please order at least to keep answers here just after beginning of the Question Hour. There is no use of keeping there in the Notice Office. I had gone there in order to see answer otherwise I would not have gone. If you cannot take at this moment, please take after 12 O'clock.

अध्यक्ष महोदय : यदि मैं सूची समाप्त कर लेता हूं और अन्त में समय बचता है तो देखा जाएगा।

Shri Madhu Limaye : If the hon. Minister is willing to reply, he may reply.

कृषि उद्योग को एक मुख्य उद्योग घोषित करना

* 163 **श्री देव राव पाटिल :**

श्री राव देव सिंह :

क्या **औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि उत्पादन की आवश्यकता और महत्व को ध्यान में रखते हुए सरकार कृषि उद्योग को एक मुख्य उद्योग घोषित करने की स्थिति में है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्री (श्री दिनेशसिंह) : (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

सरकार ने वर्गीकरण की ऐसी कोई योजना नहीं निकाली है जिसके द्वारा आर्थिक कार्य में लगे किसी विशेष क्षेत्र को मुख्य उद्योग के रूप में घोषित किया जा सके। उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम की अनुसूची में केवल उन वस्तुओं के नाम दिये गये हैं जिनमें उत्पादन कार्य होना होता है। तथापि, सरकार ने बराबर कृषि के विकास को उच्चतर प्राथमिकता दी है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में कृषि सम्बन्धी उत्पादन की नीति में नीचे लिखी मुख्य बातें रखी गई हैं :—

(1) सभी महत्वपूर्ण फसलों के बारे में समन्वित अनुसंधान;

(2) सिंचाई सुविधाओं का निरन्तर विस्तार तथा सिंचाई की पद्धतियों में सुधार ताकि

जमीन के भीतरी व ऊपरी पानी का अनुकूलन तथा एकीकृत प्रयोग सुनिश्चित हो सके;

(3) विशेष कार्यक्रमों द्वारा वर्तमान सिंचाई विभव का पहले से अधिक उपयोग करना;

(4) उर्वरकों, पौधों की रक्षा करने की चीजों, कृषि मशीनों व ऋण की सप्लाई में विस्तार;

(5) अनाजों के सम्बन्ध में नये किस्मों के बीजों से उपज बढ़ाने की सम्भावनाओं का पूरा-पूरा लाभ उठाना;

(6) चुने हुए उपयुक्त क्षेत्रों में मुख्य वाणिज्यिक फसलों की उपज का स्तर ऊँचा करने का गहन प्रयास करना;

(7) फसलों की गहनताएँ बढ़ाने के उपाय करना; और

(8) मुख्य कृषि उपजों के न्यूनतम मूल्यों को सुनिश्चित करने तथा उत्पादकों के हितों के अनुरूप कृषि विपणन व्यवस्था में सुधार करना।

इन बातों के आधार पर कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए कई योजनाएँ क्रियान्वित की जायेंगी। इन योजनाओं में अन्य बातों के साथ-साथ उर्वरकों के उत्पादन में वृद्धि के अभ्युपाय करना, क्रिमि-नाशक दवाइयों, ट्रैक्टरों, कृषि के औजारों आदि का उत्पादन बढ़ाना तथा कृषि पदार्थों पर आधारित उद्योगों को बढ़ावा देना सम्मिलित है। नाइट्रोजिनस उर्वरकों की क्षमता 1968-69 में 10.2 लाख मिट्रिक टन ('एन' में) से बढ़ाकर 1973-74 में 30 लाख मिट्रिक टन की जायेगी। 1968-69 में 20,000 ट्रैक्टरों की उत्पादन क्षमता को बढ़ाकर 1973-74 में 68,000 ट्रैक्टर कर दिया जायेगा। कृषि सम्बन्धी औजारों के बारे में उनका उत्पादन बढ़ाने के लिए किए गए उपायों के अतिरिक्त कृषि पर आधारित उद्योगों के निगमों की स्थापना करके उनके वितरण की व्यवस्था को संगठित रूप प्रदान कर दिया गया है। ये निगम केन्द्रीय व राज्य सरकारों के संयुक्त निगमों के रूप में 15 राज्यों में स्थापित किये गए हैं। कृषि पर आधारित उद्योग ग्राम तथा लघु उद्योग क्षेत्र में और साथ ही सह-कारी क्षेत्र में प्रोत्साहित किए जा रहे हैं।

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना काल में कृषि तथा सम्बन्धित क्षेत्रों के विकास के लिए 4328 करोड़ रुपये का कुल पूँजी व्यय अर्थात् योजना पर होने वाले कुल व्यय का 17·4 प्रतिशत भाग नियत किया गया है।

Shri Deorao Patil: I have not got the copy of the answer which has been laid on the table. I request for the answer may be read so that I could ask a supplementary.

Mr. Speaker: You must have got the reply. Probably, you are forgotten.

Shri Deorao Patil: I went there to collect it but the copies were not available.

अध्यक्ष महोदय: जहां तक मैं समझता हूं, आपके पास इसकी एक प्रति है। क्या मंत्री महोदय इसे पढ़ सकेंगे ?

Shri Dinesh Singh : It runs into three pages.

Shri Atal Bihari Vajpayee : I suggest that it should be postponed so that we may go through the statement or be in a position to ask supplementaries.

Shri Dinesh Singh : You should have collected the statement earlier.

Shri Atal Bihari Vajpayee : We had been there. But we could not get them. The statements are not given to all, they are given to people sitting on the other side.

Shri Deorao Patil : The copies are limited. We were late.

Shri Atal Bihari Vajpayee : Those who reach in time get the copies and those who reach late do not get them.

Mr. Speaker : He says that he was a little late. The Member should be vigilant about that.

Shri Deorao Patil : We had been there before 11.00 A.M.

श्री क० नारायण राव : सदस्य महोदय को उसकी प्रति दी जानी चाहिए, अन्यथा वह पूरक प्रश्न कैसे पूछ सकेंगे ।

Shri Deorao Patil : Agriculture is an important industry of India. What is the hitch of the Government to declare it as an industry ?

Shri Atal Bihari Vajpayee : He will ask you to go through the statement.

Shri Dinesh Singh : The hon. Member has replied on my behalf. Agriculture cannot be classified as an industry but to help the agriculture there is a large ministry which is assisting the agriculture in a very systematic way. In view of agricultural requirement and ways, we have established this Ministry whose object is to help in agricultural progress. It is not an industry and nor we can declare it as an industry like that.

Shri Deorao Patil : How does the hon. Minister say that agriculture is not an industry. What are its reasons ?

Shri Randhir Singh : If agriculture is not an industry, then what is it ? Is it a drama ?

Shri Dinesh Singh : It is agriculture and not industry and hon. Member is also a farmer and not an industrialist.

श्री तेन्नेटी विश्वनाथम : सदन के सभा-पटल पर रखे गए विवरण में कहा गया है कि "सरकार ने वर्गीकरण की ऐसी कोई योजना नहीं निकाली है जिसके द्वारा आर्थिक कार्य में लगे किसी विशेष क्षेत्र को मुख्य उद्योग के रूप में घोषित किया जा सके ।"

क्या चार योजनाओं के बाद सरकार इस स्थिति को पहुँच पाई है ?

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, मंत्री महोदय का दृष्टिकोण जानना चाहते हैं । मेरे विचार से उन्होंने कोई निश्चित प्रश्न नहीं पूछा । मंत्री महोदय को इसका उत्तर देने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

श्री स० मो० बनर्जी : मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में चौथी योजना के अन्तर्गत कृषि उत्पादन कार्य के लिए किये जाने वाले विभिन्न सम्भावित उपायों का संकेत किया है। मेरे माननीय मित्र श्री देवराव पाटिल ने यह प्रश्न पूछा था कि कृषि को आप उद्योग क्यों नहीं मानते। मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि क्या कृषि श्रमिकों की सुरक्षा भी आप उसी तरह करेंगे, जैसे कि आप औद्योगिक श्रमिकों की करते हैं, क्या कृषि श्रमिकों पर भी वही श्रमिक कानून लागू किये जायेंगे जो कि औद्योगिक श्रमिकों पर किये जाते हैं, ताकि इन्हें बड़े-बड़े जमींदारों के शोषण से बचाया जा सके।

श्री दिनेशसिंह : निःसन्देह यह सरकार का भरसक प्रयत्न रहेगा कि कृषि श्रमिकों का शोषण न किया जा सके। वास्तव में कृषि के क्षेत्र में कुछ इसी प्रकार के उपायों को प्रोत्साहन देने का प्रयत्न किया जा रहा है।

श्री स० मो० बनर्जी : मेरा प्रश्न यह था कि क्या वही श्रमिक कानून उन पर भी लागू होंगे ?

Shri Bibhuti Mishra : Gandhiji also did not regard agriculture as an industry. But he regarded it an essential for life and said that if there is no agriculture, human beings will die but if there is no industry, no body is going to die. The agriculture has got very important work with his Ministry, such as granting of steel. Similarly, the export or import of agricultural products is also the job of his Ministry. To this extent, agriculture comes under industry. I would like to know as to what extent this Ministry helps agriculture ? What is the harm if agriculture is transferred to this Ministry ? The 45 per cent of the total national revenue of India is derived from agriculture and 85 per cent people of India earn their livelihood from it. I would like to know the extent to which his Ministry is helping the agriculture?

Shri Dinesh Singh : The hon. Member has asked about my objection including agriculture to my Ministry. My colleague, hon. Agriculture Minister is sitting there. He is there to look after this job. Is anybody going to say, that industry should also be transferred to him. Different Ministries have been appointed to look after different works and work is going smoothly with their co-ordination. Anybody, who is given some special job, can look after it. As regards, Industrial Ministry, it helps the agriculture by manufacturing the machines etc. required by it. In this connection we render all possible help and co-operation after consultations with the Ministry. The hon. Member has referred to iron and electricity. My ministry has got no concern with either of them. But with the help of iron and electricity, the tractors and agricultural implements which are required by the country are manufactured by us and we provide these facilities to them.

Shri Maharaj Singh Bharati : Only twenty thousand tractors are manufactured in the country whereas 3 laks people are on waiting list.

Shri Dinesh Singh : Recently, we have granted licences for several new tractors. We hope, tractors will be soon available.

श्री चेंगलराया नायडू : यदि सरकार कृषि को उद्योग घोषित करने में असमर्थ है, तो भला इसके महत्व को दृष्टिगत रखते हुए क्या वह कृषि से सम्बद्ध उद्योगों, जैसे ट्रैक्टरों, ट्रैक्टर टायरों, औजारों, उर्वरकों आदि को कृषि मन्त्रालय को हस्तांतरित कर देगी ? हम खेती करने के लिए सरकार से किसी प्रकार के लाइसेंस की अपेक्षा नहीं करते। यदि वह इसे एक प्रमुख उद्योग भी घोषित

कर दें, फिर भी हम इस कार्य के लिए उनसे लाइसेंस नहीं मांगेंगे । अतः कृषकों की कठिनाइयों को दृष्टिगत रखते हुए, क्या वह कम से कम इन उद्योगों को कृषि मंत्रालय को हस्तान्तरित कर देंगे ?

श्री दिनेशसिंह : माननीय सदस्य ने पहले ही इसका एक कारण प्रस्तुत कर दिया है हम इसे उद्योग क्यों घोषित नहीं कर सकते । वह कहते हैं कि फिर उन्हें एक औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करना पड़ेगा । जहां तक ट्रैक्टरों के निर्माण कार्य का सम्बन्ध है, वह तो पहले ही कृषि मंत्रालय के अन्तर्गत आता है । हम घनिष्ठ पारस्परिक सहयोग से कार्य करते हैं । उनकी कृषि मंत्रालय को हस्तांतरित करने की बात मेरी समझ में नहीं आई, क्या उनका विचार है कि मंत्रालय स्वयं टैक्टरों का निर्माण करना आरम्भ कर दे । माननीय कृषि मंत्री यहीं बैठे हैं । हम इस सुझाव पर विचार कर सकते हैं ।

श्री चेंगलराया नायडू : इसका कारण यह है कि औद्योगिक मंत्री इतने अकुशल हैं कि वह कृषकों को ट्रैक्टर तथा अन्य सामान उपलब्ध करवाने में असमर्थ हैं, इसीलिए हम चाहते हैं कि यह कृषि मंत्रालय को हस्तांतरित हो जाए ।

Shri Randhir Singh : I have been very much disappointed by the reply of hon. Minister that agriculture is not an industry. The luxuries are being recognised as industries in this country but agriculture and food are not being given the benefits of an industry. A great injustice is being done to agriculture by doing so. If the minister is reluctant to admit that agriculture is an industy, will he atleast consider to provide those facilities, incentives and help to agriculture which are being provided by the Government to industry ? Will the hon. Minister reconsider and revise his announcement regarding supply of electricity and implements to agriculturists so that they could also be treated at par with 5 per cent people who belong to industries ?

Shri Dinesh Singh : I think agriculture ministry is nicely looking after the interests of agriculturists and is providing necessary facilities. If the hon. Member thinks that agriculturists will be much benefitted by coming under Industrial Ministry, it is his wrong notion. I do not think so.

श्री रंगा—आपको यह नहीं समझ लेना चाहिए कि हम जितने लोग यहां बैठे हैं, वह सभी कृषि को उद्योग के अन्तर्गत लाने के पक्ष में हैं । इसके अतिरिक्त यह तो कृषक भी नहीं चाहते कि उनके व्यवसाय को उद्योग मान लिया जाये और फिर उन्हें वह सभी दुःख झेलने पड़ें, जो कि उद्योग वालों को झेलने पड़ते हैं । इसके साथ-साथ ही क्या मंत्री महोदय यह आश्वासन भी देंगे कि कृषि तथा उद्योग मंत्रालय एक ऐसी समन्वय समिति है जो कृषकों से सम्बद्ध सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सहायता का दिया जाना सुनिश्चित कर सके ?

श्री दिनेशसिंह : जी हां, मैं माननीय सदस्य को यह विश्वास दिला दूं कि औजारों के बनाने और आवश्यकताओं की पूर्ति के सम्बन्ध में कृषि तथा औद्योगिक मंत्रालय में पूर्ण समन्वय है ।

श्री रंगा : क्या सचिवालय या मंत्रिमण्डल स्तर पर कोई इस तरह की समिति है ? यदि इस प्रकार की कोई समिति नहीं है, तो क्या सरकार इस सुझाव पर विचार करेगी ?

Shri Rabi Rai : Mr. Speaker, Sir, will you permit Shri Madhu Limaye to ask a question ?

Shri Madhu Limaye : Will hon. Minister be kind enough to answer my question ?

अध्यक्ष महोदय : हम इसे लाने के लिए कोई अन्य रास्ता खोजेंगे । आप कोई इस तरह की प्रथा चलाने का प्रयास मत कीजिए जो कि भविष्य के लिए बुरी हो । यह मैं केवल आपके हित के लिए की कह रहा हूं ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान की राष्ट्रीय परिषद द्वारा औद्योगिक विकास के बारे में सुझाव

*152. **श्री रा० क० बिड़ला** : क्या औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में, व्यावहारिक आर्थिक अनुसन्धान की राष्ट्रीय परिषद् द्वारा सितम्बर, 1970 में आयोजित एक विचार-गोष्ठी में यह सुझाव दिया गया था कि आर्थिक विकास क्षमता को बढ़ाने के लिए औद्योगिक क्षेत्र में आने वाली कठिनाइयों को दूर किया जाए ;

(ख) क्या उक्त गोष्ठी में सरकारी प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया था, और यदि हां, तो उन प्रतिनिधियों के नाम क्या हैं ;

(ग) विचारगोष्ठी में दिए गए सुझावों का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) कठिनाइयों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) से (घ). व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान की राष्ट्रीय परिषद् ने भारतीय अर्थ-व्यवस्था के विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श करने के लिए 26 सितम्बर, 1970 को अर्ध वार्षिक संवीक्षण करने के रूप में एक गोष्ठी का आयोजन किया । इस बैठक में कई गण्यमान्य व्यक्तियों को आमंत्रित किया गया था तथा उन्होंने विचार-विमर्श में भाग लिया । इनमें श्री वी० आर० भगत, इस्पात तथा भारी इंजीनियरी मंत्री, डा० डी० आर० गाडगिल, उपाध्यक्ष, योजना आयोग, श्री बी० डी० पांडे, सचिव, भारी उद्योग, कुछ संसद सदस्य, उद्योग तथा अन्य क्षेत्रों के विभिन्न प्रतिनिधि सम्मिलित हुए । अर्थ-व्यवस्था संबंधी कई विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई जिनमें कृषि कार्यक्रम तथा भावी राजकोषीय एवं वित्तीय नीतियाँ, उत्पादन तथा नियोजन की प्रवृत्ति और समसामयिक हित के अन्य विभिन्न आर्थिक विषय निहित थे । इस विचार-विनिमय में कई भाग लेने वालों ने औद्योगिक विकास की सम्भावनाओं तथा समस्याओं संबंधी प्रश्न और इससे उत्पन्न मामलों को भी उठाया । ऐसा पता चला है कि विचार-विमर्श का कार्यवृत्त अभी तैयार नहीं हो पाया है । ऐसा समझा जाता है कि संगोष्ठी ने, जो मूलत: समग्र आर्थिक समस्याओं और देश की स्थिति पर एक सामान्य विचार-विमर्श करने के लिए की गई थी, कोई निष्कर्ष और सिफारिश नहीं की है।

टायरों के मूल्यों का पुनरीक्षण

*155. **श्री हिम्मतसिंहका :** क्या **औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टायर निर्माताओं ने सरकार से अनुरोध किया है कि प्राकृतिक रबड़ तथा अन्य कच्चे माल के मूल्यों में हाल में हुई वृद्धि को ध्यान में रखते हुए टायर के मूल्यों में वृद्धि की जाये ;

(ख) यदि हाँ, तो टायर निर्माताओं की वास्तविक माँग क्या है ; और

(ग) सरकार ने उस पर क्या निर्णय किया है ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

गोआ में इस्पात संयंत्र

*156. **श्री नाथ पाई :**

श्री सामिनाथन :

श्री नारायणन :

क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोवा के निवासियों द्वारा गोआ में इस्पात संयंत्र स्थापित करने की निरन्तर मांग की जाती रही है ;

(ख) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) क्या इस बारे में संभाव्यता सर्वेक्षण कर लिया गया है ; और यदि हाँ, तो उसके मुख्य निष्कर्ष क्या हैं ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) गोआ में इस्पात कारखाने की स्थापना के लिए कुछ आवेदन किये गये हैं ।

(ख) जैसा कि प्रधान मंत्री ने 17 अप्रैल 1970 को अपने वक्तव्य में कहा था देश में इस्पात कारखानों की स्थापना के लिए कई उपयुक्त स्थल हैं और कारखाने लगाने के लिए स्थलों का चयन करते समय उनका ध्यान रखा जाएगा ।

(ग) शक्यता प्रतिवेदन इस्पात कारखानों के स्थान के बारे में निर्णय कर लेने के पश्चात् तैयार किये जाते हैं । स्थल का निर्णय इस उद्देश्य से किये जाने वाले स्थल चयन अध्ययनों के आधार पर किया जाता है ।

एकाधिकार वाले उद्योगों की अनधिकृत क्षमता का नियमित किया जाना

*157 **श्री मधुलिमये** : क्या **औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न संसदीय समितियों द्वारा अथवा वैयक्तिक रूप से संसद् सदस्यों द्वारा सरकार का ध्यान एकाधिकारी ग्रुपों तथा बड़े उद्योगपतियों की औद्योगिक क्षमता में अनधिकृत क्षमता के बढ़ाये जाने की ओर आकर्षित किया गया है ;

(ख) क्या सरकार ने एकाधिकारी ग्रुपों द्वारा बढ़ायी गयी अनधिकृत क्षमता को नियमित तथा विधिसंगत बनाने का निश्चय किया है ; और

(ग) क्षमता में इस प्रकार अनधिकृत वृद्धि को नियमित किये जाने के क्या कारण हैं जबकि इसके परिणामस्वरूप आर्थिक क्षेत्र में एकाधिकार की प्रवृत्ति बढ़ेगी तथा चन्द लोगों के हाथों में संपत्ति केन्द्रित हो जाएगी ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) औद्योगिक लाइसेंस नीति जाँच समिति ने अपनी रिपोर्ट में बृहद औद्योगिक गृहों से सम्बन्धित कुछ औद्योगिक उपक्रमों द्वारा अनधिकृत विस्तार करने के मामलों का उल्लेख किया है। ऐसे 45 मामलों का विवरण तथा इस प्रकार के एककों से सम्बन्धित औद्योगिक गृहों का ब्यौरा औद्योगिक लाइसेंस नीति जाँच समिति की रिपोर्ट जिसकी प्रतियाँ संसद के सभा-पटल पर रखी जा चुकी हैं, के अनुबन्ध 4 एफ के पैरा 5. 45 में दिया गया है।

(ख) और (ग). सरकार ने अभी इस मामले में अन्तिम निर्णय नहीं लिया है।

भारत-ब्रिटिश प्रौद्योगिकीय सहयोग

*158. **श्री मयावन** :

श्री दंडपाणि :

श्री बे० कृ० दास चौधरी :

क्या **औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटिश सरकार ने भारत को ऐसी योजनाओं पर बातचीत करने के लिए आमंत्रित किया था जिन पर दोनों देश सहयोग कर सकें ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या दोनों देशों के प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों की संयुक्त बैठक अक्टूबर, 1970 में लन्दन में हुई थी ; और

(ग) उस बातचीत का क्या परिणाम निकला ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) और (ख). भावी तकनीकी सहयोग तथा साँझे विनियोजन के कार्यक्रम की सम्भावनाओं पर विस्तृत वार्तालाप करने के लिए भारत तथा ब्रिटेन के तकनीकी दल जिसमें दोनों सरकारों

तथा दोनों देशों के उद्योग के प्रतिनिधि हैं, का द्वितीय सम्मेलन लन्दन में 12 से 16 अक्टूबर, 1970 को हुआ।

(ग) सम्मेलन की समाप्ति पर जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जाती है। [ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 4286/70]

इस्पात के मूल्य में वृद्धि

*159. **श्री एस० एम० कृष्ण** : क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस्पात का मूल्य दिन-प्रति-दिन बढ़ रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) इस्पात का मूल्य 1-1-69 तथा 1-1-70 को क्या था और इस समय क्या है ; और

(घ) मूल्य को कम करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री ब० रा० भगत): (क) और (ख). यद्यपि यह सत्य है कि खुले बाजार में इस्पात के कुछ उत्पादों के मूल्य सयुक्त संयंत्र समिति द्वारा निर्धारित किए गए मूल्यों से अधिक हैं तथापि जनवरी, 1970 से संयुक्त सयंत्र समिति के मूल्यों में कोई वृद्धि नहीं हुई है। हाल में खुले बाजार के मूल्यों में भी नरमी का रुख रहा है।

(ग) संयुक्त संयंत्र समिति की घोषणा संख्या 43 और 48 को सभा-पटल पर रख दिया गया है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 4287/70] घोषणा संख्या 43 में 1-1-69 के मूल्य दिखाए गए हैं और घोषणा संख्या 48 में 1-1-70 से आज तक के मूल्य दिखाए गए हैं।

(घ) इस समय संयुक्त संयंत्र समिति के मूल्यों को कम करने का कोई विचार नहीं है। जहां तक खुले बाजार में मूल्यों का सम्बन्ध है बाजार भाव से अधिक लिए जाने वाले मूल्यों को कम करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों, अधिक उत्पादन करने, वितरण को बेहतर बनाने, आयात को उदार बनाने और निर्यात को नियमित करने की ओर ध्यान देना है।

खाद्य उत्पादों तथा घरेलू उपकरणों का मानकीकरण

* 160. **श्री मणिभाई जे० पटेल** : क्या औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों से इस बारे में परामर्श किया जा रहा है कि खाद्य उत्पादों तथा बिजली के समान जैसे अन्य घरेलू उपकरणों के मानकीकरण के लिए क्या कार्यवाही की जाये ;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों से अब तक क्या प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है ; और

(ग) क्या किस्म नियंत्रण को केन्द्रीय विषय बनाने का कोई प्रस्ताव है जिससे कि उद्योगपति केवल मानक वस्तुओं के निर्माण का महत्व समझ सकें ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) और (ख). भारतीय मानक संस्था अपनी रीजनल परिषदों के द्वारा, जिनमें विभिन्न राज्य सरकारों के प्रतिनिधि होते हैं, विभिन्न खाद्य उत्पादों तथा घरेलू बिजली के सामान के लिये मानक निर्धारित करती है। राज्य सरकारें इस प्रकार के मानकीकरण के पक्ष में हैं।

(ग) अभी इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

झांसी स्टेशन (मध्य रेलवे) के मुख्य खजाने से चोरी

*162. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में झांसी (मध्य रेलवे) स्टेशन के मुख्य खजाने से एक लाख रुपये की चोरी हो गई थी ;

(ख) यदि हां, तो इतनी बड़ी चोरी के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई व्यक्ति गिरफ्तार किये गये थे ; यदि हां, तो गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों के नाम तथा पद-नाम क्या हैं ; और

(घ) सरकार द्वारा भविष्य में और चोरियां रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) 3-9-1970 को क्षेत्रीय रोकड़ कार्यालय, झांसी से 34,122 रुपये 43 पैसे कम होने की रिपोर्ट मिली है न कि एक लाख रुपये की।

(ख) कमी के कारणों का पता लगाने के लिए अधिकारियों द्वारा जांच की जा रही है।

(ग) अब तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है।

(घ) सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा किया जा रहा है। अपराधियों को दण्ड देने के उद्देश्य से सरकारी रेलवे पुलिस मामलों की जांच कर रही है।

भारतीय रेलवे के सम्मुख आर्थिक संकट

*164. **श्री शशि भूषण** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय रेलवे को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) यदि हां, तो भारतीय रेलवे को प्रतिवर्ष कितनी हानि हो रही है ;

(ग) इस हानि को कम से कम करने के लिये सरकार का क्या विशिष्ट कार्यवाही करने का विचार है ;

(घ) क्या किसी विशिष्ट थोड़ी दूरी के लिये यात्री तथा माल यातायात को पूर्णतया गैर-सरकारी सड़क यातायात संगठन को सौंप देने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी हां।

(ख) वर्तमान रुख को देखते हुए यह अनुमान लगाया गया है कि संसद में प्रस्तुत बजट अनुमानों में प्रत्येक वर्ष 8 करोड़ रुपये की बचत होने की बजाय चालू वर्ष में 46·60 करोड़ रु० का घाटा हो सकता है। दूसरे शब्दों में, लगभग 69 करोड़ रुपये की कमी हुई है, जिसमें 13 करोड़ रुपये की वह रकम भी शामिल है जो तीसरे दर्जे के यात्री किराये और अनाज आदि पर भाड़ा दरों में प्रस्तावित वृद्धि को वापस लेने के कारण हुई। सामान्य राजस्व को लाभांश के 167·10 करोड रुपयों का पूरा-पूरा भुगतान करने के बाद 46·60 करोड़ रुपयों का यह घाटा आता है। पिछले चार वर्षों में घाटा इस प्रकार रहा :—

वर्ष	घाटा (करोड़ रुपयों में)
1966-67	18·27 करोड़ रुपये, 112·39 करोड़ रुपये के लाभांश के भुगतान के बाद
1967-68	31·53 करोड़ रुपये, 141·53 करोड़ रुपये के लाभांश के भुगतान के बाद
1968-69	7·86 करोड़ रुपये, 150·67 करोड़ रुपये के लाभांश के भुगतान के बाद
1969-70	9.83 करोड़ रुपये 156·39 करोड़ रुपये के लाभांश के भुगतान के बाद

(ग) भारतीय रेलों की आमदनी बढ़ाने और उनके संचालन व्यय में कमी लाने के सतत प्रयत्न किये जा रहे हैं। आमदनी बढ़ाने के लिए किये गये उपाय इस प्रकार हैं—ऊंचे भाड़ा दर वाले यातायात को आकर्षित करने के लिए कन्टेनर सेवाएं, सुपर एक्सप्रेस माल गाड़ियां और विशेष प्रकार के यातायात के लिए अन्य विशेष गाड़ियां चलाना, भाड़ा अन्वेषक योजना एवं और अधिक संख्या में द्रुत पारवहन गाड़ियां चलाना, स्टेशनों से स्टेशन तक विशेष भाड़ा दरें लागू करना, जहां औचित्य हो, अतिरिक्त सवारी गाड़ियां चलाना, आदि।

संचालन व्यय कम करने के लिए इस समय जो महत्वपूर्ण उपाय हाथ में हैं उनमें ईंधन की खपत और कर्मचारियों की लागत में मितव्ययिता के सम्बन्ध में विषेष अभियान हैं। अन्य उपाय हैं, भण्डार और सामानों के उपयोग में मितव्ययिता, वस्तु सूची द्वारा बेहतर नियंत्रण, आवधिक समीक्षा द्वारा भाप इंजनों के खड़े रहने में कमी, अधिक कार्यकुशलता के लिए कार्य-अध्ययन। रेलवे परेषणों की उठाईगिरी और चोरी को कम करने के लिए विशेष उपाय करके और अभियान चलाकर खोये अथवा क्षतिग्रस्त माल के लिए क्षतिपूर्ति के दावों के भुगतान पर खर्च में कमी करने का प्रस्ताव है। प्रभावी नियंत्रण और जांच द्वारा बिना टिकट यात्रा, कोयले और डीजल तेल की उठाईगीरी जैसी खराबियों को बन्द करने के लिए कार्रवाई की गयी है।

(घ) ऐसे किसी प्रस्ताव पर, फिलहाल सक्रिय रूप से विचार नहीं किया जा रहा है फिर भी, एक आदर्श व्यवस्था के अधीन कम दूरी का यात्री और माल यातायात, अधिकतया सड़क द्वारा होगा।

(ङ) सवाल नहीं उठता ।

दुर्गापुर इस्पात कारखाने में सामान्य औद्योगिक सम्बन्ध स्थापित किया जाना

*165. **श्री योगेन्द्र शर्मा :**

श्री क० ना० तिवारी :

क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दुर्गापुर इस्पात कारखाने में सामान्य औद्योगिक सम्बन्ध स्थापित करने हेतु कोई कार्यवाही की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में की गई कार्यवाही का क्या ब्यौरा है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी, हां ।

(ख) मालिक-मजदूर सम्बन्धों में सुधार करने के उद्देश्य से प्रबन्धकवर्ग और मान्यता-प्राप्त मजदूर संघ में नियमित रूप से द्विपक्षीय वार्ता होती है । पिछले एक वर्ष में कई बातों के बारे में प्रबन्धकवर्ग और मजदूर संघ में लगभग 30 समझौते हुए हैं । एक नयी बोनस योजना लागू की गई है । उत्पादन बढ़ाने हेतु प्रबन्धकवर्ग द्वारा किये जा रहे उपायों में रख-रखाव कार्यों का पुनर्गठन, देशीय तथा आयातित फालतू पुर्जों की प्राप्ति, विभिन्न इकाइयों की भारी मरम्मत का काम हाथ में लेना, प्रौद्योगिक सुधार करना, संतुलन सुविधाओं की व्यवस्था करना आदि शामिल हैं ।

जहाँ तक कारखाने की इस्पात गलनशाला में हाल में की गई तालाबन्दी का सम्बन्ध है राज्य के श्रम-आयुक्त की सदभावना से प्रबन्धकवर्ग और मजदूर संघ में एक समझौता हो गया है और 31-10-70 से कामगार काम पर वापस आ गये हैं ।

गुजरात में हाल की बाढ़ में क्षतिग्रस्त हुए पुल का पुन:निर्माण

*166. **श्री न० कु० सांघी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात की हाल ही की बाढ़ में क्षतिग्रस्त हुआ पुल, जिससे अहमदाबाद और बम्बई के बीच रेल यातायात कई दिनों तक रुका रहा, हर वर्ष बाढ़ से क्षतिग्रस्त हो जाया करता था ;

(ख) यदि हां, तो समय पर उसकी समुचित मरम्मत अथवा उसके पुनर्निर्माण के लिए पर्याप्त कार्यवाही न किये जाने के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सरकार का विचार किसी उपयुक्त स्थान पर काफी मजबूत पुल बनाने का है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी नहीं । मरौली और सचिन के बीच 24917·11 कि० मी० पर मिंढोला नदी पर बने पुल सं० 417 पर इस वर्ष बाढ़ का दुष्प्रभाव पड़ा था, लेकिन पिछले वर्षों में इस तरह की कोई बात नहीं हुई ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

(ग) पुल सं० 417 के कुछ भाग को उसी स्थान पर दुबारा बनाने का प्रस्ताव है।

स्टील्स बर्थ प्राइवेट लिमिटेड, आसाम को एम० एस० प्लेटों और पट्टियों की सप्लाई

*167 **श्री धीरेश्वर कलिता** : क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसर्स स्टील्स बर्थ प्राइवेट लिमिटेड, आसाम ने एम० एस० प्लेटों और पट्टियों अथवा टुकड़ों की सप्लाई के लिए मूल्य के 10 प्रतिशत बयाने के साथ संयुक्त संयंत्र समिति को इन्डैंट भेजा है ;

(ख) यदि हां, तो पिछले दो वर्षों में इस कम्पनी को कितनी एम० एस० प्लेट और पट्टियां अथवा टुकड़े सप्लाई किए गये ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मैसर्स स्टील्स बर्थ प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंधकों ने अनेकों ज्ञापनों और पत्रों में यह संकेत दिया है कि कच्चा माल न मिलने के कारण कम्पनी शीघ्र ही तालाबन्दी करने वाली है ; और

(ङ) यदि हां तो इस उद्योग में तालाबन्दी और जबरन छुट्टी को रोकने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) से (ङ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

पश्चिम जर्मनी के इस्पात विशेषज्ञ प्रतिनिधि-मण्डल की भारत-यात्रा

*168. **श्री वि० नरसिम्हा राव** : क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में पश्चिम जर्मनी से एक इस्पात विशेषज्ञ प्रतिनिधि-मण्डल भारत आया था ;

(ख) यदि हां, तो प्रतिनिधि मण्डल के साथ किस प्रकार की बातचीत हुई ;

(ग) क्या इन विशेषज्ञों ने देश में इस्पात के उत्पादन को बनाए रखने के लिए किन्हीं तरीकों का सुझाव दिया है ; और

(घ) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री बलीराम भगत) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठते।

बंगलौर में विश्वविद्यालय के भवन के लिए इस्पात का आवंटन

*169. **श्री एन० शिवप्पा** : क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बंगलौर में विश्वविद्यालय भवन के निर्माण के लिये हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड को इस्पात का आवंटन करने के सम्बन्ध में आदेश जारी किए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी मात्रा के लिये जारी किये गये और कितनी मात्रा में इस्पात सप्लाई किया जा चुका है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) और (ख . जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

भारतीय तेल निगम द्वारा मैसर्स स्टेण्डर्ड ड्रम एण्ड बैरल मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी को इस्पात की चादरों की बिक्री

*170. **श्री जार्ज फर्नेंडीज** : क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री भारतीय तेल निगम द्वारा मैसर्स स्टैण्डर्ड ड्रम एण्ड बैरल मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी, बम्बई को इस्पात की चादरों की बिक्री के बारे में 4 अगस्त, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1316 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच अपेक्षित जानकारी एकत्रित कर ली गई है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) और (ख). जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

मैसर्स स्वतन्त्र फेब्रिकेटर्स संघ को लोहे तथा इस्पात का वितरण

*171. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :**

श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :

क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त संयंत्र समिति ने (1) जाकोडिया इंजीनियरिंग वर्क्स, (2) सैन्ट्रल आयरन स्टोर्स, (3) कुमार स्टील कारपोरेशन, (4) हरिजन इन्डस्ट्रीज़, (5) जीवन स्टील इन्डस्ट्रीज तथा (6) हरिजन वर्क्स नामक छः फर्मों का प्रतिनिधित्व करने वाली कम्पनी मैसर्स स्वतन्त्र फेब्रिकेटर्स यूनियन 49/50 जनरल गंज, कानपुर को लोहा तथा इस्पात का आवंटन किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि मैसर्स स्वतंत्र फेब्रीकेटर्स यूनियन लोहे तथा इस्पात के वितरण में उपरोक्त पहली तीन कम्पनियों के पक्ष में भेद-भाव का व्यवहार करती रही है;

(ग) यदि हां, तो उक्त यूनियन की छः फर्मों को गत तीन वर्षों में, प्रत्येक वर्ष, किये गये पृथक्-पृथक् आवंटन के आंकड़ें क्या हैं;

(घ) आने वाले माल का उक्त यूनियन की छहों फर्मों में समान वितरण सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) स्वतन्त्र फेब्रिकेटर्स यूनियन के प्रधान के विरुद्ध इस कदाचार के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्री (ब० रा० भगत) : (क) जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

(ख) से (ङ). यूनियन को मिले माल को आगे अपने सदस्यों में बांटने का काम इसका घरेलू मामला है जिससे सरकार को कोई सरोकार नहीं है ।

High speed Trains in India on the Japanese Pattern

* 172. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) Whether it is a fact that the average speed of trains on the main Railway lines in Japan is 200 kilometres per hour and a scheme to increase it to 400 kilometres per hour is under way there ; and

(b) if so, the specific reasons for which trains having a speed of 200 milometres per hour cannot be introduced on the main railway lines in India ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) No Sir. The average speed of trains on the main lines of the Japanese National Railways is of the order of 80 kilometres per hour only, excepting on the New Tokaido line (specially constructed for high speed operation) where also the average speed is 165 kilometres per hour. On their New Sanyo line, which is still in the planning stage, the average speed contemplated is not known, though it is understood that the maximum speed would be 260 kilometres per hour.

(b) The cost involved for high speed operation of trains at 200 kilometres per hour on Indian Railways, would be prohibitive involving as it does construction of exclusive lines (as has been done in Japan), and heavy financial outlay on modernising the track structure, signalling and rolling stock.

औद्योगिक उत्पादन में कमी

*173 **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या **औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग के उपाध्यक्ष ने हाल ही में यह मत व्यक्त किया है कि औद्योगिक विकास की गति चौथी पंचवर्षीय योजना में परिकल्पित गति के अनुरूप नहीं रही है; और यदि हां, तो इन कमियों के क्या कारण हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सरकारी क्षेत्र में विनियोजन होने के बावजूद उत्पादन में वृद्धि नहीं हो सकी; और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) गैर-सरकारी क्षेत्र में नये आशानुकूल विनियोजन न होने के क्या कारण हैं और विकास की धीमी गति के कारणों को दूर करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(घ) चौथा योजना में विकास की अभीष्ट गति प्राप्त करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) और (ग). ऐसा अनुमान है कि यह प्रश्न औद्योगिक विकास तथा आर्थिक विकास के विभिन्न अन्य पहलुओं के बारे में योजना आयोग द्वारा हाल ही में लगाए गए अनुमान के बारे में है। औद्योगिक स्थिति की समीक्षा करते समय योजना आयोग ने बताया है कि वर्तमान प्रवृत्तियों को देखते हुए इस्पात, उर्वरकों आदि जैसे मुख्य उद्योगों के अन्तिम लक्ष्यों में काफी कमी आ सकती है। यह बताया गया है कि ये कमियां विभिन्न क्षेत्रों व परियोजनाओं के कारण से आ सकती हैं। यद्यपि कई उत्पादन क्षेत्रों में क्षमता को उपयोग में लाने की वर्तमान दर काफी सन्तोषजनक थी फिर भी इसे कुछ आवश्यक क्षेत्रों विशेष रूप से इस्पात उर्वरक, भारी धातु कार्मिक उपकरणों आदि के उद्योगों में अपर्याप्त समझा गया। अन्य मामलों में परियोजनाओं के क्रियान्वयन में विलम्ब हुआ है। इन दो पहलुओं पर विशेष रूप से सरकारी क्षेत्र की योजनाओं के संदर्भ में सोचा गया है जिनके लिए चतुर्थ योजना के विशिष्ट संसाधन सम्बन्धी व्यवस्था की गई है। इसमें लौह अयस्क का कार्यक्रम और साथ ही इस्पात, अलौह धातुओं, उर्वरकों, पेट्रो-केमिकल्स आदि जैसी वस्तुओं के उत्पादन सम्बन्धी लक्ष्य भी सम्मिलित हैं। जहां तक गैर सरकारी क्षेत्र का सम्बन्ध है, आयोग ने इस बात पर जोर दिया है कि यदि चतुर्थ योजना में समग्र रूप से विकास सम्बन्धी लक्ष्य प्राप्त करने हैं तो पूंजी विनियोजन की दर में और साथ ही उत्पादन की दरों में वृद्धि करना आवश्यक है।

(घ) औद्योगिक स्थिति के बारे में योजना आयोग ने जो अनुमान लगाया है तथा उसने प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन करने के जो सुझाव दिए हैं जिनमें से कुछ सुझावों के बारे में पहले ही विचार किया जा रहा था, सरकार उनकी जांच कर रही है और शीघ्र ही योजना आयोग उन पर आगे विचार विमर्श करेगा।

सिगरेट उद्योग

*174. **श्री मंगलाथुमाडम** : क्या **औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा, दत्त लाइसेंसिंग समिति के प्रतिवेदन पर तम्बाकू उद्योग की समस्याओं के संदर्भ में विचार किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में समिति की क्या सिफारिशें हैं और उसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) और (ख) : दत्त समिति का प्रतिवेदन अभी श्री ए० के० सरकार की अध्यक्षता में बने जांच आयोग के समक्ष विचाराधीन है।

गन्दी बस्तियों के बच्चों के लिए विशेष पोषाहार कार्यक्रम

*175. **श्री ही० ना० मुकर्जी** : क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री 18 अगस्त, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3007 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों ने गन्दी बस्तियों के बच्चों के लिए विशेष पोषाहार कार्यक्रम आरम्भ कर दिया है, और यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं ;

(ख) क्या सरकार इस कार्य का प्रारम्भन केवल राज्यों पर ही छोड़ देगी अथवा यथा-सम्भव स्वयं इसको चलायेगी; और

(ग) क्या किसी राज्य अथवा किन्हीं राज्यों ने इस योजना को लागू करने से इन्कार कर दिया है, और यदि हां, तो उन राज्यों के क्या नाम हैं ?

विधि मन्त्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य-मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जम्मू और काश्मीर, नागालैंड, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मनिपुर तथा गोआ, दमन और दीव को छोड़कर इस कार्यक्रम को सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में शुरू किया गया है। उड़ीसा, उत्तर प्रदेश तथा हिमाचल प्रदेश की सरकारों ने बताया है कि वे 14 नवम्बर, 1970 तक इस कार्यक्रम को शुरू करेंगी।

(ख) यह कार्यक्रम एक केन्द्रीय योजना है, जिसे राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है।

(ग) जी नहीं ।

गैर सरकारी क्षेत्र में औद्योगिक पूंजी निवेश

*176. **श्री शिवचन्द्र झा** : क्या **औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा उद्योगों में लगायी जाने वाली पूंजी में गत दो वर्षों के दौरान ह्रास हुआ है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके विशिष्ट कारण क्या हैं ;

(ग) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) से (ग). इस विशिष्ट अवधि में गैर सरकारी क्षेत्र में किये गये पूंजी विनियोजन का पक्का अनुमान अभी उपलब्ध नहीं। तथापि आवेदित तथा जारी किये गये आशय पत्रों/औद्योगिक लाइसेंसों की संख्या, पूंजीगत वस्तुओं के स्वीकृत आवेदनों की संख्या, गैर-सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों द्वारा ऋण हेतु पूंजी के निर्गमों तथा इसी अवधि में वित्तीय संस्थाओं द्वारा दिये गये ऋणों से यह स्पष्ट है कि इन वर्षों में गैर-सरकारी क्षेत्र में विनियोजन की वृद्धि हुई है। लाइसेंसीकरण, राजकोषीय तथा अन्य आर्थिक नीतियों और अभ्युपायों से आगामी वर्षों में विकास दर को बढ़ाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

साधारण निर्वाचन

*177. **श्रीमती सुचेता कृपालानी** : क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार वर्ष 1972 से पहले साधारण निर्वाचन कराने के लिये किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ?

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में अन्य राजनैतिक दलों से भी परामर्श किया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री के० हनुमन्तय्या) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

पंजाब में हरिजनों का सामाजिक बहिष्कार

*178. **श्री भोगेन्द्र झा :**

श्री स० मो० बनर्जी :

क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब के कुछ क्षेत्रों में कम मजदूरी पर कार्य करने से इन्कार करने के कारण हरिजन भूमिहीन मजदूरों को डराया-धमकाया गया है तथा उनका सामाजिक बहिष्कार किया गया है;

(ख) क्या राज्य में कुछ गांवों में सवर्ण हिन्दू श्रमिकों की तुलना में हरिजन श्रमिकों को आधी मजदूरी भी नहीं दी जाती है; और

(ग) यदि हां, तो हरिजनों के प्रति इस प्रकार के भेदभावपूर्ण रवैये को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य-मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) से (ग). पंजाब सरकार को इस मामले में लिखा गया है । उसके उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है ।

सिगरेट उद्योग पर विदेशी नियंत्रण

*179. **श्री चेंगलराया नायडू :**

श्री ओम प्रकाश त्यागी :

श्री हुकमचन्द कछवाय :

क्या **औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के सिगरेट उद्योग पर विदेशी नियंत्रण से सम्बन्धित कथित समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस उद्योग को विदेशी मुद्रा कमाने वाले प्रमुख उद्योग का रूप देने के हेतु इसकी कठिनाइयां दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) जी, हां ।

(ख) यह मामला सरकार का ध्यान आकर्षित किये हुए है और सम्भावित निर्यातकों द्वारा

दिये गए सुझावों पर विचार किया जायेगा ।

Sale of Hindustan Vehicles Project (P) Ltd. Phulwari Shariff (Patna)

* 180. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of **Industrial Development and Internal Trade** be pleased to state :

(a) whether Government of Bihar have decided to sell the Hindustan Vehicles Company (P) Limited located at Phulwari Shariff in Patna District to some private industrialist for running it;

(b) if so, the details thereof ;

(c) whether the Government of Bihar have obtained the permission of Government of India for this purpose; and

(d) if so, the time by which it is likely to start functioning ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development and Internal Trade (Shri M.R. Krishna) : (a) & (b). The Hindustan Vehicles Limited is not a State owned undertaking.

(c) & (d). Do not arise.

बांद्रा बम्बई में पश्चिम रेलवे के क्वार्टरों के समीप रेलवे भूमि पर अनधिकृत निर्माण

1001. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बांद्रा बम्बई में पश्चिम रेलवे के क्वार्टरों के समीप रेलवे भूमि के एक भाग पर बिना पूर्व स्वीकृति के 'अनधिकृत' निर्माण किया गया है और अब उसका इस्तेमाल इसमें घरेलू गैस के सिलैन्डर रखने में किया जा रहा है और इस प्रकार इस क्षेत्र के निवासियों के स्वास्थ्य को खतरा पैदा हो गया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस भूमि को रेलवे कर्मचारियों के परिवारों के लिए एक आवास परियोजना के लिये देने से इन्कार कर दिया गया था ;

(ग) यह निर्माण कितनी भूमि पर किया गया है और निर्माण कार्य पर कितनी लागत आई है और उसके मालिक का क्या नाम है ;

(घ) इस निर्माण की अनुमति रेलवे प्रशासन ने किन कारणों से दी है; और

(ङ) इसके मालिक के विरुद्ध यदि कोई कार्यवाही की जायेगी, तो क्या और यदि नहीं की जायेगी तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) विचाराधीन संरचना 'अनधिकृत' नहीं है बल्कि यह एक अस्थायी संरचना है जिसे मैसर्स आइडियल गैस सर्विस बांद्रा ने सामान्य नियमों और शर्तों के अन्तर्गत पट्टे पर दिये गये भूखण्ड पर बनाया है। इस संरचना में गैस सिलिण्डरों का स्टाक रखने से स्वास्थ्य को कोई खतरा नहीं है।

(ख) जी नहीं।

(ग) मैसर्स आइडियल गैस सर्विस को पट्टे पर दी गयी भूमि का क्षेत्रफल 860 वर्गफुट है। पार्टी ने यह संरचना अपने खर्च पर बनवायी है।

(घ) यह पार्टी द्वारा निष्पादित लाइसेंस करार के अनुसार है।

(ङ) उपर्युक्त (घ) के उत्तर को देखते हुए सवाल नहीं उठता।

विभिन्न रेलवे जोनों में तांबे के तारों की चोरी

1002. **श्री बाबू राव पटेल :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष के दौरान विभिन्न रेलवे जोनों में जोनवार कितने मूल्य के ताम्बे के तार की चोरी हुई ;

(ख) क्या यह सच है कि चोरी की घटनाओं में हुई अत्यधिक वृद्धि का गाड़ियों के सामान्य और सुचारु रूप से चलने पर प्रभाव पड़ा है तथा इसके परिणामस्वरूप बहुत सी दुर्घटनायें हुई हैं;

(ग) क्या डाक तथा तार विभाग ने इस विषय में यह कहकर कि कुछ राज्यों की पुलिस की मदद के बिना इन चोरियों को नहीं रोका जा सकता, कुछ करने से इन्कार कर दिया है;

(घ) क्या यह भी सच है कि चुराया गया सभी ताम्बे का तार गोला बारूद बनाने के लिये चोरी-छिपे पाकिस्तान भेज दिया जाता है ; और

(ङ) एक एल्युमिनियम की पर्त चढ़े तारों के उपयोग में न लाने या विकल्प स्वरूप माइक्रोवेव संचार व्यवस्था चालू न करने के क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) (क) से (ङ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

Setting up of New Factories During 1970

1003. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Industrial Development and Internal Trade** be pleased to state :

(a) the number of factories proposed to be opened during the current year in the industrial sector together with the locations thereof and the names of the articles proposed to be manufactured in each of them;

(b) the total capital investment likely to be made in that connection ; and

(c) the number of persons likely to get employment as a result thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development & Internal Trade (Shri M. R. Krishna) : (a) The number of factories proposed to be opened during the current year would depend on the number of licences issued in the past few years. Apart from a large number of letters of intent, 110 licences were issued under the Industries (Development and Regulation) Act, 1951, for setting up of **new industrial undertakings** during the period from 1968 to 1970 (upto August). Details of all licences issued, including articles of manufacture, location of units etc., are periodically published in a number of Journals, viz. the Weekly Bulletin of Industrial Licences, Import Licences and Export Licences; the Weekly Indian Trade Journal and the Monthly Journal of Industry and Trade. Copies of these publications are supplied to the Parliament Library. It takes about two to three years for an undertaking to be set

up and it is difficult to say as to how many new undertakings are proposed to be established during the current year.

(b) & (c) : Details regarding capital investment and number of persons as are actually employed in undertakings which have gone into production is not maintained.

Loss Suffered by Railways due to Floods in Various States

1004. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state the amount of loss suffered by the Indian Railways as a result of floods in the various States during this year ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : The information is being collected from the Zonal Railways and will be placed on the Table of the Sabha.

रेलवे स्टेशनों और गाड़ियों में सफाई की व्यवस्था

1005. **श्री अब्दुल गनी दार :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सभी रेलवे स्टेशनों तथा गाड़ियों में सफाई व्यवस्था को सुधारने की आवश्यकता है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या योजना है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) समुचित स्वच्छता की कमी के सम्बन्ध में कभी-कभी होने वाली शिकायतों को छोड़कर स्टेशनों और गाड़ियों में सफाई की आम व्यवस्था संतोषजनक रही है ।

(ख) रेलवे प्लेटफार्मों पर, स्टेशन परिसर और गाड़ियों में सफाई का समुचित स्तर बनाये रखने के लिए रेल प्रशासन निरन्तर ध्यान देते हैं और समुचित सफाई सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त सफाई कर्मचारियों की व्यवस्था की जाती है । स्टेशनों पर लगाये गये लाउड स्पीकरों पर घोषणा करके प्लेटफार्मों, स्टेशन परिसरों और गाड़ी के डिब्बों को साफ रखने में जनता का सहयोग भी प्राप्त किया जाता है । गाड़ियों और स्टेशनों की अचानक जाँच की विस्तृत व्यवस्था द्वारा सफाई के स्तर में और सुधार करने के लिए भी जोरदार प्रयास किये जा रहे हैं ।

इस्पात की बिक्री के लिए उचित दर केन्द्रों का खोला जाना

1006. **श्री अब्दुल गनी दार :** क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार सभी राज्यों में उचित दर केन्द्रों को खोल रही है जहाँ छोटे उद्योगपतियों तथा वास्तविक उपभोक्ताओं के लिये इस्पात उपलब्ध हो सकेगा ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) : लघु उद्योगपतियों तथा वास्तविक उपभोक्ताओं की छोटी-छोटी आवश्यकताएँ प्रमुख उत्पादकों के स्टाकयार्डों से पूरी कर दी जाती हैं । इस प्रकार के स्टाकयार्ड बहुत से राज्यों में पहले से ही हैं तथा हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड इस प्रकार के और अधिक स्टाकयार्ड खोलने की संभावनाओं

पर विचार कर रही है। इसके अलावा बहुत से राज्यों ने लघु उद्योगपतियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लघु उद्योग निगम तथा कच्चे माल के डिपो खोले हुए हैं।

भारत में हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के तथा जापान के इस्पात का उत्पादन मूल्य

1007. **श्री दे० अमात :** क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड में इस्पात का उत्पादन मूल्य संसार भर में सर्वाधिक है जब कि जापान का, जो कि भारत में कच्चा माल आयात करता है, यह सबसे कम है ;

(ख) यदि हाँ, तो हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड, भारत स्थित गैर-सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों तथा इस्पात का उत्पादन करने वाले विभिन्न देशों के इस्पात उत्पादन-मूल्य के तुलनात्मक आँकड़े क्या हैं ; और

(ग) उत्पादन मूल्य में अन्तर होने के मुख्य कारण क्या हैं तथा इस अन्तर को समाप्त करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, नहीं। चूंकि वाणिज्यिक चलन के अनुसार उत्पादन लागत को गोपनीय रखा जाता है और चूंकि इस बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है इस्पात का उत्पादन करने वाले विश्व के मुख्य देशों के आन्तरिक मूल्यों की तुलना से यह पता चलता है कि अनेक इस्पात वस्तुओं तथा री-रोलिंग बिलेट मर्चेंट बार, चैकरड प्लेटों और भारी संरचनात्मकों की निर्माण बाह्य मूल्य यू० के०, संयुक्त राज्य अमरीका, यूरोप के सांझा बाजार के देशों में और कुछ मामलों में जापान की तुलना में भारत में मूल्य कम है।

(ख) जैसा कि निर्माण लागत की निम्न तालिका से पता चलता है (मूल्य-ह्रास और ब्याज को छोड़कर लागत) हिन्दुस्तान स्टील लि० के इस्पात कारखानों की निर्माण-लागत भारत में सदा अधिकतम नहीं होती है :—

		(रुपये टन)
1.	टिस्को	348.00
2.	इस्को	374.00
3.	राउरकेला	
	ओ० एच०	387.02
	एल० डी०	333.39
4.	भिलाई	315.83
5.	दुर्गापुर	344.28

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

हिन्दू दत्तक ग्रहण तथा अनुरक्षण अधिनियम, 1956 का दुरुपयोग

1008. **श्री सूरज भान** : क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऊंची जाति के हिन्दुओं द्वारा हिन्दू दत्तक ग्रहण तथा अनुरक्षण अधिनियम, 1956 का दुरुपयोग किया जाता है जिससे अनुसूचित जाति के लोगों का बड़ा अहित होता है ;

(ख) कालिजों, अन्य व्यावसायिक संस्थानों में दाखिला प्राप्त करने तथा साथ ही सेवाओं में आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिये गत तीन वर्षों में दत्तकग्रहण के ऐसे कुल कितने मामले हुए ;

(ग) क्या सरकार का विचार उक्त अधिनियम में कोई समुचित संशोधन करने का है ;

(घ) यदि हाँ, तो ऐसा कब तक किया जायेगा ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) सवर्ण हिन्दुओं द्वारा हिन्दू दत्तक-ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 के दुरुपयोग के बारे में कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ख) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को उनके सामने आए ऐसे आचरणों का पता लगाने के लिए लिखा गया था। केवल कुछ ही राज्यों से उत्तर प्राप्त हुए हैं। परन्तु प्राप्त हुए उत्तरों से इस प्रथा के अधिक प्रचलित होने का पता नहीं चलता है।

(ग) से (ङ). इस मामले पर विचार किया जा रहा है।

केरल के विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना

1009. **श्री विश्वनाथ मेनन** : क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने केरल के विकलांग व्यक्तियों के लिये त्रिवेंद्रम में एक राष्ट्रीय पुनर्वास संस्थान स्थापित करने की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिये एक आयोग नियुक्त किया था ; यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

(ख) क्या संस्थान स्थापित करने की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिये आयोग ने कोई अध्ययन अथवा सर्वेक्षण किया है; और

(ग) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि मन्त्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) से (ग). इस प्रकार के किसी आयोग की नियुक्ति नहीं की गई है। सरकार ने देश के आर्थोपेइडिकली विकलांग व्यक्तियों के लिए एक राष्ट्रीय केन्द्र की रूपरेखा तैयार करने तथा उसे स्थापित करने के लिए उचित स्थान का सुझाव देने के लिए एक समिति नियुक्त की है। इसकी

उप-समिति ने कुछ राज्यों का जिसमें केरल भी शामिल है, दौरा किया है और देश के सभी भागों का दौरा करने के बाद यह अपनी रिपोर्ट पेश करेगी।

हरिजनों और अनुसूचित जातियों के लिए नई दिल्ली में आवास स्थान

1010. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोटला मुबारकपुर, किदवाई नगर और मंदिर मार्ग पंचकुइयाँ रोड क्षेत्र में हरिजनों तथा अनुसूचित जातियों के अन्य लोगों को उपयुक्त आवास-स्थान प्रदान करने के लिए तुरन्त उपाय करने का निर्णय किया है ;

(ख) क्या सरकार ने नई दिल्ली क्षेत्र में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत हरिजनों अथवा अनुसूचित जातियों के अन्य लोगों की सहायता की है ; और

(ग) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विधि मन्त्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) से (ग). ब्यौरा दिल्ली प्रशासन से एकत्रित किया जा रहा है तथा प्राप्त होते ही उसे सभा-पटल पर रख दिया जाएगा।

आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के अभ्यार्थियों के लिए नौकरियों की व्यवस्था

1011. **श्री एन० शिवप्पा** : क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के 5 लाख अभ्यार्थियों के लिये नौकरियों की व्यवस्था सम्बन्धी कांग्रेस की कार्यकारी समिति के निर्णय को सरकार ने स्वीकार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो पिछड़ी जातियों और पिछड़े क्षेत्रों (राज्यवार) का चयन किस आधार पर किया जाता है ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) और (ख) : 13-'14 अक्तूबर, 1970 को पटना में हुई अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में पास किए गए प्रस्ताव में सिफारिश की गई थी कि वर्ष 1971 में प्रत्येक जिले में कम से कम एक विशेष परियोजना शुरू किए जाने के लिए सरकार नए कार्यक्रम बनाए। प्रत्येक ऐसी परियोजना में कुशल तथा अकुशल कामगरों को रोजगार दिया जाए ताकि कम से कम 5 लाख और व्यक्तियों को रोजगार दिया जा सके। इन परियोजनाओं में काम देते समय उन परिवारों के व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाए, जिनके पास जीविका का कोई साधन नहीं है। यह प्रस्ताव अब तक सरकार को नहीं भेजा गया है।

Pre-I.A.S. Coaching Centre in Allahabad University

1012. **Shri Molahu Prashad** : Will the Minister of Law and Social Welfare be pleased to state :

(a) whether a Pre-I.A.S. Coaching Centre for imparting training to Scheduled Caste and Scheduled Tribe students is functioning in Allahabad University;

(b) whether law is one of the subjects for the said examination and there are five papers in "law" and a candidate can take examination in only three of them; and

(c) whether the authorities of this institution do not give any recognition to the candidates, who are declared successful in the said examination and if so, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Law and in the Department of Social Welfare (Shri Jagannath Rao) : (a) Yes; Sir.

(b) According to Section II of Appendix II to the Rules for the I.A.S. etc. Examination, 1970, there are three papers on Law viz. Law I, Law II, and Law III among the lower optional papers, out of which not more than two can be offered by a candidate. Similarly, there are two additional subjects viz. Constitutional Law of India and Jurisprudence, out of which a candidate can offer only one for his higher optional paper in the said examination.

(c) The question is not clear. However, the Managing Committee of the Pre-Examination Training, Centre Allahabad, on the recommendation of the Government of India, have asked the Admission Committee to give due consideration to the candidates holding the LL.B. degree and make suitable modifications in the list of categories for selection of trainees for admission to the Centre.

Action taken on the Report of the Commission for Backward Classes

1013. Shri Molahu Prashad : Will the Minister of Law and Social Welfare be pleased to state the action being taken by Government in regard to the report of the Commission for Backward Classes, which was submitted to the Government in 1956 ?

The Minister of State in the Ministry of Law and in the Department of Social Welfare (Shri Jagannath Rao) : The Report of the Backward Classes Commission was presented to both the Houses of Parliament along with a Memorandum of the action taken on the Report on the 3rd September, 1956. The Report was also discussed in the Lok Sabha on the 3rd October, 1964, 8th November, 1965 and the 25th November, 1965.

महत्त्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्रों में उत्पादन की कमी

1014. **श्री बासुदेवन नायर** : क्या **औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी योजना के प्रथम दो वर्षों में महत्त्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्रों में उत्पादन की कमी हुई है ;

(ख) यदि हाँ, तो इन क्षेत्रों में उत्पादन में कितनी कमी हुई है और उसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या इन महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में उत्पादन की धीमी गति से चौथी योजना की लक्ष्य उपलब्धि पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा ; और

(घ) यदि हां, तो क्या योजना की शेष अवधि में उत्पादन की इस कमी को पूरा करने के लिये कोई कार्यवाही की जा रही है ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) से (घ). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 4288/70]

प्रशासन सुधार आयोग के प्रतिवेदन पर विचार

1016. **श्री शंकर राव माने** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा रेलवे के बारे में प्रस्तुत प्रतिवेदन पर सरकार ने विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने किन-किन सिफारिशों को स्वीकार किया है ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) सिफारिशें जांच के विभिन्न चरणों में हैं ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

Allotment of Land for Construction of Houses to the "Jatav" Community of Bulandshahar

1017. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of Law and Social Welfare be pleased to state :

(a) whether the 'Jatav' community of Pavasara village of Bulandshahar (U.P.) is neither provided with any residential accommodation nor any land for constructing houses near the populated areas;

(b) if so, whether a lot of land belonging to Gram Samaj is available for residential purposes near the populated areas;

(c) if so, whether Government propose to give direction to the District authorities for allotment of land to the Jatav people for residential purposes; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Law and in the Department of Social Welfare (Shri Jagannath Rao) : (a) to (d). The information is being collected from the Government of Uttar Pradesh and will be laid on the table of the Sabha as soon as available.

केवल उद्योग द्वारा अनुभव की जा रही कठिनाइयों के बारे में दिल्ली प्लास्टिक केबल निर्माता संघ की ओर से ज्ञापन

1018. **श्री हरदयाल देवगुण** : क्या **औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली प्लास्टिक केबल निर्माता संघ की ओर से छोटे क्षेत्र में केबल उद्योग द्वारा अनुभव की जा रही कतिपय कठिनाइयों का ब्यौरा देने वाला तथा कतिपय न्यूनतम सुविधाओं की मांग करने वाला एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) जी, हां। सामान्य प्रकार का एक ज्ञापन प्राप्त हुआ था।

(ख) संघ से कहा गया है कि वह अपनी विशेष समस्याएं और कठिनाइयां बताये। उनके उत्तर की प्रतीक्षा है।

माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन द्वारा निर्मित खनिज तथा उपस्कर बक्सों का निर्यात

1019. **श्री देवेन सेन** : क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दुर्गापुर में माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन द्वारा निर्मित खनिज तथा उपस्कर बक्सों के निर्यात के लिए भारत तथा सोवियत संघ के बीच एक पंचवर्षीय करार पर हस्ताक्षर हुए हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो उक्त करार की शर्तें क्या हैं ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख). सोवियत संघ और भारत की सरकारों के बीच यह समझौता हो गया है कि सोवियत रूस के सहयोग से लगाए गए दुर्गापुर के माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन लिमिटेड के कारखाने की क्षमता का सक्रिय रूप से उपयोग सुनिश्चित करने के लिए, सोवियत संघ को लम्बी अवधि के आधार पर एक्सकेवेटरों और रिडक्शन गीयरों की आपूर्ति के लिए कारखाने में इनके उत्पादन की संभावनाओं पर विचार किया जाय। इस विषय पर विचार विमर्श हो रहा है और विस्तृत विवरणों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

शान्ति निकेतन में कुटीर उद्योग

1020. **श्री देवेन सेन** : क्या **औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शान्तिनिकेतन में ग्रामीण पुनर्निर्माण तथा कुटीर उद्योगों की सभी गतिविधियां प्रायः ठप्प हो गई हैं;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह सच है कि शांतिनिकेतन के हस्तोद्योग के जो उत्पाद अब कलकत्ता तथा अन्य स्थानों पर बिक रहे हैं वे वहां पर निर्मित नहीं हो रहे बल्कि बेईमान व्यापारी शांतिनिकेतन की लोकप्रियता का अनुचित लाभ उठा रहे हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो इस मामले में क्या उपचारी कदम उठाये गये ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं०रं० कृष्ण) : (क) से (घ). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और यथासमय सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

केरल में मध्यावधि निर्वाचनों पर व्यय

1021. **श्री श्रद्धाकर सूपकार :** क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सितम्बर, 1970 में केरल में हुए मध्यावधि निर्वाचनों में केन्द्रीय सरकार तथा केरल राज्य सरकार द्वारा कुल कितना धन व्यय किया गया; और

(ख) राज्य में कुल कितने मत रिकार्ड किये गये ?

विधि मंत्रालय और समाज कल्याण विभाग में राज्य-मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जानकारी मंगाई जा रही है।

(ख) 76,34,400 मत ।

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय के अधीन सरकारी क्षेत्रीय निगम

1022. **श्री कृ० पा० कौशिक :** क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के अधीन कितने सरकारी क्षेत्रीय निगम हैं;

(ख) उनमें से प्रत्येक निगम कब तथा कितनी पूँजी से आरम्भ किया गया था;

(ग) प्रत्येक को आरम्भ से लेकर वर्ष 1970 तक कितनी राशि की हानि हुई; और

(घ) उक्त स्थिति को सुधारने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ताकि उक्त उपक्रम लाभ पर चल सके ?

इस्पात तथा भारी इञ्जीनियरिंग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) इस्पात और भारी इन्जीनियरिंग मंत्रालय के अधीन 9 सरकारी उपक्रम हैं।

(ख) और (ग). वांछित सूचना निम्न तालिका में दी गई है :—

उपक्रम का नाम	वर्ष आरम्भ हुआ	प्रारम्भिक पूंजी	लाभ/हानि 31-3-70 तक	टिप्पणी
1. हिन्दुस्तान स्टील लि०	1954	100 करोड़	(—) 172.83 करोड़	
2. भारी इन्जीनियरिंग निगम लि०	1958	50 करोड़	(—) 58.91 करोड़	
3. खनन तथा संबद्ध मशीनरी निगम लि०	1965	20 करोड़	(—) 26.47 करोड़	

4. भारत हैवी प्लेट्स एण्ड वैसल्स लि०	1966	7 करोड़ (—)	0.27 करोड़	इसने जुलाई 1969 में उत्पादन करना आरम्भ किया ।
5. त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लि०	1965	2 करोड़ (—)	0.82 करोड़	इसने अगस्त, 1968 में उत्पादन करना आरम्भ किया ।
6. तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लि०	1960	0.5 करोड़ (+) 1967—68 से 1969—70 की अवधि के लिए	0.29 करोड़	आरम्भ में यह कं० आन्ध्र और मैसूर सरकारों ने मिलकर लगाई थी। भारत सरकार ने 1967 में इसमें 51 लाख रु० लगाकर इसका नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया ।
7. बोकारो स्टील लि०	1964	100 करोड़ (—)		यह प्रायोजना अभी निर्माणाधीन है ।
8. हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कन्सट्रक्शन लि०	1964	1.0 करोड़ (+)	1 करोड़	
9. औद्योगिक उपक्रमों के लिए भारतीय कैसोर्शियम	1970	0.10 करोड़ (—)		

(घ) इससे यह मालूम होगा कि इस मंत्रालय के अधीन 9 उपक्रमों में से हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लि० और तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लि० लाभ में जा रहे हैं । बोकारो इस्पात कारखाना अभी निर्माणाधीन है । औद्योगिक उपक्रमों के लिए भारतीय कैसोर्शियम की स्थापना केवल 1970 में ही की गई है ।

जैसा कि फरवरी 1969 में बजट पत्रों के साथ परिचालित सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के ज्ञापन में दिखाया गया है सरकार ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकरण को सुधारने और इन्हें बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं । हिन्दुस्तान स्टील लि० के बारे में किए गए विशेष उपायों का उल्लेख 5 अप्रैल, 1968 को सभा-पटल पर रखी गई 'परफोर्मेंस ऑफ़ हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड' नामक पुस्तिका में किया गया है । इन उपायों को कार्यान्वित किया जा रहा है और उत्पादन को बढ़ाने तथा इसके मार्ग में आनेवाली बाधाओं को दूर करने के लिए भी भरसक प्रयत्न किए जा रहे हैं । भारी इंजीनियरी निगम के प्रबन्ध को सुगठित करने का भी प्रस्ताव है । यह कार्य पूर्णकाल निदेशकों की नियुक्ति द्वारा किया जाएगा जिसमें इसके संघटक कारखानों के लिए एक तकनीकी

अथवा उत्पादन निदेशक की नियुक्त भी है जो संघटक कारखानों के उत्पादन का आयोजन और समन्वय करेगा ।

छोटी कार परियोजना में मोटर गाड़ी उद्योगों द्वारा विकसित तकनीकी जानकारी का उपयोग

1023. **श्री लखन लाल कपूर** : क्या **औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने तीन वर्तमान मोटर-गाड़ी उद्योगों द्वारा विकसित तकनीकी जानकारी का उपयोग करने का प्रस्ताव किया है;

(ख) क्या उक्त जानकारी सरकारी क्षेत्र में प्रस्तावित छोटी कार परियोजना के लिए उपलब्ध की जाएगी, और

(ग) यदि हां, तो प्रस्ताव क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) से (ग). ऑटोमोबाइल उद्योग के विकास की वर्तमान स्थिति विशेषतया और देश में उपलब्ध तकनीकी जानकारी को ध्यान में रखकर परीक्षित नमूने की कार बनाने के लिए सरकारी क्षेत्र में स्थापित की जाने वाली प्रस्तावित प्रायोजना के लिए सरकार ने विदेशी सहयोग लेने का निर्णय किया है। प्रायोजना के चलाने में देश में उपलब्ध विशेषज्ञ सेवाओं तथा तकनीकी जानकारी का अधिकतम सम्भव सीमा तक उपयोग करने का इरादा है ।

फ्रांसीसी सहयोग से टोंक में एक चमड़ा कमाने के कारखाने की स्थापना का प्रस्ताव

1024. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को राजस्थान सरकार की ओर से सरकारी क्षेत्र में फ्रांसीसी सहयोग से टोंक में चमड़ा कमाने के कारखाने की स्थापना के बारे में एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, यदि हाँ, तो उसका क्या है,

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है;

(ग) यदि हां, तो फ्रांसीसी सहयोग की करार शर्तें क्या हैं;

(घ) प्रतिदिन कितनी खालों को परिष्कृत किया जाएगा; और

(ङ) इस पर अनुमानत: कितनी लागत आएगी, और यह कार्य कब तक आरम्भ किए जाने की सम्भावना है ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) से (घ). राजस्थान राज्य सरकार को चमड़े के उत्पादन के लिए सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत

टोंक राजस्थान में एक नए औद्योगिक उपक्रम की स्थापना हेतु 3000 टन की वार्षिक क्षमता का एक आशय पत्र जारी किया गया है जिसमें 50 प्रतिशत निर्यात करना भी अनिवार्य है। विदेशी सहयोग की शर्तें विचाराधीन हैं।

(ङ) व्यय की अधुनातन अनुमानित राशि और कार्यारंभ की निश्चित तिथि का सुनिश्चय सरकार से किया जा रहा है।

दाकन्या तालव रेलवे स्टेशन (पश्चिमी रेलवे) से विस्फोटक पदार्थ ले जाने वाली मालगाड़ी में आग लगना

1025. **श्री यशपालसिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 21 अक्तूबर, 1970 को दाकन्या तालव रेलवे स्टेशन (पश्चिमी रेलवे) से उर्वरक कारखानों को विस्फोटक पदार्थ ले जाने वाली एक मालगाड़ी में आग लग गई थी;

(ख) यदि हां, तो मृतकों तथा घायलों की संख्या कितनी है तथा आग लगने के कारण क्या हैं;

(ग) इससे रेलवे सम्पत्ति को लगभग कितनी हानि हुई; और

(घ) भविष्य में ऐसी दुर्घटना को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय अपनाए जाने का विचार है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी नहीं। लेकिन डाढ़देवी स्टेशन (पश्चिम रेलवे) से श्रीराम फर्टिलाइज़र एण्ड केमिकल साइडिंग को नप्था टंकी मालडिब्बों में जो माल ले जाया जा रहा था उसमें 21-10-1970 को आग लग गई।

(ख) इस दुर्घटना में 2 व्यक्ति मर गये और तीन घायल हुए। दुर्घटना के कारण की जांच की जा रही है।

(ग) रेल सम्पत्ति को लगभग 2,64,858·00 रुपये की क्षति होने का अनुमान है।

(घ) जांच-समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने पर उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी।

रेलवे स्क्रेप के निपटान पर मतभेद

1026. **श्रीमती सुशीला रोहतगी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में रेलवे स्क्रेप के निपटान पर कुछ मतभेद उत्पन्न हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने टेंडर मंगाने की सामान्य प्रक्रिया नहीं अपनाई ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख). न्यायालय के एक आदेश द्वारा रेलों को फिलहाल रद्दी पटरियों को बिक्री के लिए प्रस्तुत करने, बेचने अथवा उनकी सुपुर्दगी देने से रोक दिया गया है ।

Construction of over/under bridge at Murray crossing in Kanpur

1027. Shrimati Sushila Rohatgi : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that thousands of passengers have to wait daily for several hours at Murray crossing in Kanpur;

(b) whether Government are aware that this adversely affects the industrial production in the city;

(c) whether it is also a fact that people have to face great inconvenience in the absence of an over bridge or under bridge there; and

(d) if so, the steps proposed to be taken in this regard ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) It is a fact that a large number of road users have to wait at this level-crossing.

(b) No.

(c) Yes.

(d) The railway had planned replacement of this level-crossing by an overbridge in as early as 1960 but the scheme did not materialise as the State Government could not provide funds for the construction of the road approaches. The railway would be prepared to take up the work as soon as the State Government sponsor a firm proposal for construction of the overbridge in lieu of the level-crossing together with an undertaking to bear their share of the cost as per extant rules.

तमिलनाडु में रेलवे के 'गोल्डन राक वर्कशाप' में बनाए गए माल डिब्बे

1028. **श्री एस० के० सम्बन्धन** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1968-69, 1969-70 और 1970-71 में 30 सितम्बर, 1970 तक तमिलनाडु में रेलवे के 'गोल्डन राक वर्कशाप' में बनाए गए माल डिब्बों की संख्या कितनी है;

(ख) चालू वर्ष में यदि कोई कमी है तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) भविष्य में उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : गोल्डन राक कारखाने में चौपहियों के हिसाब से, उत्पादित माल डिब्बों की संख्या नीचे दी गई है :—

1968-69	669
1969-70	1155
1970-71 (30 सितम्बर, 70 तक)	432

(ख) वर्ष 1970-71 में गोल्डन राक कारखाने के लिए माल डिब्बों के उत्पादन का लक्ष्य चौपहियों के हिसाब से 900 माल डिब्बा निर्धारित किया गया है। इस आधार पर पहले छः महीने में चौपहियों के हिसाब से केवल 18 मालडिब्बों की कमी रही जो मामूली है और आशा की जाती है कि यह कमी वर्ष के दौरान पूरी कर ली जाएगी।

(ग) सवाल नहीं उठता।

Promotion of Guards

1029. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of **Railways** be pleased to state the number of Guards promoted to higher grades during the last three years and the procedure followed in regard to their promotion ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

Ring Railway For Delhi

1030. Shri Onkar Lal Berwa :

Shri Jageshwar Yadav :

Will be Minister of **Railways** be pleased to State :

(a) the time by which it is proposed to start a ring railway in Delhi;

(b) the time by which it would be electrified; and

(c) the number of persons likely to be benefited therefrom ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) to (c) No proposal for a "Ring Railway" in Delhi is under consideration by the Railways.

A Study Team on Metropolitan Transport was set up by the Planning Commission, in 1965, to study the transport requirements of Calcutta, Bombay, Delhi and Madras. The preliminary investigation by this Team indicated that a Mass Rapid Transit System (Metropolitan Rail System) would be required for Delhi.

The Comprehensive Traffic and Transportation Study for Delhi was entrusted, by the Metropolitan Transport Team, to the Central Road Research Institute. According to the present programme, the Traffic Study is expected to by completed by the end of 1970. This study will give data on the basis of which decisions can be arrived at as regards the corridors along which the Metropolitan Rail lines are required, i.e. whether radial, circular or other alignments are necessary.

After the Traffic Study is over and the Metropolitan Transport Team's recommendations are available, Techno-Economic Feasibility Studies have to be taken up to decide on the most suitable system overhead or underground—for Delhi. A period of about two years will be required for the Techno-Economic Feasibility Studies. It is too early to give a forecast of the time by which the Metropolitan Rail System in Delhi would be commissioned.

The Metropolitan Rail System in Delhi is expected to be operated by electric traction.

The Traffic & Transportation Study, now being conducted by the Central Road Research Institute, and the report of the Metropolitan Transport Team are expected to give an indication of the number of persons, who would be using the Metropolitan Rail System when commissioned.

राज्यों में पिछड़े जिलों का विकास

1031. **श्री राम किशन गुप्त** : क्या **औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन जिलों के क्या नाम हैं जिन्हें छोटे तथा मध्यम पैमाने के उद्योग आरम्भ करने हेतु विभिन्न वित्त संस्थानों से रियायती दरों पर वित्त-प्रदान करने के लिए चुना गया है, और

(ख) उनको दी जाने वाली वित्तीय रियायत का (योजना वार) ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) लघु और मध्यम उद्योग लगाने हेतु विभिन्न वित्तीय संस्थानों से रियायती दरों पर वित्त प्रदान करने के लिए चुने गये जिलों की एक सूची संलग्न है । [**ग्रन्थालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०** 4289/70]

(ख) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक एवं भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा घोषित रियायतों का ब्यौरा संलग्न है । [**ग्रन्थालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी०** 4289/70] इसी प्रकार की रियायतें देने के प्रश्न पर भी भारतीय जीवन बीमा निगम और इंडस्ट्रियल क्रेडिट एण्ड [इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन ऑफ़ इण्डिया लिमिटेड द्वारा विचार किया जा रहा है ।

हरियाणा के विकास के लिए इस्पात की आवश्यकता

1032. **श्री राम किशन गुप्त** : क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हरियाणा के विकास के लिए कितनी मात्रा में इस्पात की आवश्यकता है; और

(ख) इस माँग को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख). जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

दिल्ली-शाहदरा के समीप महिला-डिब्बे में लूटने की घटनायें

1033. **श्री राम किशन गुप्त** :

श्री मणिभाई जे० पटेल :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दस्यु दल रात्रि-गाड़ियों के महिला डिब्बों पर हमला करके तथा उन्हें शाहदरा (दिल्ली) के समीप लूट लेते हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन महीनों में ऐसी कितनी घटनायें हुईं; और

(ग) दस्युओं को पकड़ने तथा भविष्य में रेल-यात्रियों को ऐसे आक्रमणों से सुरक्षा करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख). जी हाँ। अभी हाल में ऐसे दो मामले हुए हैं।

(ग) लुटेरों को पकड़ने और रेल-यात्रियों को और हमलों से बचाने के लिए सरकारी रेलवे पुलिस ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं :—

(i) दिल्ली-गाज़ियाबाद खंड पर रात में चलने वाली सभी सवारी गाड़ियों की मार्ग-रक्षा और जाँच वर्दीधारी और सादे कपड़ों वाले दोनों तरह के पुलिस कर्मचारियों द्वारा की जाती है;

(ii) सरकारी रेलवे पुलिस के मार्ग रक्षियों को यह हिदायत है कि वे रास्ते में महिलाओं के डिब्बे की जांच करें जिससे यह सुनिश्चित रहे कि कोई भी पुरुष यात्री उन डिब्बों में न घुस जाये;

(iii) क्षेत्र के सक्रिय अपराधियों का पता लगाने के लिये सरकारी रेलवे पुलिस प्रबल प्रयास कर रही है;

(iv) सरकारी रेलवे पुलिस और डिस्ट्रिक्ट पुलिस की सक्रिय सहायता प्राप्त करने के विचार से रेल प्रशासन उनके साथ निकट सम्पर्क बनाकर रखती है;

(v) ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए महिलाओं के डिब्बों में यात्रा करने वाली महिलाओं को सावधान कर दिया जाता है कि वे सुरक्षा की दृष्टि से गाड़ी के दिल्ली से चलने से पहले ही डिब्बों के दरवाज़ों की कुण्डी अन्दर से लगा लें।

भारी इंजीनियरिंग निगम रांची के कर्मचारियों के लिए मकान

1034. **श्री भगवान दास** : क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारी इंजीनियरिंग निगम, राँची के केवल 50 प्रतिशत कर्मचारियों को ही सामान्यत: मकान उपलब्ध कराये गये हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि भारी इंजीनियरिंग निगम के शत-प्रतिशत अधिकारियों को मकान प्रदान किये गये हैं;

(ग) यदि हाँ, तो कर्मचारियों के साथ ऐसा भेदभाव करने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार शेष 50 प्रतिशत कर्मचारियों को भी तुरन्त मकान प्रदान करने का है; और

(ङ) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में कब तक निर्णय किये जाने की संभावना है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी): (क) जी, नहीं । यदि समस्त नियमित कर्मचारियों को ध्यान में रखा जाय तो 60 प्रतिशत कर्मचारियों को क्वार्टर दिये जा चुके हैं परन्तु वास्तविक प्रतिशत अधिक है क्योंकि बहुत से स्थानीय कर्मचारियों के पास रांची शहर में अपने स्थायी निवास-स्थान हैं ।

(ख) जी, हाँ, उन सभी अधिकारियों को जिन्होंने क्वार्टरों के लिए आवेदन किया था क्वार्टर दे दिए गए हैं ।

(ग) किसी के साथ भेदभाव नहीं हो रहा है । कम्पनी की भर्ती नीति के अनुसार अधिकारियों की भर्ती अभ्यार्थियों की उपयुक्तता के आधार पर देश के किसी भी भाग से की जाती है। चूँकि राँची शहर में उनके आवास का प्रबन्ध नहीं हो सकता था अतः कम्पनी को उनके आवास की व्यवस्था करनी पड़ी । अधीनस्थ कर्मचारियों की भर्ती की नीति में स्थानीय व्यक्तियों की भर्ती पर अधिक जोर दिया गया है और उनमें से बहुतों के पास समीप के राँची शहर और गाँवों में अपने निजी निवास हैं अतः इन सब कर्मचारियों के लिए टाउनशिप में निवास-स्थान प्रदान करना आवश्यक नहीं है ।

(घ) कम्पनी को 75 प्रतिशत कर्मचारियों को आवास सुविधाएँ प्रदान करने की योजना है । पूँजी की उपलब्धि को देखते हुए जो कि कठिन रहा है तथा अब भी इस कार्य को कुछ चरणों में पूरा किया जाएगा। वर्तमान वित्तीय वर्ष में 300 कर्मचारी-आवासों का निर्माण कार्य चल रहा है ।

(ङ) वार्षिक बजट तैयार करते समय प्रति वर्ष स्थिति पर पुर्नविलोकन किया जाता है जब कि आवास निर्माण के लिए धन की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है ।

Drinking Water and Housing Facilities Provided in Harijan Colonies

1035. Shri K. M. Madhukar

Shri K. Halder:

Will the Minister of **Law and Social Welfare** be pleased to State :

(a) whether the Backward Classes especially persons living in Harijan colonies have neither been provided with drinking water facilities nor has substantial progress been made in the direction of providing housing facilities for them;

(b) if so, the reasons therefor;

(c) the details of the action taken in this regard in each State since March 1970; and

(d) the details of the scheme prepared by Government in this regard and steps taken to implement them ?

The Minister of State in the Ministry of Law & in the Department of Social Welfare (Shri Jagannath Rao) : (a) to (d). The information is being collected from the State Government and will be placed on the table of the House as soon as available.

अमृतसर-खेमकरण क्षेत्र में यात्री रेलगाड़ियों के आने तथा जाने का समय

1036. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमृतसर-खेमकरण क्षेत्र में यात्री रेलगाड़ियों के आने तथा जाने का समय अमृतसर और दिल्ली के बीच चलने वाली मेल रेल गाड़ियों में सफ़र करने वाले यात्रियों के लिए सुविधाजनक नहीं है, यथा दिल्ली से अमृतसर तक चलने वाली रेलगाड़ियों में सफर करने वाले यात्रियों को खेमकरण जाने के लिए उपयुक्त मिलान रेलगाड़ी नहीं मिलती है तथा उसी प्रकार खेमकरण से आने वाले यात्रियों को अमृतसर से मिलान रेलगाड़ी नहीं मिलती है; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या इस क्षेत्र पर रेलगाड़ियों का समय इस प्रकार संशोधित करने का विचार है जिससे यात्रियों को इस क्षेत्र में सड़क परिवहन के स्थान पर रेलगाड़ियों में यात्रा करने की सुविधा मिल सके ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) दिल्ली/नई दिल्ली से क्रमशः 07.45 और 21.20 बजे अमृतसर आने वाली दो डाक गाड़ियाँ अर्थात् 31 अप फ्रंटियर मेल और 27 अप फ़्लाइंग मेल 6 ए० के० और 2 ए० के० अमृतसर-खेमकरण सवारी गाड़ियों से मेल लेती है जो अमृतसर से क्रमशः 10.05 और 02.15 बजे छूटती है। इसके अलावा 45 अप दिल्ली-अमृतसर जनता एक्सप्रेस (अमृतसर पहुँचने का समय 12-05 बजे) और 8 ए० के० सवारी (छूटने का समय 13.55 बजे) गाड़ियों में भी सुविधाजनक मेल उपलब्ध है। केवल 27 अप फ़्लाइंग मेल और 2 ए० के० सवारी गाड़ी के मेल में ही लगभग 5 घंटे की प्रतीक्षा करनी पड़ती है जो कि थोड़ा सुविधाजनक है।

वापसी में 16.45 बजे अमृतसर पहुँचने वाली 5 ए० के० खेमकरण-अमृतसर सवारी गाड़ी अमृतसर से 17.10 बजे छूटने वाली नं० 46 अमृतसर-जनता एक्सप्रेस और 20.30 छूटने वाली 32 डाउन फ्रंटियर मेल से भी मेल लेती है।

(ख) 3 ए० के० और 28 डाउन अमृतसर-नई दिल्ली फ्लाइंग मेल तथा 7 ए० के० और 33 डाउन अमृतसर-दिल्ली फ्रंटियर मेल में अधिक सुविधाजनक मेल की व्यवस्था करने के लिए रेल प्रशासन गाड़ियों की वर्तमान समय सारिणी में संशोधन करने के प्रश्न पर विचार कर रहा है।

स्कूटरों के निर्माण के लिये लाइसेंसों का जारी किया जाना

1037. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या **औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्कूटरों के उत्पादन के लिये गत तीन महीनों में कई लाइसेंस जारी किये गए हैं;

(ख) यदि हां, तो उनमें से कितने (1) सरकारी क्षेत्र को दिये गये हैं तथा कितने (2) गैर-सरकारी क्षेत्र को दिये गये हैं, और

(ग) जारी किये गये लाइसेंसों का अन्य ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) से (ग). स्कूटरों का उत्पादन करने के लिए हाल ही में कोई औद्योगिक लाइसेंस नहीं दिया गया है । फिर भी, स्कूटरों का निर्माण करने के लिए चार राज्य उपक्रमों तथा 10 सरकारी पार्टियों को आशय पत्र पंजीयन प्रमाण-पत्र जारी किए गए हैं अथवा जारी किए जाने वाले हैं । इसका ब्यौरा इस प्रकार है :

क्र० सं०	पार्टी का नाम	स्थान	वार्षिक क्षमता संख्या
	(क) सरकारी क्षेत्र के उपक्रम		
1.	मै० आन्ध्र प्रदेश औद्योगिक विकास निगम, हैदराबाद	आन्ध्र प्रदेश	24,000
2.	मै० राजस्थान औद्योगिक तथा खनिज विकास निगम, जयपुर	राजस्थान	24,000
*3.	मै० गुजरात लघु उद्योग निगम लि० अहमदाबाद	गुजरात	24,000
*4.	मै० केरल राज्य औद्योगिक विकास निगम लि० त्रिवेन्द्रम	केरल	6,000
	(ख) गैर-सरकारी पार्टियां		
1.	मै० घाटगे पाटिल इण्डस्ट्रीज, कोल्हापुर	महाराष्ट्र	24,000
2.	श्री वी० सत्यनारायणन, मद्रास	मैसूर	24,000
3.	श्री रमन लाल एन० त्रिवेदी, मद्रास	तमिलनाडु	24,000
4.	श्री पी० वी० रमैया, मद्रास	आन्ध्र प्रदेश	24,000
5.	श्री पी० वेंकटराव, मद्रास	उड़ीसा	24,000

6.	मै० जनता सहकारी समिति, जोधपुर	राजस्थान	24,000
7.	मै० इण्डो अफ्रीकी आटो इण्ड० बम्बई	गुजरात	24,000
8.	श्री जगदीश प्रसाद, लखनऊ	उत्तर प्रदेश	24,000
9.	मै० कानपुर कंसट्रक्शन कं० कानपुर	पांडिचेरी	24,000
10.	मै० स्वदेशी माईनिंग एण्ड मैन्यूफै-क्चरिंग कं० लि० कलकत्ता	हरियाणा	24,000

*इन दोनों पार्टियों को पंजीयन प्रमाणपत्र जारी किए जाने वाले हैं ।

झाझा (पूर्वी रेलवे) के खलासी मुहल्ला के जल-निष्कासन की व्यवस्था का अभाव

1038. **श्री मधु लिमये** : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या झाझा के खलासी मुहल्ला (पूर्व रेलवे) में उचित जल-निष्कासन की व्यवस्था के अभाव के कारण वर्षा का जल इकट्ठा हो जाने के बारे में रेलवे प्रशासन की शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ख) आगामी मानसून के आगमन से पूर्व इस जल के निष्कासन की व्यवस्था करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख). खलासी मोहल्ला में वर्षा का पानी इकट्ठा होने के सम्बन्ध में रेलवे को शिकायतें मिली हैं, परन्तु जांच करने से यह मालूम हुआ है कि विकास की समुचित व्यवस्था के अभाव के कारण नहीं, बल्कि "अधिक अन्न उपजाओ" अभियान के सम्बन्ध में सिंचाई के लिए पानी के विशाखन के उद्देश्य से स्थानीय को-आपरेटिव (जिसमें मुख्यत: इस कालोनी के रेल कर्मचारी हैं) द्वारा नाली का निकास बन्द कर देने के कारण पानी इकट्ठा होता है ।

दक्षिण में इस्पात कारखानों की स्थापना

1039. **श्री मधु लिमये :**

श्री ईश्वर रेड्डी :

क्या **इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण के राज्यों में इस्पात कारखानों की स्थापना करने की प्रधान मंत्री की घोषणा को दृष्टि में रखते हुए सरकार ने इस आश्वासन को क्रियान्वित करने के लिए कोई ठोस योजनाएं बनाई हैं;

(ख) परियोजना सम्बन्धी प्रतिवेदनों को कब तक अन्तिम रूप दिया जायेगा;

(ग) इस पर कितना व्यय आयेगा;

(घ) क्या इन योजनाओं की क्रियान्विति के लिए कोई चरण-बद्ध कार्यक्रम बनाया गया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) 17 अप्रैल, 1970 को लोकसभा में प्रधानमंत्री के वक्तव्य के पश्चात् बहुत से कदम उठाये गये हैं। चार समितियां बनाई गई थीं, उनमें से तीन समितियों का कार्य प्रत्येक प्रायोजना के लिए उपयुक्त कच्चे माल के भंडारों का मूल्यांकन करना और उन्हें सम्बन्धित प्रायोजनाओं से जोड़ना है और एक समिति का कार्य होस्पेट, सेलम तथा विशाखापत्तनम के क्षेत्रों में इस्पात संयंत्रों के लिए स्थलों का चयन करना है। स्थल चयन समिति ने तीनों स्थलों के सम्बन्ध में अपनी सिफारिशों को अन्तिम रूप दे दिया है। लोह खनिज तथा कोयले के अतिरिक्त कोयले तथा कच्चे माल की समितियों ने भी अपनी रिपोर्टों को अन्तिम रूप दे दिया है।

(ख) तकनीकी-आर्थिक शक्यता प्रतिवेदनों की सरकार द्वारा स्वीकृति के पश्चात् प्रायोजना प्रतिवेदन तैयार करने का कार्य आरम्भ किया जायेगा। इन प्रतिवेदनों को तैयार करने का कार्य शीघ्र ही आरम्भ किया जायेगा।

(ग) और (घ). इन योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए क्रमबद्ध कार्यक्रम बताना समय-पूर्व होगा क्योंकि विस्तृत प्रायोजना प्रतिवेदन तैयार करने तथा उनकी स्वीकृति के पश्चात् ही सरकार इस बारे में निर्णय कर सकेगी।

उद्योगों की अधिकतम क्षमता के उपयोग के लिए परिपत्र

1040. **श्री मधु लिमये** : क्या **औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1962 और वर्ष 1965 में क्रमशः भारत-चीन और पाक-भारत संघर्षों के छिड़ने पर सरकार ने परिपत्र जारी किये थे, जिनमें उद्योगपतियों और कम्पनियों से अपनी क्षमता का अधिकतर उपयोग करने के लिए ही नहीं बल्कि उसमें वृद्धि करने का भी अनुरोध किया गया था;

(ख) क्या इन परिपत्रों अथवा उनमें निहित सारांशों को सभा-पटल पर रखने का सरकार का विचार है;

(ग) क्या यह भी सच है कि इन तथाकथित परिपत्रों के आधार पर कई उद्योगों और कम्पनियों ने अनियमित और अनधिकृत रूप से अपनी क्षमता में वृद्धि कर ली थी, और

(घ) क्या सरकार ने इन वृद्धियों के बारे में कोई जांच-पड़ताल की है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) और (ख). सरकार ने समय-समय पर उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1951, के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए पूर्णतया क्षमता का उपयोग करके उत्पादन बढ़ाने हेतु निर्देश जारी किये हैं) अगस्त, 1963 में औद्योगिक क्षमता को समान आधार पर परिभाषित करने के प्रश्न पर विचार किया गया था तथा अनवरत प्रक्रिया वाले उद्योगों से सम्बन्धित मंत्रालयों, विभागों और अन्य औद्योगिक एककों के मार्गदर्शन के लिए कुछ सिद्धांत निर्धारित किए गए थे । फिर अक्टूबर, 1966 में इस विषय में आम घोषणा की गई थी कि अधिनियम के अधीन औद्योगिक उपक्रम अपनी लाइसेंस प्राप्त पंजीमित उत्पादन क्षमता को 25 प्रतिशत उत्पादन बिना औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त किये बढ़ा सकते हैं बशर्ते वे निम्नलिखित शर्तें पूरी करते हों :—

(क) देशी बने संतुलन उपकरणों के अतिरिक्त कोई अतिरिक्त संयंत्र और औजार नहीं लगाया गया हो ।

(ख) अतिरिक्त विदेशी मुद्रा का व्यय न हो ।

(ग) अतिरिक्त उत्पादन के लिए कमी वाले कच्चे माल की अतिरिक्त मांग नहीं की गई हो । जून 1967 में अधिकतम उत्पादन और क्षमता के अधिकतम उपयोग की आवश्यकता के संदर्भ में यह निश्चय किया गया था कि 58 प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों को विदेशी मुद्रा और कमी वाले कच्चे माल का आवंटन करते समय सम्भाव्य वास्तविक उत्पादन दर को आधार मान कर व्यवस्था की जानी चाहिये ।

(ग) और (घ). पिछले कुछ वर्षों में सरकार की जानकारी में भी ऐसे अनेक मामले आये हैं जहां औद्योगिक उपक्रमों में अतिरिक्त मशीनें और औजार की प्रतिष्ठापना के आधार पर अपनी उत्पादन क्षमता में पर्याप्त वृद्धि की है । औद्योगिक-लाइसेंस नीति जांच समिति ने भी इन मामलों पर विचार किया था तथा इस प्रकार के 45 मामलों का विस्तृत ब्यौरा अपनी रिपोर्ट के परिशिष्ट 4 एफ में दिया है । रिपोर्ट की प्रतियां पहले ही सभा-पटल पर रखी जा चुकी हैं ।

योजना आयोग तथा रेलवे मंत्रालय के अधिकारियों के बीच विचार-विमर्श

1041. **श्री मयावन :**

श्री नि० रं० लास्कर :

श्री दंडपाणि :

क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग ने रेलवे यातायात में सुधार करने तथा आय अर्जित करने की सम्भावनाओं के लिए पूंजी निवेश करने तथा अन्य कार्यक्रमों पर विचार-विमर्श करने के लिए रेलवे अधिकारियों को आमन्त्रित किया है;

(ख) यदि हां, तो किन विषयों पर विचार-विमर्श हुआ और क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) रेलवे को इससे कितनी सहायता मिली है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख). यातायात की सम्भावनाओं और रेलों के निवेश कार्यक्रमों पर विचार-विमर्श करने के लिए योजना आयोग द्वारा आर्थिक मंत्रालयों और रेलवे बोर्ड के साथ आवधिक बैठकें आयोजित की जाती हैं। हाल में, इन विचार-विमर्श के फलस्वरूप, चौथी योजना की यातायात सम्बन्धी सम्भावनाओं का संशोधन करके 2650 लाख से 2405 लाख मीटरिक टन कर दिया गया है और 1970-71 के वर्ष की यातायात सम्बन्धी सम्भावनाओं को 2115 लाख से कम करके 2059 लाख मीटरिक टन कर दिया गया है।

(ग) रेलों के आगामी निवेश कार्यक्रम यातायात के संशोधित पूर्वानुमानों को ध्यान में रख कर बनाये जाते हैं।

नीलाम्बूर रोड से मैसूर तक (दक्षिण रेलवे) नई रेलवे लाइन का निर्माण

1042. **श्री ई० के० नायनार** : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नीलाम्बूर रोड से मैसूर तक एक नई रेलवे लाइन का निर्माण करने का है, और

(ख) यदि हां, तो उस रेलवे लाइन के लिए सर्वेक्षण कार्य कब किया जायेगा ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख). धन के अभाव और यातायात सम्बन्धी पर्याप्त औचित्य न होने के कारण नीलाम्बूर रोड से मैसूर तक लाइन बनाने के बारे में विचार करना सम्भव नहीं है।

पश्चिम रेलवे के नैमित्तिक तथा अस्थायी कर्मचारियों की मांगें

1043. **श्री ई० के० नायनार** : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें 2 अगस्त, 1970 को पश्चिम रेलवे के नैमित्तिक तथा अस्थायी कर्मचारियों की ओर से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था; और

(ख) यदि हां, तो कर्मचारियों की मांगें क्या हैं तथा प्रत्येक मांग को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) जी हां।

(ख) इन पर विचार किया जा रहा है और एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया जायेगा ।

दिल्ली-रेवाड़ी रेलवे लाइन (उत्तरी रेलवे) पर जनता एक्सप्रैस रेलगाड़ी का पटरी से उतर जाना

1044. **श्री एस० एस० कृष्ण :**

श्री केदारनाथ सिंह :

श्री यमुना प्रसाद मंडल :

क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अक्तूबर, 1970 के अन्तिम सप्ताह में दिल्ली-रिवाड़ी रेलवे लाइन पर एक जनता एक्सप्रैस रेलगाड़ी पटरी से उतर गई थी;

(ख) यदि हां, तो उसके परिणामस्वरूप जान तथा माल की अनुमानित कितनी हानि हुई; और

(ग) क्या सरकार ने इस दुर्घटना की जांच का आदेश दे दिया है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) दुर्घटना 22-10-1970 को हुई ।

(ख) इस दुर्घटना में दो व्यक्ति मारे गये । रेल सम्पत्ति को लगभग 78,800/- रुपये की क्षति पहुंचने का अनुमान है ।

(ग) लखनऊ स्थित रेल संरक्षा के अपर आयुक्त ने इस दुर्घटना की विधिक जांच की थी । उनके अन्तिम निष्कर्ष के अनुसार इस दुर्घटना का कारण यह था कि किसी अज्ञात व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा रेल पथ के साथ अनधिकृत रूप से छेड़छाड़ की गई थी ।

ईराक के रेगिस्तानी क्षेत्र में रेलवे लाइन का निर्माण

1045. **श्री एस० एम० कृष्ण**: क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय रेलवे इंजीनियर्स के एक दल ने ईराक के रेगिस्तान क्षेत्र में रेलवे लाइन का निर्माण करने की एक योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो क्या उस योजना को इस बीच ईराक की सरकार को प्रस्तुत कर दिया गया है; और

(ग) तो इस पर उस सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क), (ख) और (ग). ईराकी सरकार के प्रतिनिधि मण्डल के साथ जनवरी, 1970 में हुई बातचीत के आधार पर भारतीय रेलवे विशेषज्ञों के पर्यवेक्षण और क्षेत्रदल

ईराक गये थे और उस देश में बगदाद से साइबाह तक 404 किलोमीटर लम्बी रेलवे लाइन का व्यावहारिकता-एवं-लागत अध्ययन किया था। अध्ययन रिपोर्ट हाल ही में ईराक सरकार को पेश की गयी है। अध्ययन रिपोर्ट के सम्बन्ध में ईराकी सरकार की प्रतिक्रिया प्राप्त होने के बाद, पारस्परिक मान्य शर्तों के आधार पर परियोजना के निष्पादन में भारत के भाग लेने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा।

भारी इञ्जीनियरिंग निगम के अध्यक्ष का स्थानान्तरण

1046. **श्री बाबू राव पटेल :** क्या **इस्पात तथा भारी इञ्जीनियरिंग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारी इंजीनियरिंग निगम, रांची के भूतपूर्व अध्यक्ष (श्री चलपति राव) ने निगम की सेवा में रहने का विकल्प निर्धारित समय से काफी पहले दे दिया था, मगर फिर भी उन्हें दायित्वों के संभालने के 2 वर्षों से भी कम की अवधि के अन्दर रेलवे मंत्रालय को वापस भेज दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात तथा भारी इञ्जीनियरिंग मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, हां।

(ख) कारखाने के समस्त हित को ध्यान में रखते हुए यह निश्चय किया गया कि उन्हें रेलवे के अपने मूल संवर्ग में वापस भेज दिया जाय।

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान मद्यनिषेध कार्यक्रम

1047. **श्री राजदेव सिंह :** क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान मद्यनिषेध के कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में प्रदर्शनियां आयोजित करने का सरकार का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य-मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) से (ग). सूचना राज्य सरकारों। संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से एकत्रित की जा रही है तथा प्राप्त होते ही उसे सभा-पटल पर रख दिया जाएगा।

जापानी सहयोग से स्कूटरों का निर्माण

1048. **श्री राजदेव सिंह :** क्या **औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर-सरकारी क्षेत्र में कम लागत के स्कूटरों का उत्पादन करने के लिए भारत के साथ सहयोग करने में जापानी निर्माताओं ने काफी रुचि दिखाई है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) तथा (ख). हाल में तो गैर-सरकारी क्षेत्र की किसी पार्टी से जापानी सहयोग से स्कूटरों के बनाने के लिए कोई ठोस प्रस्ताव प्राप्त हुआ नहीं है। अभी तक किसी भी जापानी निर्माता से भारत में स्कूटरों के उत्पादन के सहयोग में रुचि दिखाते हुए लिखित पत्राचार नहीं हुआ है। परन्तु वार्तालाप में कुछ जापानी निर्माताओं द्वारा मोटर साइकिल तथा स्कूटर बनाने में सहयोग करने में सामान्य रुचि दिखाई है। एक परीक्षित डिजाइन वाले स्कूटरों के बनाने हेतु सरकारी क्षेत्र में परियोजना की स्थापना के सम्बन्ध में नई दिल्ली स्थित जापानी दूतावास तथा तोक्यो में अपने दूतावास के माध्यम से जापानी निर्माताओं से अनुरोध किया गया है कि वे सहयोग सम्बन्धी अपने ठोस प्रस्तावों को, यदि कोई है, प्रस्तुत करें। उत्तर की प्रतीक्षा है।

पश्चिम निवाड़ (मध्य प्रदेश) में प्लाईवुड का कारखाना

1049. **श्री शशि भूषण** : क्या **औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार** मंत्री पश्चिमी निवाड़ (मध्य प्रदेश) में प्लाईवुड के कारखाने के बारे में 18 अगस्त, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3121 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूछी गई जानकारी इस बीच एकत्रित कर ली गई है;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं, और अपेक्षित जानकारी एकत्रित करने में अभी कितना समय लगेगा ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) से (ग). सरकार का पश्चिम निमाड़ (मध्य प्रदेश) में प्लाईवुड का कारखाना स्थापित करने का इस समय कोई विचार नहीं है।

बैलाडिला, मध्य प्रदेश में इस्पात कारखाने की स्थापना

1050. **श्री शशि भूषण** : क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री बैलाडिला में डीज़ल कारखाने की स्थापना के बारे में 28 जुलाई 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 334 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बैलाडिला, मध्य प्रदेश में इस्पात कारखाना स्थापित न करने के बारे में क्या मुख्य आपत्तियाँ हैं;

(ख) एक विशेष इस्पात कारखाने को एक विशेष स्थान पर स्थापित करने के लिए क्या मुख्य मापदण्ड अपनाया जाता है; और

(ग) क्या बैलाडिला में इस्पात कारखाना स्थापित करने के बारे में मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ जिले की जनता की मांगों पर सरकार का विचार अब भी विचार करने का है और इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कब तक किया जाएगा ?

इस्पात तथा भारी इञ्जीनियरिंग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) चौथी योजना अवधि में बैलाडिला को इस्पात कारखाने की स्थापना के लिए न चुनने का यह अर्थ नहीं है कि इस समय वहाँ इस्पात का कारखाना लगाने में कोई विशेष आपत्ति है । इसका केवल यह अर्थ है कि वर्तमान सन्दर्भ में जो अन्य तीन स्थान चुने गये हैं वे अधिक उपयुक्त हैं ।

(ख) इस्पात कारखाने की स्थापना के लिए मुख्य मानदण्ड निम्नलिखित हैं :—

(क) यह स्थान कच्चे माल के स्रोतों से निकट होना चाहिए और यहाँ यातायात की सुविधाएँ होनी चाहिए ।

(ख) यह स्थान इस्पात की खपत के क्षेत्रों में होना चाहिए ।

(ग) यहाँ पावर, जल और परिवहन की सुविधाएँ उपलब्ध होनी चाहिए ।

(घ) क्षेत्र का सामान्य विकास होना चाहिए विशेषतः इस क्षेत्र में कुशल कामगार मिलने चाहिए ।

(ङ) यह स्थान ऐसा होना चाहिए जहाँ पर उद्योगों का अधिक जमाव न हो ।

(च) यह स्थान बन्दरगाह के निकट होना चाहिए ताकि देश में कोकिंग कोयले के सीमित भंडार होने के कारण इसकी मात्रा को बढ़ाने के लिए इसका आयात किया जा सके और कच्चे लोहे/इस्पात का निर्यात किया जा सके ।

(ग) जैसा कि प्रधान मंत्री ने 17 अप्रैल को अपने वक्तव्य में बताया था दक्षिण में तीन नये इस्पात कारखानों की स्थापना के निर्णय का यह अर्थ कदापि नहीं है कि अगली योजना अवधियों में देश में अन्य उपयुक्त स्थानों में, जिनमें बैलाडिला भी शामिल है, नये इस्पात कारखाने नहीं लगाये जाएंगे ।

केरल का औद्योगीकरण

1051. **श्री पी० विश्वम्भरन** : क्या **औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास केरल के औद्योगीकरण के लिए कोई योजना है, और

(ख) क्या उसके क्रियान्वयन के लिए चौथी पंचवर्षीय योजना में कोई विशिष्ट प्रावधान किया गया है ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) और (ख). पंचवर्षीय योजनाओं के औद्योगिक आयाम में सरकार ने सदैव ही केरल राज्य की आवश्यकता तथा विभव का ध्यान रखा है। अब तक केरल राज्य में सात केन्द्रीय औद्योगिक परियोजनाओं को लगाया जा चुका है। ये हैं :—

डी० डी० टी० कारखाना, अलुवाय; रेयर अर्थ फ़ैक्टरी, अलुवाय; फैक्ट, अलुवाय; मशीन टूल फैक्टरी, कलमाश्शेरी; कोचीन रिफाइनरी, कोचीन; कोचीन शिपयार्ड; कोचीन तथा कोचीन फर्टिलाइजर्स, कोचीन।

चतुर्थ योजना अवधि में स्थापित होने वाली केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजनाएँ जिनमें केरल में स्थापित होने वाली योजनाएं भी सम्मिलित हैं, चतुर्थ योजना प्रलेख के पृष्ठों 326 से 330 में दी गई है। चतुर्थ योजना में केरल में केन्द्रीय क्षेत्र में बड़े तथा मध्यम उद्योगों में कुल विनियोजना अनुमानतः 54 करोड़ रु० किए जाने की आशा है। इसी में राज्य द्वारा प्रायोजित परियोजनाओं त्रावणकोर टिटानियम के विनियोजन में 1.9 करोड़ रुपया तथा केरल प्लांटेशन कारपोरेशन के विनियोजन में 2 करोड़ रु० का केन्द्रीय सरकार का अंश भी सम्मिलित है। ये आंकड़े केरल में प्रस्तावित अखबारी कागज के कारखाने में होने वाले विनियोजन के अतिरिक्त है जिसके लिए कागज निगम के अन्तर्गत प्रावधान कर दिया गया है। चतुर्थ योजना अवधि में केरल में राज्य क्षेत्र में बड़े तथा मध्यम उद्योगों के लिए स्वीकृत परिव्यय अनुमानितः 10.25 करोड़ रुपये है।

छुट-पुट चोरियों से हुई रेलवे को हानि

1052. **श्री न० कु० सांघी :**

श्री हेम बरुआ :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले 6 महीनों में छुट-पुट चोरियों से रेलवे को कितनी हानि हुई है;

(ख) चोरियों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) 1-4-70 से 30-9-70 तक की अवधि में भारतीय रेलों को चोरी के कारण लगभग 81,69,827/-रुपये की हानि हुई है।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

चोरी करने के लिए निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :—

(i) पैकेजों का उचित ढंग से पैक करने और मार्का लगाने तथा माल डिब्बों पर लेबुल

लगाने और सम्बद्ध-प्रेलेखों को उनके साथ अच्छी तरह बाँधने पर बल दिया जा रहा है, ताकि डिब्बों को भटक जाने से और ठेकेदारों के मजदूरों द्वारा माल चढ़ाये-उतारे जाते समय डिब्बों में से माल की उठाईगीरी को रोका जा सके ।

(ii) चोरी आदि रोकने के लिए माल डिब्बों में उपयुक्त रिबट लगाना और कीमती माल ले जाने वाले माल डिब्बों में ई० पी० ताले लगाना ।

(iii) सामानयानों और पार्सलयानों में ताला लगाना ।

(iv) जहाँ अपेक्षित हो, निभार की व्यवस्था के लिए आग्रह करना, विशेष रूप से ऐसे मामलों में जहाँ पूरे माल डिब्बों में चीनी, अनाज, दाल और तिलहन लदे हों ।

(v) अज्ञात कारणों से होने वाली हानि/उठाईगीरी को रोकने के लिए कुछ चुने हुए स्टेशनों पर कुछ चुने हुए माल के सम्बन्ध में पैकेजों की लदाई और उतराई पर कड़ी निगाह रखना ।

(vi) भेद्य खण्डों में, खुले माल डिब्बों में कीमती माल/अनाज ले जाने वाली मालगाड़ियों के साथ सशस्त्र रेलवे सुरक्षा दल के कर्मचारियों का पहरा ।

(vii) भेद्य और बड़े यार्डों में सशस्त्र रेलवे सुरक्षा दल के कर्मचारियों और कुत्ता-दस्तों द्वारा गश्त ।

(viii) अपराधियों और चुरायी गयी सम्पत्ति रखने वालों का पता लगाने और उन्हें गिरफ्तार करने और चुरायी गयी सम्पत्ति को बरामद करने के लिए, छापे मारने के उद्देश्य से क्षेत्रीय रेलों के अपराध आसूचना कर्मचारियों तथा रेलवे बोर्ड के केन्द्रीय अपराध ब्यूरो के कर्मचारियों को तैनात करना ।

(ix) अपराधियों और चुरायी गयी सम्पत्ति रखने वालों तथा अपराधियों के साथ साँठ-गाँठ रखने वाले रेल कर्मचारियों के विरुद्ध कारगर कार्यवाई करने के लिए रेलवे सुरक्षा दल और रेलवे पुलिस तथा स्थानीय पुलिस के बीच विभिन्न स्तरों पर निकट समन्वय रखना ।

(x) चोरी और उठाईगीरी के विरुद्ध अखिल भारतीय अभियान संगठित करना और माल डिब्बों के पेनल काटने और माल डिब्बों की दीवार छेदने की घटनाओं के विरुद्ध अभियान चलाना ताकि इस शरारत का पता लगाया जा सके जो उठाईगीरी का मुख्य कारण है और माल डिब्बो की शीघ्र मरम्मत करना ।

1970 में लाइसेंसों का जारी किया जाना

1053. **श्री वी० नरसिम्हा राव :** क्या **औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1970 के दौरान औद्योगिक उपक्रमों को कुल कितने नये लाइसेंस दिये गये;

(ख) उन लाइसेंसों के अन्तर्गत किन-किन वस्तुओं का उत्पादन होगा;

(ग) उक्त अवधि के दौरान कुल कितने लाइसेंस निरसित किए गए हैं; और

(घ) विभिन्न उपक्रमों द्वारा कुल कितने लाइसेंस वापिस किए गए हैं ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) और (ख). 31 अगस्त 1970 तक कुल 197 औद्योगिक लाइसेंस तथा 307 आशय पत्र जारी किये गए हैं। इन लाइसेंसों तथा आशय पत्रों का विवरण जिसमें उत्पादन किये जाने वाली वस्तुएँ भी सम्मिलित हैं अनेक सावधिक जनरलों में दिया जाता है जैसे वीकली बुलैटिन आफ इन्डस्ट्रियल लाइसेंसेज, इम्पोर्ट लाइसेन्सेज एण्ड एक्सपोर्ट लाइसेन्सेज, दी वीकली इण्डियन ट्रेड जनरल तथा मंथली जनरल आफ इन्डस्ट्री एण्ड ट्रेड। इन प्रकाशनों की प्रतियां संसद पुस्तकालय को प्रेषित की जाती हैं।

(ग) और (घ). 1970 (अगस्त तक) में 23 लाइसेन्स प्रतिसंहृत किये गये तथा 9 वापिस किये गये।

राजस्थान में बड़े उद्योग स्थापित करने की मांग

1054. **श्री वि० नरसिम्हा राव** : क्या **औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने केन्द्र से जोरदार अनुरोध किया है कि वहां पर सरकारी क्षेत्र में बड़े उद्योग स्थापित किये जायं क्योंकि उस राज्य में खनिज क्षमता तथा विद्युत की उपलब्धता है।

(ख) केन्द्र के पास कुल कितने आवेदन पत्र अनिर्णीत हैं, और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) से (ग). राजस्थान में सरकारी अथवा गैर-सरकारी दोनों ही क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के उद्योगों की स्थापना की प्रार्थनाएं राजस्थान सरकार से समय-समय पर प्राप्त होती रही हैं। खेतरी तांबा परियोजना तथा अजमेर स्थित मशीनी यंत्रों के संयंत्र जिन का कार्यान्वयन किया जा रहा है कि पूर्ति के लिये चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में प्रावधान किया गया है। उदयपुर में जस्ते के गलाने की संयंत्र की क्षमता को दुगना करने के लिये भी प्रावधान किया गया है। पाइराइट तथा राक सल्फेट के भण्डारों पर आधारित उर्वरक कारखाने की स्थापना के प्रस्ताव पर इन खनिजों के भण्डारों को व्यावसायिक दृष्टि से पर्याप्त सिद्ध होने पर किया जायेगा। जहां तक लाइसेन्सों के लिये प्राप्त आवेदनों का संबंध है, 31 दिसम्बर, 1969 तक प्राप्त पांच आवेदन तथा 30 दिसम्बर 1970 तक प्राप्त 54 आवेदन अनिर्णीत हैं।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के स्थापन स्थल का निर्णय करते समय आर्थिक तथा तकनीकी विचारों को ध्यान में रखा जाता है और इन विचारों को ध्यान में रखते हुए राजस्थान में स्थापना के प्रस्तावों पर निश्चित रूप से विचार किया जायेगा। राज्य में औद्योगीकरण की स्थिति पर तथा सामान्य लाइसेंस नीति के अधीन राजस्थान में उद्योगों की स्थापना के गैर-सरकारी क्षेत्र से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार किया जायेगा।

भारी बिजली उपकरण बनाने वाले उद्योग के लिए संयुक्त एजेंसी

1055. **श्री नि० रं० लास्कर**

श्री सामिनाथन् :

श्री नारायणन :

क्या **औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने सरकारी क्षेत्र तथा गैर-सरकारी क्षेत्र में भारी बिजली उपकरणों के निर्माताओं से यह अनुरोध किया है कि उद्योग के हितों के संरक्षण के लिए एक संयुक्त एजेंसी की स्थापना करें;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सुझाव को क्रियान्वित किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) से (ग). भारी बिजली उद्योगों की परिषद् की 32 वीं बैठक का उद्घाटन करते हुए औद्योगिक विकास तथा आंतरिक कार्य मंत्री के राज्यों, वित्तीय संस्थाओं, सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के कारखानों के बीच पहले से अधिक सहयोग की संभावना के बारे में कहा था ताकि बिजली पैदा करने तथा उसका वितरण करने के उपकरणों की देश में विद्यमान बड़ी मांग की पूर्ति के लिए मिला-जुला प्रयास किया जा सके। कोई नया प्राधिकरण स्थापित करने के बारे में कोई सुझाव नहीं था।

Acknowledgement Letters Regarding Recommendations of Elayaperumal Committee Sent to State Governments

1056. Shri Molahu Prashad : Will the Minister of **Law and Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether a copy each of the acknowledgement letters sent by the various State Governments to whom relevant portions from the recommendations of the Elayaperumal Committee on Untouchability and Economic and Educational Development of the Sheduled Castes and Scheduled Tribes were sent, will be laid on the Table of the House; and

(b) if so, the time by which these would be laid on the Table of the House ?

The Minister of State in the Ministry of Law & in the Department of Social Welfare (Shri Jagannath Rao) : (a) All the State Governments and Union Territory Administrations except Bihar, Nagaland and Manipur have acknowledged the receipt of the report. The said report relates to Scheduled Castes only.

(b) Letters of acknowledgement when received from all the State Governments Manipur will be laid on the Table of the House.

Stoppage of Express/Mail trains at Chauri Chaura (North Eastern Railway)

1057. Shri Molahu Prashad : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact, as reported in the "Aj" dated the 2nd October, 1970, arrangement has not been made to stop any Express or Mail train at Chauri Chaura a big trading centre of Gorakhpur District.

(b) whether it is also a fact that no consideration is being given to the said matter, as this area has not been represented on the Railway Time Table Committee; and

(c) if so, the action being taken to remedy the situation ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) Yes.

(b) On the Zonal Railway Time Table Committee of North Eastern Railway, representation is given to the members elected by Zonal and DivisionalRailway Users Consultative Committees, Members of Parliament nominated on the Zonal Railway Users Consultative Committee, a representative of the State Government of Bihar and important Passenger Associations. Representation on the Time Table Committee is not given area-wise.

(c) Does not arise.

Demands of Employees of CACO Working in Cement Corporation of India

1058. Shri Molahu Prashad : Will the Minister of **Industrial Development and Internal Trade** be pleased to state :

(a) whether there is great resentment among the employees drawn from the Cement Allocation Coordinating Organisation into the Cement Corporation of India for want of adequate pay-scales, bonus and other facilities;

(b) Whether Government intend to accept the legitimate demands of the said employees; and

(c) If so, when and if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development And Internal Trade (Shri M. R. Krishna) : (a) to (c) When the administration of distribution of cement was taken over by the Cement Corporation of India from the Cement Allocation and Coordinating Organisation with effect from Ist January 1968, such of those employees of the latter Organisation who were likely to be retrenched as surplus and were willing to continue their employment in the control division of the Cement Corporation of India were appointed a fresh, more or less,

on the same terms as were admissible to them under the Cement Allocation & Coordinating Organisation on contracts, for a period of one year in the first instance which have been subsequently extented on an year to year basis with the continuance of the Cement Control Order. The question of giving them scales of pay, etc., comparable with those of the staff of the Cement Corporation will be considered on merits if it appears that their employment will be prolonged.

गैर सरकारी स्थायी स्वैच्छिक सहायता समिति की स्थापना के बाद रेलवे में सुधार

1059. **श्री एन० शिवप्पा** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "गैर-सरकारी स्थायी स्वैच्छिक सहायता समिति" की स्थापना के बाद से रेलवे में क्या सुधार हुआ है; और

(ख) अब तक के खर्चे का ब्यौरा क्या है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) इनमें से अधिक महत्वपूर्ण सुधार निम्नलिखित से सम्बन्धित हैं :—

(i) यात्री सुविधाएँ, विशेषत: वे जो तीसरे दर्जे के यात्रियों को दी जाती हैं। उनमें से रौशनी, पीने के पानी और सफाई व्यवस्था में सुधार पर विशेष ध्यान दिया गया;

(ii) गाड़ियों का समय-पालन;

(iii) आरक्षण और टिकट जारी करने की समुचित प्रणाली;

(iv) खान-पान की व्यवस्था को युक्तिसंगत बनाना;

(v) रेल संचालन के विभिन्न क्षेत्रों में मितव्ययिता;

(vi) चोरी और उठाईगीरी आदि नुकसानों को रोकना;

(vii) आकर्षक और प्रतियोगितापूर्ण माल परिवहन और पारवहन में तथा टर्मिनल स्टेशनों पर कदाचार को दूर करना;

(viii) जनता की शिकायतों और कर्मचारियों की मांगों पर तुरन्त ध्यान देना;

(ix) कर्मचारियों की बस्तियों में सुविधाएँ;

(x) सामान्य कुशलता और सुधार।

(ख) (i) 1,250/ रुपये प्रतिमास की समेकित दर पर 22-6-70 से 31-10-70 की अवधि के लिए गैर-सरकारी स्थायी

स्वैच्छिक सहायता समिति के सदस्य सचिव को दिया गया मान देय आदि	5,375.00 रुपये
(ii) दो सहायकों, एक उच्च श्रेणी लिपिक, एक निम्न श्रेणी लिपिक और एक स्टेनो-टाइपिस्ट का 1-7-70 से 31-8-70 तक का वेतन और भत्ता	4,854.00 रुपये
(iii) एक स्टेनोग्राफर और एक निम्न श्रेणी लिपिक का 1-9-70 से 31-10-70 तक का वेतन और भत्ता	1,632.00 रुपये
जोड़	11,861.00 रुपये

विभिन्न संस्थाओं को सभी मार्गों के लिए मानार्थ रेलवे पास देना

1060. **श्री एन० शिवप्पा** : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन संस्थाओं के नाम क्या हैं जिनको वर्ष 1969-70 में सभी मार्गों के लिए मानार्थ रेलवे पास की सुविधा दी गई थी; और

(ख) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति है ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) अनुबंध "क" के रूप में एक विवरण संलग्न है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4290/70]**

(ख) गैर रेल कर्मचारियों/संगठनों या अत्यन्त प्रतिष्ठित व्यक्तियों को सीमित संख्या में मानार्थ पास दिये जाते हैं ताकि उन्हें राष्ट्रीय हित के ऐसे काम करने में सुविधा हो जिनमें इस तरह की सरकारी सहायता मानवतापूर्ण या सामाजिक अथवा सांस्कृतिक महत्व के कार्यों के लिए आवश्यक समझी जाती है और जिनमें स्वैच्छिक संगठन/व्यक्ति की गतिविधियों का क्षेत्र इस दिशा में सरकारी गतिविधियों के क्षेत्र से अधिक विस्तृत हो।

लेकिन, हाल में उपर्युक्त नीति पर विचार किया गया है और सरकार ने मुख्यतः ग्यारह-सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में और ऐसे संगठनों/संस्थाओं का मानार्थ पास देने का निश्चय किया है जो रेलों के सुचारु संचालन में उपयोगी सहायता दे सकते हैं।

प्रधान मन्त्री के निवास स्थान पर मेरठ (उ० प्र०) के हरिजनों का धरना

1061. **श्री श्रीचन्द गोयल** :

श्रीमती सुशीला रोहतगी :

क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिला मेरठ (उत्तर प्रदेश) के एक गांव के हरिजनों ने 14 अक्तूबर, 1970 को प्रधान मन्त्री के निवास-स्थान के सामने धरना दिया था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे;

(ग) क्या सवर्ण हिन्दुओं द्वारा उनका सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

विधि मन्त्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) और (ख). पिछले अगस्त मास में मेरठ जिले के कानिया कल्याणपुर गांव से बहुत से हरिजन प्रधान-मन्त्री की कोठी पर आए थे और उनसे मिल कर उन्होंने अपनी शिकायतें बताई थीं।

(ग) और (घ). जिला मजिस्ट्रेट द्वारा इस मामले में की गई जांच से पता चला है कि हरिजनों द्वारा की गई अधिकतर शिकायतें, जिनमें सवर्ण हिन्दुओं द्वारा सामाजिक बहिष्कार की शिकायत भी शामिल है, बेबुनियाद थीं। उनकी उचित शिकायतों को दूर करने के लिए राज्य सरकार ने अलबत्ता कदम उठाए हैं।

लोक-सभा तथा राज्य-सभा उप-निर्वाचनों का कराया जाना

1062. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लोक-सभा और राज्य-सभा में कितने स्थान खाली हैं;

(ख) क्या निर्वाचन आयोग ने इन स्थानों को भरने के लिए उप-निर्वाचन कराने के लिए कोई कार्यक्रम तैयार किया है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

विधि मन्त्रालय और समाज कल्याण विभाग के राज्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव) :

(क) लोक-सभा.....दो

राज्य-सभा.....दो

(ख) और (ग). राज्य-सभा के लिए उप-निर्वाचनों के कार्यक्रम को उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों को विधान सभाओं के आगामी सत्र की तारीखें मालूम होते ही अन्तिम रूप दे दिया जाएगा।

तेजपुर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के मामले में, उप-निर्वाचन के लिए अन्तिम कार्यक्रम इस प्रकार है :

(1) अधिसूचना की तारीख—	22-12-70 (मंगलवार)
(2) नामनिर्देशन करने के लिए अन्तिम तारीख—	29-12-70 (मंगलवार)

(3) संवीक्षा की तारीख— 30-12-70 (बुधवार)

(4) अभ्यर्थिता वापिस लेने की अन्तिम तारीख— 2-1-71 (शनिवार)

(5) मतदान की तारीख— 24-1-71 (रविवार)

(6) समाप्ति की तारीख— 5-2-71 (शुक्रवार)

मध्यप्रदेश में 13-विलासपुर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र में, जिसमें रिक्ति श्री अमरसिंह सैंगल, संसद सदस्य की मृत्यु होने पर 17 सितम्बर, 1970 को हुई थी, उप-निर्वाचन का कार्यक्रम राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के परामर्श से तैयार किया जा रहा है।

चण्डीगढ़ रेलवे स्टेशन के सुधार के लिए स्वीकृत राशि

1063. **श्री श्रीचन्द गोयल :** क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चण्डीगढ़ रेलवे स्टेशन के सुधार के लिये कितनी राशि मंजूर की गई है;

(ख) क्या सुधार चालू वर्ष में किया जायेगा; और

(ग) किन मुख्य चीजों में सुधार किये जाने की संभावना है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) अनुमानित लागत लगभग 7.51 लाख है।

(ख) जी हां। यह काम चालू वित्तीय वर्ष में हाथ में लिया जा रहा है लेकिन मार्च, 1972 तक इसके पूरा हो जाने की आशा है।

(ग) निम्नलिखित सुविधाओं के साथ स्टेशन की एक नयी इमारत बनाने का विचार है :—

(i) उच्च श्रेणी के टिकटघर और आरक्षण कार्यालय।

(ii) तृतीय श्रेणी के टिकटघर और आरक्षण कार्यालय।

(iii) पुरुषों और महिलाओं के लिए उच्च श्रेणी के प्रतीक्षालय जिनमें सेनिटाइज़्ड स्नान-घर होंगे।

(iv) विश्रामालय।

(v) खुले प्रतीक्षालय और प्रांगण।

(vi) सेनिटाइज़्ड शौचालय और स्नान-गृह।

(vii) चाय का स्टाल।

(viii) सामान और अमानती सामान-घर।

(ix) आवक और जावक पार्सल कार्यालय।

(x) व्यापारियों के लिए प्रतीक्षालय।

(xi) रेल-डाक व्यवस्था के लिए स्थान।

(xii) स्टेशन कर्मचारियों के लिए अन्य स्थान ।

(xiii) प्लेटफार्म पर छतदार स्थान की व्यवस्था ।

Request For Transfer of Certain Employees of Hapur Sub-Division (Northern Railway)

1064. Shri Bharat Singh Chauhan :

Shri Bansh Narain Singh :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Divisional Superintendent, Moradabad has received a letter from the Superintendent of Police, Moradabad wherein it has been requested that some persons may be transferred from the Hapur Sub-Division to some other place as otherwise there is a possibility of breach of peace there;

(b) if so, whether it is also a fact that the Divisional Superintendent, Moradabad has not taken any action thereon as the persons concerned are Union office-bearers; and

(c) if so, the action being taken in this regard ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) to (c). There have been references regarding the transfer of two employees, one a Union office-bearer and the other who was a Union office-bearer till recently. The Railway Administration has decided that one of the employees should be transferred, and the other need not be transferred for administrative reasons.

Manufacture of Tractors by H. M. T.

1065. Shri Maharaj Singh Bharti : Will the Minister of **Industrial Development and Internal Trade** be pleased to state :

(a) the further progress made in manufacturing Zetor Tractors in the Pinjore unit of the Hindustan Machine Tools Ltd;

(b) the time by which the first Zetor Tractor would be made available in the market and the price thereof;

(c) the production target fixed for the said unit; and

(d) the time by which cent percent indigenous parts would be utilised in the manufacture of these tractors ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development and Internal Trade [Shri M. R. Krishna] : (a) Provisional approval to the terms of foreign collaboration proposed by the company has been accorded. Their collaborators are expected to come to India shortly to sign the agreement. They have also advertised their requirements of imported plant and equipment in the Indian Trade Journal and on the basis of offers received from Indigenous Suppliers, they would be submitting their application for capital goods licence.

(b) Preparation of the Detailed Project Report will be taken up after the foreign collaboration agreement has been signed. The selling price of the tractor can be estimated

only after the Detailed Project Report is ready. It is difficult to indicate at this stage the precise date by which the first HMT made ZETOR tractor will be available in the market.

(c) The letter of intent has been granted to the company for a capacity of 12,000 tractors per annum.

(d) It has been stipulated in the letter of intent issued to the company that they should achieve an indigenous content of as near to 100% as possible within three years.

To Be Answered On The 17th. November, 1970

Agreement With A Japanese Firm For Production Of Power Tillers

1066. Shri Maharaj Singh Bharti : Will the Minister of **Industrial Development and Internal Trade** be pleased to state :

(a) the name of the Indian firm which concluded an agreement with a power tiller company of Japan and the date of conclusion of this agreement as well as the progress made in the production of these power tillers so far;

(b) whether no progress has been made in production although seven years have elapsed since the agreement was signed; and

(c) if so, whether Government propose to cancel the licence issued to the firm.

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development And Internal Trade (Shri M. R. Krishna) : (a) The following firms have, with the approval of Govt., entered into collaboration agreements with the power tiller manufacturers of Japan :

Name of the Indian firm.	Name of the foreign collaborator	Date of conclusion of the agreement
1. M/s. Krishi Engines Pvt. Ltd., Hyderabad.	M/s. Akitu Sangyo Co.	24.1,1964
2. M/s. VST Tillers Tractors Ltd,, Bangalore.	M/s. Mitsubishi Heavy Industries Ltd., Japan.	12.1,1966
3. M/s. J. K. Satoh Ag.icultural Machine, Kanpur.	M/s. Satoh Agrl. Machinery Mfg. Co. of Japan & M/s. Shumitomo Shoji Kaishu Ltd., Japan.	12.1.1968
4. M/s. Indequip Engineering Ltd., Ahmedabad.	M/s. Iseki Agrl. Machinery Mfg. Co. of Japan.	30.6.1969

Of these firms, M/s. Krishi Engines Pvt. Ltd., Hyderabad are in production since 1965. It is expected that M/s. VST tillers and Tractors Ltd., Bangalore may go into production during 1971. M/s. J.K. Satoh Agricultural Machines, Kanpur have applied for extension of validity of their industrial licence till 30.6.1970. Their request is under consideration.

Following the decision in February, 1970 to bring the Power Tiller industry back under the licensing provisions of the Industries (Development & Regulation) Act 1951, M/s.

Indequip Engineering Ltd., have submitted an application for the grant of an industrial licence Their application is, at present, under examination.

(b) As stated above, the firm which concluded the agreement with their Japanese Collaborators about seven years ago are already in production.

(c) Does not arise.

पश्चिम बंगाल में मैसर्स मार्टिन बर्न एण्ड कम्पनी की शाखाओं का बन्द किया जाना

1067. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में शाहदरा-सहारनपुर छोटी रेलवे लाइन के बन्द करने के बाद मार्टिन बर्न कम्पनी ने पश्चिमी बंगाल स्थित अपनी शाखाओं को बन्द करने का निश्चय किया है;

(ख) क्या रेलवे कर्मचारियों का एक प्रतिनिधि मण्डल प्रधानमंत्री से मिला और उन्हें अपनी कठिनाइयों से अवगत कराया है; और

(ग) यदि हां, तो प्रतिनिधि मण्डल ने क्या सुझाव दिए हैं और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया रही ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) सरकार को इस बात की जानकारी नहीं है कि पश्चिम बंगाल की दो लाइट रेलों अर्थात् हबड़ा-आमता और हबड़ा-शियाखला रेलों को बन्द करने का कोई विनिश्चय किया गया है।

(ख) जी नहीं, हाल के पटने के दौरे में प्रधान मंत्री को मार्टिन बर्न रेलों के प्रधान कार्यालय कर्मचारी यूनियन, कलकत्ता से एक ज्ञापन मिला था।

(ग) इस ज्ञापन में मार्टिन बर्न ग्रुप रेलों अर्थात् हबड़ा-आमता, हबड़ा-शियाखला, आरा-सासाराम, फतवा-इस्लामपुर और शाहदरा-सहारनपुर लाइट नामक पांच रेलों के राष्ट्रीयकरण/प्रबन्ध को अपने हाथ में लेने का सुझाव दिया गया है। विकल्पतः इन रेलों के "कामगरों की सेवा सुरक्षा" की मांग की गयी है। भारत सरकार इन लाइट रेलों के राष्ट्रीयकरण के पक्ष में नहीं है क्योंकि उनका चलाना लाभप्रद नहीं होगा और सरकारी स्वामित्व/प्रबन्ध के अधीन उनके संचालन पर होने वाला घाटा और बढ़ जायेगा। चूंकि ये प्राइवेट रेलें हैं इसलिए सरकार इनके कर्मचारियों के लिए इनकी कम्पनियों से जो इन्हें सेवा में लेती है, सेवा की सुरक्षा हासिल नहीं कर सकती। पश्चिम बंगाल सरकार से पूछा गया है कि क्या वे पश्चिम बंगाल में इन दो रेलों (अर्थात् हबड़ा-आमता और हवड़ा-शियाखला) रेलों का प्रबन्ध अपने हाथ में लेना चाहती है। भारत सरकार रेलवे कम्पनी (आपातिक व्यवस्था) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत एक अधिसूचना जारी करके, इन लाइट रेलों का प्रबन्ध पश्चिम बंगाल सरकार को सौंपा जा सकता है।

भारत, संयुक्त अरब गणराज्य और यूगोस्लाविया के बीच त्रिपक्षीय करार

1068. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :**

श्री स० मो० बनर्जी :

क्या **औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारत में औद्योगिक क्षेत्र में भारत, संयुक्त अरब गणराज्य और यूगोस्लाविया के बीच हुए त्रिपक्षीय आर्थिक सहयोग करार को उपयोग करने की चेष्टा कर रही है;

(ख) क्या इस मामले पर सितम्बर, 1970 में बेलग्रेड में बातचीत हुई थी;

(ग) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या बेलग्रेड में क्रियान्विति के लिए हुई बातचीत में कुछ विशिष्ट प्रस्तावों पर सहमति हुई थी, और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां । यूगोस्लाविया में बेलग्रेड में विचार विमर्श हुआ था ।

(ग) तथा (घ). बेलग्रेड में सितम्बर, 1970 को भारत, संयुक्त अरब गणराज्य और यूगोस्लाविया के मंत्रियों के मध्य हुए वार्तालाप में यह तय हुआ था कि तीनों देशों की मांग को पूरा करने के लिए टेलीविजन ग्लास बल्बों तथा टेलीविजन की तस्वीर ट्यूबों को बनाने के लिए दो परियोजना त्रिपक्षीय आधार पर पूर्णतः सम्भाव्य हैं । यह निश्चित हुआ था कि संबंधित उद्यमी इन दोनों परियोजनाओं के लिए छः मास के अन्दर-अन्दर विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तथा हिस्से और पुर्जों तथा तैयार उत्पाद के क्रय-विक्रय संबंधी वाणिज्य करार का प्रारूप भी तैयार करें ।

50 से 60 अश्व शक्ति व्हील्ड ट्रैक्टरों तथा स्कूटरों के बनाने से संबंधित अन्य दो परियोजनाओं की सम्भाव्यता पर विचार किया गया, इन दोनों मामलों में, त्रिपक्षीय आधार पर बनाये जाने वाले विशिष्ट माडल पर पक्का निर्णय लेने के उपरान्त ही आगे कार्यवाही की जायेगी ।

11-सूत्रीय कार्यक्रम को लागू करने के लिए स्थापित किए गये सैल की उपलब्धियां

1069. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया** : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्यारह-सूत्री कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए बनाए गए "सैल" की क्या उपलब्धियां हैं;

(ख) क्या सैल के कार्यकरण के परिणामस्वरूप ग्यारह-सूत्री कार्यक्रम को चलाने के बारे में क्षेत्रीय रेलवे को कोई जानकारी मिली है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्षेत्रीय रेलवे द्वारा क्या विशेष उपाय किए गए हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) और (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है । [**ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०** 4291/70]

(ख) जी हां,

हैवी इन्जीनियरिंग कारपोरेशन द्वारा मशीनों की सप्लाई

1070. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया** : क्या **इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन रांची द्वारा मशीनों की सप्लाई के लिए दिए गए क्रयादेशों में अधिक विलम्ब के कारण वर्तमान इस्पात संयंत्रों का विस्तार तथा भारत हैवी इलैक्ट्रोनिकल लिमिटेड आदि औद्योगिक संगठन के स्थापना अथवा विस्तार कार्यों में विलम्ब हो रहा है;

(ख) हैवी इन्जीनियरिंग कारपोरेशन पर बकाया क्रयादेशों का ब्यौरा जिसमें उनकी तिथि तथा माल भेजने की स्वीकृति तिथि सम्मिलित हो, क्या है;

(ग) हैवी इन्जीनियरिंग कारपोरेशन की प्रतिष्ठापित क्षमता की तुलना में इस समय का उत्पादन दर क्या है और कम उत्पादन के क्या कारण हैं; और

(घ) हैवी इन्जीनियरिंग कारपोरेशन कैसे और कब तक पूरा उत्पादन कर सकेगी ?

इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) यह सच है कि कुछ मामलों में भारी इन्जीनियरी निगम द्वारा उपकरणों की सप्लाई में विलम्ब हुआ है परन्तु इन देरियों के कारण वर्तमान इस्पात कारखानों के विस्तार अथवा दूसरे औद्योगिक प्रतिष्ठानों पर प्रत्यक्ष रूप से पड़ने वाले प्रभाव का सही अनुमान इस समय उपलब्ध नहीं है ।

(ख) यथासम्भव जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

(ग) अन्ततः क्षमता 1970-71 में अनुमानित उत्पादन और 1970-71 का प्रथम छः मास का उत्पादन इस प्रकार है :—

कारखाना	अन्ततः क्षमता	1970-71 में अनुमानित उत्पादन	अप्रैल-सितम्बर 70 की अवधि में अनुपाती उत्पादन	अप्रैल-सितम्बर 70 की अवधि में वास्तविक उत्पादन	
भारी मशीन बनाने का कारखाना	105,000 टन	32,500	16,250	13087	
फाउन्ड्री फोर्ज प्लाण्ट	188,240 टन	60,858	30,429	20656	
भारी उपयंत्र बनाने का कारखाना	278 संख्या	51 संख्या	25 संख्या	14 संख्या	

भारी इन्जीनियरी निगम जैसे कारखाने में उत्पादन अनिवार्यत: धीरे-धीरे बढ़ता है और प्रबन्ध और परिचालन सम्बन्धी कुशलता के क्रमिक विकास पर निर्भर करता है ।

(घ) वर्तमान अनुमानों के अनुसार भारी मशीनों के कारखाने में निर्धारित क्षमता 1974-75 में फाउण्ड्री फोर्ज प्लाण्ट में 1977-78 में और भारी उपयंत्रों के कारखाने में 1978-79 में प्राप्त होगी ।

हिन्दुस्तान स्टील लि० द्वारा दिए गए विज्ञापन

1071. **श्री रा० की० अमीन :**

श्री मृत्युंजय प्रसाद :

क्या **इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड ने अपने लक्ष्य बढ़ाने के बारे में हाल ही में एक अभियान चलाया था;

(ख) क्या प्रैस तथा जनता के प्रतिनिधियों ने इस अभियान की आलोचना की है कि ऐसा करने में आधी सचाई है अत: यह भ्रामक है;

(ग) क्या इस बारे में सरकार का ध्यान 5 अक्तूबर, 1970 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में 'एनेलाइज विफोर यू एडवरटाइज़' शीर्षक के अन्तर्गत छपे एक प्रमुख लेख की ओर दिलाया गया है; और

(घ) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, हां ।

(ख) यह कहना ठीक नहीं है कि इस अभियान की जनता तथा समाचारपत्रों ने समानरुप से आलोचना की है । अभियान का मिश्रित स्वागत हुआ है । इस अभियान की बहुत से लोगों ने सराहना भी की है । विज्ञापनों में प्रकाशित तथ्यों में कोई आधी-सचाई नहीं है ।

(ग) जी, हां ।

(घ) सरकार सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा अपने कार्यों के बारे में विज्ञापन देने के अधिकार में हस्तक्षेप नहीं करना चाहती । विशेषतया जब तथ्यों में कोई भ्रामक तथा मिथ्या वर्णन नहीं किया गया हो । सरकार को इसमें कोई शंका नहीं है कि हिन्दुस्तान स्टील लि० भविष्य में इस प्रकार की प्रचार नीति चलाते समय समाचार-पत्रों तथा जनता की टिप्पणियों को ध्यान में रखेगी ।

उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा अमान्य ठहराए गए कानून

1072. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या विधि तथा समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पहली अप्रेल, 1967 के बाद संसद् द्वारा बनाए गए नये अथवा संशोधित कानूनों के नाम क्या हैं;

(ख) उन कानूनों में से उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा किन कानूनों को अमान्य ठहराया गया तथा किन आधारों पर; और

(ग) गत तीन वर्षों में उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा किन केन्द्रीय कानूनों को पूर्णत: अथवा अंशत: अमान्य ठहराया गया, और किन आधारों पर ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) से (ग). अपेक्षित जानकारी मंगाई जा रही है और उपलब्ध होते ही दे दी जाएगी ।

फर्मों और कम्पनियों द्वारा रेलवे से रद्दी माल की खरीद

1073. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन व्यक्तियों, फ़र्मों और कम्पनियों के नाम और पते क्या हैं जिन्होंने गत तीन वर्षों में रेलवे से 5 लाख रुपये से अधिक के मूल्य का रद्दी माल खरीदा;

(ख) प्रत्येक ने कुल कितनी कीमत का माल खरीदा;

(ग) इनमें से किसी के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों का ब्यौरा क्या है और सरकार ने उन शिकायतों पर क्या कार्यवाही की;

(घ) कितने मामलों में अधिकारियों और खरीदारों के विरुद्ध कार्यवाही की गई और उन अधिकारियों और खरीदारों के नाम क्या हैं;

(ङ) मशीनों के पुराने इन्जनों तथा अन्य माल को बेचने में विलम्ब करने के क्या कारण है; और

(च) रेलवे के पास इस समय लगभग कितनी कीमत का ऐसा माल पड़ा है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) से (च). अपेक्षित सूचना के संकलन में जितना श्रम और समय लगेगा, उससे प्राप्त होने वाले परिणाम उसके अनुरूप नहीं होंगे ।

यदि माननीय सदस्य किसी विशिष्ट बिक्री के सम्बन्ध में सूचना चाहते हों, तो उसे इकट्ठा करके प्रस्तुत किया जा सकता है ।

मुकदमेबाजी पर खर्च

1074. **श्री ही० ना० मुकर्जी** : क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मुकदमेबाजी पर बढ़ते हुए खर्च का पता है; और

(ख) यदि हां, तो क्या मुकदमेबाजी पर खर्च को कम करने के लिये कोई कार्यवाही की गई है ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी हां।

(ख) मुकदमेबाजी पर खर्च को कम करने की दिशा में कोई कदम अभी तक नहीं उठाया जा सका है क्योंकि न्यायालय-फीसें बहुत अधिक हैं जिनकी मात्रा अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग है और बड़े वकीलों द्वारा भारी फीसें चार्ज की जाती हैं।

रूई के वायदा बाजार को पुनः आरम्भ करने की मांग

1075. **श्री जी० वेंकटस्वामी** : क्या **औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल संघ ने रूई के वायदा बाजार को तुरन्त पुनः आरम्भ करने की मांग की है जिससे इसका व्यवस्थित क्रय-विक्रय और उत्पादकों और उपभोक्ताओं को लाभ होना सुनिश्चित हो जाये; और

(ख) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) और (ख). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

पटना (पूर्व रेलवे) के निकट खुसरोपुर स्टेशन पर रेलगाड़ी की टक्कर

1076. **श्री जी० वेंकटस्वामी** : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 6 अक्तूबर, 1970 को पटना के निकट खुसरोपुर स्टेशन पर रेलगाड़ी की टक्कर में मालगाड़ी का चालक मारा गया था;

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) मृत के परिवार को क्षतिपूर्ति के रूप में कितना धन दिया गया ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) (ख). 6-10-1970 को खुसरूपुर स्टेशन से प्रस्थान करने के बाद एम आइ जे-43 अप मालगाड़ी जब उक्त स्टेशन के अप लूप प्रस्थान और अप अग्रिम प्रस्थान

सिगनलों के बीच गुजर रही थी तो 701 अप मालगाड़ी पीछे से आकर एम आइ जे-43 अप माल-गाड़ी के पिछले भाग से टकरा गयी। इस दुर्घटना में एम आइ जे-43 अप मालगाड़ी का गार्ड मारा गया और 701 अप मालगाड़ी के ड्राइवर और दो फायरमैनों को चोट आयी।

(ग) मृत गार्ड के आश्रितों को कर्मकार प्रतिकार अधिनियम के अंतर्गत देय क्षतिपूर्ति का भुगतान शीघ्र करने के लिए प्रबन्ध किया जा रहा है। ड्राइवर को जो कि गम्भीर रूप से घायल हो गया था और जिसका इलाज किया जा रहा है, जख्म ठीक होने पर और उसकी अशक्तता की मात्रा निर्धारित करने के बाद, अधिनियम के अन्तर्गत आवश्यक क्षतिपूर्ति का भुगतान कर दिया जायेगा।

रेलवे के माल डिब्बे बनाने वाले उद्योग में संकट की स्थिति

1077. **डा० रानेन सेन :**

श्री सरजू पाण्डेय :

क्या **औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे के माल डिब्बे बनाने वाले उद्योग को संकट की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) और (ख). वैगन निर्माताओं से इस प्रकार का अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है कि अपर्याप्त क्रयादेशों, आर्थिक दृष्टि से अलाभप्रद मूल्यों के प्रस्तावों, वैगनों को बनाने के लिए आवश्यक इस्पात तथा पहियों की कमी के कारण इस उद्योग को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। रेलवे अपनी आवश्यकताओं के अनुसार वैगन निर्माताओं को यथासंभव क्रयादेश दे रही है। इस्पात तथा पहियों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए सभी संभव सहायता दी जा रही है।

खादी बोर्डों द्वारा ऊनी वस्तुओं का निर्माण तथा सप्लाई

1078. **श्री हेमराज** : क्या **औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी बोर्डों द्वारा निर्मित ऊनी वस्तुएं उनके भाण्डागारों में पड़ी हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार ऊनी कम्बलों का निर्माण खादी उद्योग के लिए आरक्षित करने तथा सरकारी विभागों एवं सेना में उनकी सप्लाई करने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) खादी संस्थानों द्वारा तैयार की गई ऊनी वस्तुओं की सामान्य मात्रा ही भण्डार में पड़ी है।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) खादी के ऊनी कम्बल बनाने वाले उद्योगों के लिये सरकारी विभागों और सेना की सम्पूर्ण मांग को पूरा कर सकना अभी सम्भव नहीं है ।

ट्रैक्टर और कृषि उपकरणों के कारखानों की स्थापना

1079. **श्रीमती सुचेता कृपालानी** : क्या **औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1970-71 और 1971-72 में देश में ट्रैक्टरों और अन्य कृषि उपकरणों का निर्माण करने के लिये कारखाने स्थापित करने के बारे में कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो इन कारखानों की स्थापना के लिये कौन से स्थान चुने गये हैं तथा इन की स्थापना कब तक हो जायेगी; और

(ग) इस योजना के लिये कितनी निधि नियत की गई है ।

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) और (ख). ट्रैक्टरों का निर्माण करने के लिये चालू वर्ष में निम्नलिखित दो फर्मों को औद्योगिक लाइसेंस दिये गये हैं :—

फर्म का नाम	कारखाने का स्थान
1. मै० एस्कार्ट ट्रैक्टर्स लि०, फरीदाबाद (फोर्ड-46 अ० श० ट्रैक्टर, 6000 प्रतिवर्ष)	फरीदाबाद
2. मै० किलोस्कर ट्रैक्टर्स लि०, पूना (डियूज ट्रैक्टर्स 25-75 अ० श० के 4 मेकों वाले 10,000 ट्रैक्टर प्रतिवर्ष)	देवलाली (नासिक के समीप) महाराष्ट्र

इसमें अतिरिक्त, ट्रैक्टरों का निर्माण करने के लिये निम्नलिखित फर्मों को नए औद्योगिक उपक्रमों की स्थापना/पर्याप्त विस्तार करने के लिए आशय पत्र जारी किये गये हैं :—

फर्म का नाम	स्थान
1. हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि०, पिंजौर (जीटर ट्रैक्टर (20 अ०श०), 12000 सं० प्रतिवर्ष)	पिंजौर (हरियाणा)
2. राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास निगम, जयपुर (रेनाल्ट 46 अ०श०, 10,000 प्रतिवर्ष)	जयपुर/जोधपुर

3. पंजाब राज्य औद्योगिक विकास निगम, चंडीगढ़ (स्वराज्य 20/20 अ०श०), 12,000 सं० प्रतिवर्ष)	मौहारमी (चंडीगढ़)
4. मै० गाजियाबाद इन्जीनियरिंग कं० प्रा० लि०, नई दिल्ली (डी०टी० 14 बी०/25 टी० (20 अ०श०), 10,000 सं० प्रतिवर्ष)	लोनी (उ०प्र०)
5. मै० आटोमोबाइल प्राडक्ट्स आफ इण्डिया प्रा० लि०, बम्बई (बी०एस०सी० 4/25-25 अ०श०, 12,000 ट्रैक्टर प्रतिवर्ष)	प्रतापगढ़ (उ० प्र०)
6. मै० स्टेयर इण्डिया लि०, बम्बई (स्टेयर 44 अ०श० के 12,000 ट्रैक्टर प्रतिवर्ष)	बंगलौर
7. मै० कमाल ट्रैक्टर इन्जीनियरिंग इन्टरप्राइज लि०, हैदराबाद गेल्डनर (15-45 अ०श०) 4 मेकों वाले 10,000 ट्रैक्टर प्रतिवर्ष)	हैदराबाद
8. मै० भारत इन्डस्ट्रीज एन्ड कार्मशियल कारपोरेशन कलकत्ता (यू०ई०आई० 45 (45 अ०श०) 10,000 ट्रैक्टर प्रतिवर्ष)	भरतपुर (राजस्थान)
9. मै० प्रीमियर इरिगेशन इक्विपमेंट लि०, कलकत्ता (डेविड ब्रोन 55 अ०श० 6000 ट्रैक्टर प्रतिवर्ष)	सरकार से परामर्श करने के बाद निर्धारित पिछड़े हुए क्षेत्र।
10. मै० एस्कार्ट लि०, नई दिल्ली (विस्तार करके एस्कार्ट 37 (34.5 अ०श०), 9,000 ट्रैक्टर प्रतिवर्ष)	फरीदाबाद
11. मै० वाईफोर्ड प्रा० लि०, नई दिल्ली (शिबोरा 37 अ०श०, 6000 ट्रैक्टर प्रतिवर्ष)	मौहारमी (चंडीगढ़)

आशा है कि मै० एस्कार्ट ट्रैक्टर्स लि० तथा मै० किर्लोस्कर ट्रैक्टर्स लि०, 1971 में उत्पादन करना प्रारम्भ कर देंगे। इस अवस्था में यह बता सकना सम्भव नहीं है कि अन्य पार्टियाँ जिन्हें आशय पत्र जारी किये गये हैं, कब तक उत्पादन आरम्भ कर देंगी।

जहाँ तक शक्ति चालित हलों का सम्बन्ध है एक फर्म जिसे शक्ति चालित हलों का निर्माण करने के लिये औद्योगिक लाइसेंस दिया गया था कि 1971 में उसमें उत्पादन प्रारम्भ हो जाने की आशा है।

इसके अतिरिक्त, शक्ति चालक हलों का निर्माण करने के लिये नए औद्योगिक उपक्रम स्थापित करने हेतु चालू वर्ष में एक और फर्म को औद्योगिक लाइसेंस दिया गया है।

ट्रैक्टरों, शक्ति चालित हलों तथा कम्बाइन हावेस्टरों आदि का निर्माण करने के लिए औद्योगिक लाइसेंसों के हेतु कुछ और आवेदनों पर इस समय विचार किया जा रहा है।

(ग) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स को छोड़कर उपरिलिखित सभी योजनाएँ जिसके लिए सरकार

को धन आवंटित देने की आवश्यकता नहीं है गैर-सरकारी क्षेत्रों में फर्मों द्वारा कार्यान्वित की जानी है। हिन्दुस्तान मशीन टूल्स को वर्ष 1970-71 में उनकी ट्रैक्टर बनाने की योजना, को कार्यान्वित करने में होने वाले व्यय के लिये 12 लाख रुपये आवंटित किया गया है। वर्ष 1971-72 की योजना के लिये राशि आवंटित करने के प्रश्न पर अभी विचार किया जा रहा है।

बजुआ, कोसद, उतरान, उघना आदि क्षेत्रों में कार्य करने वाले कर्मचारियों के लिये मकान किराया-भत्ता

1080. **श्री सत्यनारायण सिंह :**

श्री सी० के० चक्रपाणि :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बोर्ड के पत्र संख्या पी० सी० /65/एच० आर० ए०/1/3/डब्ल्यू आर० दिनांक 12 जून, 1967 के अनुसार बजुआ, काराचिया मार्ग गुजरात तेल शोधक कारखाने की साइडिंग कोसद, उतरान तथा उघना में कार्य करने वाले कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता दिया जाता था;

(ख) क्या यह भी सच है कि उक्त भत्ता 31 जुलाई, 1967 के बाद बन्द कर दिया था और बोर्ड के पत्र संख्या पी० सी० /65/एच० आर० ए० 1/3 डब्ल्यू० आर० दिनांक 6 मार्च, 1969 के अनुसार केवल कोसद, उघना, और उतरान में कार्य करने वाले कर्मचारियों को पुनः दिया गया था;

(ग) बजुआ, किराची यार्ड गुजरात तेल शोधक कारखाने की साइडिंग में कार्य करने वाले कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता न देने के क्या कारण हैं जबकि यह भत्ता उन्हें पहले दिया जाता था; और

(घ) सरकार ने मामले को शीघ्र अन्तिम रूप देने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी हाँ, कराचिया यार्ड और गुजरात शोधक साइडिंग, उतरान और उघना सहित बाजवा के कर्मचारियों को इस मंत्रालय के 12-6-67 के पत्र सं० पी सी-65/एच० आर० ए०-1/3 (डब्ल्यू० आर०) के द्वारा 1-8-64 से 31-7-67 तक की तीन वर्ष की अवधि के लिए मंजूरी दी गयी थी। कोसद में काम करने वाले कर्मचारियों को 26-3-69 के पत्र सं० पी० सी०-65 एच० आर० ए०-1/3 (डब्ल्यू० आर०) के द्वारा 1-8-64 से 31-7-70 तक की 6 अवधि के लिए मंजूरी दी गयी थी।

(ख) मूल मंजूरी की 3 वर्ष की अवधि बीत जाने पर कोसद को छोड़कर उपर्युक्त स्टेशनों के कर्मचारियों को 31-7-67 से मकान किराया भत्ता देना बन्द कर दिया गया। सिविल प्राधिकारियों से 31-7-67 से बाद की अवधि के सम्बन्ध में उपयुक्त प्रमाण-पत्र प्राप्त हो जाने पर उतरान और उघना के सम्बन्ध में निम्नलिखित मंजूरी दी गयी :

उतरान के लिए

1-8-67 से 31-7-70 तक	बोर्ड के 26-3-69 के पत्र सं० पी सी-65/ एच० आर० ए-1/3 (डब्ल्यू आर) के द्वारा।
1-8-70 से 31-7-73 तक	बोर्ड के 4-11-70 के पत्र सं० ई (पी एण्ड ए) आई-70/एच० आर० ए-1/24 के द्वारा।

उघना के लिए

1-8-67 से 31-7-70 तक	बोर्ड के 27-9-69 के पत्र सं० पी सी-65/ एच० आर० ए-1/3 (डब्ल्यू आर) के द्वारा।

कोसद के लिए 1-8-64 से 31-7-70 तक की 6 वर्ष की अवधि की मूल मंजूरी की अब 1-8-70 से 31-3-73 तक की अवधि के सम्बन्ध में सिविल प्राधिकारियों से उपयुक्त प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर बोर्ड के 4-11-70 के पत्र सं० ई० (पी एण्ड ए) आई-70/एच० आर० ए०-1/24 के द्वारा बढ़ा दिया गया है।

(ग) और (घ). चूंकि बाजवा के सम्बन्ध में जहाँ कि करचिया यार्ड और गुजरात शोधक साइडिंग स्थिति है, 1-8-67 से बाद की अवधि के लिए सिविल प्राधिकारियों से उपयुक्त निर्भरता प्रमाण-पत्र नहीं मिल रहा था, इसलिए 31-7-67 के बाद मकान किराये भत्ते का भुगतान बन्द कर दिया गया। लेकिन 31-7-67 से बाद की अवधि के लिए सिविल प्राधिकारियों से उपयुक्त प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर बोर्ड के 16-10-70 के पत्र सं० पी सी-69/एच आर ए-1/2 के द्वारा 1-8-67 से 31-7-73 तक की अवधि के लिए मकान किराये भत्ते के भुगतान की मंजूरी दे दी गयी।

रेलगाड़ियों में यात्रियों की वृद्धि का सामना करने के लिए उठाए गए कदम

1081. **श्री चेंगलराया नायडू** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष रेलगाड़ियों में यात्रियों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या अनुमान है; और

(ग) रेलगाड़ियों में विशेषकर तीसरी श्रेणी के यात्रियों में भीड़ को खत्म करने के लिए अधिक स्थान की व्यवस्था करने हेतु क्या कार्यवाही की गयी है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी हाँ।

(ख) यह आँका गया है कि वर्ष 1970-71 के पूर्वार्द्ध में गत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में यात्री यातायात 5.75 प्रतिशत अधिक हुआ है।

(ग) गाड़ियों में स्थान की कमी आँकने के उद्देश्य से वर्ष में दो बार नियमित रूप से गाड़ियों के उपयोग की गणना की जाती है और साधनों की उपलब्धता के अनुरूप उपचारात्मक कार्रवाई की जाती है। यह एक सतत प्रक्रिया है। उदाहरण के लिए 1969-70 में, वर्ष 1968-69 की तुलना में 15.4 करोड़ यात्री वाहन किलोमीटर की वृद्धि की गयी।

Scheme for Setting up of a Scooter Factory by Bihar Government

1082. Shri Ramavatar Shastri : Will the Minister of **Industrial Development and Internal Trade** be pleased to state :

(a) whether Bihar Government have drawn up a scheme to set up a scooter factory in the state;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether Bihar Government have also asked for some assistance for this purpose from the Central Government;

(d) if so, the details thereof; and

(e) the reaction of Central Government thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development and Internal Trade (Shri M. R. Krishna) : (a) Government of India are not aware whether the Bihar Government have drawn up a scheme to set up a scooter factory in the Bihar state.

(b) Does not arise.

(c) No, Sir.

(d) & (e). Do not arise.

Complaint by Members of Parliament About Late Running of Trains

1083. Shri Ramavatar Shastri : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some Members of Parliament have in a letter dated the 14th. October, 1970, complained to him about the late running of trains and some other inconveniences;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the action taken for the removal of those inconveniences and its outcome ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) Yes. The Hon'ble Member is perhaps referring to a letter written by him on 14.10.70.

(b) The main points raised in the above letter are :

(i) Strike of Eastern Railway Carriage & Wagon Staff;

(ii) Late running of Trains;

(iii) Unsatisfactory arrangements in regard to water, light and fans in trains, insanitary condition in the compartments and non-availability of attendants in the 3rd Class Sleeper and Ist. Class Coaches;

(iv) Late running of Toofan Express on 10th/11th October, 1970, and non-availability of attendant from Mughalsarai to Agra in the Ist. class compartment in which he was travelling as well as in the 3-tier third class sleeper coach from Patna to Agra. Unsatisfactory condition of lights and fans in I, II and 1II Class compartments of the train, a large number of compartments being without water and insanitary condition in the compartments.

(c) The complaint is under investigation. On completion of the same, appropriate remedial measures will be taken.

Divisional Office At Sonepur (North Eastern Railway)

1084. Shri Ramavatar Shastri : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a deputation of Members of Parliament had seen him during the Budget Session of Parliament for the establishment of Divisional Superintendent's Office at Sonepur on North Eastern Railway in the presence of the General Manager;

(b) if so, the names of Members of Parliament constituting the deputation;

(c) if so, whether it is further a fact that at that time he had assured to establish Divisional Superintendent's Office; and

(d) whether Government have taken some decision; if so, the details thereof ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) Yes.

(b) As the meeting was of an informal character, no record of the names of the Members of Parliament constituting the deputation has been maintained.

(c) No.

(d) The representations received from the Members of Parliament in this connection are under consideration.

भुसावल-इटारसी सैक्शन (मध्य रेलवे) के दुलरिया रेलवे स्टेशन पर माल गाड़ियों की टक्कर

1085. **श्री दे० अमात :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 11 अक्तूबर, 1970 को लगभग दोपहर के 1 बजकर 15 मिनट पर मध्य रेलवे के भुसावल-इटारसी सैक्शन के दुलरिया रेलवे स्टेशन पर आते समय एक माल गाड़ी दूसरी माल गाड़ी से टकरा गई थी ; और

(ख) यदि हाँ, तो उसमें कितने व्यक्ति हताहत हुए और दुर्घटना का कारण क्या है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) 11-10-1970 को लगभग 1.22 बजे डीज़ल प्लेन्टेन स्पेशल

नं० 2 दुलरिया स्टेशन पर 10 माल डिब्बों वाली माल गाड़ी डाउन डीज़ल प्लेन्टेन स्पेशल नं० 2 के एक भाग से टकरा गयी ।

(ख) इस दुर्घटना में कोई मरा नहीं । छः रेलवे कर्मचारी जख्मी हुए जिनमें से 2 को गहरी चोटें पहुँचीं ।

प्रत्यक्ष रूप से, ऐसा प्रतीत होता है कि यह दुर्घटना डाउन डीज़ल प्लेन्टेन स्पेशल नं० 2 के ड्राइवर द्वारा गाड़ी पर नियंत्रण खो देने और दुलरिया स्टेशन के 'ए' केबिन के आउटर और होम सिगनलों को 'आन' स्थिति में रहने पर उनसे गाड़ी गुजार ले जाने के कारण हुई ।

खेत्री, ताँबा परियोजना तथा डाब्ला स्टेशन को मिलाने वाली मोटर गेज रेलवे लाइन

1086. **श्री वेणी शंकर शर्मा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम रेलवे की रिवाड़ी-रींगस कोर्ड लाइन पर खेत्री कस्बे से होते हुए खेत्री ताँबा परियोजना से डाब्ला स्टेशन तक मीटर गेज रेलवे लाइन बिछाने के बारे में उनके मंत्रालय ने अन्तिम निर्णय कर लिया है;

(ख) यदि हाँ, तो लाइन बिछाने में देरी के क्या कारण हैं; और

(ग) अब निर्माण कार्य कब आरम्भ होगा तथा कब तक यह कार्य पूरा हो जाने की सम्भावना है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क), (ख) और (ग). डाबला और खेत्री ताँबा परियोजना के बीच रेल सम्पर्क की व्यवस्था करने के लिए, डाबला-खेतड़ी रोड-सिंहाना मार्ग-निर्धारण के बारे में विचार किया जा रहा है । इस लाइन के लिए अन्तिम स्थान निर्धारण इंजीनियरी सर्वेक्षण का काम चल रहा है और आशा है कि शीघ्र ही पूरा हो जायेगा । सर्वेक्षण पूरा होने के बाद ही इस लाइन का निर्माण-कार्य शुरू किया जा सकता है । यह लाइन निर्माण-कार्य शुरू होने के बाद लगभग 2 वर्ष में पूरी हो जायेगी ।

सेलम में इस्पात कारखाने की स्थापना

1087. **श्री सामिनाथन :**

श्री नारायणन :

क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सेलम में इस्पात कारखाने की स्थापना में बहुत धीमी गति से प्रगति हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उत्पादन के कब तक आरम्भ होने की सम्भावना है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी): (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) सेलम इस्पात प्रायोजना के पूर्ण होने की समय सारणी की घोषणा तकनीकी-आर्थिक शक्यता प्रतिवेदन का पुनर्विलोकन करते तथा उसे अद्यावधिक बनाते समय की जायेगी । यह कार्य शीघ्र ही किया जाएगा ।

गोल्डन टुबेको कम्पनी और इण्डियन टुबेको कम्पनी के बीच विवाद

1088. **श्री स० कुन्दू** : क्या **औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन टुबेको कम्पनी में विदेशी हित होने तथा इसके खण्डन के बारे में गोल्डन टुबेको कम्पनी तथा इण्डियन टुबेको कम्पनी के बीच हाल ही में हुए सार्वजनिक विवाद की सरकार को जानकारी है;

(ख) क्या गोल्डन टुबेको कम्पनी द्वारा लगाए गए आरोप सच हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार उक्त दोनों कम्पनियों द्वारा लगाए गए आरोपों तथा प्रति-आरोपों की जाँच करने का है, क्योंकि दोनों ही कम्पनियां आरोपों की जाँच कराना चाहती हैं ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) से (ग). दो सिगरेट कम्पनियों के बीच चल रहे खुले विवाद से सरकार का कोई सम्बन्ध नहीं है । फिर भी उनके द्वारा उठाए गई उन विशेष बातों पर जिन पर सरकार द्वारा विचार करना आवश्यक होगा उचित समय आने पर विचार किया जाएगा ।

नए कारखानों को सिग्रेट उत्पादन सम्बन्धी लाइसेंसों का दिया जाना

1089. **श्री स० कुन्दू** : क्या **औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दस सिग्रेट उद्योग देश में दस विभिन्न राज्यों में स्थापित किये जा सकते हैं यदि लाइसेंसों का विविधीकरण कर दिया जाए; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा नए कारखानों को सिग्रेट उत्पादन सम्बन्धी लाइसेंस देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) उद्यमियों द्वारा सिग्रेट फैक्टरियों को विभिन्न राज्यों में स्थापित करने के लिए लाइसेंस हेतु किए गये आवेदन पत्रों पर प्रत्येक प्रकरण के गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाएगा।

(ख) देश के निम्नलिखित भागों/राज्यों में सिग्रेट उत्पादन के एककों के स्थापनार्थ छः लाइसेंस/आशयपत्र भारतीय पार्टियों को ज़ारी किए गये हैं।

मैसूर	—	2
गुजरात	—	2
दक्षिण भारत	—	1 (स्थापना स्थल का निर्णय पार्टी को अभी करना हैं)
आन्ध्र प्रदेश	—	1

उड़ीसा में एक अन्य इस्पात कारखाने की स्थापना

1090. **श्री स० कुन्दू :**

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :

श्री दे० अमात :

क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी योजना में उड़ीसा में एक अन्य इस्पात कारखाना खोले जाने के लिए किसी स्थान के बारे में अध्ययन किया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ? और

(ग) स्थान सम्बन्धी अध्ययन कब तक किये जायेंगे ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (ग). चतुर्थ योजना अवधि में, तीन इस्पात संयंत्रों के अतिरिक्त जिनकी घोषणा पहले ही की जा चुकी है, और कोई नया इस्पात संयंत्र लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। पंचम योजना में लगाये जाने वाले इस्पात संयंत्रों के लिए स्थल सम्बन्धी अध्ययन चतुर्थ योजना अवधि में ही किये जायेंगे और इन अध्ययनों में उड़ीसा के उपयुक्त स्थल भी सम्मिलित होंगे।

अन्तरिम राहत पर रेलवे कर्मचारियों में असंतोष

1091. **श्री देवेन सेन** : क्या **रेलवे मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान समाचार-पत्रों में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया

गया है कि रेलवे कर्मचारियों ने वेतन आयोग द्वारा अभी हाल ही में घोषित अन्तरिम सहायता पर असन्तोष व्यक्त किया है;

(ख) उससे किस वर्ग के कर्मचारियों को लाभ हुआ;

(ग) क्या रेलवे बोर्ड का इस मामले को वेतन आयोग के साथ उठाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी हां।

(ख) जो रेल कर्मचारी 1250/- रुपये मासिक से अधिक मूल वेतन नहीं ले रहे हैं, वे सभी लाभान्वित हुए हैं।

(ग) और (घ). सरकार ने वेतन आयोग की सिफारिश पूर्णतः स्वीकार कर ली है। अतः इस मामले को फिर से वेतन आयोग को भेजने का सवाल नहीं उठता। इसके अलावा, यह ऐसा मामला है जो केन्द्रीय सरकार के सभी कर्मचारियों से सम्बन्धित है।

दिल्ली किशनगंज की रेलवे बस्ती में रेलवे क्वार्टरों के किराये में वृद्धि करने का प्रस्ताव

1092. **श्री रामस्वरूप विद्यार्थी** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली किशनगंज में रेलवे बस्ती के क्वार्टरों का किराया बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित वृद्धि का आधार क्या है और सरकार का किराये में कब से वृद्धि करने का प्रस्ताव है; और

(ग) उन बस्तियों के निवासियों को दी गई अतिरिक्त सुविधाओं का क्या ब्यौरा है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) से (ग). जी नहीं। किशनगंज की रेलवे बस्ती के रेलवे क्वार्टरों के किराये बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। फिर भी, यह उल्लेखनीय है कि किसी भी रेलवे के सभी क्वार्टरों को चाहे वे पुराने हों या नये, उन कर्मचारियों के वेतनमान के आधार पर टाइप-I, II, III आदि अनेक टाइपों में पूल किया जाता है जिनके लिए वे बनाये जाते हैं और प्रत्येक टाइप के लिए किराये का निर्धारण पूल के आधार पर किया जाता है। पिछले संशोधन के बाद बनाये गये क्वार्टरों की लागत और सुधारों आदि की लागत को ध्यान में रखकर निर्धारित किराये में आवधिक संशोधन किया जाता है। उत्तर रेलवे पर जब अगला संशोधन होगा, तब हो सकता है कि उस रेलवे के क्वार्टरों का किराया, जिसमें दिल्ली किशनगंज बस्ती के क्वार्टर भी शामिल हैं, बढ़ जाये।

लोको शेड रेलवे कालोनी, दिल्ली किशनगंज, के निवासियों की जीवन यापन की अस्वस्थ दशा

1093. **श्री रामस्वरूप विद्यार्थी** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली किशनगंज रेलवे स्टेशन के निकट लोको शेड रेलवे बस्ती के निवासियों की जीवन यापन की अस्वस्थ दशा के बारे में कुछ शिकायतें मिली हैं; और

(ख) यदि हां, तो विशेष रूप से क्या विशिष्ट शिकायतें मिली हैं; और उनकी दशा सुधारने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी हां ।

(ख) संलग्न विवरण के अनुसार । [**ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०** 4292/70]

दिल्ली में रेलवे बस्तियों में सफेदी

1094. **श्री रामस्वरूप विद्यार्थी** : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में रेलवे बस्तियों में सफेदी छः महीने पश्चात् की जाती है अथवा वार्षिक;

(ख) सामान्य तौर पर सफेदी कितनी अवधि के बाद की जाती है; और

(ग) रेलवे मंत्रियों तथा वरिष्ठ रेलवे अधिकारियों के बंगलों में कितनी अवधि के पश्चात् सफेदी की जाती है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) से (ग). चौथे दर्जे के कर्मचारियों के रहने वाले क्वार्टरों की सफेदी वार्षिक होती है और अन्य कमचारियों जिनमें रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हैं, के क्वार्टरों की $2/2\frac{1}{2}$ वर्ष में एक बार । लेकिन विशेष मामलों में इमारत की दशा और मण्डल इन्जीनियर के स्वविवेक के आधार पर, सफेदी अपेक्षाकृत कम अवधि में की जा सकती है ।

रेल मंत्रीगण रेलवे की इमारतों में नहीं रहते, उनके रहने के मकानों की सफेदी का सम्बन्ध, स्वास्थ्य परिवार नियोजन, निर्माण कार्य व नगर विकास मंत्रालय के अधीन केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग से है ।

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के कारखानों में कच्चे माल के लाने ले जाने में होनेवाली क्षति

1095. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या **इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड की प्रबंध समिति ने कोयला, लौह अयस्क तथा अन्य वस्तुओं को सामान्य रूप से लाने ले जाने में होने वाली क्षति की सीमा क्रमशः 8 प्रतिशत, 4 प्रतिशत तथा 2 प्रतिशत नियत की है;

(ख) वह सीमा किस आधार पर नियत की गई;

(ग) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के तीनों इस्पात कारखानों के लिये कच्चे माल की उपलब्धता के स्थान भिन्न-भिन्न होने के बावजूद क्षति की नियत सीमा समान होने के क्या कारण हैं;

(घ) गत तीन वर्षों में हिन्दुस्तान स्टील लि० को मुख्य कच्चे माल के सामान्य रूप से लाने ले जाने में पृथक्-पृथक् कितनी क्षति हुई है; और

(ङ) कच्चे माल के लाने ले जाने में हो रही हानि को कम करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी नहीं। वर्तमान सीमायें इस प्रकार हैं :—कोयले के लिए 5 प्रतिशत, लौह खनिज के लिए 4 प्रतिशत और दूसरे कच्चे माल के लिए 2 प्रतिशत।

(ख) ये सीमाएं दिसम्बर 1966 में निश्चित की गई थीं। इन सीमाओं को निश्चित करते समय इन बातों को ध्यान में रखा गया था जैसे विभिन्न इस्पात कारखानों के लिए कच्चे माल के स्रोतों और मार्ग में छोटी-मोटी चोरी, गिरने, सूखने, कारखानों में माल उतारने, वाहकों द्वारा माल भेजने, पुनः लदान करने और माल डिब्बों में माल ढोने के कारण होने वाली हानियां, प्रक्रिया में होने वाली हानियां, स्टोर करने में माल के नीचे बैठ जाने से होने वाली हानियां, टूटने, सूखने, वर्षा और वायुमण्डल के प्रभाव से कटाव के कारण होने वाली हानियों और खपत/भूमि पर पड़े माल का सही अनुमान न लगा सकना।

(ग) ये सीमायें उस समय उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर निश्चित की गई थीं। गत दो वर्षों में प्राप्त हुए अनुभव के आधार पर अब इन मानदण्डों में फेर-बदल किया जा रहा है।

(घ) गत तीन वर्षों में भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर के इस्पात कारखानों में लाने ले जाने/कमियों से हुई कुल हानि इस प्रकार है :—

	(लाख रुपये)
1967-68	286.66
1968-69	295.47
1969-70	229.04

(ङ) लाने ले जाने के कारण होने वाली हानियों को कम करने के लिए निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :—

(1) जहां तक सम्भव हो गंतव्य स्थान पर माल के भार को वास्तविक भार का आधार मानना, और

(2) जहां तक सम्भव हो कारखाने में माल को एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान में न ले जाना।

इस्पात संयंत्रों में लेखा पद्धितयां

1096. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या **इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दस लाख टन उत्पादन क्षमता वाले भिलाई इस्पात संयंत्र की आस्तियों के मामले में हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के 1968-69 के वार्षिक प्रतिवेदन में प्रत्येक वस्तु का मूल्य परियोजना अनुमानों के आधार पर निर्धारित किया गया है;

(ख) क्या उन अन्य मामलों में यह मूल्यांकन वास्तविक व्यय के आधार पर किया गया है जबकि निष्पादन प्रतिवेदन प्राप्त हो चुका है और उन मामलों में, जिनमें निष्पादन प्रतिवेदन अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं, मूल्य अनुमानों के आधार पर निर्धारित किये गये हैं;

(ग) क्या कथित तुलन-पत्र में राउरकेला और भिलाई के तो बिजली और ईंधन के बिल दिखाये गये हैं परन्तु दुर्गापुर के नहीं; और

(घ) यदि हां, तो इस अन्तर के क्या कारण हैं और तीनों इस्पात संयंत्रों के लेखों को प्रस्तुत करने में एकरूपता वाले के संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है जो कि तुलनात्मक अध्ययन आदि के लिए वांछनीय है ?

इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख). दस लाख टन की क्षमता के भिलाई इस्पात कारखाने को रूस से माल की सप्लाई के मामले में बिल टन के हिसाब से बनाए गए थे। अतः कारखाना प्रत्येक वस्तु के भार के आधार पर अथवा प्रायोजना की लागत के अनुमानों के आधार पर प्रत्येक मद के लिए दी गई कुल राशि नियत कर सकता था। चूँकि पहले तरीके से प्रत्येक वस्तु के सही मूल्य का पता नहीं चलता था अतः दूसरा तरीका अपनाया गया। जैसा कि वित्तीय टिप्पणियों में दर्शाया गया है और जो तुलन पत्र और लेखों का अंग है यद्यपि आस्तियों की अलग-अलग लागत प्रायोजना के लागत अनुमानों के आधार पर निश्चित की गई है, इनका कुल मूल्य उनको प्राप्त करने में किये गये वास्तविक खर्च को दिखाता है।

दुर्गापुर और राउरकेला के इस्पात कारखानों के बारे में पूँजीकरण या तो पूर्ति प्रतिवेदन में दिखाए गए वास्तविक खर्च के आधार पर या जहां पूर्ति प्रतिवेदन अभी प्राप्त नहीं हुए हैं वहां अनुमानों के आधार पर किया गया है। उपरोक्त मामले में आवश्यक समायोजन पूर्ति प्रतिवेदन प्राप्त होने पर किए जाते हैं।

(ग) तुलन पत्र में दिखाए गए राउरकेला और भिलाई के पावर और ईंधन के बिल दस लाख टन अवस्था के कारखानों के लिए है और इन्हें आस्थगित राजस्व व्यय के नीचे दिखाया गया है। ऐसा 1961-62 से पूर्व प्रचलित लेखा प्रणाली के आधार पर किया गया है। दुर्गापुर इस्पात कारखाने के बारे में यह खर्च 1961-62 के बाद की संशोधित प्रणाली के अनुसार लाभ और हानि खाते में डाला गया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

बोकारो इस्पात कारखाने में उत्पादन प्रारम्भ करने में विलम्ब

1097. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या **इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार द्वारा बोकारो इस्पात कारखाने की विदेशी मुद्रा की लागत को पूरा करने के लिये रूस से जनवरी 1965 में प्राप्त 20 करोड़ रूबल (166.6 करोड़ रुपये) के ऋण का भुगतान 12 वर्षों में किया जाना है और इस पर प्रतिवर्ष 2.5 प्रतिवर्ष ब्याज़ लगता है; और

(ख) क्या बोकारो इस्पात कारखाने में आज छः वर्ष का समय बीतने के पश्चात् भी एक टन इस्पात अथवा एक औंस कच्चे लोहे का उत्पादन नहीं हुआ है ?

इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, नहीं 25 जनवरी, 1965 के अन्तः सरकारी समझौते के अनुसार एक कैलेन्डर वर्ष की अवधि में उपयोग किये गये ऋण का भुगतान अगले 12 वर्षों में समान वार्षिक किश्तों में किया जाना है। अतः ऋण की अदायगी उपलब्ध ऋण के वास्तविक उपयोग पर निर्भर करती है और जिस वर्ष में ऋण के भाग का उपयोग किया जायेगा उससे अगले 12 वर्षों में इसकी अदायगी की जायेगी। ब्याज भी वर्ष प्रतिवर्ष दिया जाएगा और इसकी दर 2.5 प्रतिशत होगी और यह गत वर्ष में प्रयुक्त राशि पर दिया जाएगा।

(ख) यह ठीक है कि बोकारो इस्पात कारखाना अभी निर्माणावस्था में है और इसने अभी उत्पादन करना आरम्भ नहीं किया है।

अजमेर में पिसाई करने वाले मशीनी औजारों का कारखाना

1098. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या **औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अजमेर में चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से स्थापित किये जा रहे पिसाई करने वाले मशीनी औजारों के कारखाने पर अब 8.29 करोड़ रुपये के स्थान पर, जैसा कि पहले अनुमान लगाया गया था, 9.77 करोड़ रुपये लागत आयेगी;

(ख) क्या लागत में उक्त वृद्धि गत वर्ष मूल्यों में सामान्य वृद्धि होने के कारण हुई है;

(ग) क्या सरकारी आंकड़ों के अनुसार गत वर्ष मूल्यों में 6 प्रतिशत से कम वृद्धि हुई है और यदि हां, तो क्या मूल्यों की सामान्य वृद्धि को देखते हुए उपयुक्त कारखाने की अनुमानित लागत में 17 प्रतिशत की वृद्धि अनुचित नहीं है; और

(घ) यदि उपयुक्त प्रश्न का उत्तर सकारात्मक है तो इस बात को सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है कि पूंजी लागत में केवल युक्तिसंगत वृद्धि को स्वीकार किया जाये और इस सम्बन्ध में और विलम्ब न हो जिससे लागत में और वृद्धि हो जाये ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). कम्पनी द्वारा प्रस्तावित परियोजना की पूँजीगत लागत में वृद्धि 1966-70 की अवधि में मूल्यों में संचित वृद्धि तथा आयातित मशीनों के मूल्य में वृद्धि होने से हुई है। 1969 के मुकाबले 1970 में कीमतों में हुई सामान्य वृद्धि 6 प्रतिशत रही है।

(घ) कम्पनी द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों पर सावधानी पूर्वक विचार किया जा रहा है और पूँजीगत मूल्य में केवल अपरिहार्य वृद्धि की ही स्वीकृति दी जा सकेगी। परियोजना की अविलम्ब पूर्ति के लिए हर सम्भव प्रयास किया जा रहा है।

पुलगाँव-आर्बी और यवतमाल-अचलपुर छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के बारे में ज्ञापन

1099. **श्री देवराव पाटिल :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें अपनी हाल की नागपुर यात्रा के दौरान पुलगाँव-आर्बी और यवतमाल-अचलपुर छोटी रेलवे लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के बारे में एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) जी हाँ।

(ख) सभी सम्बद्ध पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जिनमें यह तथ्य भी शामिल है कि मुर्तजापुर-यवतमाल खण्ड सेण्ट्रल प्राविंसिज रेलवे कम्पनी का है। और मध्य रेलवे केवल इसका संचालन करती है, इस सुझाव पर विचार किया जायेगा।

महाराष्ट्र में चनक से वानी तक नई रेलवे लाइन का सर्वेक्षण

1100. **श्री देवराव पाटिल :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र राज्य में चनक से वानी तक नई रेलवे लाइन के बारे में सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस रेलवे का वास्तविक निर्माण कार्य कब तक आरम्भ किया जाएगा ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख). जैसा कि शुरू में अनुमान लगाया गया था, चनक से वानी तक एक नयी रेलवे लाइन के सर्वेक्षण से सम्बन्धित क्षेत्र-कार्य पूरा हो गया था। लेकिन, महाराष्ट्र राज्य सरकार के कहने पर 10 कि० मी० की दूरी पर एक नया पर्यन्त स्थान बनाने के लिए सर्वेक्षण किया जा रहा है। सर्वेक्षण पूरा हो जाने और उसका परिणाम मालूम हो जाने के बाद इस लाइन के निर्माण के सम्बन्ध में निर्णय किया जायेगा।

भारतीय रेलवे में तेज रफ्तार वाली गाड़ियां

1101. **श्री देवराव पाटिल :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में भारतीय रेलों में विशेषतया ट्रंक मार्गों पर तेज रफ्तार वाली रेलगाड़ियाँ चलाने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) तेज रफ्तार वाली गाड़ियाँ चलाने के सम्बन्ध में जांच और अध्ययन आदि के लिए अग्रता निश्चित करने के सिवाय अधिक तेज रफ्तार की गाड़ियाँ चलाने के लिए कोई विशिष्ट निर्णय नहीं किया गया है।

(ख) परीक्षण के आधार पर, 1-3-1969 से नई दिल्ली और हावड़ा के बीच सप्ताह में दो बार चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस चलाई गई है जो 120 कि० मी० प्रति घंटा की अधिकतम अनुमत रफ्तार से चलती है जबकि सामान्य रफ्तार 100 कि० मी० प्रति घंटा है। इस समय नयी दिल्ली-बम्बई सेंट्रल मार्ग पर उसी तरह की गाड़ी चलाने के लिए जाँच और अध्ययन का काम जारी है।

Setting Up Of Industries In U. P.

1102. Shri Om Prakash Tyagi : Will the Minister of **Industrial Development and Internal Trade** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that 26 industrialists have requested for the grant of licence to set up their industries in Uttar Pradesh;

(b) if so, the particulars of the said industrialists;

(c) the details of the licences and the location of the industries proposed to be set up by them; and

(d) the decision taken by Government in regard to grant of licences to the aforesaid industrialists ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development and Internal Trade (Shri M. R. Krishna) (a) to (d) It is not clear as to which 26 industrialists the Hon'ble Member is referring to. However, during 1970 (up to 30th September), 104 applications were received under the Industries (Development & Regulation) Act, 1951, for setting up of new industrial undertakings in Uttar Pradesh. Of these applications, letters of intent have been issued in 6 cases, while 91 are under consideration. Particulars of the above 6 cases are given in the enclosed statement.

Statement

Sl. No.	Name of the applicant	Location	Item of manufacture
1.	Shri R. C. Tewari, Calcutta	Ghaziabad	Polyethylene/Polyropylene firm and slit yarn.
2.	M/s. Suraj Industrial Packing Ltd. Lucknow	Lucknow	Packaging and Industrial Boards

3. Shri Ratanlal Katyal, Kanpur	Kanpur	Polystyrene Beads etc.
4. M/s. Century Pulp, Calcutta	Kitcha	Chemical Pulp and Paper
5. Dr. Roshan Lal Bhargava Lucknow	Ghaziabad	High Gloss Cast Coated Paper
6. M/s. Insov Auto Ltd., Calcutta	Lucknow	Light Commercial vehicles etc.

इस्पात का मूल्य

1103. **श्री प्र० के० देव :** क्या **इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 21 अक्तूबर 1970 के 'इक्नोमिक टाइम्स' में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि भारी मात्रा में इस्पात के आयात तथा माँग में कमी के कारण इस्पात की कीमतें गिर गयी हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, हाँ।

(ख) समाचार का संकेत खुले बाजार में इस्पात के कुछ वर्गों के मूल्य में हुई कमी की ओर है, जो सामान्यतः संयुक्त संयंत्र समिति द्वारा निर्धारित, मूल्यों से अधिक है। सरकार ने हाल में खुले बाजार के मूल्य कम करने के लिए विभिन्न उपाय किये हैं। इन उपायों में, उत्पादन की ओर अधिक ध्यान, बेहतर वितरण, आयात के लिए उदार नीति अपनाना तथा निर्यात पर कुछ प्रतिबन्ध लगाना शामिल है। वैसे, खुले बाजार के मूल्यों में कथित कमी का स्वागत है।

Abolition of Air-Conditioned first and Second Class Coaches and Saloon Cars

1104. Shri Ram Sewak Yadav : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether his Ministry proposes to abolish the air-conditioned first and second class coaches and saloon cars;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) No.

(b) Does not arise.

(c) It will be appreciated that Railways have to provide the classes of travel for which there is public demand.

प्रतिबन्धित सूची में आने वाली वस्तुओं के लिए नये एककों की स्थापना

1105. **श्री एस० आर० दामानी :** क्या **औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रतिबन्धित सूची में आने वाली वस्तुओं के लिए नये एककों की स्थापना करने तथा उनमें फिर से पूंजी लगाने के बारे में अब तक क्या प्रगति हुई;

(ख) लाइसेंसों के लिए कितने आवेदन पत्र और किन-किन वस्तुओं के लिए प्राप्त हुए और उनमें से कितनों को अनुमति दी गई; और

(ग) पूरी प्रतिबन्धित सूची को समाप्त करने के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) और (ख). लाइसेंसीकरण के प्रयोजन के लिए प्रतिबन्धित सूची को 13 मार्च 1970 से वापिस ले लिया गया था। 13 मार्च 1970 से 30 सितम्बर, 1970 की अवधि में ऐसी वस्तुओं के जोकि मूलत: प्रतिबन्धित सूची में थीं कि निर्माण हेतु नये औद्योगिक उपक्रम स्थापित करने, पर्याप्त विस्तार करने तथा नई वस्तुओं का उत्पादन करने के हेतु उद्योग (विकास और विनियमन अधिनियम 1951 के अन्तर्गत औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करने के लिए 285 आवेदन प्राप्त हुए। इन आवेदनों में 844.54 करोड़ रुपये का कुल विनियोजन दिखाया गया है किन्तु इसमें कुछ ऐसे मामले जिनके बारे में विनियोजन आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं सम्मिलित नहीं हैं। इनमें अधिकाश आवेदन नायलोन फिलामेंट यार्न के लिए है जिसके लिए कि एक सार्वजनिक सूचना हाल ही में प्रकाशित की गई थी। इन आवेदनों में से 2 को आशय पत्र जारी किये गये हैं, 9 रद्द कर दिये गये हैं और शेष विचाराधीन हैं। अत: इन परिस्थितियों में स्वीकृत योजनाओं में कितना विनियोजना होगा यह अनुमान लगाकर बताना समय-पूर्व होगा।

(ग) पिछले वर्षों में कुछ वस्तुओं को इस कारण प्रतिबन्धित सूची में रखा गया था कि देश में उनकी पर्याप्त क्षमता के लिये लाइसेंस जारी किये जा चुके थे। तथापि कई वस्तुएँ ऐसी हैं जिनकी क्षमता की आवश्यकता का सही पूर्वानुमान भी लगाया जा सकता और ऐसी भी वस्तुएँ हैं जिनके बारे में अनुमान गलत सिद्ध हुए। अन्तत: यह मामला उद्योगपति की अपनी समझ पर छोड़ दिया गया है कि जो वस्तु वह निर्मित करना चाहता है उसकी माँग विद्यमान है या नहीं। इसके अतिरिक्त लाइसेंसीकरण से छूट की सीमा से 1 करोड़ रुपये तक बढ़ाये जाने के कारण प्रतिबन्धित सूची निरर्थक हो गयी है। सरकार ने प्रयोगात्मक अभ्युपाय के रूप में क्षमता की दृष्टि से प्रतिबन्धित सूची को समाप्त कर दिया है।

बोकारो इस्पात कारखाना

1106. **श्री एस० आर० दामानी :** क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोकारो इस्पात कारखाने के लिये कोई नया कार्यक्रम निर्धारित किया गया है और उसे पूरा करने के लिये कौनसी अन्तिम तारीख निर्धारित की गई है ।

(ख) यदि हाँ, तो 17 लाख टन के उत्पादन के प्रथम चरण को आरम्भ करने और क्रमशः 25 और 40 लाख टन के उत्पादन सम्बन्धी बाद के दो चरणों के लिये कौन-कौनसी नई तारीखें निश्चित की गई हैं; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में हुये विलम्ब को ध्यान में रखते हुये उक्त परियोजना के लिये रूसी ऋण के भुगतान के सम्बन्ध में नई तारीखें निश्चित करने के लिये बातचीत आरम्भ की गई हैं और यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) : जी, नहीं। जुलाई 1969 से कार्यक्रम में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। वर्तमान निर्माण कार्यक्रम में, जिसके अनुसार प्रथम धमन भट्ठी समूह का निर्माण दिसम्बर 1971 तक पूरा हो जायेगा और 1.7 मि० टन वार्षिक क्षमता का प्रथम चरण मार्च 1973 तक पूरा हो जायेगा कोई संशोधन नहीं किया गया है। 40 लाख टन के द्वितीय चरण तक विस्तार कार्यक्रम को, जिसमें 25 लाख टन का मध्यवर्ती चरण भी है, अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(ग) प्रायोजना को समय पर पूर्ण करने का उत्तरदायित्व भारतीय पक्ष का है और प्रायोजना के लिये रूस द्वारा दिये गये ऋण की समय-सारिणी में परिवर्तन का कोई प्रश्न नहीं उठता ।

मैसर्स स्वतन्त्र फैब्रीकेटर्स यूनियन को टाटा आइरन एण्ड स्टील कम्पनी द्वारा इस्पात की सप्लाई

1107. **श्री रघुवीरसिंह शास्त्री :** क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी के कलकत्ता स्थित मुख्य बिक्री कार्यालय ने 400 मीट्रिक टन सादी काली चादरों के लिये संयुक्त संयंत्र समिति द्वारा मुंजूरशुदा इंडेंट सं० एस० वी/111/एस० 251/सी—1785 के लिये एक निर्माण आदेश सं० एस० एच० 593—यू दिनांक 8 दिसम्बर, 1969 मेसर्स स्वतन्त्र फैब्रीकेटर्स यूनियन, 49/50, जनरल गंज, कानपुर को भेजा था; और

(ख) उपर्युक्त निर्माण आदेश के लिये टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी द्वारा अब तक कितनी सप्लाई की गई है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी से मालूम हुआ है कि उन्होंने मैसर्स स्वतंत्र फैब्रिकेटर्स यूनियन कानपुर के मांग पत्र संख्या एस० एफ० बी०/बी० पी०/10 दिनांक 27-12-67 के प्रति 19-

4-68 को 960 टन काली सादी चादरों के लिये निर्माण आदेश संख्या एस० एच०/593 जारी किया था।

(ख) अब तक पार्टी को लगभग 24 टन चादरों की आपूर्ति की गई है।

Industrial Development in U. P.

1109. Shri Raguvir Singh Shastri · Will the Minister of **Industrial Development and Internal Trade** be pleased to state :

(a) whether attention of Government has been drawn to the statement made by the U. P. Chief Minister while talking to the Press on the 20th October 1970 that many industrial projects sanctioned for Uttar Pradesh were later on transferred to other states;

(b) if so, the reaction of Government thereto; and

(c) the action proposed to be taken by Government for stepping up the pace of Industrial development in Uttar Pradesh ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development and Internal Trade (Shri M. R. Krishna) : (a) Yes Sir.

(b) The establishment of public sector plants as also of private sector units has necessarily to be governed by techno-economic and other relevant locational considerations together with assessment of requirments for particular projects at any given point of time.

(c) Provision has been made in the Fourth Plan for setting up a plant for the manufacture of gas Cylinders and heavy pumps and compressors at Naini, a factory for Long Distance Transmission Equipment and a Second Telephone Instruments Factory at Naini. Provision has also been made in the Fourth Plan for the expansion in the Tannery and Footwear Corporation, Kanpur and expansion of Kanpur Fertilisers (ICI Project). Details of the outlay for Public sector projects in the Fourth Plan are as under :—

(Rs. crores)

Name of the Project.	Outlay during the Fourth Plan.
H.H.E.L. Heavy Electrical Equipment Plant, Hardwar.	24.20
Gorakhpur Fertilisers, Gorakhpur.	2.73
Triveni Structurals, Allahabad.	0.85
Pumps & Compressors Project, Naini.	5.00
Gass Cylinder Project, Naini.	4.00
Long Distance Transmission Equipment Factory, Naini.	2.58
Second Telephone Factory, Naini.	4.77
Tannery & Footwear Corporation.	2.15
Antibiotics Factory, Rishikesh.	

* A provision of Rs. 2.88 crores has been made for IDPL during the Fourth Plan. Break-up of this outlay as to how much will be spent on Antibiotics Factory, Rishikesh during the Fourth Plan is not available.

Over and above the above investments proposed on Central Government projects, an outlay of Rs. 23.72 crores on large and medium industries has been approved for various state industrial schemes during the Fourth Plan. Scheme-wise break-up of this outlay has not yet been received from the State Government. One of the important schemes for which provision has been made in the State Fourth Plan is the completion of Dalla Cement Factory which will be in Eastern Uttar Pradesh. A provision of Rs. 20.10 crores on village and small industries has also been proposed under the state sector during the Fourth Five Year Plan period.

A special programme for the accelerated development of industries in the four eastern districts of Ghazipur, Jaunpur, Deoria and Azamgarh was taken up in 1964-65 on the recommendations of the Joint Study Team by the Planning Commission and the State Government. To promote the industrialisation in these areas, various promotional schemes under the village and small industries sector were launched including approval of loans and grants for setting up of industries, provision of assistance towards procurement of building materials like cement, power connections, controlled raw-materials and imported raw-materials and components, and of Machines on hire purchase. In addition, training facilities in certain trades and technical know-how were also established as part of these promotional schemes.

Surveys have been conducted of a number of backward districts in U.P. with a view to identify their industrial potential. Certain backward districts have also been selected for outright subsidy from the centre and for concessional finance from public financial institutions. The Industrial development of the State is also expected to be considerably accelerated through the implementation of a number of projects in the private sector. A number of letters of intent/licenses have been issued or are under immediate consideration. It is hoped that through these projects, many of which envisage heavy investments, the rate of growth will be stepped up considerably.

अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों के लोगों की भूमि का आवंटन

1110. **श्री बे० कृ० दास चौधरी** : क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गांधी शताब्दी वर्ष के दौरान हरिजनों तथा अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों के सदस्यों को भूमि का कोई आवंटन किया गया था; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) और (ख). यह सूचना राज्य सरकार से एकत्रित की जा रही है तथा प्राप्त होते ही उसे सभा-पटल पर रख दिया जाएगा ।

औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिलों का सर्वेक्षण

1111. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या **औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया है कि देश में कितने जिले औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो उनकी संख्या/नाम तथा अन्य ब्यौरा क्या है; और

(ग) वित्तीय वर्ष 1970-71 के दौरान इन जिलों के औद्योगिक विकास के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) और (ख). लोक वित्तीय संस्था में से रियायती दर पर ऋण की व्यवस्था और साथ ही केन्द्रीय आर्थिक सहायता के लिये विभिन्न राज्यों में से कुछ पिछड़े जिले चुने गये हैं। रियायती दर पर ऋण की व्यवस्था और केन्द्रीय आर्थिक सहायता दोनों के लिये अब तक चुने गये पिछड़े जिलों की सूची संलग्न है। **[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०** 4293/70]

(ग) अखिल भारतीय लोक वित्तीय संस्थाओं ने अर्थात् आई० जे० बी० आई० और आई० एफ० सी० आई० ने इस बीच घोषणा की है कि चुने हुए पिछड़े जिलों में लघु व मझोले उद्योगों के लिए किस प्रकार की रियायतें दी जायेंगी। कुछ चुने हुए क्षेत्रों में औद्योगिक परियोजनाओं के लिये केन्द्र द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता के संबंध में उसको वितरित करने की प्रक्रिया सहित सारी योजना का ब्यौरा तैयार किया जा रहा है। लाइसेंस नीति काफी उदार बना दी गई है और अल्प विकसित जिलों व क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना को विशेष रूप से प्रोत्साहन दिया जायेगा। माँग की संभावित वृद्धि के दृष्टिकोण से जिन उद्योगों में अतिरिक्त उत्पादन की पर्याप्त गुंजाइश है, उनकी एक विस्तृत सूची प्रकाशित की गई है। केन्द्र व सम्बन्धित राज्यों द्वारा विशेष रूप से औद्योगिक रूप से अल्प विकसित क्षेत्रों में लघु उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा देने के लिये उपाय किये जा रहे हैं। ऐसी आशा है कि इन उपायों के फलस्वरूप इन क्षेत्रों में औद्योगिक विकास की दर भावी वर्षों में काफी बढ़ जायेगी।

Survey of Raebareli For Setting Up Industries

1112. Shri Jageshwar Yadav : Will the Minister of **Industrial Development and Internal Trade** be pleased to state :

(a) the details of surveys undertaken during the last three years for setting up industries in Raebareli District of Uttar Pradesh;

(b) the decision taken for setting up industries in the said district; and

(c) whether these industries would be in the public sector or private sector ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development and Internal Trade (Shri M. R. Krishna) : (a) A pre-intensive development campaign survey was conducted in

District Rae Bareli in September, 1967. This survey was undertaken by the Small Industries Service Institute, Kanpur in collaboration with the Directorate of Industries. This survey was intended to identify opportunities for small industries which local entrepreneurs could avail of. The report on the survey suggested a number of prospective small-scale industries. These were : improved Agricultural implements; cane crushers and parts; centrifugal pumps; bone meal; cattle feed compound; oil extraction from ground nut; fruit preservation based on bottle packing; leather footwear and allied leather products; cold storage; general repair and servicing workshop; ready-made garments; plastic-moulded items; plastic-fabricated items; glass wares of daily use; hosiery; conduit pipe, aluminium utensils; sugar mill and machinery parts. During this year, industrial survey of the hill districts was conducted by the National Industrial Development Corporation and 20 Districts in the plains by the Directorate of Industries, Uttar Pradesh and the Small Scale Organisation. Rae Bareli is one of these 20 districts. With the help of the survey report, guidance is being given to entrepreneurs for setting up industries.

(b) & (c). These industries are to be set up in the private sector by local entrepreneurs on their own initiative, though the Central and the State Government agencies provide a number of facilities technical and financial. Besides, a small textile mill is proposed to set up in Rae Bareli by a private party. A letter of intent has also been issued to a private party for production of small commercial vehicles.

मैसर्स हिन्द गैलवेनाईजिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड

1113. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार** मंत्री मैसर्स हिन्द गैलवेनाईजिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड के बारे में 3 मार्च, 1970 को तारांकित प्रश्न संख्या 206 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्राक्कलन समिति ने अपने प्रतिवेदन में उक्त प्रश्न के भाग (क) पर विचार नहीं किया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार अपेक्षित जानकारी को सभा-पटल पर रखने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) से (ग). लोक-सभा में दिनांक 3 मार्च, 1970 को दिये गये तारांकित प्र० सं० 206 के भाग (क) में यह प्रश्न उठाया गया था कि यदि अन्य उद्यमी भी भली-भाँति साधन सम्पन्न होकर सरकार से तेल के पीपे बनाने की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए निवेदन करें तो क्या सरकार उनकी तेल के पीपे बनाने की क्षमता को मान्यता देगी। 25 नवम्बर, 1969 को अतारांकित प्र० सं० 1300 के उत्तर में यह संकेत दिया गया था कि मैं० हिन्द गैलवेनाईजिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी प्रा० लि० सरकार से तेल के पीपे बनाने की, जिसके लिये उन्हें सक्षम बताया जाता है, स्वीकृति पाने के लिए आग्रह कर रहे हैं। सिफारिशों सहित इस मामले का विस्तृत विवरण 30 अप्रैल, 1970 को लोक-सभा में पेश की गई चतुर्थ लोक-सभा प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट के 42 से 52 पृष्ठों पर देखी जा सकती है। इसी प्रकार की स्वीकृति अन्य मामलों में भी मिल सकती है या नहीं इस प्रश्न पर

सरकार की प्रचलित नीति, कच्चे माल की स्थिति विद्यमान क्षमता तथा इसके उपयोग आदि के सन्दर्भ में निश्चय किया जा सकेगा ।

इलाहाबाद डिवीजन में रेलवे विद्युतीकरण के कार्य में लगे कर्मचारियों को छंटनी के बाद अन्य काम पर लगाया जाना

1114. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलाहाबाद डिवीजन में रेलवे विद्युतीकरण का काम करने वाले कुछ कर्मचारियों की 1970 में छंटनी की गई थी;

(ख) यदि हाँ, तो ऐसे कर्मचारियों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या उन्हें अन्य स्थानों पर काम पर लगाया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) से (घ). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

धातु-मल से सीमेंट का उत्पादन

1115. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **इस्पात तथा भारी इञ्जीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड ने धातु-मल से सीमेंट का उत्पादन करने की योजना को अन्तिम रूप से समाप्त कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात तथा भारी इञ्जीनियरिंग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, हां ।

(ख) इस्पात उद्योग की अपनी कई समस्यायें हैं और हिन्दुस्तान स्टील लि० के वित्तीय संसाधन भी सीमित हैं, अत: हिन्दुस्तान स्टील लि० ने सीमेंट उत्पादन का काम हाथ में न लेने का फैसला किया है विशेषत: जब धातु-मल बिक जाता है, जैसा कि इस समय हो रहा है ।

रांची-पटना एक्सप्रेस गाड़ी से चन्द्रपुर रेलवे स्टेशन के निकट माल का लूटा जाना

1116. **श्री स० मो० बनर्जी** :

श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :

श्री राजदेव सिंह :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 23 सितम्बर, 1970 को पूर्व रेलवे के ग्रांड कार्ड सेक्शन पर चन्द्रपुर रेलवे स्टेशन के निकट कुछ नकाबपोश व्यक्तियों ने रांची एक्सप्रेस को रोका और गाड़ी के ब्रेक-यान में एक लाख रुपये से अधिक कीमत का सारा माल और माल की पेटियां लूटीं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कुछ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है; और

(ग) इन मामलों में सुरक्षा कार्यवाहियों में और अधिक कड़ाई लाने के सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) 22-9-70 की रात को भाले और लाठियों से लैस लगभग 20 बदमाशों ने दक्षिण-पूर्व रेलवे (न कि पूर्व रेलवे) के मुरी-चन्द्रपुरा खण्ड पर राजवेरा स्टेशन के आउटर डाउन सिगनल पर 24 डाउन (हतिया/पटना एक्सप्रेस) को रोक लिया और सामानयान की चाबियां जबरदस्ती छीनकर यान को खोल डाला और लगभग 1800 रुपये की कीमत के 17 पैकेज उठा ले गये जिनमें जिलैटिन की 6 पेटियां भी थीं।

(ख) जी नहीं।

(ग) सुरक्षा उपायों को कड़ा करने के लिए सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाये हैं :—

(i) रात की महत्त्वपूर्ण गाड़ियों में सरकारी रेलवे पुलिस का पहरा रहता है।

(ii) भेद्य खण्डों पर रेलवे सुरक्षा दल के कर्मचारी गश्त लगाते हैं।

(iii) महत्त्वपूर्ण बाहरी सिगनलों पर रेलवे सुरक्षा दल का पहरा रहता है।

(iv) ऐसी चोरियों को रोकने के लिए रेलवे सुरक्षा दल और पुलिस के बीच सहयोग बनाये रखा जाता है।

मैसूर में सरकारी क्षेत्र के उद्योग

1117. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1970-71 के दौरान मैसूर में सरकारी क्षेत्र के उद्योगों के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित उद्योगों का स्वरूप क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) और (ख). वर्ष 1970-71 की वार्षिक योजना में मैसूर राज्य में स्थित कोलार की सोने की खान के लिए 74.23 लाख रु० की व्यवस्था की गई है। सीमेंट कारपोरेशन आफ इण्डिया के लिए भी (266.0 लाख रु०) की व्यवस्था की गई है जिसमें से निगम मैसूर राज्य की कुरकुन्टा सीमेंट परियोजना पर भी खर्च करेगा।

चौथी योजना में निम्नलिखित परियोजनाओं के लिए व्यवस्था की गई है और कुछ व्यय 1970-71 में इन परियोजनाओं के कार्यान्वियन पर किया जाएगा। यद्यपि वार्षिक योजना में कोई विशिष्ट व्यवस्था नहीं की गई है।

	चौथी योजना में व्यवस्था (करोड़ रु०)
1. हिन्दुस्तान मशीन टूल्स (घड़ी के कारखाने समेत) बंगलौर	2.0
2. मैसूर आयरन एण्ड स्टील वर्क्स (मिश्रित इस्पात में बदलना) भद्रावती	5.90 + 3.0 विस्तार के लिए
3. इण्डियन टेलीफ़ोन इण्डस्ट्री, बंगलौर	5.75 विस्तार के लिए
4. तुंगभद्रा स्टील वर्क्स	1.0

कोलार से होकर बंगलौर से मद्रास तक सीधी रेलवे लाइन

1118. **सी० जी० वाई० कृष्णन** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगार पेट जंकशन से आगे कोवार होकर तीन मील लम्बी रेलवे लाइन बना कर बंगलौर से मद्रास तक सीधी रेलवे लाइन के बारे में निर्णय को अभी तक क्रियान्वित नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) नई रेलवे लाइन कब तक पूरी हो जायेगी ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) से (ग). जांच से पता लगा था कि इस प्रस्ताव का औचित्य नहीं है। अत: इस प्रस्ताव को त्याग दिया गया है।

औद्योगिक संस्थाओं द्वारा लाइसेंस शुदा क्षमता का नवीकरण

1119. **श्री जी० वाई० कृष्णन्** : क्या **औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसी औद्योगिक संस्थाओं की संख्या क्या है जिन्होंने अपनी लाइसेंस शुदा क्षमता को अनधिकृत रूप से बढ़ा लिया है और आगे नवीकरण के लिए अनुरोध किया है; और

(ख) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति है ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) औद्योगिक लाइसेंस नीति जाँच समिति ने अपनी रिपोर्ट में कुछ बड़े औद्योगिक उपक्रमों

द्वारा अनधिकृत विस्तार करने के कुछ मामलों का उल्लेख किया है। इस प्रकार के 45 मामलों तथा औद्योगिक गृहों जिनका कि इन एककों से सम्बन्ध है, के विस्तार ब्यौरे औद्योगिक लाइसेंस नीति जाँच समिति की रिपोर्ट के पैरा 5·45 तथा परिशिष्ट 4 च में दिये गये हैं। इनमें से कुछ औद्योगिक उपक्रमों में विस्तार के लिए लाइसेंस मंजूर किये जाने के बारे में सरकार तक पहुँच की है।

(ख) सरकार ने इस मामले में अन्तिम रूप से निर्णय नहीं किया है।

Nationalization of Cycle Industry

1120. Shri Meetha Lal Meena : Will the Minister of **Industrial Development and Internal Trade** be pleased to state :

(a) whether Government propose to nationalise the cycle industry; and

(b) if so, the details thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development and Internal Trade (Shri M. R. Krishna) : (a) & (b). No, Sir.

Management of Sambhar Salts Ltd. And Salt Based Industries in Sambhar

1121. Shri Meetha Lal Meena : Will the Minister of **Industrial Development and Internal Trade** be pleased to state :

(a) whether Central Government have accepted the demand of Rajasthan Government about the management of Sambhar Salts Ltd. if so, the details thereof; and

(b) whether Government have formulated any plan for the coordination of industries based on salt produced around Sambhar Lake ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development and Internal Trade (Shri M. R. Krishna) : (a) Government have not received any demand from the Government of Rajasthan about the management of Sambhar Salts Ltd.

(b) No, Sir.

पंजाब में बिना चौकीदार के रेलवे फाटक

1122. **श्री देविन्दर सिंह गार्चा :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में बिना चौकीदार के कितने रेलवे फाटक हैं;

(ख) क्या सरकार ने उन रेलवे फाटकों पर चौकीदार रखने के लिए कोई योजना बनाई है; यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) एक हजार तीन सौ छिहत्तर।

(ख) और (ग). बिना चौकीदार वाले समपारों पर चौकीदारों की व्यवस्था करना एक निरन्तर प्रक्रिया है, जिसके लिए ऐसे समपारों पर होने वाले रेल एवं सड़क यातायात की आवधिक गणना की जाती है और उसके आधार पर, जहां औचित्य समझा जाता है, चौकीदारों की व्यवस्था करने के प्रस्ताव, वर्तमान नियमों के अनुसार, आने वाली प्रारम्भिक लागत के लिए उनकी स्वीकृति

के हेतु राज्य सरकार को भेज दिये जाते हैं। इस समय ऐसे 44 समपारों (संलग्न सूची के अनुसार) पर चौकीदारों की व्यवस्था करने के प्रस्ताव पंजाब सरकार के पास पड़े हैं। [**ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०** 4294/70]

उद्योगों का सर्वेक्षण

1123. **श्री देविन्दरसिंह गार्चा :** क्या **औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सभी उद्योगों का विधिवत सर्वेक्षण करने का है जिससे कि ऐसे क्षेत्रों में जिनमें वर्तमान क्षमता सम्भावित मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है, संयुक्त उद्यम चालू न करने के लिए सावधानी बरती जा सके; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) और (ख). विदेशी सहयोग की आवश्यकता पर निरन्तर निगाह रखी जाती है और उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों में तकनालोजी तथा उत्पादन की विशिष्ट कमी का निर्धारण समय-समय पर किया जाता है। सरकार की मूलभूत नीतियों जिनमें देशीय साधनों जैसे कच्चा माल मशीनों तथा उपकरणों, तकनालोजी का अधिकतम उपयोग तथा दुर्लभ विदेशी मुद्रा का यथासम्भव बचाना, और इसके साथ-साथ निर्यात की वृद्धि सम्मिलित है, को ध्यान में रखते हुए को मुख्यतया उच्च वरीयता तथा विशिष्ट तकनालोजी के क्षेत्र में विदेशी विनियोजन की अनुमति दी जाती है ताकि महत्त्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्रों में देशीय क्षमता का आवश्यक सीमा तक विकास किया जाये। उन उद्योगों की जिनमें विदेशी विनियोजन की गुंजाइश है अथवा जिनमें आवश्यकता नहीं है उनकी उदाहरणात्मक सूचियां सरकार द्वारा तैयार तथा प्रकाशित की गयी हैं।

गैर-सरकारी क्षेत्र के साथ सहयोग द्वारा उपभोक्ता सामग्री का निर्माण

1124. **श्री देविन्दर सिंह गार्चा :** क्या **औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निजी क्षेत्र उद्योग के साथ सहयोग द्वारा उपभोक्ता सामग्री के निर्माण के लिए विस्तृत योजनाएँ बनाई हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) सरकार ने गैर-सरकारी क्षेत्रों के सहयोग से उपभोक्ता वस्तुएँ बनाने की कोई भी व्यापक योजना तैयार नहीं की है। फिर भी सरकार सरकारी क्षेत्रों में कुछ ऐसी उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन प्रारम्भ करने के प्रश्न पर विचार कर रही है जिनके उत्पादन और पूर्ति में अधिक अन्तर है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

Manufacture of Small Car in Vehicles Factory at Jabalpur

1125. Shri Yashwant Singh Kushwah : Will the Minister of **Industrial Development and Internal Trade** be pleased to state :

(a) whether possibility of manufacturing small car in the Vehicles Factory at Jabalpur has been explored; and

(b) if so, the result thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development and Internal Trade (Shri M. R. Krishna) : (a) & (b). The Vehicles Factory at Jabalpur is intended to manufacture Shaktiman 3-Ton, Nissan Carrier and Nissan Patrol Vehicle mainly for the Armed Forces. The capacity will be fully utilised for the production of vehicles for Defence needs.

बड़े औद्योगिक गृहों को लाइसेंस देना

1126 **श्री वासुदेवन नायर :** क्या **औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले एक वर्ष में कितने नये औद्योगिक लाइसेंस दिये गये;

(ख) इनमें से कितने लाइसेंस बड़े औद्योगिक गृहों को दिये गए; और

(ग) इन गृहों को दिये गये लाइसेंसों का विवरण क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) और (ख). 1969-70 (अगस्त) तक 418 औद्योगिक लाइसेंस दिये गये, इनमें से 221 सन् 1969 में तथा 197 सन् 1970 में दिये गये । 418 लाइसेंसों में से 83 लाइसेंस बृहत और बृहत्तर औद्योगिक गृहों को दिये गये जिनमें से 61 सन् 1969 में तथा 22 लाइसेंस 1970 में दिए गए ।

इन लाइसेंसों के अतिरिक्त इसी अवधि में अर्थात् 1969 तथा 1970 (अगस्त) तक 641 आशय पत्र जारी किए गए, इनमें से 334 (1969 में) तथा 307 (1970 में) जारी किए गए । 641 आशय पत्रों में से 118 बृहत और बृहत्तर औद्योगिक गृहों को दिए गए जिनमें 75 (1969) में तथा 43 (1970) में जारी किए गए ।

(ग) इन लाइसेंसों और आशय पत्रों का विवरण अनेक सार्वधिक जनरलों में प्रकाशित किया जाता है जैसे वीकली बुलैटिन आफ इण्डस्ट्रीयल लाइसेन्सेज, इम्पोर्ट लाइसेन्सेज, एक्सपोर्ट लाइसेन्सेज, दी वीकली इण्डियन ट्रेड जनरल और मंथली जनरल आफ इण्ड० एण्ड ट्रेड । इन प्रकाशनों की प्रतियां संसद लाइब्रेरी को भेजी जाती हैं ।

इस्पात की प्रौद्योगिकी का विकास तथा इस्पात कारखानों के लिए फालतू पुर्जों का निर्माण

1127 **श्री सु० कु० तापड़िया :** क्या **इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग** मन्त्री 18 अगस्त, 1970 के तारांकित प्रश्न संख्या 468 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के इस्पात उद्योग को बढ़िया किस्म के इस्पात उत्पादन में, जिस पर भारत की करोड़ों रुपये की विदेशी मुद्रा व्यय होती है, सक्षम बनाने के हेतु आवश्यक तकनीकी ज्ञान तथा उपकरण अर्जित करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है;

(ख) अतिरिक्त उपकरण, जो पर्याप्त मात्राओं में उपलब्ध नहीं हैं और जिनकी कमी से इस्पात संयंत्रों की कार्यक्षमता पर बुरा प्रभाव पड़ता है, प्राप्त करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में राउरकेला में 24000 टन ठंडी वेलित ग्रेन ओरियेंटेड चादरें तथा 36,000 टन ठंडी बेलित नान ग्रेन ओरियेंटेड चादरों का निर्माण करने के लिए एक संयन्त्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। दुर्गापुर के मिश्र इस्पात संयन्त्र का 1·0 से 2·0 लाख टन पिण्ड तक विस्तार करने का भी प्रस्ताव है।

(ख) विदेशों से फालतू पुर्जों के आयात को आसान बनाने के लिए फालतू पुर्जों तथा इनके लिए आवश्यक विदेशी मुद्रा की आवश्यकताओं के लिए पूर्व आयोजन किया जा रहा है। आयातित फालतू पुर्जों की प्रतिस्थापना के प्रयत्न भी किए जा रहे हैं। प्रत्येक संयन्त्र में आयात तथा प्रतिस्थापन कार्य में सहायता देने के लिए एक फालतू पुर्जों का कक्ष या उपकरण योजना विभाग खोले गए हैं। अनुषंगी उद्योगों के प्रोत्साहन के लिए सब आवश्यक सहायता प्रदान की जाती है। भारी इन्जीनियरिंग निगम तथा माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी निगम भी इस्पात संयन्त्रों के लिए उपकरण तथा फालतू पुर्जों का निर्माण करती है।

कागज उद्योग सम्बन्धी विचार गोष्ठी

1128. **श्री सु० कु० तापड़िया** : क्या **औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार** मन्त्री कागज उद्योग के सम्बन्ध में 11 अगस्त, 1970 के अतारांकित प्रश्न सं० 2233 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कागज मिलों के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए बनाई गई समिति ने इस बीच अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है; और

(ख) यदि नहीं, तो प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत कर दिया जाएगा ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

अखबारी कागज के आयात के लिए विदेशी मुद्रा

1129. **श्री सु० कु० तापड़िया** : क्या **औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अखबारी कागज और अन्य के आयात पर भारत कितनी विदेशी मुद्रा खर्च कर रहा है; और

(ख) अखबारी कागज उद्योग की क्षमता बढ़ाने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार मार्च 1970 को समाप्त होने वाले वर्ष में 18.57 करोड़ रुपये के मूल्य के 1.5 लाख टन अखबारी कागज का तथा 4 54 करोड़ रुपये के मूल्य के .14 लाख टन का आयात किया गया।

(ख) निम्नलिखित परियोजनाओं की स्थापना तथा कार्यान्वियन हेतु हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन की स्थापना की गई है—

(1) केरल में यूक्लेप्टिस पर आधारित 75,000 मी० टन प्रतिवर्ष की क्षमता के अखबारी काग़ज़ के कारखाने की स्थापना।

(2) 80,000 मी० टन वार्षिक क्षमता का आसाम में एक लुग्दी तथा कागज का कारखाना जो कि बांस को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करेगा। इसमें से 50,000 मी० टन प्रतिवर्ष लिखने का कागज तथा शेष 30,000 मी० टन बाजारी लुग्दी होगी।

(3) नागालैंड में बांस तथा घास पर आधारित 30,000 मी० टन की वार्षिक क्षमता का कागज तथा लुग्दी का कारखाना।

(4) नेपाल के अखबारी कागज के कारखाने की क्षमता को 30,000 मी० टन प्रतिवर्ष की क्षमता का विस्तार कर 75,000 मी० टन प्रति वर्ष करने के कार्य को क्रियान्वित किया जा रहा है और उसके 1971 के अन्त तक पूर्ण होने की आशा है।

(5) एक गैर सरकारी पार्टी, मेसर्स गोपाल पेपर मिल्स की हिमाचल प्रदेश में 60,000 मी० टन प्रतिवर्ष क्षमता के कारखाने का प्रस्ताव शीघ्र ही क्रियान्वित होने की आशा है।

(6) सन्तुलन उपकरणों की व्यवस्था पर विद्यमान मशीनों से कागज के उत्पादन में वृद्धि करने हेतु 'क्रैश' कार्यक्रम का निरूपण तथा कार्यान्वियन।

(7) कागज उद्योग में गैर सरकारी क्षेत्र से नये विनियोजन को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम द्वारा ट्रैक्टर बनाने के कारखाने की स्थापना

1930. **श्री सु० कु० तापड़िया** : क्या औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मन्त्री 11 अगस्त, 1970 के अतारांकित प्रश्न सं० 2224 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम द्वारा राज्य में ट्रैक्टर बनाने का कारखाना स्थापित करने के लिए दिए गए प्रार्थना-पत्र पर सरकार द्वारा निर्णय लेने में विलम्ब करने के क्या कारण हैं; और

(ख) अन्तिम निर्णय कब तक ले लिया जाएगा ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) और (ख). राजस्थान सरकार कृषि उद्योग निगम को फ्रांस के मैसर्स रिनाल्ट के सहयोग से जयपुर अथवा जोधपुर में कृषि ट्रैक्टर बनाने के लिए एक नया औद्योगिक एकक स्थापित करने के लिए दिनांक 10 नवम्बर, 1970 को एक आशय-पत्र जारी किया गया था।

गुजरात में बाढ़ के कारण रेलवे को हुई हानि

1131. **श्री शंकरराव माने** : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात राज्य में हाल में आई बाढ़ के परिणामस्वरूप रेलवे को कितनी हानि हुई है;

(ख) क्या रोकथाम सम्बन्धी उपायों पर विचार किया गया था; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) लगभग 4·92 करोड़ रुपये।

(ख) और (ग). पुलों के जल निकास को बढ़ाने और जहां कहीं आवश्यक समझा जाय, वहां रेल पथ को ऊंचा करने के प्रश्न की जांच की जा रही है, जिसके लिए सर्वेक्षण किया जा रहा है। अब तक एकत्रित आंकड़ों के आधार पर, 2 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत की 5 परियोजनाओं को अन्तिम रूप दिया जा चुका है।

महाराष्ट्र में औद्योगिक परियोजनाएं

1132. **श्री शंकरराव माने** : क्या **औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग द्वारा महाराष्ट्र की चालू उद्योग परियोजनाओं को अनुमति प्रदान कर दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी औद्योगिक परियोजनाओं की संख्या क्या है और योजना आयोग द्वारा कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार उप-मन्त्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) और (ख). केन्द्रीय सरकार द्वारा चौथी पंचवर्षीय योजना में विभिन्न राज्यों में जिसमें महाराष्ट्र भी शामिल है, जिन औद्योगिक परियोजनाओं के स्थापित किये जाने का विचार है, उनके

प्रकार, स्थान और प्रस्तावित विनियोजन का उल्लेख फोर्थ फ़ाइव इयर प्लान (1969-74) रिपोर्ट के पृष्ठ 326-330 में किया गया है।

स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और समाज कल्याण सम्बन्धी कार्य के विकास के लिए 'यूनिसेफ' के साथ करार

1133. **श्री शंकरराव माने** : क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में भारत ने 'यूनिसेफ' के साथ कितने करार किये हैं;

(ख) क्या भारत सरकार का विचार स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और समाज कल्याण के विकास सम्बन्धी कार्य के लिए एक नया करार करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विधि मन्त्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य-मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) से (ग). भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि के साथ 1949 में केवल एक समझौता, जो मूलभूत समझौता कहलाता है, किया था, जिसके द्वारा भारत तथा संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि के बीच सम्बन्ध का विनियमन होता है। यह समझौता अब भी लागू है।

संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि की सहायता से स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, समाज कल्याण, व्यावसायिक प्रशिक्षण इत्यादि के क्षेत्र में कार्यक्रमों/परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए सरकार जब कभी आवश्यक होता है, कार्य-योजनाओं पर हस्ताक्षर करती है, जिससे सरकार और संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि की वचनबद्धता का पता चलता है। सहायता के विभिन्न क्षेत्रों में पिछले दो वर्षों (1968 तथा 1969) में स्वीकार की गई ऐसी कार्य-योजनाओं तथा स्वीकार की जाने वाली नई कार्य-योजनाओं, यदि कोई स्वीकार की गई तो, के सम्बन्ध में सूचना सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

औद्योगिक विकास में क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करना

1134. **श्री हेम बरुआ** : क्या **औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विशेष रूप से पिछड़े क्षेत्रों के सम्बन्ध में औद्योगिक असमानता को दूर करने के लिए अब तक क्या कदम उठाये गए हैं; और

(ख) क्या सरकार को पता है कि औद्योगिक विकास में इस असमानता के कारण देश में असन्तोष व्याप्त है ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) और (ख). सरकार इस देश के विभिन्न भागों के लोगों की आवश्यकताओं व आकांक्षाओं से

अवगत है। औद्योगिक नीति का एक उद्देश्य यथासम्भव औद्योगिक विकास के सम्बन्ध में क्षेत्रीय विषमताओं को दूर करना है। क्षेत्रीय विषमताओं को दूर करने के लिए औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक कारखाने स्थापित करने के प्रस्तावों के लिए लाइसेंस देने के सम्बन्ध में विचार करते समय प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अतिरिक्त भारत का औद्योगिक विकास बैंक और भारत का औद्योगिक वित्त निगम जैसी वित्तीय संस्थाएं इन क्षेत्रों के चुने हुए जिलों के सम्बन्ध में वित्त की व्यवस्था करने में रियायत देंगी। कुछ शर्तों के अधीन रहते हुए कुछ जिले सीधे आर्थिक सहायता की स्वीकृति के लिए भी चुने गए हैं। राज्य सरकारों ने पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक कारखानों की स्थापना के लिए विभिन्न रियायतों व प्रोत्साहनों की घोषणा की है। आशा है कि इन उपायों के फलस्वरूप औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक गतिविधि काफी बढ़ जाएगी।

स्कूटरों का निर्माण करने वाले कारखानों का विस्तार

1135. **श्री हेम बरुआ :**

श्री क० प्र० सिंह देव :

श्री वेणी शंकर शर्मा :

क्या **औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने स्कूटर निर्माण करने वाले दो वर्तमान कारखानों का विस्तार करने सम्बन्धी निर्णय स्थगित कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) देश में बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) स्कूटर बनाने वाले वर्तमान दो एककों के आवेदन पत्र जो कि उत्पादन क्षमता में पर्याप्त विस्तार किये जाने के बारे में हैं, इस समय विचाराधीन हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) विस्तार के लिए स्कूटर बनाने वाले वर्तमान दो एककों के आवेदनों के अलावा, जो कि विचाराधीन हैं, चौदह पार्टियों को स्कूटर बनाने के लिए आशय-पत्र पंजीयत प्रमाण पत्र जारी किये गए अथवा जारी किये जा रहे हैं।

सरकार ने विस्तार की व्यवस्था करने के साथ-साथ दो पाली के आधार पर परीक्षित विदेशी नमूने के 1,00,000 स्कूटर प्रतिवर्ष का आरम्भिक क्षमता वाला स्कूटर बनाने का एक कारखाना सरकारी क्षेत्र में भी स्थापित करने का निश्चय किया है। इस निर्णय के अनुसरण में इच्छुक विदेशी पार्टियों से प्रस्ताव मांगे गए हैं। प्रस्तावित परियोजना में बनाये जाने वाले स्कूटर के उपयुक्त नमूने तथा विदेशी सहयोगकर्ता का चयन प्रस्तावों के प्राप्त हो जाने तथा उसकी जांच किये जाने के पश्चात् किया जाएगा।

लघु इंजीनियरिंग उद्योगों में संकट की स्थिति

1136. **श्री आदिचन :** क्या **औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जुलाई, 1970 के आरम्भ में कलकत्ता में इंडियन इंजीनियरिंग एसोसिएशन द्वारा आयोजित विचार गोष्ठी में सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया था कि सामान्यत: देश भर में और विशेषकर पश्चिम बंगाल में छोटे उद्योगों को (1) धन की कमी और (2) कच्चे मालों की कमी की दो मुख्य बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इन बाधाओं को दूर करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). यह सच है कि बहुत सारे लघु उद्योग एकक आर्थिक अभाव और कुछ प्रकार के कच्चे माल की कमी अनुभव कर रहे हैं। जहाँ तक पैसे का प्रश्न है 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने के बाद स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। जहां तक इस्पात की कमी का सवाल है सरकार द्वारा वांछित किस्म के इस्पात का, विशेष रूप से लघु उद्योग एककों के लिए, प्रपुंज आयात किया जा रहा है। लघु उद्योग क्षेत्र द्वारा अपेक्षित अन्य कच्चे माल की आयात लाइसेंस प्रक्रिया को और उदार बना दिया गया है।

मनीपुर में लोहे की नालीदार चादरों के कारखाना मूल्य तथा बाजार मूल्य

1137. **श्री एम० मेघचन्द्र :** क्या **इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग** मंत्री मनीपुर में लोहे की नालीदार चादरों का कारखाना मूल्य तथा बाजार मूल्य के बारे में 1 सितम्बर, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4866 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इम्फाल में बाजार मूल्य के कम करने के लिए और मुनाफे को न्यूनतम करने के लिए अब तक क्या व्यावहारिक कार्यवाही की गई है, और

(ख) इम्फाल का स्टाक यार्ड मूल्य सम्भवत: कितना रहेगा ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) सारे देश में कीमतों को नियंत्रण में रखने के लिए जो कदम उठाये गये हैं उनमें देश में उत्पादन बढ़ाना, वितरण व्यवस्था को बेहतर बनाना और निर्यात को नियंत्रित करना शामिल है। प्रवृत्त निर्यात नीति के अन्तर्गत जस्ती नालीदार चादरों के निर्यात की अनुमति नहीं है।

(ख) सारे देश में हिन्दुस्तान स्टील लि० के स्टाकयार्डों में जस्ती नालीदार चादरों का आधार मूल्य 2333 रुपये प्रति टन है। इसमें कोटि और प्रमाप के लिए अतिरिक्त मूल्य, यथा-प्रतिग्राह्य, और जोड़ा जाता है।

मनीपुर में कागज बनाने का कारखाना स्थापित करना

1138. **श्री एम० मेघचन्द्र : क्या औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार** मंत्री मनीपुर में कागज बनाने का कारखाना स्थापित करने के बारे में 11 अगस्त, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2244 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मनीपुर में एक कागज का कारखाना स्थापित करने की सम्भावनाओं का पता लगाया है; और

(ख) यदि हां, तो उस निर्णय का ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार उप-मंत्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) और (ख). एक तकनीकी दल ने हाल ही में मनीपुर, त्रिपुरा व आसाम का दौरा किया था। उसने एक प्रतिवेदन दिया है जो सरकार के विचाराधीन है।

मनीपुर में सरकारी क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना

1139. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या **औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार** मंत्री मनीपुर में सरकारी क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना के बारे में 31 मार्च, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4559 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1970-71 की वार्षिक प्रारूप योजना में सम्मिलित बड़े तथा मध्यम दर्जे के उद्योगों सम्बन्धी परियोजना प्रतिवेदनों का अनुमोदन केवल सरकार द्वारा किया जाता है ;

(ख) यदि नहीं, तो परियोजना प्रतिवेदनों को अनुमोदित करने में विलम्ब के क्या कारण हैं, और

(ग) क्या उन उद्योगों सम्बन्धी परियोजना प्रतिवेदन तैयार हैं और क्या उनकी जांच कर ली गई है ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) से (ग). चौथी पंचवर्षीय योजना में मनीपुर के लिए बड़े और मध्यम श्रेणी के उद्योगों के अन्तर्गत मूलरूप में तैयार की गई तीन योजनाओं की स्थिति इस प्रकार है—

सीमेंट फैक्टरी (30 मी० टन प्रतिदिन)

इस योजना विषयक प्रायोजना प्रतिवेदन को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया जा सकता है। इस कार्य के लिए मनीपुर प्रशासन द्वारा एक नये सलाहकार की नियुक्ति की गई है। प्रायोजना प्रतिवेदन प्राप्त हो जाने पर इस योजना पर शीघ्र निर्णय लिया जा सकेगा।

खण्डसारी चीनी मिल (60 मी० टन प्रतिदिन गन्ना पेरने की क्षमता वाली)

यह एकक स्वीकृत योजना है तथा 1970-71 के लिए 9 लाख रुपयों के विनियोजन की

व्यवस्था है।

बुनाई मिल (कपास फसल सम्बन्धी प्रयोगात्मक तथा प्रदर्शनात्मक योजना)

इस क्षेत्र में कपास की फसल पर प्रयोग सम्बन्धी प्रयोगात्मक तथा प्रदर्शनात्मक योजना को अब कृषि सम्बन्धी कार्यक्रमों में सम्मिलित कर लिया गया है। कपास की फसल विषयक प्रयोगों के सफल हो जाने पर कपास और रूई म से बिनौला आदि निकालने वाली एक मिल की औद्योगिक प्रायोजना के रूप में स्थापना करने के प्रश्न पर विचार किया जा सकेगा।

सरकारी उपक्रमों से संयंत्रों तथा उपकरणों को बदलने का कार्यक्रम

1141. **श्री रवि राय** : क्या **औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मन्त्रालय ने एक करोड़ या इससे अधिक मूल्य के भारी संयन्त्र वाले उपक्रमों को निर्देश दिया है कि उपकरणों के तुरन्त बदलने तथा अन्य तात्कालिक आवश्यकताओं के सम्बन्ध में विस्तृत अध्ययन करके इस सम्बन्ध में 1971-75 का वार्षिक कार्यक्रम भेजें ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उनका इस सुझाव का कितनी फर्मों ने उत्तर दिया है ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) जी, हां।

(ख) दिनांक 25 अक्टूबर 1970 को जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति की एक प्रतिलिपि संलग्न है। [**ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०** 4295/70]

(ग) अभी तक किसी भी उपक्रम से कोई उत्तर नहीं मिला है।

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के इस्पात प्रद्रावन विभाग में तालाबन्दी

1142. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुछ दिन पूर्व दुर्गापुर इस्पात संयंत्र (हिन्दुस्तान स्टील) के प्रद्रावन विभाग (मेल्टिंग शाप) में, जिसमें लगभग 1365 श्रमिक काम करते हैं, किन परिस्थितियों के कारण तालाबन्दी करनी पड़ी ;

(ख) क्या तालाबन्दी की घोषणा का निर्णय करने से पूर्व मान्यताप्राप्त 'हिन्दुस्तान स्टील कर्मचारी संघ' के अतिनिधियों से परामर्श किया गया था और इस संबध में उनके विचारों पर ध्यान दिया गया था ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) फर्नेस स्टेज के मजदूरों ने 26-9-70 को आकस्मिक हड़ताल कर दी थी। 27-9-70 को प्रदर्शन के दौरान कुछ अधिकारियों पर प्रहार किये गये, कार्यालय के सामान और अभिलेखों को आग लगा दी गई। चूंकि सामान्य रूप से काम करना असम्भव था, महत्त्वपूर्ण संयंत्रों तथा उपकरणों की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो गया था और वफादार मजदूरों और अधिकारियों की जान खतरे में थी, इसलिए प्रबन्धकवर्ग को तालाबन्दी की घोषणा करनी पड़ी। 20-10-70 को तालाबन्दी हटा दी गई, परन्तु मजदूर काम पर नहीं आए। राज्य के श्रम-आयुक्त के समक्ष समझौता वार्ता तथा प्रबन्धक वर्ग और श्रमिक वर्ग में समझौते के फलस्वरूप 31-10-70 को मजदूर काम पर वापस आ गए।

(ख) और (ग). 26-9-70 को गैर कानूनी हड़ताल के बाद प्रबन्धकों ने 27-9-70 को हिन्दुस्तान स्टील कर्मचारी संघ को एक पत्र भेजा जिसमें उनसे अपने प्रभाव का प्रयोग करने और स्टील मेल्टिंग शाप का फरनेस स्टेज में सामान्य अवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया था।

11-सूत्री कार्यक्रम में इन्चार्ज संयुक्त निदेशक के विरुद्ध याचिका

1143. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको इण्डियन रेलवे वर्कर्स (कोई विशिष्ट नाम नहीं दिए गए) से "11-सूत्री कार्यक्रम सैल रेलवे मंत्रालय इंचार्ज संयुक्त निदेशक साधु (कर्नल) शिव किशोर द्वारा रिश्वत लिये जाने" के शीर्षक के अन्तर्गत कोई याचिका खण्ड 2 प्राप्त हुई है;

(ख) क्या यह सच है कि सम्बन्ध अधिकारी अपने निजी हितों के लिए अपने सरकारी पद का दुरुपयोग कर रहा है ;

(ग) क्या उन्होंने (याचिका में दिए गए) आरोपों की जांच की है ; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी हां।

(ख) से (घ). याचिका में लगाये गये आरोपों की इस समय जांच की जा रही है।

कोटुक से चित्तलदुर्ग (दक्षिण मध्य रेलवे) तक रेलवे लाइन का बढ़ाया जाना

1145. **श्री स० अ० अगड़ी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर राज्य में कोटल्टरन से चित्तलदुर्ग (दक्षिण मध्य रेलवे) तक रेलवे लाइन को बढ़ाने के लिए कोई सम्भाव्यता सर्वेक्षण किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो चित्तल दुर्ग तक लाइन बढ़ाये जाने के लिए किस स्टेशन से सर्वेक्षण किया गया है ; और

(ग) क्या कोई प्राक्कलन तैयार किया गया है ; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) से (ग) . कोट्टूर-हरिहर रेलवे लाइन और विकल्प के रूप में यशवन्तनगर एवं चित्तलदुर्ग के बीच रेलवे लाइन के लिए इंजीनियरी सर्वेक्षण का क्षेत्र-कार्य पूरा हो गया है और रिपोर्ट संकलित की जा रही है, लेकिन यातायात सर्वेक्षण का काम चल रहा है। सर्वेक्षण पूरे होने और रिपोर्टों को अन्तिम रूप दिये जाने के बाद ही इस परियोजना का और ब्यौरा मालूम होगा।

रेलवे कर्मचारियों के लिए सीमित आरक्षण
(विशेषाधिकार पास पी० टी० ओ०)

1146. **श्री लोबो प्रभु** : क्या **रेलवे** मंत्री रेलवे कर्मचारियों के लिए सीमित आरक्षण के सम्बन्ध में 11 अगस्त, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2216 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्षेत्रीय रेलवे द्वारा गत वर्ष जब रेल यात्रियों की अधिक भीड़ थी, विशेषाधिकार पासों तथा पी० टी० ओ० के लिए कितनी प्रतिशतता नियत की गई थी और वह कितनी-कितनी अवधि के लिए दिए गए थे ;

(ख) इस शिकायत को दूर करने के लिए कि रेलवे कर्मचारियों द्वारा उपलब्ध स्थानों का अधिकतर उपयोग किया जाता है क्या वे क्षेत्रीय प्रशासन को कहेंगे कि कुछ भिन्नता के साथ आरक्षण की प्रतिशतता नियत की जाए;

(ग) यात्रियों से प्राप्त आय में इतनी ही हानि को देखते हुए नियत प्रतिशतता 10 प्रतिशतता से अधिक होने के क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) एक विवरण संलग्न है जिसमें सूचना दी गयी है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 4296/70]

(ख) और (ग). यह सुनिश्चित करने के लिए कि महत्त्वपूर्ण डाक/एक्सप्रेस गाड़ियों में उपलब्ध स्थान सुविधा पास/सुविधा टिकट आदेशधारी व्यक्तियों द्वारा अनियमित रूप से न ले लिया जाये, क्षेत्रीय रेल प्रशासनों को पहले से ही हिदायतें हैं कि कुल उपलब्ध शायिकाओं/सीटों आदि और प्रत्येक गाड़ी के सम्बन्ध में जनता से स्थान की मांग के रुख को ध्यान में रखते हुए व्यस्त अवधियों में सुविधा पास/सुविधा टिकट आदेशधारियों द्वारा आरक्षण किये जाने पर उपयुक्त प्रतिबन्ध लगायें। प्रश्न के भाग (क) के उत्तर से सम्बन्धित विवरण से यह देखा जा सकता है कि कुछ गाड़ियों पर सुविधा पास/सुविधा टिकट आदेशधारी व्यक्तियों के आरक्षण बिलकुल वर्जित हैं और कुछ अन्य कम महत्त्वपूर्ण गाड़ियों पर या तो सीमित संख्या में शायिकाएं/सीटें निर्धारित की गयी हैं या कुछ प्रतिशत जो 20 से 25 प्रतिशत से अधिक न हो, सुविधा पास/सुविधा टिकट आदेशधारी व्यक्तियों के आरक्षण के लिए निश्चित किया गया है। इसलिए इस प्रयोजन के लिए स्थान का निश्चित प्रतिशत निर्धारित करना व्यावहारिक नहीं समझा जाता। सरकार रेल कर्मचारियों की ये रियायतें मंजूर करने में हानि नहीं समझती बल्कि उनकी सेवा की शर्तों के भाग के रूप में से ऐसी वस्तु समझती है जिसके लिए वे वैध रूप से पात्र हैं और इसलिए इन रियायतों को देने से सरकार की किसी तरह की हानि होने का कोई प्रश्न नहीं है।

कुर्ग जिले में सूक्ष्म उपकरण उद्योग

1147. **श्री लोबो प्रभु :** क्या **औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुर्ग जिले को, जो सूक्ष्म उपकरणों के उत्पादन के लिए सर्वोपयुक्त वातावरण वाला स्थल है, सूक्ष्म उपकरण उद्योगों की स्थापना के लिए अब तक न चुने जाने के क्या कारण हैं;

(ख) ऐसे दूसरे क्षेत्रों के नाम क्या हैं जहां सूक्ष्म उपकरण उद्योगों की स्थापना की गई है और क्या वहाँ अधिक लाभ प्राप्त है ;

(ग) क्या उनके मन्त्रालय ने सूक्ष्म उपकरण उद्योगों की स्थापना के लिए राज्य सरकार तथा गैर-सरकारी पार्टियों द्वारा दिए गए प्रस्तावों पर विचार किया है; और

(घ) क्या सरकार नये सूक्ष्म उपकरण उद्योग की स्थापना तथा वर्तमान उद्योग के विस्तार के लिए कुर्ग क्षेत्र के बारे में विचार कर रही है, क्योंकि कुर्ग जिले का बिलकुल भी औद्योगीकरण नहीं हुआ है ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) से (घ). विभिन्न स्थानीय तथा आर्थिक और तकनीकी विचारों को ध्यान में रखते हुए सूक्ष्म यन्त्रों के उत्पादन के लिए एक सरकारी उपक्रम (मैसर्स इनस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड) की स्थापना कोटा में की गई है । निकट भविष्य में इसी क्षेत्र में ऐसी किसी दूसरी सरकारी परियोजना की स्थापना का प्रस्ताव नहीं है । इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि जिला कुर्ग औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है, यदि किसी गैर-सरकारी पार्टी से सूक्ष्म यन्त्रों के निर्माण का अथवा अन्य उद्योगों की स्थापना का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ तो उस पर पूर्ण रूप से विचार किया जाएगा ।

निर्वाचित निकायों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व

1148. **श्री लोबो प्रभु :** क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निर्वाचित निकायों में महिलाओं का वर्तमान प्रतिनिधित्व कितना है ;

(ख) क्या पंचायत से लेकर संसद तक सभी निर्वाचित निकायों में महिलाओं के लिए 25 प्रतिशत स्थानों का आरक्षण किया जाएगा ; और

(ग) क्या उनके मंत्रालय का विचार इस प्रस्ताव पर जनता की और राज्यों की राय जानने का है, ताकि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में अपेक्षित संशोधन किया जा सके ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जहां तक संसद और राज्य विधान मण्डलों का सम्बन्ध है, उन निकायों में महिलाओं के लिए स्थानों के आरक्षण के लिए कोई भी उपबन्ध संविधान में या संसद द्वारा बनाई गई निर्वाचन विधि में नहीं है । फिर भी दो विवरण सदन के पटल पर रख दिए गए हैं, जिनमें लोक-सभा और राज्य

विधान सभाओं में निर्वाचन से भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या तथा उन निकायों के लिए निर्वाचित महिलाओं की संख्या दी गई है। [ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 4297/70] पंचायतों, नगर निगमों आदि जैसे निर्वाचित निकाय केन्द्रीय सरकार के क्षेत्र में नहीं आते।

(ख) जहां तक संसद और राज्य विधान मण्डलों का सम्बन्ध है, ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है।

(ग) जी नहीं।

सरकारी कालोनियों आदि में महिलाओं के लिए कार्यक्रम

1149. **श्री लोबो प्रभु :** क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सिलाई के अतिरिक्त भोजन बनाने तथा घर की देख-भाल करने आदि विषयों को पढ़ाने और प्रमाण-पत्र देने का है क्योंकि महिला समाज के लिए कोई नियत पैटर्न नहीं है ;

(ख) क्या कार्यक्रम को इस प्रकार बनाया जाएगा कि उसके अन्तर्गत नृत्य, गायन, नाटक और खेलों को भी शामिल किया जा सके ;

(ग) क्या रेलवे की सरकारी कालोनियों, सरकारी उपक्रमों तथा केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के कर्मचारियों को महिला समाज में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा ; और

(घ) क्या स्कूलों को, विशेषकर लड़कियों के स्कूलों को, इसमें भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और क्या अध्यापक/अध्यापिकाओं के कार्य का मूल्यांकन किया जाएगा और उनको रिकार्ड में रखा जाएगा।

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य-मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) से (घ). आवश्यक सूचना एकत्रित की जा रही है तथा प्राप्त होने पर उसे सभा के पटल पर रख दिया जाएगा।

त्रिपुरा में कागज बनाने वाली मिल

1150. **श्री किरित विक्रम देव वर्मन :** क्या **औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा में कागज तथा गूदा मिल के लिए कच्चे माल की काफी मात्रा में उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए वहां सरकारी या गैर-सरकारी क्षेत्र में एक ऐसी मिल स्थापित करने का मामला सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है और प्रस्तावित कागज गूदा संयंत्र की उत्पादन क्षमता सम्भवतः कितनी होगी ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) और (ख). पूर्वी क्षेत्र परिषद की स्थायी समिति द्वारा स्थापित कार्यकारी दल ने पूर्वी क्षेत्र में उपलब्ध वन संशोधनों का उपयोगी रूप में प्रयोग करने के बारे में हाल ही में विचार किया गया है। त्रिपुरा में लघु कागज़ मिल की स्थापना बचतपूर्ण नहीं भी हो सकती है। अतः कार्यकारी दल ने मणिपुर, त्रिपुरा, मिजो पहाड़ों तथा असम के कचार जिलों में उपलब्ध बांस संशोधनों पर आधारित एक बड़े गूदा मिल की स्थापना का सुझाव दिया है। इस प्रकार के प्रस्ताव की संभाव्यता को स्थापित करने की दृष्टि से बांस संसाधन का विनियोजन पूर्व सर्वेक्षण कराने की आवश्यकता है तथा कार्यकारी दल ने इसे प्राथमिकता दी है।

योजना आयोग ने त्रिपुरा सरकार को परामर्श दिया है कि इस प्रकार का सर्वेक्षण कृषि तथा खाद्य मंत्रालय के साथ विचार विमर्श करके किया जा सकता है। यदि सर्वेक्षण से संसाधनों की पर्याप्त उपलब्धता सिद्ध हो जाती है तो ऐसी एक परियोजना के विकास करने की सम्भावना हो सकती है जिसे पंचम योजना में सम्मिलित करने पर विचार किया जा सकता है। इसी बीच योजना आयोग ने उन्हें परामर्श दिया है कि प्रारम्भ में त्रिपुरा की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए एक छोटे मिल की स्थापना की सम्भावनाओं का पता लगाया जाये जो हिन्दुस्तान कागज निगम लि० द्वारा स्थापित की जाने वाली प्रस्तावित असम गूदा तथा कागज परियोजना से उपलब्ध गूदे पर आधारित हो।

धर्मनगर से अगरतला तक रेलवे लाइन के विस्तार के लिए सर्वेक्षण प्रतिवेदन

1151. **श्री किरित विक्रम देव बर्मन** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धर्मनगर से अगरतला तक रेलवे लाइन के प्रस्तावित विस्तार के मामले में सर्वेक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और बढ़ाई गई इस नई लाइन पर खोले जाने वाले रेलवे स्टेशनों की कितनी संख्या है और उनके क्या नाम हैं;

(ग) सर्वेक्षण प्रतिवेदन के अनुसार प्रस्तावित लाइन के प्रसार की अनुमानित लागत क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा उस पर क्या निर्णय लिया गया ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) जी हां।

(ख) सर्वेक्षण रिपोर्टों के अनुसार, लाइन लगभग 153 कि० मी० लम्बी होगी और इस पर (धर्मनगर को छोड़कर) पानीसाकर, पाचरताल, कुमारघाट, मनु, अम्बासा, मुनियावारी, तेलियामुरा, जिरानिया और अगरतला में 9 स्टेशन होंगे।

(ग) इस परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 45·30 करोड़ रुपये होगी।

(घ) इस समय सर्वेक्षण रिपोर्टों की रेलवे बोर्ड द्वारा जांच की जा रही है। जांच का काम पूरा हो जाने के बाद लाइन के निर्माण के सम्बन्ध में कोई विनिश्चय किया जायेगा।

विदेशी सहयोग से सरकारी क्षेत्र में छोटी कारों का निर्माण

1152. **श्री क० प्र० सिंह देव :** क्या **औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नई दिल्ली स्थित अनेक विदेशी दूतावासों तथा जर्मनी, इटली, इंगलैंड, जापान आदि स्थित भारतीय मिशनों को लिखा है कि वे उन देशों के कार निर्माताओं को भारत में सरकारी क्षेत्र में छोटी कार बनाने के कार्य में उनके सहयोग की सम्भावनाओं के बारे में सूचित करें; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा इस सम्बन्ध में सरकार को कैसे उत्तर मिले हैं ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) जी, हां ।

(ख) सरकारी क्षेत्र में यात्री कार बनाने की प्रायोजना के लिए भारत सरकार द्वारा आमंत्रित सहयोग के संदर्भ में फ्रांस, इटली, जापान तक संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के ओटोमोबाइल उत्पादकों ने रुचि ली है । उन सबसे अपनी-अपनी योजना का विस्तृत विवरण 30 नवम्बर तक देने को कहा गया है । विवरणों की प्रतीक्षा की जा रही है ।

प्राइम स्टील का निर्यात

1153. **श्री क० प्र० सिंह देव :** क्या **इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

वर्ष 1968-69 तथा 1969-70 में कितनी मात्रा में तथा कितने मूल्य के प्राइम इस्पात का निर्यात किया गया और सरकार का विचार निर्यात में कहां तक कमी करने का है ?

इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : 1968-69 और 1969-70 की अवधि में निर्यात किये गये बढ़िया इस्पात की मात्रा निम्न-लिखित है :—

		मुल्य लाख रुपये में
1968 69	822,877 मि० टन	4746
1969-70	793,863 मि० टन	5345

वर्ष 1970-71 के लिए लोहे और इस्पात को निर्यात नीति की घोषणा 5 अक्तूबर 1970 को की गई थी । इन नीति में, गत वर्ष की नीति की तुलना में कुछ गुणात्मक तथा मात्रात्मक प्रतिबन्ध लगाये गये हैं ।

भारत में फोर्ड फाउन्डेशन द्वारा छोटी कारों का निर्माण

1154. **श्री क० प्र० सिंह देव :**

श्री रामचन्द्र वीरप्पा :

क्या **औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फोर्ड फाउन्डेशन ने भारत में छोटी कारों के निर्माण के मामले में रुचि दिखाई है;

(ख) यदि हां, तो क्या फोर्ड फाउन्डेशन से इस सम्बन्ध में सरकार के समक्ष कोई प्रस्ताव रखा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) से (ग). सरकारी क्षेत्र में यात्री कारें बनाने वाली प्रस्तावित प्रायोजना में मैसर्स फोर्ड प्रोडक्ट्स कम्पनी ने सहयोग देने में रुचि दिखलाई है न कि फोर्ड फाउन्डेशन ने। फोर्ड फाउन्डेशन से प्रस्ताव का विस्तृत विवरण 30 नवम्बर, 1970 तक मांगा गया है। इसकी प्रतीक्षा की जा रही है।

माल यातायात के लक्ष्य को कम किया जाना

1155. **श्री सु० कु० तापड़िया** : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने चौथी पंचवर्षीय योजना में रेलवे के माल यातायात के लक्ष्य को कम करने पर विचार किया है और उस पर सहमत हुआ है;

(ख) क्या इसके मुख्य कारण लोहा तथा इस्पात उद्योग में गतिविधियों का कम होना, संयत्रों में कच्चे मालों का कम मात्रा में भेजा जाना तथा उस के परिणामस्वरूप निर्मित तथा अनिर्मित मालों का यातायात रुक जाना है ;

(ग) इन कमियों के कारण रेलवे के राजस्व में कितनी हानि होने का अनुमान है ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) प्रत्याशित भाड़ा यातायात में 2650 लाख की अपेक्षा 2405 लाख की कमी हो जाने के कारण पूरी चौथी योजना अवधि में कुल आमदनी में लगभग 176 करोड़ रुपये की कमी होने का अनुमान है।

भिक्षावृत्ति पर प्रतिबन्ध

1156. **श्री देवराव पाटिल** : क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्यों ने भीख मांगने पर प्रतिबन्ध लगाकर उन्हें दंडनीय अपराध घोषित कर दिया है; और

(ख) क्या राज्य सरकार ने भिखारियों द्वारा जीविका कमाने के लिए कोई योजना भी तैयार की है ?

विधि मन्त्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) और (ख). भिक्षावृत्ति के नियन्त्रण से सम्बन्धित समस्याओं को प्राथमिक रूप से राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व समझा जाता है। विभिन्न राष्ट्रों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में भिक्षा-विरोधी कानूनों की कार्यान्विति दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। भिखारियों के कल्याण के लिए स्थापित की गई वर्तमान राज्य संस्थाओं की संख्या दर्शाने वाली एक सूची भी संलग्न है। **[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 4298/70]**

आधा टिकट प्रणाली की समाप्ति

1157. **श्री न० रा० देवघरे** : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रेलवे में आधा टिकट प्रणाली समाप्त करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो आधा टिकट प्रणाली के स्थान पर किये गए अन्य निर्णय क्या हैं;

(ग) रेलवे को नई प्रणाली से कहां तक लाभ होगा; यदि हां, तो कितना; और

(घ) उपरोक्त भाग (क) में उल्लिखित निर्णय को कब क्रियान्वित करने का विचार है ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) से (घ). इस आशय का एक सुझाव मिला है कि तीन वर्ष की आयु तक के बच्चों से कोई किराया न लेने और 12 वर्ष की आयु तक के बच्चों से आधा किराया लेने की वर्तमान व्यवस्था की जगह $7\frac{1}{2}$ वर्ष की आयु तक के बच्चों से किराया न लेने और उससे अधिक की आयु के बच्चों से पूरा किराया लेने का विकल्प अपनाया जाये। यह सुझाव अभी विचाराधीन है और अभी तक किसी ठोस प्रस्ताव को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

1158. **श्री न० रा० देवघरे** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली, मद्रास, बम्बई और कलकत्ता में ट्यूब रेलवे चालू करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो किये गये निर्णय का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, ता सरकार का विचार इन नगरों में कब ट्यूब रेलवे चालू करने का है ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) से (ग)।

1. कलकत्ता : 1·1 कलकत्ता में उपनगरीय विसर्जन लाइन परियोजना के लिए अन्तिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण करने, विस्तृत अभिकल्प तैयार करने, अनुमान तैयार करने आदि का काम नवम्बर, 1969 में शुरू किया गया था और ये काम अप्रैल, 1971 के अन्त तक पूरे हो जाने की सम्भावना है।

1·2 रेलों के महानगर पारवहन संगठन, कलकत्ता ने जनवरी, 1970 में कलकत्ता के लिए व्यापक द्रुत परिवहन प्रणाली के लिए तकनीकी-आर्थिक अध्ययन शुरू किया

था । व्यापक द्रुत पारवहन प्रणाली के अन्तर्गत भूगत और/या जमीन से ऊपर उठी हुई महानगरीय रेलवे लाइनें बिछायी जायेंगी । व्यापक द्रुत पारवहन प्रणाली के उत्तर-दक्षिणी और पूर्व-पश्चिमी गलियारों के लिए धरातलीय सर्वेक्षण किये जा रहे हैं जिनमें 'ट्रैवर्सिंग', 'डिटेलिंग' समतलन आदि कार्य शामिल हैं । सीवर, केबल जैसी वर्तमान भूगत सेवाओं के स्थान निर्धारण से सम्बन्धित सर्वेक्षण और 100° से अधिक स्थानों पर बोरिंग सहित भू-अन्वेषण का काम भी हो रहा है । सुरंग पार्श्व, सुरंग अस्तर, स्टेशन नक्शों, वाहन अनुरक्षण डिपो आदि के लिए प्रारम्भिक डिजाइन तैयार करने का काम भी शुरू किया गया है ।

1·3 व्यापक द्रुत पारवहन प्रणाली के दो गलियारों के लिए यातायात सर्वेक्षण का काम पश्चिम बंगाल सरकार के कलकत्ता महानगर योजना संगठन द्वारा किया गया था । कलकत्ता महानगर योजना संगठन को पूरक प्रारम्भिक-गन्तव्य सर्वेक्षण और व्यापक द्रुत पारवहन प्रणाली की योजना के लिए अपेक्षित अतिरिक्त यातायात सम्बन्धी आंकड़े इकट्ठे करने का काम सौंपा गया है । कलकत्ता महानगर परिवहन संगठन इन सर्वेक्षणों और अध्ययनों से प्राप्त होने वाली आधार सामग्री उपलब्ध करा रहा है । आशा है, वे मार्च, 1971 तक अपना काम पूरा कर लेंगे ।

1·4 सर्वेक्षण और अध्ययनों के मामले में व्यापक द्रुत पारवहन प्रणाली के भाग 1 में शामिल टालीगंज से डलहौजी स्क्वेयर और डलहौजी स्क्वेयर से सियालदह तक के खण्डों को प्राथमिकता दी जा रही है । व्यापक द्रुत पारवहन प्रणाली के भाग 1 के सम्बन्ध में लगभग 6 महीने में पर्याप्त तकनीकी-आर्थिक आधार-सामग्री उपलब्ध हो जाने की संभावना है जिससे उपनगरीय विसर्जन लाइन परियोजना और व्यापक द्रुत पारवहन प्रणाली परियोजना की तुलना की जा सकेगी । इस तुलना में कार्य सम्बन्धी उपयुक्तता, निर्माण की लागत, निर्माण के लिए अपेक्षित समय, विदेशी मुद्रा की आवश्यकताएं, परिचालन तथा अनुरक्षण की लागत आदि पर विचार किया जाएगा और इससे इस निर्णय पर पहुंचा जा सकेगा कि इन दोनों परियोजनाओं में से कौन-सी परियोजना को निर्माण के मामले में प्राथमिकता दी जानी चाहिए ।

1·5 कलकत्ता के लिए महानगर रेल पारवहन परियोजना के बारे में तकनीकी सलाह देने के लिए भारत में एक परामर्श दल तैनात करने के सम्बन्ध में सरकार ने मास्को की टेक्नोएक्सपोर्ट के साथ एक करार किया है । यह दल, जिसमें 5 रूसी विशेषज्ञ और एक तकनीकी सचिव होंगे, भारत में दो महीने रहेगा ।

2. बम्बई : 2·1 महाराष्ट्र सरकार के 'यातायात कक्ष' ने, जिसे योजना आयोग के महानगर परिवहन दल द्वारा बम्बई के लिए यातायात सर्वेक्षण का काम सौंपा गया था, अपना अध्ययन पूरा कर लिया है और अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है । महानगर परिवहन दल अब इस रिपोर्ट से प्राप्त हुए आंकड़ों का अध्ययन कर रहा है । बम्बई में व्यापक द्रुत पारवहन प्रणाली के लिए गलियारे के सम्बन्ध में महानगर परिवहन दल की सिफारिशें 1970 के अन्त तक उपलब्ध होने की आशा है ।

2·2 रेलों ने बम्बई में एक महानगर परिवहन संगठन स्थापित किया है। बम्बई में व्यापक द्रुत पारवहन प्रणाली के लिए तकनीकी-आर्थिक व्यावहारिकता अध्ययन से सम्बन्धित प्रारम्भिक काम पूरा कर लिया गया है। बम्बई में व्यापक द्रुत पारवहन प्रणाली के गलियारों के लिए महानगर परिवहन दल की सिफारिशें प्राप्त होने के बाद शीघ्र ही तकनीकी आर्थिक व्यावहारिकता अध्ययन सम्बन्धी क्षेत्र-कार्य प्रारम्भ होगा। यह काम 1972 के उत्तरार्द्ध में पूरे होने की आशा है।

2·3 बम्बई के रेलवे महानगर परिवहन संगठन ने वलार्ड एस्टेट में तीसरे टर्मिनल और साथ ही तीसरे टर्मिनल की पहुंच लाइन के इंजीनियरिंग व्यावहारिकता अध्ययन और प्रारम्भिक इंजीनियरिंग सर्वेक्षण का काम नवम्बर, 1969 में शुरू किया था। इन अध्ययनों और सर्वेक्षणों के नवम्बर, 70 तक पूरे हो जाने की आशा है।

2·4 जहां तक बम्बई में व्यापक द्रुत पारवहन प्रणाली की व्यवस्था का सम्बन्ध है, विनिश्चय करने के लिए बम्बई में व्यापक द्रुत पारवहन प्रणाली के लिए तकनीकी-आर्थिक व्यावहारिकता अध्ययन से, तथा तीसरे टर्मिनल और उसकी पहुंच लाइन के लिए होने वाले इंजीनियरी व्यावहारिकता अध्ययन और प्रारम्भिक इंजीनियरिंग सर्वेक्षण से उपलब्ध होने वाले आंकड़े पर्याप्त सिद्ध होंगे। बम्बई में व्यापक द्रुत पारवहन प्रणाली के लिए परियोजना रिपोर्ट, विस्तृत अनुमान, अभिकल्प आदि तैयार करने का काम तदुपरान्त शुरू किया जाएगा।

3. दिल्ली : 3·1 दिल्ली के लिए महानगर परिवहन दल द्वारा एक विस्तृत यातायात एवं परिवहन सर्वेक्षण केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान को सौंपा गया है। इन अध्ययनों से यातायात सम्बन्धी आंकड़े 1970 के अन्त तक उपलब्ध होने की सम्भावना है। दिल्ली में व्यापक द्रुत पारवहन प्रणाली के लिए गलियारों के सम्बन्ध में यातायात आंकड़ों पर आधारित महानगर परिवहन दल की सिफारिशें 1971 के प्रारम्भ में दिये जाने की आशा है। रेलें तभी इस स्थिति में होंगी कि वे दिल्ली में व्यापक द्रुत पारवहन प्रणाली के लिए तकनीकी-आर्थिक व्यावहारिकता अध्ययन शुरू कर सकें। इन अध्ययनों के 1971-72 के वित्तीय वर्ष में प्रारम्भ होने की सम्भावना है। आशा है व्यापक द्रुत पारवहन प्रणाली के लिए तकनीकी-आर्थिक व्यावहारिकता अध्ययन 18 से 24 महीने तक का समय लेगा।

4 मद्रास : 4·1 मद्रास के लिए यातायात और परिवहन का विस्तृत सर्वेक्षण महानगर परिवहन दल द्वारा तमिलनाडु सरकार के "यातायात कक्ष" को सौंप दिया गया था। इन अध्ययनों के यातायात सम्बन्धी आंकड़े 1970 के अन्त तक मिलने की आशा है। मद्रास में व्यापक द्रुत पारवहन प्रणाली के लिए गलियारों के सम्बन्ध में यातायात के आंकड़ों के आधार पर तैयार की गयी महानगर परिवहन दल की सिफारिशें शुरू 1971 में दिये जाने की आशा है। रेलें तभी इस स्थिति में होंगी कि वे मद्रास में व्यापक द्रुत पारवहन प्रणाली के लिए तकनीकी-आर्थिक व्यावहारिकता अध्ययन

प्रारम्भ कर सकें। ये अध्ययन 1971-72 के वित्तीय वर्ष के दौरान शुरू होने की आशा है। आशा है व्यापक द्रुत पारवहन प्रणाली के लिए तकनीकी आर्थिक व्यावहारिकता अध्ययन में 18 से 24 महीने तक का समय लगेगा।

5. **निर्माण का समय**—व्यापक, द्रुत, पारवहन प्रणाली के लिए किए जाने वाले सर्वेक्षण और तकनीकी आर्थिक अध्ययन से ऐसे आंकड़े उपलब्ध हो जायेंगे जिनके आधार पर इन परियोजनाओं के निर्माण का काम शुरू करने और निर्माण पूरा करने के लिए अपेक्षित समय के बारे में निर्णय किया जा सकता है।

हिमाचल प्रदेश में मोटे कागज की कमी

1159. **श्री न० रा० देवघरे** : क्या **औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में मोटे कागज की बहुत अधिक कमी है और उसके परिणामस्वरूप हिमाचल प्रदेश सरकार गत मार्च में मैट्रिक की परीक्षा पास करने वाले 15,000 उम्मीदवारों को प्रमाणपत्र जारी नहीं कर सकी है।

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) मोटे कागज की कमी और इसके फलस्वरूप होने वाली किसी भी कठिनाई की कोई सूचना सरकार को नहीं है।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

मेरठ शहर स्टेशन (उत्तर रेलवे) के सरकारी धन के गबन से सम्बद्ध कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही

1160. **श्री ओंकार लाल बेरवा** : क्या रेलवे मंत्री मेरठ शहर के पार्सल कर्मचारियों द्वारा सरकारी धन के गबन से सम्बद्ध 25 अगस्त, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3874 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही को साधारण दंड से भारी दंड में परिणत कर दिया गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख). बड़ा दण्ड देने के लिए अभी कार्यवाही शुरू नहीं की गई है। पहले जो कार्यवाही की गई थी, उसके परिणामस्वरूप कर्मचारियों को मामूली दंड दिया गया है। मामले की पुनरीक्षा की जा रही है।

Welfare of Harijans of Hoshangabad and East Nimar Districts, M. P.

1161. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of Law and Social Welfare be pleased to state :

(a) the total amount sanctioned by Government for the welfare of Harijans of Hoshangabad and East Nimar Districts (Madhya Pradesh) ;

(b) Whether the desired improvement in the economic and social conditions of Harijans and the educational facilities for them did not take place during the last three Five Year Plans ; and

(c) the details of the programme chalked out for the welfare of Harijans of the said districts during the Fourth Five Year Plan ?

The Minister of State in the Ministry of Law and in the Department of Social Welfare (Shri Jagannath Rao) : (a) to (c). The details are being collected from the State Government and will be laid on the table of the Sabha as soon as available.

Proposal by Madhya Pradesh Government regarding Extension of Railway Lines.

1162. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether the Madhya Pradesh Government have submitted any proposal for extension of Railway lines in the State during the Fourth Plan ;

(b) if so, the details of the proposal ; and

(c) the decision taken thereon ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) Yes.

(b) The details of the proposal for construction of lines received from the State Government of Madhya Pradesh are as under :

(i)	Dhalli Rajhara-Dantewara	B.G.
(ii)	Satna-Rewa-Govindgarh	B.G.
(iii)	Indore-Dohad	B.G.
(iv)	Mahoba-Khajuraho	B.G.

(c) Construction of new lines are never envisaged on any state-wise or region-wise concepts, but on overall development considerations in the national interest. The Fourth Plan proposals for new lines have not yet been finalised. However, feasibility-cum-cost study surveys for the Dhalli Rajhara-Dantewara rail link have been carried out recently and this was found to be unremunerative.

Representations regarding Stoppage of Varanasi Express at certain stations.

1163. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) the names of stations between Burhanpur and Itarsi for which representations have been received by Government for halting of Varanasi Express ;

(b) whether those representations have been given due weightage in formulating the new Railway Time Table;

(c) whether it is a fact that among the stations where the Varanasi Express halts and the stations in the case of which representations for halting the Varanasi Express have been made, the former are smaller town stations than the latter and do not have any other significance; and

(d) if so, the reasons for providing halts at those smaller town stations and not at the bigger stations ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) Nepa Nagar, Khirkiya, Timarni and Banapura.

(b) Yes.

(c) and (d). Between Itarsi and Burhanpur 27 Dn/28 Up Bombay-Varanasi Express stops at Harda, Harsud, Bir and Khandwa stations. The estimated population as also the offering of traffic at Harda and Khandwa is more than that at Nepa Nagar, Khirkiya, Timarni and Banapura stations. Bir and Harsud stations offer more traffic compared to Khirkiya, Timarni and Banapura but slightly less in comparision to Nepa Nagar. A 'Request Halt' is provided to Nos. 27/28 Bombay-Varanasi Express at Nepa Nagar. Stoppage of 27 Dn/28 Up Bombay-Varanasi Express at Harda, Harsud, Bir and Khandwa stations is, therefore, justified on traffic considerations. The question of converting the existing Request Halt of 27 Dn/28 Up Express at Nepa Nagar station into a regular stoppage is being reconsidered with reference to the pattern of traffic offering there.

Avenues of Promotion of Teachers Employed in Railway Schools.

1164. **Shri Chandrika Prasad** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state the avenues of promotion for the teachers of the Railway Schools ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : Posts of Teachers in various scales of pay are created according to the worth of charge. Specific qualifications and experience have been prescribed for higher grade posts. Teachers are considered for promotion to higher grade posts according to availability of vacancies provided they fulfil the requisite qualifications and are found suitable for the post.

Definition of Trained Graduates

1165. **Shri Chandrika Prasad** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state the degrees falling within the ambit of the word 'Trained' in the term 'Trained Graduate' in respect of teachers employed in Railway Schools ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : The word "Trained" in the term "Trained Graduate" includes the degrees B.T./B.Ed. or its equivalent obtained after the basic degree B.A. or its equivalent.

वैस्ट कोस्ट रेल मार्ग का निर्माण-कार्य

1166. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे विभाग ने बम्बई को बंगलौर से मिलाने वाले वैस्ट कोस्ट रेल मार्ग का

निर्माण-कार्य शीघ्र पूरा करने के लिए योजनायें बनाई हैं ;

(ख) यदि हां, तो इन योजनाओं का स्वरूप क्या है ;

(ग) सरकार का इस रेलवे लाइन पर निर्माण-कार्य वास्तव में कब आरम्भ करने का विचार है; और

(घ) इस पर अनुमानतः कितनी लागत आयेगी और निर्माण-कार्य कब पूरा हो जायेगा ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) से (घ). आपता (बम्बई के निकट) से मंगलूर तक एक नयी लाइन के लिए विस्तृत यातायात सर्वेक्षण और उसके साथ मार्ग निर्धारण इंजीनियरिंग सर्वेक्षण किया जा रहा है। इन सर्वेक्षणों के पूरा हो जाने और उनके परिणाम ज्ञात हो जाने के बाद ही नई लाइन पर आने वाली वास्तविक लागत और इसके निर्माण में लगने वाले सम्भावित समय का पता चल पायेगा। लाइन के निर्माण के बारे में निर्णय भी इसके बाद ही किया जायेगा।

बजाज बन्धुओं तथा आटोमोबाइल प्राडक्ट्स आफ इंडिया, बम्बई द्वारा निर्मित स्कूटर की लागत

1167. **श्री जार्ज फरनेन्डीज : क्या औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स बजाज बन्धुओं द्वारा निर्मित स्कूटर आटोमोबाइल प्राडक्ट्स आफ इंडिया, बम्बई द्वारा निर्मित स्कूटर से भार में हल्का है तथा इसके उत्पादन की लागत कम है।

(ख) यदि हां, तो दोनों स्कूटरों का तुलनात्मक तकनीकी ब्यौरा क्या है;

(ग) दोनों स्कूटरों के सापेक्ष मूल्य क्या हैं, और

(घ) क्या दोनों कम्पनियों के मूल्य उत्पादन लागत के अनुरूप हैं ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) यह सही है कि मैसर्स बजाज आटो द्वारा निर्मित स्कूटर आटोमोबाइल प्राडक्ट्स आफ इंडिया द्वारा निर्मित स्कूटर की अपेक्षा हल्का है। किन्तु उसके वजन के हल्के होने से यह निष्कर्ष निकालना कि उसकी लागत कम आती होगी सही नहीं होगा क्योंकि कई और विभिन्न तत्व हैं जो कि स्कूटर की उत्पादन लागत को प्रभावित करते हैं।

(ख) वेस्पा का निर्माण धातुओं की चादरों से निर्मित पुर्जों के चेसी से होता है जबकि लेम्ब्रेटा की चेसी से जोड़ रहित धातु की नलकियों को मोड़ कर बनाई जाती हैं। वेस्पा में पहिये अपनी गति सीधे इन्जन से गियरों के माध्यम से प्राप्त करते हैं जबकि लेम्ब्रेटा में यह गति चैन के माध्यम में आती है।

वेस्पा के पहिये तथा टायर का माप 3 50 8 है जबकि लेम्ब्रेटा का 3 50 10।

सामान्यतः लेम्ब्रेटा स्कूटर आधार में वेस्पा की अपेक्षा कुछ बड़ा है।

(ग) वेस्पा का कारखाने से निकलते समय का विक्रय मूल्य 2,396.31 रुपये है जबकि लेम्ब्रेटा का यह मूल्य 2,369·77 रुपये है।

(घ) यह दोनों गाड़ियां मौलिक रूप से भिन्न-भिन्न नमूने की हैं और इनका निर्माण दो भिन्न संयंत्रों से होता है। तथापि विक्रय मूल्य का निर्धारण, उत्पादन लागत तथा पूंजीगत विनियोजन पर उचित लाभ को ध्यान में रखते हुए किया गया है।

बम्बई के लिए भूमिगत रेलवे

1169. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का बम्बई में एक भूमिगत रेलवे बनाने का कार्य आरम्भ करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार को बम्बई में भूमिगत रेलवे बनाने संबंधी सम्भाव्यता की जांच करने के लिए नियुक्त निकाय की रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) से (घ)

1. योजना आयोग के महानगर परिवहन दल ने जो प्रारम्भिक अध्ययन किए हैं उनसे पता चला है कि बम्बई के लिए एक व्यापक द्रुत पारवहन प्रणाली की जरूरत है। इस व्यापक द्रुत पारवहन प्रणाली के अन्तर्गत भूगत और/या जमीन से ऊपर उठी हुई महानगरीय रेलवे लाइनें होंगी। बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली और मद्रास के महानगरीय क्षेत्रों की परिवहन सम्बन्धी समस्याओं का अध्ययन करने के लिए योजना आयोग ने 1965 में महानगर परिवहन दल की स्थापना की थी। इस महानगर परिवहन दल ने बम्बई महानगरक्षेत्र के लिए यातायात एवं परिवहन के व्यापक अध्ययन का काम महाराष्ट्र सरकार के नगर योजना के अन्तर्गत "यातायात कक्ष" को सौंप दिया। "यातायात कक्ष" ने अपना अध्ययन पूरा कर लिया है और उसने 1970 के शुरू में ही अपनी रिपोर्ट महानगर परिवहन दल को पेश कर दी थी। इस रिपोर्ट में बम्बई के लिए व्यापक द्रुत पारवहन प्रणाली की व्यवस्था करने की सिफारिश की गयी है। इस समय महानगर परिवहन दल यातायात "रिपोर्ट" से प्राप्त हुए आंकड़ों का अध्ययन कर रहा है। बम्बई में व्यापक द्रुत पारवहन प्रणाली के लिए गलियारों के सम्बन्ध में महानगर परिवहन दल की सिफारिशें 1970 के समाप्त होने से पहले ही प्राप्त हो जाने की आशा है।

2. नगर में महानगरीय रेलवे लाइन परियोजनाओं (व्यापक द्रुत, पारवहन प्रणाली) के बारे में कार्रवाई करने से लिए रेल प्रशासन ने बम्बई में एक महानगर परिवहन परियोजना

संगठन स्थापित किया है। बम्बई में व्यापक द्रुत पारवहन प्रणाली के लिए तकनीकी आर्थिक व्यावहारिकता अध्ययन से संबंधित प्रारम्भिक काम पूरा कर लिया गया है। बम्बई में व्यापक द्रुत पारवहन प्रणाली के गलियारों के लिए महानगर परिवहन दल की सिफारिशें प्राप्त हो जाने के बाद शीघ्र ही महानगर परिवहन परियोजना संगठन द्वारा बम्बई में व्यापक द्रुत पारवहन प्रणाली के लिए तकनीकी-आर्थिक व्यावहारिकता अध्ययन संबंधी क्षेत्र-कार्य शुरू कर दिया जायेगा। यह काम 1972 के उत्तरार्द्ध में पूरा हो जाने की आशा है।

3. बंबई में रेलवे के महानगर परिवहन परियोजना संगठन ने एस्टेट में तीसरे टर्मिनल तथा तीसरे टर्मिनल की पहुंच लाइन के इंजीनियरिंग व्यावहारिकता अध्ययन और प्रारंभिक इंजीनियरिंग सर्वेक्षणका काम नवम्बर, 1969 में शुरू कर दिया था। इन अध्ययनों और सर्वेक्षणों का काम नवम्बर, 1970 के अन्त तक पूरा हो जाने की आशा है।

4. बम्बई में व्यापक द्रत पारवहन प्रणाली के लिए तकनीकी-आर्थिक व्यावहारिकता अध्ययनों और तीसरे टर्मिनल और उसकी पहुंच लाइन के लिए इंजीनियरिंग व्यावहारिकता अध्ययन और प्रारंभिक इंजीनियरिंग सर्वेक्षणों से उपलब्ध होने वाले आंकड़े बम्बई के लिए व्यापक द्रुत पारवहन प्रणाली की व्यवस्था के संबंध में प्रस्ताव तैयार करने के लिए पर्याप्त होंगे। इन प्रस्तावों को तैयार कर लेने के बाद बम्बई में व्यापक द्रुत पारवहन प्रणाली के लिए परियोजना रिपोर्ट, विस्तृत अनुमान, अभिकल्प आदि तैयार करने का काम शुरू किया जा सकेगा।

5. बम्बई के महानगर परिवहन परियोजना संगठन को हिदायत दी गयी है कि वह महाराष्ट्र सरकार के "यातायात कक्ष" द्वारा किए गए यातायात सर्वेक्षण से प्राप्त होने वाले आंकड़ों का अध्ययन करे और उस पर अपने विचार व्यक्त करे। ये विचार महानगर परिवहन परियोजना संगठन से एक रिपोर्ट के रूप में प्राप्त हुए हैं। इस रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि बम्बई में नगर के भीतर यातायात की माँग बढ़ने की जो सम्भावना है उसे पूरा करने के लिए एक महानगरीय रेल प्रणाली की व्यवस्था करनी होगी। उपनगरीय रेल प्रणाली पर वहन क्षमता को यथासंभव अधिकतम सीमा तक बढ़ा दिये जाने के बाद भी ऐसी रेल प्रणाली की जरूरत पड़ेगी।

पश्चिम रेलवे में टाइपिस्टों के अस्थायी पदों को स्थायी बनाया जाना

1171. **श्री प्र० न० सोलंकी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम रेलवे के विभिन्न डिवीजनों में इस समय टाइपिस्टों के अस्थायी पदों की संख्या कितनी है; और उनमें कितने पद भविष्य में बने रहने की संभावना है ;

(ख) क्या निर्धारित प्रतिशतता, अर्थात् 210-380 (ए) के लिए 10 प्रतिशत और 130-300 रु० (ए) के लिये 40 प्रतिशत, के अनुसार उच्च ग्रेड के पदों का दर्जा बढ़ाने के उद्देश्य से पश्चिम रेलवे के किसी कार्यालय/एकक/विभाग में तीन वर्षों से अधिक समय से विद्यमान टाइपिस्ट

के ऐसे अस्थायी पदों को, जिनके अनिश्चित अवधि तक बने रहने की संभावना है, भी गिना जाता है;

(ग) यदि नहीं, तो कितने समय के पश्चात् टाइपिस्टों के ऐसे अस्थायी पदों को, जिनके अनिश्चित अवधि तक बने रहने की संभावना है, स्थायी पदों में परिवर्तित करने पर विचार किया जाएगा ;

(घ) तीन वर्षों से अधिक समय से विद्यमान तथा अनिश्चित अवधि तक बने रहने वाले अस्थायी पदों को स्थायी पदों के रूप में परिवर्तित न करने के क्या कारण हैं ; और

(ङ) इन अस्थायी पदों को स्थायी पदों में परिवर्तित करने के लिये संबंधित विभाग/कार्यालय द्वारा क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) से (ग). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

पश्चिम रेलवे में छुट्टी रिजर्व टाइपिस्ट

1172. **श्री प्र० न० सोलंकी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम रेलवे में डिवीजनवार कुल कितने छुट्टी रिजर्व टाइपिस्ट हैं;

(ख) रेलवे के लिये कितने प्रतिशत छुट्टी रिजर्व टाइपिस्टों की व्यवस्था की जा सकती है ;

(ग) क्या पश्चिम रेलवे की हर इकाई/विभाग में इस समय नियुक्त छुट्टी रिजर्व टाइपिस्ट निर्धारित प्रतिशतता के अनुसार है ;

(घ) यदि नहीं, तो उन कार्यालयों/विभाग/ इकाइयों के नाम क्या हैं जहां छुट्टी रिजर्व टाइपिस्ट निर्धारित प्रतिशतता के अनुसार छुट्टी रिजर्व टाइपिस्ट न रखने के क्या कारण हैं; और

(ङ) इस कमी को पूरा करने के लिए विभाग/कार्यालय का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) विभिन्न मंडलों में 110-180 रु० (अधिकृत) वेतनमान में छुट्टी रिजर्व टाइपिस्टों के 16 पद इस प्रकार हैं—

बम्बई— 3
बड़ौदा— 3
रतलाम— 2
कोटा— 1
अजमेर— 2
जयपुर— 1
राजकोट— 2
भावनगर—2

(ख) 12·5

(ग) से (ङ). जयपुर और कोटा मंडलों में एक छुट्टी रिजर्व टाइपिस्ट की कमी है। कमी को पूरा करने के प्रस्तावों की जाँच की जा रही है।

पश्चिमी रेलवे नियोजित टाइपिस्ट

1173. **श्री प्र० न० सोलंकी** : क्या रेलवे मंत्री 16 दिसम्बर, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4060 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपरोक्त उत्तर में बताये गए पश्चिम रेलवे में नियोजित 210-380 रुपये, 130-300 रुपये और 110-180 रुपए के वेतनमानों में टाइपिस्टों की संख्या निर्धारित प्रतिशतता क्रमशः 40% और 50% के अनुसार है; और

(ख) यदि नहीं, तो संबंधित विभागों में कमी यदि कोई हो, को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख). पश्चिम रेलवे पर 210-380 रुपये, 130-300 रुपये और 110-180 रुपये ग्रेड में टाइपिस्टों के पदों का वितरण स्थायी पदों के मामले में, निर्धारित प्रतिशतता के आधार पर किया जाता है, पदोन्नति की हर यूनिट में अस्थायी पदों की संख्या इतनी कम है कि प्रतिशतता के आधार पर ऊँचे ग्रेड के पद नहीं बन पाते।

एक्स-रे और अन्य प्रकार की फिल्मों के उत्पादन में गिरावट

1174. **श्री के० रमानी** : क्या **औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान फोटो फिल्म मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी ओटाकमंड के अध्यक्ष ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में बताया है कि वर्ष 1969 के दौरान एक्स-रे और अन्य प्रकार की फिल्मों के उत्पादन में गिरावट आयी है ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1969-70 के दौरान उत्पादन का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उत्पादन में गिरावट के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) से (ग). 1969-70 की अवधि में हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस मेन्यूफैक्चरिंग कम्पनी लि० द्वारा किया गया एक्स-रे फिल्मों तथा अन्य प्रकार की फिल्मों का उत्पादन इससे पहले वर्ष के उत्पादन की तुलना में अधिक रहा है। वस्तुतः जैसा कि कम्पनी के अध्यक्ष ने अपनी 1969-70 की वार्षिक रिपोर्ट में बताया था कि 1969-70 में हुआ कुल उत्पादन इससे पहले वर्ष में हुए उत्पादन का करीब-करीब दुगना रहा है। फिर भी अध्यक्ष ने अपनी रिपोर्ट में साथ ही आयातित कच्चे माल की जगह देशी कच्चे माल के प्रयोग सम्बन्धी कतिपय तकनीकी कठिनाइयों का उल्लेख किया है जिनके न

होने पर एक्स-रे तथा अन्य प्रकार की फिल्मों का 1969-70 में वास्तव में हुए उत्पादन स्तर से कहीं अधिक हुआ होता ।

1969-70 के उत्पादन का विस्तृत विवरण इस प्रकार है—

उत्पादन	मात्रा
सिनेमा फिल्म पाजिटिव	16,18,126 वर्ग मीटर
सिने फिल्म साउन्ड	29,899 "
एक्स-रे फिल्म	3,56,679 "
रोल फिल्म	724 "
35 एम० एम० की निगेटिव फिल्म	2,146 "
फोटो ग्रैफिक कागज	1,41,898 "
अन्य	99,804 "
योग	22,49,276 वर्ग मीटर

अरहनिशि रोड और उत्तर कोयम्बटूर रेलवे क्रासिंग पर ऊपरी पुल का निर्माण

1175. **श्री के० रमानी** : क्या **रेलवे मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोयम्बटूर शहर में अरहनिशि रोड रेलवे क्रासिंग और उत्तर कोयम्बटूर रेलवे क्रासिंग पर ऊपरी पुल का निर्माण-कार्य आरंभ करने की स्वीकृति दी जा चुकी है ;

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) निर्माण-कार्य पूरा करने की निश्चित समय सीमा क्या है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख). जी नहीं, वैसे अविनाशी रोड पर कोयम्बटूर नगरपालिका सीमा के अन्दर कोयम्बतूर जंकशन और कोयम्बतूर नार्थ स्टेशनों के बीच 17/0 1 किलोमीटर सड़क मील 328/7 पर वर्तमान समपार के स्थान पर एक ऊपरी पुल बनाने का प्रस्ताव 1971-72 के रेलवे के निर्माण कार्यक्रम में शामिल किया जा रहा है ।

(ग) इस समय यह बताना असामयिक है क्योंकि इस पुल के निर्माण के समय को (जो रेलवे द्वारा बनाया जाना है) राज्य सरकार द्वारा बनाये जाने वाले पहुंच मार्गों के निर्माण के समय के अनुरूप रखना होगा ।

नेत्रहीनों के लिए प्रशिक्षण सुविधाओं के बारे में रूस में गए भारतीय दल की सिफारिशें

1176. **श्री रामचन्द्र वीरप्पा** : क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक भारतीय दल ने हाल ही में रूस का दौरा किया था और नेत्रहीनों के लिए प्रशिक्षण सुविधाओं की सिफारिशें की थीं ; और

(ख) यदि हां, तो दल की सिफारिशों का ब्यौरा क्या है ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी हां ।

(ख) सिफारिशों की एक प्रति सभा के पटल पर रखी जाती है ।

विवरण

सिफारिशें

सोवियत यूनियन में प्रतिनिधि मंडल के निष्कर्षों को देखते हुए निम्नलिखित सिफारिशें की जाती हैं—

1. कि प्रत्येक नेत्रहीन व्यक्ति को, जो योग्य और काम करने का इच्छुक है, जहां कहीं आवश्यक हो, उनके लाभ के लिए विशेष रूप से प्रवर्तित कारखानों में रोजगार दिया जाए ;

2. कि इस देश के प्रत्येक नेत्रहीन व्यक्ति को, चाहे वह लाभकारी रोजगार में लगा हुआ है अथवा नहीं, 20 रुपए की मासिक पेंशन देकर सामाजिक सुरक्षा को जारी करके शुरूआत की जाए ;

3. कि विकलांग व्यक्तियों, जिनमें नेत्रहीन व्यक्ति भी शामिल हैं, के लिए सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों में एक अथवा दो प्रतिशत रिक्तताएं निश्चित करने के लिए उचित विधेयक पेश किया जाए ;

4. कि नेत्रहीनों के लिए राष्ट्रीय केन्द्र, देहरादून की वर्कशाप/कारखाने के विस्तार की परियोजना के भाग के रूप में बिजली के स्विचों तथा बिजली के अन्य उपकरणों का निर्माण शुरू किया जाए । इस प्रकार की एक परियोजना बनाई जाए और सरकारी आधार पर सोवियत संघ से सहयोग मांगा जाए। इस प्रकार के कारखाने देश के अन्य भागों में भी स्थापित किए जाएं ; सोवियत सरकार इस प्रकार की परियोजनाओं में भारत के साथ सहयोग करने पर विचार करने के लिए सहमत होगी ;

5. कि सरकार इस आशय के आदेश जारी करे कि नेत्रहीनों की संस्थाओं से नेत्रहीनों द्वारा तैयार किए गए स्विच तथा अन्य वस्तुएं सभी सरकारी विभागों और सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा खरीदी जायें ;

6. (क) कि कोका कोला और अन्य हल्के पेयों, बीयर, शराब, औषधियों तथा ऐसे ही

पेयों के ढक्कनों/स्टापरों का निर्माण नेत्रहीनों के लिए राष्ट्रीय केन्द्र, देहरादून में किया जाए ;

(ख) कि बूट पालिश क्रीमों के लिए टीन के डिब्बे, दरवाजों के कब्जे तथा बल्ब होल्डर इत्यादि वस्तुओं के निर्माण की संभावना का पता लगाया जाए;

7. कि देश में केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा तथा स्वैच्छिक क्षेत्र में बहुत सी वर्कशापों की स्थापना की जाए, जिसके लिए उदारतापूर्वक सहायता दी जाए ;

8. कि नेत्रहीनों संबंधी स्कूल और अन्य प्रशिक्षण संस्थाएं कारखाने के काम के लिए आवश्यक कार्यों में नेत्रहीनों को तैयार करने के लिए उचित व्यावसायिक कार्यक्रम शुरू करें ;

9. कि नेत्रहीनों के स्कूलों में शिक्षा के पाठ्यक्रमों में व्यावसायिक प्रशिक्षण को अधिक स्थान दिया जाए ;

10. कि केन्द्रीय सरकार देश में नेत्रहीनों के लिए दो अच्छे सेनिटोरियम स्थापित करे ;

11. कि कम नजर वाले बच्चों के लिए स्कूलों का विकास करने में और विशेषतया ऐसे स्कूलों में साज-सामान और अन्य प्रबन्धों के संबंध में सलाह देने के लिए यदि आवश्यक हो तो सोवियत संघ से एक विशेषज्ञ बुलाया जा सकता है ;

12. कि इस देश में नेत्रहीनों को घटे मूल्यों पर मकान दिए जाएं । उन्हें आयकर से छूट दी जाए और ऐसी परिवहन सुविधाएं दी जाएं, जो उन्हें अब तक नहीं दी गई हैं ;

13. कि नेत्रहीनों के लिए राष्ट्रीय आधार पर एक अच्छा मनोरंजनात्मक कार्यक्रम बनाया जाए । कुछ क्लबों की स्थापना की जाए तथा स्वास्थ्य केन्द्रों पर नियमित रूप से ग्रीष्म शिविरों का आयोजन किया जाए । खेलों, संगीत, ब्रेल तथा अन्य विषयों में प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाए ;

14. कि नेत्रहीनों के लिए राष्ट्रीय केन्द्र ऐसे तरीकों का विकास करने के लिए सुव्यवस्थित अनुसंधान एकक स्थापित करे जिससे औद्योगिक कार्यों को सरल बनाया जा सके तथा जो नेत्रहीन औद्योगिक कामगरों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सुरक्षा साधनों का निर्माण करे ;

15. कि भारतीय प्रतिनिधि मंडल का रूस का दौरा बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ है और आगामी वर्षों में इस प्रकार के आपसी दौरे बहुत मूल्यवान होंगे और उन्हें बढ़ावा दिया जाए । 1971-72 में रूस से एक प्रतिनिधि मंडल को आमंत्रित किया जाए, जो भारत में नेत्रहीनों संबंधी सेवाओं का गहराई से अध्ययन करे और यहां नेत्रहीनों के पुनर्वास के लिए परियोजनाएं बनाने में हमें सलाह दे । अन्य देशों के साथ भी इस प्रकार के आपसी दौरों के कार्यक्रमों का प्रबंध किया जाए ।

ऊपर गिनाए गए प्रयोजनों के लिए भारत सरकार द्वारा बनाई गई परियोजनाओं के लिए रूस की सरकार सहायता देने के लिए तैयार होगी। उपयुक्त परियोजनाएं बनाई जाएं और उनकी कार्यान्विति के लिए विशेषज्ञों, मशीनरी तथा साज-सामान की आवश्यकताओं की रूपरेखा तैयार की जाए।

इण्डियन चेम्बर्स आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज द्वारा इस्पात के आयात की मांग

1177. **श्री रामचन्द्र वीरप्पा :**

श्री क० प्र० सिंह देव :

क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इण्डियन चेम्बर्स आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज़ के अध्यक्ष ने औद्योगिक उत्पादन एवं निर्यात के लिए चौथी योजना में नियत लक्ष्य प्राप्त करने हेतु इस्पात का बड़े पैमाने पर आयात करने की मांग की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, हां।

(ख) वास्तविक उपभोक्ताओं द्वारा आयात के बारे में सरकार ने पहले ही काफी ढील दे रखी है तथा कुछ किस्मों के उपभोक्ताओं के लिए थोक आयात का प्रबन्ध भी किया है। यदि आवश्यक हुआ तो इस बारे में आगे कदम उठाये जाएंगे।

ग्यारह सूत्री कार्यक्रम के पर्यवेक्षण कार्य का रेलवे बोर्ड को हस्तांतरण

1178. **श्री रामचंद्र वीरप्पा :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ग्यारह सूत्री कार्यक्रम, आरम्भ में जो उनकी निजी देख-रेख में पर्यवेक्षण के लिए बनाया गया था, अब नियन्त्रण और प्रचालन के लिए रेलवे बोर्ड को हस्तांतरित कर दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस हस्तांतरण के क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी नहीं।

(ख) सवाल नहीं उठता।

Railway Accident at Khurja Jn. (N. Rly)

1179. **Shri Sharda Nand :**

Shri Jyotirmoy Basu :

Shri Shashi Bhushan :

Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a large number of passengers were killed and injured in a train accident at Khurja Jn. during the month of October, 1970 ;

(b) if so, the details of those killed and wounded ; and

(c) the total amount of financial assistance given to the families of the deceased ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) & (b). In the collision between trains No. 1 AJD Up Aligarh-Delhi Passenger and 456 Down Diesel Goods at Khurja station on 26. 10. 1970, 9 persons were killed and 80 injured of whom 6 sustained grievous injuries.

(c) No claim for compensation under the Indian Railways Act has been received so far. Ex-gratia payment amounting to Rs. 3000/- has however been made in the cases of 6 deceased persons. Arrangements are being made to expedite the payment of compensation due under the Workmen's Compensation Act to the dependants of the deceased railway employees. In the case of the railway staff grievously injured compensation due under this Act will be paid when their injuries have healed and the extent of compensation due is determined.

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में समितियां नियुक्त करना

1180. **श्री सिद्द्य्या** : क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी मुख्य मंत्रियों से यह कहा गया था कि वे भी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए केन्द्र की संसदीय समितियों के अनुरूप विधान मंडलीय समितियों का गठन करें ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में मुख्य मंत्रियों की क्या प्रतिक्रिया हुई ; और

(ग) जिन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में ऐसी समितियां स्थापित की गई हैं उनके नाम क्या हैं ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) हां।

(ख) और (ग). मैसूर सरकार ने केन्द्र में संसदीय समिति के अनुरूप अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण के लिए एक समिति गठित की है।

नागालैंड सरकार ने बताया है कि नागालैंड में 90 प्रतिशत से भी अधिक आदिमजातीय आबादी होने के कारण इस प्रयोजन के लिए एक अलग समिति को स्थापित करने की कोई आवश्यकता नहीं है जबकि राज्य सरकार की सारी कार्यवाहियां राज्य के लोगों के कल्याण के लिए हैं। मनीपुर, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश ने ऐसी समिति को स्थापित करना स्वीकार कर लिया है।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण की देखभाल करने के लिए निम्नलिखित राज्यों ने उप-समितियां नियुक्त कर ली हैं।

आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, जम्मू और काश्मीर, केरल, महाराष्ट्र,

उड़ीसा, पंजाब, तमिलनाड, पश्चिमी बंगाल, गोआ, दमन और दीव, हिमाचल प्रदेश, पांडिचेरी तथा त्रिपुरा ।

अनुसूचित जातियों और जनजातियों के आयुक्त के प्रतिवेदन पर विधान-मंडलों द्वारा चर्चा

1181. **श्री सिद्दय्या** : क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त के प्रतिवेदनों पर विधान मंडलों में भी चर्चा की जाती है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त की रिपोर्टों पर कुछ राज्य विधान-मंडलों में चर्चा की गई है ।

(ख) एक विवरण, जिसमें उपलब्ध सूचना दी गई है, संलग्न है ।

विवरण

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त की विभिन्न रिपोर्टों, जिन पर राज्य विधान-मंडलों में चर्चा की गई, को दर्शाने वाला विवरण ।

क्रम संख्या	राज्य का नाम	चर्चा की गई रिपोर्ट का वर्ष
1	बिहार	1955
2	गुजरात	1961-62
		1962-63
		1963-64
3	केरल	1955
4	तमिलनाडु	1960-61
5	महाराष्ट्र	1955-56
		1956-57
		1957-58
		1958-59
		1959-60
		1960-61
		1961-62
		1962-63

क्रम संख्या	राज्य का नाम	चर्चा की गई रिपोर्ट का वर्ष
6	पंजाब	1955
		1956-57
		1960-61
		1961-62
		1962-63
7	राजस्थान	1957-58
		1958-59
		1959-60
		1960-61
		1961-62
		1962-63
		1963-64
		1964-65

आन्ध्र प्रदेश के पिछड़ी जाति आयोग द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाना

1182. **श्री सिद्दय्या** : क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा नियुक्त पिछड़ी जाति आयोग ने हाल ही में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसकी प्रमुख सिफारिशें क्या हैं ;

(ग) कौन-कौन सी सिफारिशें राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वित की जा चुकी हैं;

(घ) क्या राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से किसी प्रकार की वित्तीय सहायता की मांग की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और केन्द्रीय सरकार की इसके प्रति क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) से (ङ). सूचना एकत्रित की जा रही है तथा उसे सभा-पटल पर रख दिया जाएगा।

दिल्ली से विजयवाड़ा होकर विशाखापतनम तक और वापसी की एक अतिरिक्त रेल गाड़ी

1183. **श्री यशपाल सिंह** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें आन्ध्र प्रदेश के 31 संसद सदस्यों से दिल्ली में बरास्ता विजयवाड़ा तथा वहां से दिल्ली तक वापस आने वाली तक अतिरिक्त गाड़ी के चलाये जाने के सम्बन्ध में कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है ?

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर क्या निर्णय लिया गया ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) जी हां ।

(ख) ज्ञापन में यह कहा गया है कि विशाखापतनम और दिल्ली के बीच सीधी जाने वाली एक एक्सप्रेस गाड़ी चलाई जाये और इस बीच विजयवाड़ा में आरक्षण का कोटा बढ़ा कर 3 टियर में 75 शायिकाएं और 2 टियर में 75 शायिकाएं कर दी जायें और जी टी एक्सप्रेस, दक्षिण/लिंक एक्सप्रेस और जनता एक्सप्रेस गाड़ियों में पहले दर्जे का एक पूरा डिब्बा लगाया जाये ।

(ग) 11-9-1970 से विजयवाड़ा के रास्ते वालटेर और नई दिल्ली के बीच चलने वाली 45 अप/46 डाउन हवड़ा-हैदराबाद एक्सप्रेस और 15 डाउन/16 अप जी टी एक्सप्रेस गाड़ियों में सप्ताह में दो बार चलने वाला पहले और तीसरे दर्जे का एक सवारी डिब्बा लगाया जाता है । यह सुविधा इस मार्ग पर सीधे जाने वाले यात्रियों के वर्तमान स्तर को सम्हालने के लिए संतोषप्रद पायी गयी है । फिलहाल, मार्ग में बहुत से खंडों पर लाइन क्षमता और दिल्ली क्षेत्र में पर्यन्त सुविधाओं के अभाव में वालटेर और नयी दिल्ली के बीच एक पूरी गाड़ी चलाना परिचालनिक दृष्टि से व्यावहारिक नहीं है ।

विजयवाड़ा और नई दिल्ली के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए पहले और तीसरे दर्जे का एक मिला-जुला खंडीय डिब्बा लिंक/दक्षिण एक्सप्रेस गाड़ियों में पहले से ही उपलब्ध है । जी टी एक्सप्रेस लिंक/दक्षिण एक्सप्रेस और मद्रास-दिल्ली जनता एक्सप्रेस गाड़ियों में स्थान के अभाव के कारण विजयवाड़ा से नई दिल्ली/दिल्ली तक एक अतिरिक्त सवारी डिब्बा लगाना व्यावहारिक नहीं है ।

अधिक विद्युत-चालित गाड़ियों का चलाया जाना

1184. **श्री राजदेव सिंह** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अधिक विद्युत-चालित गाड़ियां चलाये जाने का सरकार का कोई विचार है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) जी हां ।

(ख) इस समय सभी विद्युतीकृत रेलों पर रोजाना चलने वाली बिजली गाड़ियों की कुल औसत संख्या 2873 है । अतिरिक्त प्रत्याशित यातायात की जरूरत को पूरा करने के लिए कितनी नई बिजली-गाड़ियां चलानी होंगी इसका अभी अनुमान लगाना कठिन है क्योंकि यह इन बातों पर

निर्भर है—समय-समय पर अलग-अलग खण्ड की यातायात सम्बन्धी आवश्यकताएं, अतिरिक्त रेल इंजनों और बिजली गाड़ियों की उपलब्धता।

इलाहाबाद रेलवे स्टेशन के बाढ़-ग्रस्त हो जाने के कारण रेलवे को हानि

1185. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में इलाहाबाद रेलवे स्टेशन के बाढ़-ग्रस्त हो जाने के कारण रेलवे को कितनी हानि हुई;

(ख) क्या किसी रोकथाम सम्बन्धी कोई कार्यवाही करने पर विचार किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर, इस वर्ष कोई बाढ़ नहीं आयी थी। लेकिन, 15-9-1970 को अभूतपूर्व भारी वर्षा के कारण कुछ रिहायशी और सेवा सम्बन्धी इमारतों को क्षति पहुंची। इनकी मरम्मत पर लगभग 4·3 लाख रुपया खर्च होने का अनुमान है।

(ख) और (ग). जो क्षति हुई है उसकी मरम्मत की जा रही है। परन्तु कोई विशेष निवारक उपाय करने का विचार नहीं है क्योंकि इस वर्ष सितम्बर में जो वर्षा हुई थी वह असाधारण थी।

साझे क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना

1186. **श्री वासदेवन नायर** : क्या **औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने साझे क्षेत्र में कई उद्योग स्थापित करने का निर्णय ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो साझे क्षेत्र में किस प्रकार के उद्योग स्थापित किए जायेंगे ;

(ग) प्रस्तावित साझे क्षेत्र के एककों के स्वामित्व तथा प्रबन्ध का क्या ढांचा होगा ; और

(घ) चौथी योजना के दौरान ऐसी कितनी एकक स्थापित करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) से (घ). सरकार ने "साझा क्षेत्र" के विचार को सिद्धान्ततः स्वीकार कर लिया है। ऐसी बड़ी परियोजनाओं के जिनमें वित्तीय संस्थाओं द्वारा अधिक सहायता लेनी पड़े में प्रबन्ध में और विशेष-कर नीति निर्धारण स्तर पर वित्तीय संस्थाओं का अधिक भाग लिया जाना निहित है। इन संस्थाओं को एक निर्धारित अवधि के अन्दर-अन्दर अपने ऋण को पूर्ण अथवा आंशिक रूप से शेयरों में परि-वर्तित करने की छूट होगी। इस विषय में वित्तीय संस्थाओं के परामर्श में बैंकिंग विभाग विस्तृत मापदण्ड तैयार कर रहा है।

Manufacture of Tractors and Power Tillers with Foreign Collaboration

1187. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of **Industrial Development and Internal Trade** be pleased to state :

(a) the names of Indian and foreign firms which have concluded agreements for manufacturing tractors and power tillers, the number of such agreements concluded so far, the period which lapsed after the conclusion of the collaboration agreements and progress made in commencing production ;

(b) whether it is a fact that no progress has been made even in the case of agreements concluded more than four years ago ; and

(c) the number of new applicants seeking permission for concluding such collaboration agreements ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development and Internal Trade (Shri M. R. Krishna) : (a) The required information is given as under :

(I) **Agricultural Tractors**

	Name of the Indian firm	Name of Foreign collaborator	Date of conclusion of the agreement
1.	M/s. Eicher Tractors India Ltd., Faridabad.	M/s. Eicher Tractors Fabrik Forsteran Obb, Germany.	25.4.1959
2.	M/s. Tractors & Farm Equipment Ltd., Madras.	M/s. Massey Ferguson of U.K.	6.2.1961
3.	M/s. International Tractors Co. of India Ltd., Bombay.	M/s. International Harvestor of U.K.	17.5.1961
4.	M/s. Hindustan Tractors Ltd., Baroda.	M/s. Motokov of Czechoslovakia.	3.9.1963
5.	M/s. Escorts Ltd., Faridabad.	M/s. Motoimport of Poland:	7.9.1965
6.	M/s. Indian Agro Machines, Bombay.	M/s. Traktorenwerke Schoemebeck, Berlin. G.D.R.	19.2 1969
7.	M/s. Escorts Tractors Ltd., Faridabad.	M/s. Ford Motor Co. of U.S.A.	10·6.1969
8.	M/s. Perfect Tractors P. Ltd., Patiala.	M/s. Rheinstahl Hanomag of W. Germany.	1.8.1969
9.	M/s. Prem Agro Engg. Co. Ltd., New Delhi.	M/s. Industrialexport of Rumania.	27.11.1969
10.	M/s. Kirloskar Tractors Ltd., Poona.	M/s. Klockner Humbol dt Deutz AG Koln, W. Germany.	31.3.1970

(II) **Power Tillers**

1.	M/s. Krishi Engines P. Ltd., Hyderabad.	M/s. Akitu Industry Co. of Japan.	24.1.1964
2.	M/s. VST Tillers Tractors Ltd., Banglore.	M/s. Mitsubishi Heavy Industries Ltd., Japan.	10.11.1966
3.	M/s. J. K. Satoh Agrl. Machines Ltd., Kanpur.	M/s. Satoh Agrl. Machinery Co. of Japan. & M/s. Shunitamo Shoji Kaishe Ltd., Japan.	12.1.1968
4.	M/s. Indequip Engineering Ltd., Ahmedabad.	M/s. Iseki Agrl. Machinery Mfg. Co. of Japan.	30.6.1969

So far as Agricultural tractors are concerned, the firms at S. Nos. 1 to 5 are already in production. The firms at S. Nos. 7 and 10 are expected to go into production during 1971. In the case of the firms at S.Nos. 6, 8 and 9, they have, following the decision in February, 1970 to bring the Tractor industry back under the licensing provisions of the Industries (D and R) Act, 1951, submitted applications for the grant of Industrial licence. These applications are, at present, under examination.

As regards power tillers, the firm at S.No. (1) is already in production. The firms at S.Nos : (2) and (3) are expected to go into production during 1971. The firm at S.No. (4) has, in accordance with the revised licensing policy, submitted an application for the grant of an Industrial licence. Their application, is at present, under examination.

(b) It will be seen from the reply to part (a) of the question that the firm which had concluded foreign collaboration agreement about 4 years ago and which has not yet gone into production is M/s. VST Tillers Tractors Ltd., Bangalore. This firm has, however, now taken the necessary effective steps in-as-much as their factory building is ready and the capital goods have been imported and installed. In view of the satisfactory progress made by them, their application for import of components and raw materials in accordance with the first phase of their approved phased manufacturing programme has recently been cleared and they are expected to go into production early next year.

(c) For Tractors 10 Nos.
For Power Tillers. 6 Nos.

Measures to Remove Shortage of Non-Saline Water for Paper Industry in Andaman and Nicobar Islands

1188. **Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the Minister of **Industrial Development and Internal Trade** be pleased to state the effort made by Government towards removing the shortage of non-saline water needed for paper industry which is proposed to be set up in Andaman and Nicobar Islands with a view to exploiting the forest wealth there ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development and Internal Trade (Shri M.R. Krishna) : The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

निजी व्यापार क्षेत्र को इस्पात का आवंटन

1189. **श्री क० प्र० सिंह देव :** क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि निजी व्यापारियों ने सरकार से कहा है कि देश में उत्पादित कुल इस्पात का 25 प्रतिशत भाग निजी व्यापार-क्षेत्र को मिलना चाहिए जिसे इस समय केवल 5 प्रतिशत ही मिल रहा है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस्पात वितरण के असंतुलन का कारण मांगपत्रों का काफी मात्रा में शेष रहना है ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार उपरोक्त (क) में दिये गए सुझाव से सहमत हो गयी है और यदि हां, तो इसके फलस्वरूप निजी व्यापार किस सीमा तक लाभान्वित होगा;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार का इस्पात नियतन के वर्तमान 5 प्रतिशत भाग को किस सीमा तक बढ़ाने का विचार है ; और

(ङ) सरकार ने इस्पात वितरण सम्बन्धी असंतुलन को दूर करने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) लोहे तथा इस्पात के आवंटन में अधिक भाग पाने के बारे में व्यापारियों तथा स्टाकिस्टों के अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) और (घ). सरकार की यह नीति है कि उपलब्ध इस्पात में से प्राथमिकता प्राप्त उपभोक्ताओं को प्रत्यक्ष रूप से यथासंभव अधिकाधिक इस्पात दिया जाय । व्यापारियों को इस्पात के आवंटन तथा अन्य सम्बद्ध विषयों पर विचार करने के लिए उपमंत्री की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की जा रही है ।

(ङ) उत्पादक इस्पात की समस्त सप्लाई केवल इस्पात प्राथमिकता समिति द्वारा किये गए आवंटनों के अनुसार ही करते हैं ताकि प्राथमिकता के अनुरूप यथासम्भव वितरण संबंधी संतुलन बना रहे ।

मुगलसराय मार्शलिंग यार्ड से सम्पत्ति की चोरी

1190. **श्री शशि भूषण** : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मुगलसराय रेलवे मार्शलिंग यार्ड से प्रतिदिन 15 लाख रुपये के मूल्य का मार्ग में माल तथा रेलवे सम्पत्ति की चोरी की जाती है ;

(ख) मुगलसराय स्टेशन पर प्रतिदिन कितने माल डिब्बों से माल उतारा व उनमें चढ़ाया जाता है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस वर्ष जनवरी और जुलाई के बीच यार्ड तथा लोको शैड से लगभग 42000 किलोग्राम चोरी हुए कोयले का पता लगा है ;

(घ) इस अवधि में रेलवे पुलिस द्वारा कोयले की छुटपुट चोरी तथा माल की अन्य चोरियों के लिए कितने व्यक्तियों का पता लगाया गया और इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई; और

(ङ) मार्ग में माल तथा रेलवे संपत्ति की चोरी की जांच करने के लिए सरकार ने क्या विशेष उपाय अपनाये हैं तथा क्या श्रमिकों को शिनाख्त के बैज जारी करने का भी प्रस्ताव है; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी नहीं ।

(ख) अप्रैल से सितम्बर, 1970 की अवधि में मुगलसराय में जितने माल डिब्बों पर माल

लादा या उतारा गया उनकी प्रतिदिन की औसत संख्या 5303 है ।

(ग) जी नहीं । वास्तविक मात्रा 3853 कि० ग्रा० थी ।

(घ) जनवरी से जुलाई, 1970 तक सरकारी रेलवे पुलिस द्वारा 52 व्यक्ति गिरफ्तार किये गए जिनमें से 7 कोयले की चोरी के लिए और शेष व्यक्ति, जिनमें 5 रेल कर्मचारी भी शामिल थे, अन्य माल की चोरी के लिए गिरफ्तार किये गये थे ।

(ङ) हाल में निम्नलिखित विशेष उपाय किये गए हैं :—

(i) मुगलसराय में अब रेलवे सुरक्षा विशेष दल की एक कम्पनी लगा दी गयी है ।

(ii) बेहतर रोशनी के लिए घूमने वाली 'स्पाट' रोशनी से युक्त चार 'वाच टावर' बनाये गये हैं और कांटेदार तारों की बाढ़ में सुधार किया गया है ।

(iii) बेहतर पर्यवेक्षण के लिए एक सुरक्षा अधिकारी तैनात किया गया है । इसके अलावा, रेल कर्मचारियों के लिए पहचान पत्र जारी करने का भी विचार है ।

रेलवे अधिकारियों द्वारा सैलून कारों का प्रयोग

1191. **श्री शशि भूषण** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में रेलवे अधिकारियों के प्रयोग हेतु सैलून कारों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) सभी सैलूनों को वर्ष में औसतन कितनी बार काम में लाया जाता है;

(ग) क्या रेलवे अधिकारियों के लिए यह सम्भव नहीं है कि सामान्य जनता के लिए चल रही गाड़ियों में यात्रा करें और सैलूनों में यात्रा करना छोड़ दें ;

(घ) देश में इन सैलूनों के रख-रखाव पर कितना वार्षिक व्यय होता है;

(ङ) क्या इन सैलूनों को सामान्य जनता के प्रयोग के लिए रेलवे के सामान्य डिब्बों में परिवर्तित करने का प्रस्ताव है; और

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और यदि हां, तो कब तक?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) इस समय भारतीय रेलों पर कुल 5 सैलून हैं । इन सैलूनों का उपयोग रेल अधिकारियों द्वारा नहीं बल्कि भारत के राष्ट्रपति, राज्यपाल आदि विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा किया जाता है । लेकिन इनके अलावा 307 बोगी निरीक्षण डिब्बे हैं जिनका इस्तेमाल रेल अधिकारियों द्वारा ड्यूटी पर यात्रा के लिए किया जाता है ।

(ख) इस तरह के आंकड़े नहीं रखे जाते ।

(ग) जी हां, लेकिन कार्य-कुशलता की कीमत पर ही ऐसा किया जा सकता है विशेष रूप से जबकि इस तरह की यात्रा चलती गाड़ियों द्वारा स्टेशनों, रेल-पथ और सिगनल उपकरणों के निरीक्षण जैसे क्रियात्मक प्रयोजनों अथवा ऐसे स्टेशनों पर छान-बीन/जांच-पड़ताल करने आदि के लिए

की जाती है जहाँ खान-पान और निवास की सुविधा उपलब्ध नहीं है। निरीक्षण डिब्बों का उपयोग चलती गाड़ियों में कार्यालयों के रूप में भी किया जाता है और कर्मचारियों तथा जनता को वहां अधिकारियों से मिलने की अनुमति दी जाती है और जब गाड़ी चलती रहती है तब भी उन डिब्बों में अनेक बार विचार विमर्श होता रहता है। यात्रियों के डिब्बों में ऐसा करना सम्भव नहीं होगा और इससे अन्य यात्रियों को भी असुविधा होगी क्योंकि इससे गाड़ियों में जगह कम होगी और उनके आराम में भी बाधा पड़ेगी। फिर भी, बोगी निरीक्षण डिब्बों का उपयोग कम से कम किया जाता है।

(घ) सवारी डिब्बों के अनुरक्षण प्रभार के आंकड़े, टाइप वार नहीं रखे जाते।

(ङ) सैलूनों को सामान्य सवारी डिब्बों के रूप में बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(च) अत्यन्त विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा इस्तेमाल के लिए सैलून और कुशलता के हित में तथा अधिकारियों के समय का सर्वाधिक उपयोग करने के लिए निरीक्षण डिब्बों का रखा जारा आवश्यक है जैसा कि भाग (ग) के उत्तर में बताया गया है।

राजस्थान राज्य औद्योगिक तथा खनिज विकास निगम को स्कूटरों के निर्माण के लिए लाइसेंस जारी करना

1192. **श्री मणिभाई जे० पटेल** : क्या **औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास निगम को स्वदेशी तकनीकी जानकारी से स्कूटरों के निर्माण के लिए कोई लाइसेंस जारी किया है;

(ख) यदि हां, तो परियोजना की क्षमता क्या है और उत्पादन अब तक प्रारम्भ हो जायेगा;

(ग) क्या स्कूटरों के लिए किन्हीं पुर्जों को आयात किया जायेगा और यदि हां, तो ऐसे पुर्जे कितने प्रतिशत होंगे; और

(घ) स्कूटर का कितना मूल्य रखने का विचार है; और

(ङ) स्कूटर कितनी अश्व शक्ति का होगा ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) और (ख) . राजस्थान राज्य औद्योगिक और खनिज निगम, जयपुर को अलवर में देशीय डिजाइन के 24,000 स्कूटर की वार्षिक क्षमता की एक औद्योगिक प्रायोजना स्थापित करने के लिए आशय पत्र जारी कर दिया गया है।

इस समय यह बता सकना कि उत्पादन कब तक प्रारम्भ हो जायेगा सम्भव नहीं है।

(ग) औद्योगिक लाइसेंस के लिए दिए गये अपने आवेदन में निगम ने यह उल्लेख किया है कि उन्हें किसी भी आयातित पुर्जे की आवश्यकता नहीं होगी।

(घ) निगम द्वारा औद्योगिक लाइसेंस के अपने आवेदन में फैक्टरी से निकलते समय स्कूटर का विक्रय मूल्य 2,175 रु० होने का संकेत दिया है।

(ङ) निगम ने स्टकूर में लगाये जाने वाले इंजिन की क्षमता 150 सी० मी० बताई है।

भारतीय परामर्शदात्री फर्मों में प्रतियोगिता

1193. **श्री इन्द्रजीत गुप्ता :** क्या **औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार** मन्त्री सरकारी तथा गैर-सरकारी परियोजना में विदेशी परामर्शदाताओं की नियुक्ति के बारे में 1 सितम्बर, 1970 के तारांकित प्रश्न संख्या 723 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कुछ उच्च एकाधिकार गृहों द्वारा प्रारम्भ की गई नवीनतर फर्मों की ओर से की जाने वाली पहले से विद्यमान भारतीय परामर्शदात्री फर्मों के न्यायोचित हितों को अनुचित प्रतियोगिता से बचाने के लिये कोई कदम उठा रही है;

(ख) क्या यह सच है कि टाटा, बिड़ला आदि द्वारा संचालित परामर्शदात्री फर्मों को सरकारी उद्यमों से भी काम मिल रहा है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार भिन्न-भिन्न नामों से कार्य कर रही भारतीय परामर्शदात्री फर्मों की विस्तृत छानबीन करने का है ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) से (ग). विशेष परियोजनाओं की विशिष्ट आवश्यकताओं, देश में उपलब्ध विशेषज्ञों द्वारा मांगे गए पारिश्रमिक आदि का ध्यान रखते हुए सरकारी और साथ ही गैर-सरकारी क्षेत्र के कारखानों द्वारा परामर्शदात्री फर्में इस काम के लिये नियुक्त की जाती हैं। यद्यपि इस समय परामर्शदात्री फर्मों के विनियमन के लिए कोई कानून नहीं है तथापि सरकार ने उनके पंजीकरण से लिए एक प्रक्रिया आरम्भ की है जिससे अन्य बातों के साथ-साथ प्रत्येक परामर्शदात्री फर्म विशिष्ट क्षेत्रों में कार्य कर सकेगी। सरकार को हाल ही में योजना आयोग द्वारा स्थापित की गई तकनीकी परामर्शदात्री सेवाओं सम्बन्धी समिति की रिपोर्ट प्राप्त हुई है, इस रिपोर्ट में की गई सिफारिशें विचाराधीन हैं।

हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची के निदेशक-मंडल की वार्षिक महासभा तथा इसके अध्यक्ष द्वारा त्यागपत्र दिया जाना

1194. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :** क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची के निदेशक-मंडल की बैठक, जो कि सबसे बाद में हुई वार्षिक महासभा के समय बुलाई जानी थी, गणपूर्ति नहीं होने के कारण नहीं हो सकी ;

(ख) क्या बोर्ड का एक सदस्य दिल्ली में उपस्थित था परन्तु वह बैठक में उपस्थित नहीं हुआ जिससे बैठक में गणपूर्ति नहीं हो सकी ;

(ग) क्या इसके चेयरमैन का त्याग पत्र उसके स्थान पर किसी व्यक्ति को मनोनीत किये बिना ही स्वीकार कर लिया गया था जिसके परिणामस्वरूप कार्यमुक्त होने वाला चेयरमैन कार्य-मुक्त होने से पूर्व अपना कार्यभार अपने उत्तराधिकारी को नहीं सौंप सका था; और

(घ) यदि हां, तो संयंत्र के सुचारु रूप से चलाने के लिए जिसने देश के राज कोष पर पहिले से ही भारी दायित्व थोप दिया है क्या कार्यवाही की जा रही है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां, सदस्य बोर्ड की बैठक में उपस्थित नहीं हो सके क्योंकि उस दिन उन्हें राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद के एक सेलैक्शन बोर्ड में जाना था जिसके लिए वे पहले से ही वचन-बद्ध थे ।

(ग) यह सच है कि पहले अध्यक्ष के पद-मुक्त होते समय नये अध्यक्ष के नाम की घोषणा नहीं की गई थी । यह आवश्यक नहीं है कि जाने वाला अध्यक्ष चार्ज केवल अपने उत्तराधिकारी को ही सौंपे ।

(घ) 6 नवम्बर, 1970 से नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है । समस्त कार्यकरण में तेजी से सुधार करने के स्तरों पर कार्य पद्धति का पूर्णतः पुनर्विलोकन किया जा रहा है ।

कुर्ग जिले में रेलवे लाइनें

1195. **श्री लोबो प्रभु** : क्या **रेलवे मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत समय में कुर्ग जिले में किन-किन रेलवे लाइनों पर विचार किया गया और किन-किन लाइनों का सर्वेक्षण किया गया; और

(ख) इस बात को ध्यान में रखते हुए कि रेलवे संचार व्यवस्था के अभाव में कुर्ग के औद्योगिक विकास में बाधा पड़ रही है, वहां रेलवे लाइनों का निर्माण न करने के क्या कारण हैं; और

(ग) हसन या किसी अन्य स्टेशन को न जोड़े जाने के क्या कारण हैं और इस लाइन की लम्बाई तथा अनुमानित व्यय क्या होगा ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख). अतीत में मैसूर से तेल्लिचेरि तक कुर्ग क्षेत्र के रास्ते नई लाइन के लिए सर्वेक्षण किये गये थे । चूंकि सर्वेक्षण से मालूम हुआ था कि लाइन अलाभ-प्रद होगी इसलिए, लाइन बनाने का काम शुरू नहीं किया गया ।

(ग) हसन से मरकारा तक नयी लाइन लगभग 105 कि० मी० लम्बी होगी और उसकी लागत लगभग 15 करोड़ रुपये होगी । ऐसी लाइन पर पर्याप्त यातायात की संभावना न होने से इसके लाभप्रद होने की सम्भावना नहीं है । अतः इस लाइन के निर्माण के बारे में फिलहाल विचार नहीं किया जा सकता ।

सिग्रेट उत्पादन के लिए स्थापित क्षमता का उपयोग

1196. **श्री सीताराम केसरी** : क्या **औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

वर्तमान सिगरेट संयंत्रों से अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ताकि अनावश्यक रूप से नई मशीनों का आयात न करना पड़े ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मं० र० कृष्ण) : सरकार की नीतियों के संदर्भ में सुझाव की परिवीक्षा की जायेगी ।

गोल्डन टुबैको कम्पनी द्वारा सिगरेट कम्पनियों की तीसरी पारी न चलाने की मांग

1197. **श्री सन्त बख्श सिंह** : क्या **औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गोल्डन टुबैको कम्पनी खुले रूप में सिगरेट कम्पनियों में तीसरी पारी नहीं चलाये जाने की मांग कर रही है; और

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि यदि ऐसा कदम उठाया गया तो इससे 10,000 व्यक्ति बेरोजगार हो जायेंगे, फलतः व्यापार और बाजार में गड़बड़ी हो जाएगी जिसमें व्यापार पर तथा इसमें अप्रत्यक्ष रूप से व्यापार में कार्य कर रहे लोगों पर गम्भीर प्रभाव पड़ेगा ।

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) और (ख) . इस विषय की सावधानीपूर्वक परिवीक्षा आवश्यक है ।

गोल्डन टुबैको कम्पनी द्वारा आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में सिगरेट के कारखाने खोलने का प्रस्ताव

1198. **श्री मनोहरन** : क्या **औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मैसर्ज गोल्डन टुबैको कम्पनी से आन्ध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में सिगरेट के नये कारखाने खोलने के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हाँ तो क्या यह भी सच है कि इस कम्पनी द्वारा लगभग दो वर्ष पूर्व गुजरात में सिगरेट का कारखाना स्थापित करने के लिए दिये गए लाइसेंसों को क्रियान्विति के लिए कोई भी कार्यवाही न किये जाने के बावजूद ये नये आवेदन पत्र दिये गये हैं ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मं र० कृष्ण) : (क) आन्ध्र प्रदेश राज्य में सिगरेट का एक कारखाना खोलने के लिए गोल्डन टुबैको कम्पनी से एक आवेदन प्राप्त हुआ है ।

(ख) मैं० गोल्डन टुबैको कम्पनी को गुजरात में एक कारखाना लगाने के लिए उद्योग विकास एवं विनियमन अधिनियम के अधीन अभी फरवरी 1970 को ही एक लाइसेंस दिया गया है। इस प्रायोजन के लिए मशीनरी आयात करने की उनकी प्रार्थना अभी तक सरकार के विचाराधीन है।

महाराष्ट्र में मद्यनिषेध कार्यक्रम के लिए धन का नियतन

1199. **श्री शंकरराव माने :** क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने महाराष्ट्र राज्य के लिए चौथी पंचवर्षीय योजना में मद्य-निषेध कार्यक्रम के लिए पृथक् धनराशि नियत की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य-मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी नहीं। मद्यनिषेध का विषय राज्य सूची में होने के कारण क्षेत्र स्तर पर मद्य-निषेध को लागू करने का उत्तरदायित्व राज्य सरकार पर है। इसलिए मद्यनिषेध के लिए राज्य सरकार ने उपाय करने हैं। राज्य सरकारों द्वारा क्षेत्र आधार पर मद्यनिषेध को लागू करने के लिए नए उपाय करने पर ही केन्द्रीय सरकार राजस्व में हुई हानि के लिये 50 प्रतिशत की क्षतिपूर्ति देती है। महाराष्ट्र राज्य में मद्यनिषेध के कार्यक्रम के लिए केन्द्रीय बजट में कोई व्यवस्था नहीं की गई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

सिगरेट के नये कारखाने स्थापित करने के लिए लाइसेंसों की क्रियान्विति

1200. **श्री जी० वेंकटस्वामी :** क्या **औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिगरेट के नये कारखानों के लिए कितने लाइसेंस दिये गए हैं तथा इन लाइसेंसों को एक निर्धारित समय सीमा में क्रियान्वित कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ;

(ख) क्या यह भी सच नहीं है कि ऐसी योजना के अभाव में तथा लाइसेंसों के क्रियान्वित न होने पर बाजार को हानि होगी क्योंकि सामान्य लोगों द्वारा पी जाने वाली सिगरेट काले बाजार में पहुँच जायेंगी; और

(ग) क्या सरकार का विचार इन लाइसेंसों को, यदि एक वर्ष के भीतर इन को क्रियान्वित करने के लिए समय पर कदम नहीं उठाये जाते, रद्द करने का है ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) इस वर्ष दो भारतीय कम्पनियों को सिगरेट के कारखाने लगाने के लिए औद्योगिक लाइसेंस दिए गए हैं। उपक्रमों की स्थापना में 12 महीनों का समय लगने का अनुमान है।

(ख) प्रश्न की नहीं उठता।

(ग) फिलहाल सवाल ही नहीं पैदा होता।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना
CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

इम्फाल में उत्पन्न हुई स्थिति
Situation in Imphal

श्री धीरेश्वर कलिता (गोहाटी) : मैं गृह-कार्य मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूँ और उनसे प्रार्थना करता हूँ कि वे इस संबंध में एक वक्तव्य दें :

"पुलिस और छात्रों के बीच हुई अनेक कथित मुठभेड़ों के परिणामस्वरूप इम्फाल में उत्पन्न हुई गम्भीर स्थिति और मणिपुर सरकार के सेना को बुलाने का निर्णय।"

गृह-कार्य मंत्रालय और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : मनीपुर सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार 1 नवम्बर, 1970 को सायं 7 बजे के बाद एक महिला से कथित छेड़छाड़ के परिणामस्वरूप इम्फाल बाजार में हिंसा तथा दुकानों पर हमला करने की कई घटनाएं हुईं। पुलिस को उपद्रवियों की भीड़ को तितर-बितर करने के लिए अश्रुगैस को इस्तेमाल करना पड़ा। लगभग रात्रि के 9-30 बजे तक स्थिति को नियन्त्रण में कर लिया गया। 25 दुकानों को क्षति पहुंची जो प्रारम्भिक अनुमानों के अनुसार लगभग 2 लाख रुपये की है। निश्चित अपराधों के सम्बन्ध में उस व्यक्ति समेत जिसने, बताया जाता है कि महिला से छेड़छाड़ की थी, 40 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये। जिला मजिस्ट्रेट ने ऐहतियाती उपाय के रूप में पांच अथवा अधिक व्यक्तियों के जमाव, आग्नेयास्त्र तथा डंडे आदि के ले जाने पर रोक लगाते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत एक आदेश उद्घोषित किया है।

11 और 12 नवम्बर को जब छात्रों के कुछ वर्गों ने निषेधात्मक आदेश का उल्लंघन करने के लिए विशिष्ट प्रयत्न किये तो शहर में फिर दंगा हुआ। उपद्रवियों की भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस को दो अवसरों पर गोली चलानी पड़ी जिसके परिणामस्वरूप दो व्यक्ति घायल हो गये। 12 और 13 तारीख को ऐहतियाती उपाय के रूप में रात्रियों में कर्फ्यू लगा दिया गया। असैनिक अधिकारियों की सहायता के लिए सेना को सावधान रहने के लिए कह दिया गया।

13 तारीख के बाद किसी हिंसात्मक घटना के होने की खबर नहीं है। 14 तारीख की सायं में छात्रों के नेताओं ने अपना आन्दोलन वापिस ले लिया। निषेधात्मक आदेश भी समाप्त कर दिये गये हैं और शैक्षिक संस्थाएं फिर से खुल गई हैं। कानून के निरोधात्मक उपबन्धों के अन्तर्गत

गिरफ्तार किये गये 132 व्यक्तियों को रिहा कर दिया गया है। विशिष्ट अपराधों के लिए गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों के विरुद्ध मामलों की कानून के अनुसार तहकीकात की जा रही है।

श्री धीरेश्वर कलिता : अभी जो वक्तव्य मुझे दे दिया गया है, मैंने उसको ध्यान से पढ़ा है।

इम्फाल में जो घटना घटी, उसकी एक पृष्ठभूमि है जिसके बारे में वक्तव्य में कुछ नहीं कहा गया है। 1 नवम्बर को मणिपुर में एक त्योहार मनाया जा रहा था। इस दिन एक सिनेमा हॉल में एक गुंडे ने सामने बैठी हुई एक महिला के साथ छेड़छाड़ की जो फिल्म देख रही थी। फिल्म समाप्त होने पर जब महिला बाहर आई, तो गुंडे ने उसके साथ अभद्र व्यवहार करने की कोशिश की। महिला ने चप्पल उतार कर उसको पीट दिया। इतने में वहां भीड़ एकत्र हुई और गुंडा एक दूकान में जाके छिप गया। उत्तेजित भीड़ ने दूकान को घेर लिया और उसमें आग लगा दी। इस समय मणिपुर के उप-राज्यपाल मणिपुर राइफिल्स की ओर से आयोजित किसी कार्यक्रम में भाग ले रहे थे और सारी पुलिस सेना को उनकी सुरक्षा के लिए वहां भेज दिया गया था। जब बाजार जल रहा था, और उसके साथ ही साथ लूट-मार चल रही थी, 9-30 बजे तक कोई अग्निशामक दल वहां नहीं आया। दो पुलिस सिपाहियों को वहां देखा गया। अधिक संख्या में लोग इकट्ठे हुए और घरों पर आग लगा दी गयी और सारी दूकानों को लूट लिया गया। कुल 25 लाख रुपए का सामान लूट लिया गया, न कि 2 लाख जैसे कि वक्तव्य में कहा गया है। हमारे दल ने इसकी निंदा की है। मेरा प्रश्न यह है कि लोगों की जान-माल को पुलिस ने संरक्षण क्यों नहीं दिया ? घटना 6-30 बजे शुरू हुई और लगातार चार घंटे तक जारी रही। दूसरे दिन धारा 144 लागू की गई। दूसरे, तीसरे, यहां तक कि सातवें दिन भी उपद्रवियों को गिरफ्तार नहीं किया गया। उसके बाद पुलिस धनमंजारी महाविद्यालय पहुँची और वहां से 132 छात्रों को गिरफ्तार किया, न कि विद्रोहियों को। इससे सारी स्थिति गंभीर होती गई। सभी दलों ने मांग की कि धारा 144 समाप्त कर दी जाए और गिरफ्तार किये गए छात्रों को मुक्त किया जाए। उन्होंने शांति से प्रदर्शन किया। ग्यारहवें या बारहवें दिन तक यही क्रम चलता रहा। वहां पुलिस राज कायम है। वहां कोई लोकप्रिय सरकार नहीं है। पुलिस ने छात्रों पर लाठी प्रहार किया और गोली चलाई। अगर यह स्थिति कायम रहती है, तो सारे मणिपुर में विघटनकारी प्रवृत्ति ज़ोर पकड़ेगी।

दूसरी बात यह है कि मणिपुर में शीघ्र लोकप्रिय सरकार कायम की जानी चाहिए। मैं प्रधान मंत्री को बधाई देता हूं क्योंकि उन्होंने मणिपुर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की घोषणा की थी। मगर अब तक उसके लिए विधेयक नहीं लाया गया। वहां सामान्य स्थिति कायम करने के लिए और मणिपुर के आर्थिक विकास के लिए और जनता में सरकार के प्रति विश्वास पैदा करने के लिए सरकार पूर्ण राज्य का दर्जा देने का विधेयक कब तक लायेगी ?

तीसरी बात यह है कि मैं मांग करता हूं कि इन सारी घटनाओं की अदालती जांच कराई जाय।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : श्री धीरेश्वर कलिता ने अपने भाषण में जिस समय पर घटना का होना

बताया है, उसके बारे में मैं कुछ कहूंगा । उन्होंने कहा कि घटना 6-30 बजे म० प० पर हुई थी। परन्तु, मेरी जानकारी के अनुसार यह 7 बजे हुई ।.....(व्यवधान) उन्होंने कहा कि पुलिस 9-30 बजे म०प० पर घटना-स्थल पर पहुंची । सरकार को जो जानकारी मिली है, उसके अनुसार पुलिस दल घटना-स्थल पर 7-20 बजे म०प० पर पहुंच गया था । पुलिस पर भी ईंट-पत्थरों की बौछार की गई । लगभग 7-30 बजे म० प० को जिलाधीश वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों सहित घटना-स्थल पर पहुंचे और भीड़ को तितर-बितर किया । उसके बाद जब 8 बजे सिनेमा समाप्त हुआ, लोग भारी संख्या में एकत्र हुए और लूट-मार और आगजनी का दौर फिर से शुरू हुआ । 9-30 बजे म० प० तक सारे विद्रोहियों को पकड़ा गया और स्थिति सामान्य कर दी गई । परन्तु आरोप यह लगाया गया कि बाजार इलाके में पुलिस उपद्रव के शुरूआत में कार्यवाही करने में असफल रही । एक संक्षिप्त जांच कराकर दो उप-निरीक्षकों को निलंबित कर दिया गया है और उप-महा-निरीक्षक को कहा गया है कि विस्तृत जांच की जाए । तमाम बाजार क्षेत्र में सुरक्षा उपायों को मजबूत कर दिया गया है ।

माननीय सदस्य के प्रश्न का दूसरा अंश छात्रों की गिरफ्तारी के संबंध में है । जैसा मैंने वक्तव्य में कहा, 14 तारीख को शाम को छात्रों के नेताओं ने मणिपुर के अधिकारियों से बातचीत की और जिलाधीश ने निषेध-आदेश समाप्त कर दिया और गिरफ्तार किये गए छात्रों को मुक्त करने से सहमति प्रकट की । इस प्रकार छात्रों और प्राधिकारियों के बीच समझौता हुआ और अब स्थिति सामान्य है । अतः इसको देखते हुए अदालती जांच कराने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Mr. Speaker, Sir, today a highly explosive situation prevails throughout the country. The root cause of this situation can be attributed to the stagnancy that prevails in the entire economic sector. In Manipur alone, about 1 lakh youths are unemployed. Naturally the deep discontentment among the youth is well utilised by the anti-social elements to suit their purpose. That is what has happened in Manipur.

Manipur is a very small area. The authorities there meteout brutal treatment to the local people. Shri Kalithaji was right in his comment that when this incident took place, the Lt. Governer of Manipur was participating in some functions and the entire police force was posted there for his security. Had the police intervened in time this kind of incident would not have occurred. Therefore I reach the conclusion that there is no need of instituting a judicial inquiry. The whole responsibility for this incident rests on the shoulders of the Government. In view of these things, it is an imperative need that full statehood should be given to Manipur and a popular Government should be installed immediately. Repeated assurances are not going to yield any result.

Will the Government bring forward the Bill during this session ? The Government say that the situation is normal, but really it is extremely explosive. The youths are going out to Pakistan and China and return after getting training in arms. This is a dangerous situation. If the Government fails to bring the situation to normalcy by giving them full statehood and installing a popular Government, the whole area will go out of our hold. Sir, I would urge the Minister through you to make an announcement today itself.

Shri K. C. Pant : The hon. Member has raised two points. He highlighted the problems of violence that prevails throughout the country. It is a fact that we should step up economic development and create more and more employment opportunities in the country. This needs joint and dedicated effort from all sides.

The second thing which he said was that Manipur should be given full statehood and a popular Government should be installed their immediately. Although this point is not directly connected with the main question, I would like to remind the hon. Member that an announcement to this effect was made in the last session. In fact the reorganisation of the north-eastern India is a complicated problem. It has various aspects. It involves the entire security of these areas. It is also a problem of adopting an integrated approach in regard to the developmental activities. Therefore, only after thinking over these vital aspects, we can bring forward a Bill. I think that all the hon. Members are well aware of the security as well as devclopmental problems of these areas, and hence they won't insists upon the Government to bring forward a Bill hastily. I hope they all will appreciate our stand that a Bill will be introduced after taking into consideration the various aspects of the problem.

Dr. Ram Subhag Singh (Buxar) : We do not agree with his views.

श्री एम० रेघचन्द्र (आन्तरिक मनीपुर) : मैं अपने प्रश्न का स्पष्ट जवाब चाहता हूं । मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया, वह तथ्यों से पूर्ण नहीं है । जब मणिपुर में दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी, तो बाजार के अन्दर 100 से 200 केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस के सिपाही मौजूद थे । दूकान के बरामदे पर 4 केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस के सिपाही मौजूद थे । ये सिपाही और मणिपुर राईफल्स के सिपाही निष्क्रिय रहे । अब मत्री महोदय कह रहे हैं कि कुछ पुलिस कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है और कुछ कार्यवाहियां की जा रही हैं । 2 नवम्बर से कोई दुर्भाग्यपूर्ण घटना नहीं घटी । फिर भी सरकार ने धारा 144 लागू कर दी । इससे तनाव और बढ़ गया । 7 तारीख को साम्यवादी युवक नेता सहित अनेक लोगों को गिरफ्तार किया गया । वह बिलकुल अप्रतीक्षित था । इस कारण से छात्रों ने यह मांग की कि गिरफ्तार किये गए लोगों को मुक्त कर दिया जाए ।

इन सबको देखते हुए मैं यह कहना चाहता हूं कि मणिपुर की सरकार ने, जो पहले निष्क्रिय थी, जब छात्रों ने अपनी मांग की, तो उन पर लाठी प्रहार कराया, अश्रुगैस का प्रयोग कराया और आखिर पुलिस ने 45 से 50 राउण्ड गोली चलाई । इसके बाद 22 घण्टे का कर्फ्यू लगाया गया, और 14 को कर्फ्यू हटाया गया । इस संदर्भ में सरकार को कुछ अन्य बातों पर भी विचार करना चाहिए ।

2 नवम्बर के बाद कोई भी सांप्रदायिक घटना वहां नहीं घटी है । तब तो 7 नवम्बर को धारा 144 को लागू करने की कोई आवश्यकता नहीं थी । अगर यह नहीं हुआ होता, तो 12 नवम्बर को छात्रों का प्रदर्शन न होता ।

अतः मैं चाहता हूं कि सरकार इन सारी बातों की जांच करने के लिए एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति को नियुक्त करे । साथ ही साथ मैं जानना चाहता हूं कि क्या मणिपुर की सरकार ने 7 नवम्बर को गिरफ्तार किए गए छात्र नेताओं को मुक्त कर दिया है ।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : माननीय सदस्य ने कहा कि कोई यह नहीं चाहता कि ऐसी घटनाए घटें । यह एक खास मामला था । इसमें एक महिला के शीलभंग करने के प्रयत्न का मामला अन्तर्निहित था । ऐसी घटनाएं कभी होती हैं, तो हमें उनसे निपटना है ।

जहां तक केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस आदि का सम्बन्ध है, जैसा मैंने कहा कि अधिकारियों से कहा गया कि वे तमाम मामले की जांच करें और अगर मेरे माननीय मित्र के पास अधिक जानकारी है, तो वे उन को दें । वे अवश्य इस पर विचार करेंगे ।

यह बात कि धारा 144 क्यों लागू कर दी गई, स्थानीय अधिकारियों के निर्णय पर निर्भर रहती है जो घटना-स्थल पर मौजूद थे। माननीय सदस्य कहते हैं कि 2 तारीख के बाद कोई अवांछनीय घटना नहीं घटी, अतः यह अनावश्यक था। वस्तुतः 11 नवम्बर को फिर से उपद्रव शुरू हुआ और जैसा मैंने पहले कहा, पुलिस को गोली तक चलानी पड़ी। तमाम घटनाओं पर दृष्टिपात करेंगे तो पता लगेगा कि स्थानीय प्राधिकारियों ने धारा 144 लागू करके अच्छा कार्य किया।

जहां तक छात्रों का संबंध है, जैसा मैंने पहले कहा, उनके और प्रशासन के बीच समझौता हुआ और मुझे विश्वास है कि हम इस सदन में ऐसी कोई भी बात नहीं करेंगे जिससे उन दोनों के बीच फिर से कुछ गलतफहमी फैल जाए। अब सामान्य स्थिति कायम हो गई है। सेना को बुलाया नहीं गया था, मगर तैयार रहने के लिए आदेश दे दिया गया था।

अन्त में, उन्होंने पूछा कि गिरफ्तार किये गए व्यक्तियों में कितनों को मुक्त कर दिया गया है। इस सिलसिले में मैं यह कहना चाहता हूं कि छात्रों ने यह स्पष्ट कर दिया था कि उन्होंने बगैर शर्त के और आरोप पर बगैर ध्यान दिए गिरफ्तार किये गए व्यक्तियों की मुक्ति की मांग नहीं की थी। गिरफ्तार 196 व्यक्तियों में से 132 छात्रों को दिये गए आश्वासन के आधार पर मुक्त कर दिया गया है। शेष लोगों में 58 व्यक्तियों पर विशेष अपराध का आरोप लगाया गया है और 6 व्यक्तियों को निवारक उपबन्धों के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया है।

सभा-पटल पर रखे गए पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्ध और विविध उपबन्ध) योजना, 1970

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : मैं बैंककारी कंपनियों (उपक्रमों का अर्जन और हस्तान्तरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उपधारा 5 के अन्तर्गत राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्ध और विविध उपबन्ध) योजना, 1970 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं। **[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०** 4284/70]

अत्यावश्यक सेवाएं अनुरक्षण अधिनियम 1968 के अन्तर्गत अधिसूचना

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : मैं अत्यावश्यक सेवाएं अनुरक्षण अधिनियम, 1968 की धारा 2 की उपधारा (2) के अन्तर्गत, अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1897 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं जो दिनांक 11 नवम्बर, 1970 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए तमिलनाडु राज्य में जनता को विद्युत ऊर्जा की पूर्ति से अथवा इस प्रकार की पूर्ति के प्रयोजनार्थ विद्युत ऊर्जा के उत्पादन, संचयन का पारेषण से संबंधित सेवा को अत्यावश्यक सेवा घोषित किया गया है। **[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए सख्या एल० टी०** 4285/70]

कराधान विधि (संशोधन) विधेयक—जारी
TAXATION LAWS (AMENDMENT) BILL—Contd.

अध्यक्ष महोदय : अब सदन में कराधान विधि (संशोधन) विधेयक पर खण्डवार चर्चा जारी

की जायेगी। अब हम खण्ड 17 पर विचार करेंगे।

श्री नन्द कुमार सोमानी (नागौर) : मैं संशोधन संख्या 109 प्रस्तुत करता हूं।

मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि अपनी संशोधन संख्यायें 109 और 110 आपस में संबंधित हैं। अतः यदि संशोधन संख्या 110 को स्वीकार किया जाए तो मैं संशोधन संख्या 109 स्वीकार किए जाने पर जोर नहीं दूंगा।

अध्यक्ष महोदय : अब हम खण्ड 17 और खण्ड 20 क (नया) दोनों पर एक साथ विचार कर सकते हैं। यह एक असाधारण प्रक्रिया है।

श्री नन्दकुमार सोमानी : मैं संशोधन संख्या 110 प्रस्तुत करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं खण्ड 17 और 20 क एक साथ विचार करने के लिए रखूंगा। मगर उसके पहले भी इसके संशोधन को विचारार्थ रखता हूं।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : मेरा सुझाव यह है कि माननीय सदस्य द्वारा प्रस्तावित खण्ड 17 और नया खण्ड 20 क पर अब विचार किया जाए और खण्ड 19 पर उसके बाद विचार किया जाए।

श्री नन्दकुमार सोमानी : संशोधन संख्या 110 के अन्तर्गत एक नया खण्ड 20 क प्रस्तुत किया जा रहा है। जब हम विदेशों से आनेवाले तकनीकी विशेषज्ञों के बारे में, उनकी कार्यविधि के बारे में तथा अन्य संबद्ध बातों पर विचार करते हैं, तो अक्सर यह बात भुला दी जाती है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो विदेशों को तकनीकी ज्ञान प्रदान करते हैं जिस से विदेशी मुद्रा हमें प्राप्त होती है। इन लोगों को सरकार को प्रोत्साहन देना चाहिए। यह विदेशी मुद्रा की प्राप्ति की दृष्टि से और हमारी विभिन्न सेवाओं को विकसित करने की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है। मेरे संशोधन में यह मांग की जाती है कि ये लोग जो विदेशी मुद्रा कमाते हैं, उनको आयकर से मुक्त कर दिया जाय। यह बुद्धिमत्तापूर्ण कदम होगा। अब तक इस क्षेत्र की उपेक्षा की जाती रही। अतः मैं अनुरोध करूंगा कि सरकार इस संशोधन को स्वीकार करे।

श्री विद्याचरण शुक्ल : इस संशोधन के सम्बन्ध में प्रवर समिति में बताया गया था कि यह इस विधेयक की सीमा से पूर्णतया बाहर है। मैं इसके गुण-दोषों की ओर नहीं जाना चाहता परन्तु माननीय सदस्य से मैं यह अनुरोध करूंगा कि वे इसे वापस ले लें।

श्री नन्द कुमार सोमानी : सरकार ने कई बार इस सदन को आश्वासन दिया था कि वह सद्भावनापूर्वक इस संशोधन पर विचार करेगी।

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाता हूं कि हम इस विषय की जांच करेंगे और देखेंगे कि इस सुझाव के सम्बन्ध में क्या कार्रवाई हो सकती है।

श्री नन्द कुमार सोमानी : इस आश्वासन की दृष्टि से मैं अपने संशोधन को वापस लेने के लिए सभा की अनुमति की मांग करता हूं।

संशोधन संख्या 109 तथा 110 सभा की अनुमति से वापस लिये गये
Amendment Nos. 109 & 110 were by leave, withdrawn

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 17 विधेयक का अंग बने "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The Motion was adopted

खंड 17 विधेयक में जोड़ दिया गया
Clause 17 was added to the Bill

खंड 18 विधेयक में जोड़ दिया गया
Clause 18 was added to the Bill

खंड 19
Clause 19

श्री शिव चन्द्र झा (मधुबनी) : मैं संशोधन संख्या 14 और 15 प्रस्तुत करता हूं। Certain needy persons would be benefitted with this.

श्री विद्याचरण शुक्ल : अपने आयकर अधिनयम में वर्तमान व्यवस्था को स्पष्ट करने हेतु इस विधेयक में यह धारा 4 लाई गई है। यह कोई नई बात नहीं लाई जा रही है। मेरा मत है कि माननीय सदस्य अपने संशोधन पर बल नहीं देंगे।

अध्यक्ष महोदय : मैं संशोधन संख्या 14 तथा 15 को मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन संख्या 14 तथा 15 मतदान के लिए रखे गये और अस्वीकृत हुए
Amendments Nos. 14 & 15 were put and negatived

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 19 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The Motion was adopted

खंड 19 विधेयक में जोड़ दिया गया
Clause 19 was added to the Bill

खण्ड 20 विधेयक में जोड़ दिया गया
Clause 20 was added to the Bill

खण्ड 21
Clause 21

अध्यक्ष महोदय : नये खण्ड 20-क का निपटान पहले ही हो चुका है।

श्री शिवचन्द्र झा : मैं संशोधन संख्या 16 प्रस्तुत करता हूं।

To my mind the deduction of 20% being allowed is too much. Publishers are exploiting writers in India. I want that writers should get more exemption. My amendment is that publishers should be allowed 10% exemption as is the case with writers.

Shri Vidya Charan Shukla : As we allow Tax-Holiday or Tax concession to the Industry we cannot give such a concession to Book-Publishers. We therefore want to allow 20% ad-hoc deduction to them so that publishers of books may get encouragement.

I would therefore request the hon. Member to kindly agree to the retention of the provision in the Bill.

अध्यक्ष महोदय : संशोधन संख्या 16 को अब मैं मतदान के लिए रखूंगा ।

संशोधन संख्या 16 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 21 विधेयक का अंग बने

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The Motion was adopted

खण्ड 21 विधेयक में जोड़ दिया गया
Clause 21 was added to the Bill

खण्ड 22
Clause 22

श्री शिवचन्द्र झा : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

"पृष्ठ 17, पंक्ति 16 में
"four" "चार" शब्द के स्थान पर "five" "पाँच" शब्द रख दिया जाये (संख्या 17)

This relates to the deduction to physically handicapped people. I want the limit of deduction to be allowed to these people "five thousand" in place of "four thousand".

Shri Vidya Charan Shukla : This amendment was discussed by Select Committee also. I have no objection in accepting this amendment. I accept this amendment.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"पृष्ठ 17, पंक्ति 16 में
"four" "चार" शब्द के स्थान पर "five" "पाँच" शब्द रख दिया जाये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The Motion was accepted

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 22, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The Motion was adopted

खण्ड 22, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया
Clause 22, as amended, was added to the Bill

खण्ड 23-24 विधेयक में जोड़ दिये गये
Clauses 23, 24 were added to the Bill

खण्ड 25
Clause 25

श्री शिवचन्द्र झा : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

पृष्ठ 18, पंक्ति 37 "Published" "प्रकाशित" शब्द के **पश्चात्** "and circulated" "और परिचालित" शब्द जोड़ दिये जाएं (संख्या 18)

There should not be any objection in accepting this amendment.

श्री कंवरलाल गुप्त (दिल्ली सदर) : मैं संशोधन संख्या 52 और 53 प्रस्तुत करता हूँ ।

श्री वेणीशंकर शर्मा (बांका) : मैं संशोधन संख्याएँ 93 और 94 प्रस्तुत करता हूँ ।

Shri Kanwar Lal Gupta : I have two amendments. This clause is a most important one. This includes sections 143, 144, 147, 148, 154, 155, 210, 271 and 273. Most of these sections are against the interest of assessers. This clause seeks to confer more powers on the Income Tax Officer. I am afraid whether this power will be used against the interest of the public. In case where a Minister did not pay income tax for so many years, the Commissioner misused his power and waived the penalty. But at the same time there are so many cases wherein the assessers were penalised for not paying Income-tax. This discrimination and favouratism is quite unbecoming of the Department. Therefore ample provisions should be made to avoid this. My amendment says, that the Board should not be given powers to act blindly. My second amendment says that no such instructions should be issued to Income Tax Officers, Commissioners or any concerned authority which may go against the law. I hope that Minister will accept both of my amendments.

इसके पश्चात् लोक-सभा मध्याह्न भोजन के लिए दो बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई
The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक-सभा दो बज कर छः मिनट म० प० पर पुनः समवेत हुई
The Lok Sabha reassembled after Lunch at six minutes past Fourteen of the Clock.

[**श्री वासुदेवन नायर पीठासीन हुए**
Shri Vasudevan Nair in the Chair.]

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मैं एक महत्वपूर्ण निवेदन करना चाहता हूँ । आप सब जानते हैं कि स्वर्गीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कहने पर उत्तर प्रदेश की गन्दी बस्तियों में

35,000 मकान बनाये गए थे। अब 7,000 मजदूरों को जिनमें 4,000 प्रतिरक्षा कर्मचारी भी शामिल हैं, इन मकानों से बेदखल किया जा रहा है।

सभापति महोदय : प्रतिरक्षा विभाग का इससे क्या सम्बन्ध है ?

श्री स० मो० बनर्जी : चूंकि केन्द्रीय सरकार ने राशि दी थी, अतः प्रतिरक्षा मंत्री ने प्रतिरक्षा कर्मचारियों से कहा था कि उन्हें आवास की सुविधायें प्रदान की जाएंगी। अब कानपुर में इन कर्मचारियों को जबरन बेदखल किया जा रहा है। लगभग 35,000 प्रतिरक्षा कर्मचारी अब हड़ताल करेंगे और इस से हमारे प्रतिरक्षा उत्पादन में कमी पड़ेगी। अतः मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करता हूँ कि वे आश्वासन दें कि विभिन्न उद्योगों के कर्मचारियों के बीच भेदभाव का बर्ताव नहीं किया जाएगा। और···

सभापति महोदय : आप इसके गुण-दोष पर विचार नहीं कर सकते। यदि प्रतिरक्षा विभाग का इससे सम्बन्ध है, तो वे उस पर विचार करेंगे।

श्री स० मो० बनर्जी : उनका इस मामले से सम्बन्ध है। मैं चाहता हूँ कि सरकार एक वक्तव्य दे।··· (**व्यवधान**)

सभापति महोदय : हम इस विषय पर कोई चर्चा नहीं कर सकते। आपने मामला सदन में उठाया और माननीय संसद-कार्य मंत्री ने इसकी ओर ध्यान भी दिया है।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : श्रीमान्, 'बसुमति' समाचार पत्र का कार्यालय जो कि भूतपूर्व संसद सदस्य एवं केन्द्रीय मंत्री श्री अशोक सेन के स्वामित्व में है, बंद कर दिया गया है और 500 कर्मचारियों की छंटनी की गई है। केन्द्रीय सरकार इस में हस्तक्षेप करे।

सभापति महोदय : पश्चिम बंगाल के सम्बन्ध में परामर्शदात्री समिति की बैठक हो रही है। इस विषय पर चर्चा करने का वही उचित फोरम है। अब हम कानून सम्बन्धी कार्यों को आगे चलायेंगे।

श्री कंवरलाल गुप्त : श्रीमान्, आप कृपया मुझे जरा बोलने देंगे ?

सभापति महोदय : मैं किसी भी सदस्य को अनुमति नहीं दे सकता। दो बजे जो कुछ होता है, हमेशा अध्यक्षपीठ की अनुमति के बिना ही होता है।

संसद-कार्य और पोत-परिवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया) : आपकी अनुमति के बिना जो भी कहा जाता है, मैं उस पर ध्यान नहीं दूंगा।

श्री स० मो० बनर्जी : 7000 लोगों को बेदखल किया जा रहा है। अगर प्रतिरक्षा संस्थापनों में हड़ताल होती है, तो उसकी जिम्मेदारी संसद-कार्य मंत्री पर होगी।

सभापति महोदय : जब मैंने कहा कि मैंने अनुमति नहीं दी है, तो मेरा मतलब यह था कि

निवेदन करने के पहले अनुमति नहीं दी गई । अब तो निवेदन किया जा चुका है और मंत्री महोदय इसकी ओर ध्यान दिये बिना नहीं रह सकते ।

श्री एस० एम० कृष्ण (मंडया) : मैं आपका ध्यान एक महत्वपूर्ण बात की ओर आकृष्ट करूंगा । हिन्दुस्तान मशीन टूल्स में गत एक हफ्ते तक तालाबंदी हुई है ।

सभापति महोदय : मैं यह नहीं कहता कि यह विषय महत्वपूर्ण नहीं है । परन्तु हमारे सामने कुछ सामान्य प्रक्रियायें हैं । आपने सूचनायें प्रस्तुत की होंगी और अध्यक्ष महोदय उनपर विचार करते होंगे ।

Shri Kanwar Lal Gupta : Mr. Chairman, Sir, a serious incident took place in Delhi. Since 'Desra' holidays, 6 boys studying in St. Stephens College are absent. Neither the college authorities nor the parents know where these boys are. The police also did not take any action. It is suspected that some naxalite teachers in St. Stephens College have sent these students to some naxalite gang. I would like to urge the Home Minister to conduct an inquiry into this. Action should be taken against the naxalite teachers in the St. Stephens College.

सभापति महोदय : इस तरह की चर्चा उठाने से कोई प्रयोजन सिद्ध न होनेवाला है । सम्बद्ध मंत्री सदन में मौजूद नहीं हैं । आपने कोई सूचना भी नहीं दी है । अब हम विधेयक पर विचार करेंगे ।

श्री वेणीशंकर शर्मा : मेरा संशोधन यह चाहता है कि प्रत्यक्ष कर बोर्ड ईमानदारी से काम करे । इस खण्ड के द्वारा उन्हें इस अधिनियम को लागू करने के लिए आवश्यक आदेश, अनुदेश तथा निदेश देने का अधिकार दिया गया है । मेरे विचार से ऐसी कोई बात नहीं है जिसको छिपाना पड़े । चूंकि ये सब सार्वजनिक हित में या विभाग को सुचारु ढंग से चलाने या राजस्व की वसूली के लिए जारी किये जाते हैं, तो इसमें छिपाने की कोई बात नहीं है । पता नहीं सरकार इसे क्यों छिपाने की कोशिश करती है ।

मैंने अपने संशोधन में 'मे' शब्द के स्थान पर 'शैल' रखने तथा "यदि बोर्ड का यह मत है कि ऐसा करना सार्वजनिक हित में है" को हटा देने की मांग की थी । अत: मेरी मांग यह है कि ऐसे सभी आदेशों का प्रकाशन किया जाना चाहिये ताकि करदाताओं को यह पता लगे कि क्या-क्या कार्य किया जा रहा है । उन्हें यह देखने का अधिकार है कि बोर्ड के अनुदेश उनके विरुद्ध हैं या नहीं । अत: सभी सम्बद्ध अनुदेश तथा आदेश सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किये आने चाहिए ।

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी (मंदसौर) : मेरा मत यह है कि केन्द्रीय बोर्ड और आय-कर विभाग का रवैया एक न्यायाधीश का होना चाहिए । उन्हें राजस्व और करदाता दोनों के प्रति नीति बरतनी चाहिए । इस समय आय-कर अधिकारियों का रवैया किसी न किसी तरह अधिकतम राजस्व प्राप्त करने का है । अगर यह रवैया छोड़ दिया जाए, तो फिर बोर्ड को लोगों से कोई बात छिपानी नहीं होगी । अत: मेरा मत है कि बोर्ड के सारे अनुदेश करदाताओं को उपलब्ध कराये जाने चाहिए । यदि विभाग का रवैया न्यायालय का जैसा होगा, तो करदाताओं और विभाग के बीच अच्छा सम्बन्ध कायम रह सकता है ।

श्रीमान्, प्रवर समिति द्वारा इन बातों पर विस्तृत रूप से विचार किया गया था और समिति ने भी इस खण्ड में कुछ संशोधन किया था। इस खण्ड का मुख्य उद्देश्य कर की वसूली सम्बन्धी कार्यों को अधिक सुविधाजनक करने के लिए प्रत्यक्ष कर के केन्द्रीय बोर्ड को सामान्य और विशेष प्रकार के अनुदेश जारी करने की शक्ति देना है। खण्ड में एक उपबन्ध यह किया गया है कि बोर्ड द्वारा जो आदेश जारी किया जाता है, अगर वह सार्वजनिक हित में है, तो उसका प्रकाशन किया जाएगा। श्री शिवचन्द्र झा चाहते हैं कि जब ऐसा कोई आदेश प्रकाशित किया जाता है तो उसको परिचालित भी किया जाए। यह एक उचित संशोधन है और मैं इसको स्वीकार करना चाहता हूँ।

जहां तक श्री कंवरलाल गुप्त, श्री वेणीशंकर शर्मा और श्री स्वतंत्रसिंह कोठारी के संशोधनों का सम्बन्ध है, उनमें यह सुझाव किया गया है कि बोर्ड ऐसे सारे आदेशों को प्रकाशित करे जो जारी किये जाते हैं। श्री कंवरलाल गुप्त यह सुझाव देते हैं कि जब कोई आदेश प्रकाशित नहीं किया जा सकता, तो उसका कारण लिख के रखा जाना चाहिए।

विधेयक के मूल प्रारूप में इसकी कोई व्यवस्था नहीं थी, मगर जब कई सदस्यों ने आदेशों के प्रकाशन पर ज़ोर दिया, तो यह स्वीकार किया गया।

परन्तु सारे अनुदेश या परिपत्र कई कारणों से प्रकाशित नहीं किये जा सकते। उदाहरण के तौर पर जब हमें कर-अपवंचन आदि मामलों की अधिक विस्तृत जाँच करनी होती है या जब कुछ अन्य कार्यों के लिए अनुदेश जारी करने होते हैं, तो करदाताओं को इसकी पूर्वजानकारी से अनुचित लाभ होगा। ये अनुदेश तथा परिपत्र आदि गुप्त रखने होते हैं। उनका न प्रकाशन और न परिचालन किया जा सकता है।

अतः बोर्ड का यह अधिकार होना चाहिए कि वे जब कोई खास आदेश प्रकाशित करना चाहते हैं, जो कि सार्वजनिक हित में है, तो उसको प्रकाशित कर सके और जब कोई आदेश प्रकाशित करना सार्वजनिक हित में नहीं है, तो उसको प्रकाशित न करें। अतः मैं चाहता हूं कि वे ही आदेश प्रकाशित किये जाएं, जो सार्वजनिक हित में हैं।

अतः मैं श्री गुप्त, श्री शर्मा तथा श्री कोठारी के संशोधनों को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं हूं। मैं श्री झा का संशोधन स्वीकार करूंगा।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ 18, पंक्ति 37, में 'Published' ('प्रकाशित') शब्द के बाद 'and circulated' ('और परिचालित') शब्द जोड़ दिये जाएं।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The Motion was adopted

सभापति महोदय : अब मैं खण्ड 25 के अन्य संशोधनों को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए
The amendments were put and negatived

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 25 संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The Motion was adopted

खंड 25, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया
Clause 25, as amended, was added to the Bill

खण्ड 26
Clause 26

श्री शिवचन्द्र झा : मैं संशोधन संख्या 19 प्रस्तुत करता हूं ।

Mr. Chairman, Sir, in this clause there is provision to impose penalty on assessee in case he fails to file the return. Nine per cent interest is fixed as penalty in this clause. There are so many tax-evaders in our country. This 9 per cent is not at all a very big amount for them. Therefore I want that it may be increased to 10 per cent.

Shri Vidya Charan Shukla : Mr. Chairman, Sir, I am not in a position to accept the amendment moved by the hon. Member, because this 9 per cent interest is levied not only in this case, but also in other cases such as in the payment of taxes, under payment of advance tax etc., similarly in those cases where the Government have to refund the amount, in case it commits delay, we also have to pay the interest to the tune of 9 per cent. If we increase this alone to ten per cent, we will feel enormous difficulties in other cases. The whole arrangement will be disturbed. Therefore my submission is to let it remain 9 per cent, itself.

संशोधन संख्या 19 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ
The Amendment was put and negatived

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

'कि खण्ड 26 विधेयक का अंग बने'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The Motion was adopted

खण्ड 26 विधेयक में जोड़ दिया गया
Clause 26 was added to the Bill

खण्ड 27
Clause 27

श्री शिवचन्द्र झा : मैं संशोधन संख्या 120 प्रस्तुत करता हूं ।

Mr. Chairman, Sir, the Government wants to impose a penalty to the tune of 50 per cent of the total arrear outstanding against the defaulter, who despite repeated instruction from the Income-tax Officer, fails to pay the amount. My amendment seeks to raise this 50 per cent to 100 per cent.

Shri Vidya Charan Shukla : Mr. Chairman, Sir, this provision of imposing penalty has started in 1964. We have to take into account the fact that there are such tax-payers also in our country who are not highly rich. Keeping in view their condition, their general awareness of the laws, it will not be reasonable to raise it to 100 per cent. This process has started now only. The people are becoming aware of it gradually. Therefore I think that the rate of 50 per cent is reasonable. So there is no need of accepting this amendment.

संशोधन संख्या 20 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ
The amendment was put and negatived

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

'कि खण्ड 27 विधेयक का अंग बने ।'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The Motion was adopted

खण्ड 27 विधेयक में जोड़ दिया गया
Clause 27 was added to the Bill

खण्ड 28 और 29 भी विधेयक में जोड़ दिए गए
Clauses 28 and 29 were also added to the Bill

खंड 30
Clause 30

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे (बेतूल) : मैं संशोधन संख्या 119 प्रस्तुत करता हूं ।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 22,—

पंक्ति 39 से 47 के **स्थान पर** निम्नलिखित **प्रतिस्थापित किया जाए**—

Page 22,—

for lines 39 to 47, **substitute**—

(2) Where a return has been made under section 139, and—

(a) an assessment having been made under sub-section (1), the assessee makes within one month from the date of service of the notice of demand issued in consequence of such assessment, an application to the Income-tax Officer objection to the assessment, or

(b) whether or not an assessment has been made under sub-section (1), the Income-tax Officer considers it necessary or expedient to verify the correctness and completeness of the return by requiring the presence of the assessee or the production of evidence in this

behalf, the Income-tax Officer shall serve on the assessee a notice requiring him, on a date to be therein specified, either to attend at the Income-tax Officer's office or to produce, or to cause to be there produced, any evidence on which the assessee may rely in support of the return :

Provided that, in a case where an assessment has been made under sub-section (1), the notice under this sub-section (except where such notice is in pursuance of an application by the assessee under clause (a) shall not be issued by the Income-tax Officer unless the previous approval of the Inspecting Assistant Commissioner has been obtained to the issue of such notice :

Provided further that in case where the assessment made under sub-section (1) is objected to by the assessee by an application under clause (a), the assessee shall not be deemed to be in default in respect of the whole or any part of the amount of the tax demanded in pursuance of the assessment under that sub-section, which is disputed by the assessee, in so far as such amount does not relate to any adjustment referred to in sub-clause (i) of clause (b) of sub-section (1), and further no interest shall be chargeable under sub-section (2) of section 220 in respect of such disputed amount."

["(2) जहाँ कि धारा 139 के अधीन विवरणी दी गई हो, और—

(क) उप-धारा (1) के अधीन निर्धारण किए जाने पर ऐसे निर्धारण के परिणामस्वरूप जारी की गई माँग की सूचना तामील किए जाने की तारीख से एक मास के भीतर निर्धारिती उस निर्धारण पर आपत्ति करते हुए आयकर अधिकारी को आवेदन करता है, या

(ख) चाहे निर्धारण उप-धारा (1) के अधीन किया गया हो अथवा नहीं, आय-कर अधिकारी निर्धारिती की उपस्थिति या इस निमित्त साक्ष्य पेश किये जाने की उपेक्षा करके विवरणी की शुद्धता और पूर्णता स्थापित करना आवश्यक या समीचीन समझे,

आय-कर अधिकारी निर्धारिती पर ऐसी सूचना की तामील करेगा जिसमें उससे यह अपेक्षा की जाए कि वह उसमें विनिर्दिष्ट की जाने वाली तारीख को या तो आय-कर अधिकारी के कार्यालय में हाजिर हो या वह कोई ऐसा साक्ष्य, जिस पर निर्धारिती अपने विवरणी के समर्थन में निर्भर करता हो, पेश करे या पेश कराए :

परन्तु उस दशा में जहाँ उप-धारा (1) के अधीन निर्धारण किया गया हो आयकर अधिकारी द्वारा इस उप-धारा के अधीन तब तक कोई सूचना (उस मामले को छोड़ कर जहाँ ऐसी सूचना खण्ड (क) के अधीन निर्धारिती द्वारा आवेदन के अनुसरण में हो) जारी नहीं की जायेगी जब तक कि ऐसी सूचना जारी करने के लिए सहायक आयुक्त (निरीक्षण) की पूर्व अनुमति प्राप्त न की गई हो ।

परन्तु यह और कि उस दशा में जहाँ उप-धारा (1) के अधीन किये गये निर्धारण पर निर्धारिती द्वारा खण्ड (क) के अधीन आवेदन द्वारा आपत्ति की जाती है, उस उप-धारा के अधीन निर्धारण के अनुसरण में मांगी गई कर की सम्पूर्ण राशि अथवा उसके किसी आंशिक भाग के सम्बन्ध में निर्धारिती को व्यतिक्रमी नहीं समझा जाएगा, जहाँ तक कि ऐसी राशि उप-धारा (1) के खण्ड

(ख) की उप-धारा (1) में निर्दिष्ट किसी समायोजन से सम्बन्धित न हो और यह कि ऐसी विवाद-ग्रस्त राशि के सम्बन्ध में धारा 220 की उप-धारा (2) के अधीन कोई ब्याज प्रभार्य नहीं होगा।"] (संख्या 125)

मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

पृष्ठ 23, पंक्ति 1 से 8 के **स्थान पर** यह **प्रतिस्थापित किया जाए**—

Page 23,—

for lines 1 to 8, substitute—

'(3) On the day specified in the notice issued under sub-section (2), or as soon afterwards as may be, after hearing such evidence as the assessee may produce and such other evidence as the Income-tax Officer may require on specified points, and after taking into account all relevant material which he has gathered,—

(a) in a case where no assessment has been made under sub-section (1), the Income-tax Officer shall, by an order in writing, make an assessment of the total income or loss of the assessee, and determine the sum payable by him or returnable to him on the basis of such assessment;

(b) in a case where an assessment has been made under sub-section (1), it either such assessment has been objected to by the assessee by an application under clause (a) of sub-section (2) or the Income-tax Officer is of opinion that such assessment is incorrect inadequate or incomplete in any material respect, the Income-tax Officer shall, by an order in writing, make a fresh assessment of the total income or loss of the assessee, and determine the sum payable by him or refundable to him on the basis of such assessment.

Explanation.—For the purposes of this section,—

(1) an assessment under sub-section (1) shall be deemed to be incorrect, inadequate or incomplete in a material respect if—

(a) the amount of the total income as determined under sub-section (1) is greater or smaller than the amount of the total income on which the assessee is properly chargeable under this Act to tax; or

(b) the amount of the tax payable as determined under sub-section (1) is greater or smaller than the amount of the tax properly payable under this Act by the assessee; or

(c) the amount of any loss as determined under sub-section (1) is greater or smaller than the amount of the loss, if any, determinable under this Act on a proper computation; or

(d) the amount of any depreciation allowance, development rebate or any other allowance or deduction as determined under sub-section (1) is greater or smaller than the amount of the depreciation allowance, development rebate or, as the case may be, other allowance or deduction properly allowable under this act; or

(e) the amount of the refund as determined under sub-section (1) is greater or smaller than the amount of the refund, if any, due under this Act on a proper computation; or

(f) the status in which the assessee has been assessed under sub-section (1) is different from the status in which the assessee is properly assessable under this Act;

(2) "status", in relation to an assessee, means the classification of the assessee as an individual, a Hindu undivided family, or any other category of persons referred to in clause (31) of section 2, and where the assessee is a firm, its classification as a registered firm or an unregistered firm.'

['(3) उप-धारा (2) के अधीन निकाली गई सूचना में विनिर्दिष्ट दिन को या तत्पश्चात् यथाशक्य-शीघ्र, ऐसा साक्ष्य जो निर्धारिती पेश करे और ऐसा अन्य साक्ष्य जिसकी आयकर अधिकारी विनिर्दिष्ट बातों पर अपेक्षा करे, सुनने के पश्चात् तथा ऐसी सभी सुसंगत सामग्री पर जो उसने एकत्र की हो, विचार करने के पश्चात्,—

(क) उस दशा में, जहाँ उप-धारा (1) के अधीन निर्धारण न किया गया हो, वहाँ आयकर अधिकारी लिखित आदेश द्वारा निर्धारिती की कुल आय या हानि का निर्धारण करेगा और ऐसे निर्धारण के आधार पर उसके द्वारा संदेय या उसको प्रतिदेय राशि अवधारित करेगा;

(ख) उस दशा में, जहाँ उप-धारा (1) के अधीन निर्धारण किया गया है, यदि उप-धारा (2) के खण्ड (क) के अधीन आवेदन द्वारा निर्धारिती ने ऐसे निर्धारण पर आपत्ति की है या आयकर अधिकारी के मतानुसार ऐसा निर्धारण किसी तात्विक पहलू से गलत, अपर्याप्त या अपूर्ण है, तो आयकर अधिकारी लिखित आदेश द्वारा निर्धारिती की कुल आय या हानि का नया निर्धारण करेगा और ऐसे निर्धारण के आधार पर उसके द्वारा संदेय या उसको प्रतिदेय राशि अवधारित करेगा।

स्पष्टीकरण :—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(1) उप-धारा (1) के अधीन कोई निर्धारण किसी तात्विक पहलू से गलत, अपर्याप्त या अपूर्ण माना जाएगा यदि—

(क) उप-धारा (1) के अधीन अवधारित कुल आय की राशि इस अधिनियम के अधीन निर्धारिती की उचित रूप से कर प्रभार्य कुल आय की राशि से अधिक अथवा कम हो; अथवा

(ख) उप-धारा (1) के अधीन अवधारित कर की संदेय राशि की रकम निर्धारिती द्वारा इस अधिनियम के अधीन कर की उचित रूप में संदेय रकम से अधिक या कम हो; अथवा

(ग) उप-धारा (1) के अधीन अवधारित किसी हानि की रकम उचित संगणना किये जाने पर इस अधिनियम के अन्तर्गत अवधार्य हानि, यदि कोई हो, की रकम से अधिक या कम हो; अथवा

(ग) उप-धारा (1) के अधीन अवधारित किसी अवक्षय मोक, विकासार्थ रिबेट या किसी अन्य मोक या कटौती की रकम इस अधिनियम के अन्तर्गत उचित रूप में अनुज्ञेय, अवक्षय मोक, विकासार्थ रिबेट या, यथास्थिति, अन्य भत्ते या कटौती की रकम से अधिक या कम हो; अथवा

(ङ) उप-धारा (1) के अधीन अवधारित प्रतिदाय की रकम उचित संगणना किए जाने पर इस अधिनियम के अधीन शोधा प्रतिदाय, यदि कोई हो, की रकम से अधिक या कम हो; अथवा

(च) वह हैसियत, जिसमें उप-धारा (1) के अधीन निर्धारिती पर निर्धारण किया गया है, उस हैसियत से, जिसमें निर्धारिती इस अधिनियम के अधीन उचित रूप में निर्धार्य है, भिन्न है ;

(2) किसी निर्धारिती के सम्बन्ध में "हैसियत" से अभिप्रेत है व्यष्टि, हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब या धारा (2) के खण्ड (31) में निर्दिष्ट किन्हीं अन्य व्यक्तियों के प्रवर्ग का वर्गीकरण, और जहाँ निर्धारिती कोई वर्ग हो, रजिस्ट्रीकृत वर्ग या अरजिस्ट्रीकृत वर्ग के रूप में इसका वर्गीकरण।'] (संख्या 126)

आयकर विधि का खण्ड 30 सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। यह मूल्यांकन की प्रक्रिया तथा उसके ढंग से सम्बन्धित है। इस नियम में सब संक्षिप्त निर्धारण तथा अस्थायी निर्धारण दोनों के ही नहीं नियमित मूल्यांकन में इसके परिणाम स्वरूप होने वाले प्रभाव के सम्बन्ध में भी परिवर्तन किये गए हैं।

निर्धारण के सम्बन्ध में वर्तमान स्थिति क्या है ? धारा 141 के अनुसार आय-कर अधिकारी प्राप्त आय-व्यय के ब्यौरे के आधार पर कर का निर्धारण करते हैं और आय-कर अधिकारी इस प्राप्त ब्यौरे के साथ कुछ और जोड़ भी सकते हैं। जयपुर उद्योग के सम्बन्ध में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय किया कि आय-कर अधिकारी प्राप्त ब्यौरे के साथ और कुछ जोड़ नहीं सकते हैं। इस से विभाग के कार्य में कुछ कठिनाइयां पैदा हो गईं। विभाग कई मामलों में शीघ्रता से निर्धारण कर नहीं पाया। अत: अब सरकार विधि में परिवर्तन करने की कोशिश कर रही है।

नयी विधि के परिणामस्वरूप क्या स्थिति पैदा होगी ?

धारा 143 (1) के अन्तर्गत आय-कर अधिकारी चार प्रकार समायोजन करके आय का निर्धारण कर सकता है। और यह निर्धारण करदाता की अनुपस्थिति में किया जाता है तथा वह सभी कार्यों के लिए अन्तिम हो जाता है। फिर करदाता के पास अन्य क्या उपाय आय निर्धारण को ठीक कराने का रह जाता है। फिर उसे अपीलीय सह आयकर आयुक्त के यहां अपील करनी पड़ती है और जो काम आयकर अधिकारी का है वह आयुक्त को करना पड़ता है। वह फिर करदाता को आयकर अधिकारी के पास भेज देता है। इस प्रकार उसे एक जगह से दूसरी जगह तथा एक आदमी से दूसरे आदमी पर जा कर हैरान होना पड़ता है। इस प्रकार अनावश्यक मुकदमेबाजी बढ़ जाती है और करदाता कठिनाई में पड़ जाता है। यदि संक्षिप्त कर निर्धारण को अन्तिम मान लिया जायेगा और धारा 147 के अन्तर्गत इन पर विचार भी न किया गया तो इससे बहुत सी कठिनाइयां पैदा हो जायेंगी।

शीघ्रतापूर्ण और संक्षिप्त कर निर्धारण की व्यवस्था होने से छोटे करदाताओं का ख्याल रखा जा सकेगा और अनावश्यक मुकदमेबाजी से छुटकारा मिलेगा। उसे बार-बार आयकर-

अधिकारी के पास नहीं बुलाया जाना चाहिए। छोटी-छोटी गलतियों को ठीक करने का अधिकार आय-कर अधिकारियों को होना चाहिए। अन्य गलतियों के लिए उन्हें अपील करने की छूट होनी चाहिए। यदि यह संशोधन मान लिया जाता है तो आय-कर अधिकारी धारा 147 का आश्रय नहीं ले सकता।

Shri Kanwar Lal Gupta : I welcome the provision of summary assessment in the Bill. One more provision is this that even after completing the assessment under section 143 (1) it is under the discreation of Income-tax Officer to restart the case or not. This provision is very dangerous. It will increase corruption. If an assessee gives the Income-tax Officers the required bribe he not reopen his case otherwise he can reopen. This means the tax payer will always be is danger, and the cases cannot be finalised for ever.

श्री नारायण दाण्डेकर : संक्षिप्त कर निर्धारण से बहुत सी औपचारिकताओं से बचा जा सकता है तथा इसे अपनाया जाना चाहिए।

श्री साल्वे के संशोधन को यदि मान लिया जाता है तो यदि किसी करदाता को अपने कर-निर्धारण में कोई गलती अनुभव होती है तो वह आय-कर अधिकारी को लिख सकता है कि निर्धारण गलत किया गया है और उसे सही करने के लिए वह समुचित कागजात पेश कर सकता है। यदि ऐसा नहीं होगा तो उसे फिर अपीलीय सहायक आयुक्त के पास जाना पड़ेगा और इस प्रकार उसे अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। और ऐसे बहुत से मामले हो सकते हैं।

पर करदाता के बेईमान होने पर उसका संक्षिप्त कर निर्धारण करने के बाद कुछ संशय होने पर उसके मामले को पुनः उठाया जा सकता है। पर निर्धारण के मामले को पुनः चालू करने सम्बन्धी कानून बड़े ही टेढ़े हैं उस कठिनाई को भी इस संशोधन से दूर किया जा सकेगा।

श्री तेन्नेटी विश्वनाथम : संक्षिप्त कर निर्धारण की व्यवस्था केवल छोटे करदाताओं के सम्बन्ध में होनी चाहिए न कि बड़े करदाताओं के सम्बन्ध में। यदि आय-कर अधिकारी को दिये गये विवरण में कुछ शक लगे तो वह करदाता को सम्बन्धित कागजातों के साथ बुलाकर उसे ठीक कर सकता है पर एक बार अन्तिम रूप देने पर उसे अपने ही द्वारा निर्धारित करों के मामले को पुनः चालू करने का अधिकार नहीं होना चाहिए।

श्री वेणीशंकर शर्मा : खेद है कि मुझे श्री साल्वे और श्री दाण्डेकर के संशोधन का विरोध करना पड़ेगा, क्योंकि उसे मानना फिर से मूल स्थिति में पहुँचना है। प्रवर समिति द्वारा अनुमोदित रूप में विधेयक को पारित करने से छोटे करदाताओं को बहुत सी कठिनाइयों से छुटकारा मिल जायेगा। बेईमान करदाताओं की बात कही गई है। इस सम्बन्ध में यह उपबन्ध है कि यदि कोई बड़ा करदाता अपना कर निर्धारण छोटे करदाता के रूप में करा लेता है और बाद में यदि उसकी इस गलत बात का पता चलता है तो उसे एक वर्ष के कठोर कारावास का दण्ड दिया जायेगा। इसी प्रकार आयकर अधिकारी को कुछ आधारों पर कुछ कमी करने का अधिकार आपको देना चाहिए। वह बड़ा अन्तर नहीं कर सकता। यदि बड़ा अन्तर करना हो तो वह कर-दाता को अपने पास बुला सकता है। और करदाता इसमें कोई आपत्ति भी नहीं करेगा क्योंकि वह भी सही

निर्धारण चाहेगा । फिर ऐसी बहुत सी मदें होती हैं जिनके सम्बन्ध में करदाता को पता नहीं होता कि इन्हें उनके कर-निर्धारण की मदों में से हटाया जा सकता है । ऐसी मदों को आय-कर अधिकारी को निकाल देना चाहिए ।

यदि हम मूल स्थिति में पहुंच जायें तो कर-दाता के सिर पर हर समय तलवार टंगी रहेगी । यह स्थिति हम बड़े कर-दाताओं के सम्बन्ध में तो मान सकते हैं पर छोटे कर-दाताओं को इस स्थिति में डालना ठीक नहीं होगा । कहीं न कहीं निर्धारण अन्तिम हो जाना चाहिए ।

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी : प्रवर समिति के इस सुझाव का मैं स्वागत करता हूं । श्री साल्वे के संशोधन से मैं सहमत नहीं हूं । यह नहीं होना चाहिए कि आय-कर अधिकारी जब चाहे तब आय-कर निर्धारण के मामले को पुनः चालू कर सके । हां, करदाता को वर्तमान उपबन्धों के अन्दर अपने मामले का पुनरीक्षण करवाने का अधिकार रहना चाहिए । इसलिए इस धारा को जैसी कि वह है रहने दिया जाये ।

Shri Shiva Chandra Jha : The term "past years" is very elastic. Under this the Income-tax Officer can even ask an assessee who has been liquidated to fill in his return according to his past years.

The Income-tax Officer should be asked to complete and finalise his work within the prescribed time limit.

श्री विद्याचरण शुक्ल : यहाँ दिए गये तर्कों और उत्तर विभागीय बैठकों में इन संशोधनों पर हुई चर्चा को सुनने के बाद मैं इस निर्णय पर पहुंचा हूं कि श्री साल्वे के इन दोनों संशोधनों संख्या 125, 126 को स्वीकार कर लिया जाय ।

श्री तेन्नेटी विश्वनाथम : यह एक गलत प्रथा है । वे प्रवर समिति की सिफारिशों के विरुद्ध जा रहे हैं ।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : मैं अपना संशोधन संख्या 119 पेश नहीं करता ।

श्री कंवरलाल गुप्त : मैं इसका विरोध करता हूँ ।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 119 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : अब मैं श्री साल्वे के संशोधन संख्या 125 और 126, जिन्हें सरकार ने मान लिया है, को सभा के मतदान के लिये रखता हूँ ।

श्री क० लकप्पा : पहले माननीय सदस्य को संशोधन वापिस लेने दिया जाय ।

सभापति महोदय : इस स्थिति में चर्चा नहीं हो सकती ।

श्री क० लकप्पा : मंत्री महोदय प्रवर समिति में सहमत हो गये थे ।**

**कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

सभापति महोदय : कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ नहीं जायेगा । आप जैसा भी चाहें मतदान कर सकते हैं ।

प्रश्न यह है कि :

Page 22,—

for lines 39 to 47, **substitute**—

"(2) Where a return has been made under section 139, and—

(a) an assessment having been made under sub-section (1), the assessee makes within one month from the date of service of the notice of demand issued in consequence of such assessment, an application to the Income-tax Officer objecting to the assessment, or

(b) whether or not an assessment has been made under sub-section (1), the Income-tax Officer considers it necessary or expedient to verify the correctness and completeness of the return by requiring the presence of the assessee or the production of evidence in this behalf, the Income-tax Officer shall serve on the assessee a notice requiring him, on a date to be therein specified, either to attend at the Income-tax Officer's Office or to produce, or to cause to be there produced, any evidence on which the assessee may rely in support of the return :

Provided that, in a case where an assessment has been made under sub-section (1), the notice under this sub-section [except where such notice is in pursuance of an application by the assessee under clause (a)] shall not be issued by the Income-tax Officer unless the previous approval of the Inspecting Assistant Commissioner has been obtained to the issue of such notice :

Provided further that in a case where the assessment made under sub-section (1) is objected to by the assessee by an application under clause (a), the assessee shall not be deemed to be in default in respect of the whole or any part of the amount of the tax demanded in pursuance of the assessment under that sub-section, which is disputed by the assessee, in so far as such amount does not relate to any adjustment referred to in sub-clause (i) of clause (b) of sub-section (1), and further no interest shall be chargeable under sub-section (2) of section 220 in respect of such disputed amount."

[पृष्ठ 22,—

पंक्ति 39 से 47 के **स्थान पर** निम्नलिखित **प्रतिस्थापित किया जाए**—"(2) जहां कि धारा 139 के अधीन विवरणी दी गई हो, और—

(क) उप-धारा (1) के अधीन निर्धारण किये जाने पर ऐसे निर्धारण के परिणामस्वरूप जारी की गई, मांग की सूचना तामील किये जाने की तारीख से एक मास के भीतर निर्धारिती उस निर्धारण पर आपत्ति करते हुए आय-कर अधिकारी को आवेदन करता है, या

(ख) चाहे निर्धारण उप-धारा (1) के अधीन किया गया हो अथवा नहीं, आय-कर अधिकारी निर्धारिती की उपस्थिति या इस निमित्त साक्ष्य पेश किये जाने की उपेक्षा करके विवरणी की शुद्धता और पूर्णता स्थापित करना आवश्यक या समीचीन समझे,

आय-कर अधिकारी निर्धारिती पर ऐसी सूचना की तामील करेगा जिसमें उससे यह अपेक्षा

की जाए कि वह उसमें विनिर्दिष्ट की जाने वाली तारीख को या तो आय-कर अधिकारी के कार्यालय में हाजिर हो या वह कोई ऐसा साक्ष्य, जिसपर निर्धारिती अपने विवरणी के समर्थन में निर्भर करता हो, पेश करे या पेश कराए :

परन्तु, उस दशा में जहां उप-धारा (1) के अधीन निर्धारण किया गया हो आय-कर अधिकारी द्वारा इस उप-धारा के अधीन तब तक कोई सूचना (उस मामले को छोड़कर जहां ऐसी सूचना खण्ड (क) के अधीन निर्धारिती द्वारा आवेदन के अनुसरण में हो) जारी नहीं की जायेगी जब तक कि ऐसी सूचना जारी करने के लिए सहायक आयुक्त (निरीक्षण) की पूर्व अनुमति प्राप्त न की गई हो।

परन्तु यह और कि उस दशा में जहाँ उप-धारा (1) के अधीन किये गये निर्धारण पर निर्धारिती द्वारा खण्ड (क) के अधीन आवेदन द्वारा आपत्ति की जाती है, उस उप-धारा के अधीन निर्धारण के अनुसरण में मांगी गई कर की सम्पूर्ण राशि अथवा उसके किसी आंशिक भाग के संबंध में निर्धारिती को व्यतिक्रमी नहीं समझा जाएगा, जहाँ तक कि ऐसी राशि उप-धारा (1) के खण्ड (ख) की उप-धारा (1) में निर्दिष्ट किसी समायोजन से सम्बन्धित न हो और यह कि ऐसी विवाद-ग्रस्त राशि के सम्बन्ध में धारा 220 को उप-धारा (2) के अधीन कोई ब्याज प्रभार्य नहीं होगा।"] (संख्या 125)

लोक-सभा में मत विभाजन हुआ

Lok Sabha divided
Ayes 59 noes 23

पक्ष में—59

विपक्ष में—23

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

Shri Kanwar Lal Gupta : I walk out in protest.

(श्री कंवरलाल गुप्ता सभा भवन से बाहर चले गये।)

(Shri Kanwar Lal Gupta went out of the House)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

Page 23,—

for lines 1 to 8 **substitute**—

'(3) On the day specified in the notice issued under sub-section (2) or as soon afterwards as may be, after hearing such evidence as the assessee may produce and such other evidence as the Income-tax Officer may require on specified points, and after taking into account all relevant material which he has gathered,—

(a) in a case where no assessment has been made under sub-section (1), the Income-tax Officer shall, by an order in writing, make an assessment of the total income or loss of the

assessee, and determine the sum payable by him or refundable to him on the basis of such assessment;

(b) in a case where an assessment has been made under sub-section (1), if either such assessment has been objected to by the assessee by an application under clause (a) of sub-section (2) or the Income-tax Officer is of opinion that such assessment is incorrect, inadequate or incomplete in any material respect, the Income-tax Officer shall, by an order in writing, make a fresh assessment of the total income or loss of the assessee, and determine the sum payable by him or refundable to him on the basis of such assessment.

Explanation.—For the purposes of this section,—

(1) an assessment under sub-section (1) shall be deemed to be incorrect, inadequate or incomplete in a material respect if—

(a) the amount of the total income as determined under sub-section (1) is greater or smaller than the amount of the total income on which the assessee is properly chargeable under this Act to tax; or

(b) the amount of the tax payable as determined under sub-section (1) is greater or smaller than the amount of the tax properly payable under this Act by the assessee, or

(c) the amount of any loss as determined under sub-section (1) is greater or smaller than the amount of the loss, if any, determinable under this Act on a proper computation; or

(d) the amount of any depreciation allowance, development rebate or any other allowance or deduction as determined under sub-section (1) is greater or smaller than the amount of the depreciation allowance, development rebate or, as the case may be, other allowance or deduction properly allowable under this Act; or

(e) the amount of the refund as determined under sub-section (1) is greater or smaller than the amount of the refund, if any, due under this Act on a proper computation; or

(f) the status in which the assessee has been assessed under sub-section (1) is different from the status in which the assessee is properly assessable under this Act;

(2) "status", in relation to an assessee, means the classification of the assessee as an individual, a Hindu undivided family, or any other category of persons referred to in clause (31) of section 2, and where the assessee is a firm, its classification as a registered firm or an unregistered firm.'

[पृष्ठ 23, पंक्ति 1 से 8 के **स्थान पर** यह **प्रतिस्थापित किया जाए**—

(3) उपधारा (2) के अधीन निकाली गई सूचना में विनिर्दिष्ट दिन को या तत्पश्चात् यथाशक्य-शीघ्र, ऐसा साक्ष्य जो निर्धारिती पेश करे और ऐसा अन्य साक्ष्य जिसकी आय-कर अधिकारी विनिर्दिष्ट बातों पर अपेक्षा करे, सुनने के पश्चात् तथा ऐसी सभी सुसंगत सामग्री पर जो उसने एकत्र की हो, विचार करने के पश्चात्,—

(क) उस दशा में, जहाँ उपधारा (1) के अधीन निर्धारण न किया गया हो, वहाँ आय-कर

अधिकारी लिखित आदेश द्वारा निर्धारिती की कुल आय या हानि का निर्धारण करेगा और ऐसे निर्धारण के आधार पर उसके द्वारा संदेय या उसको प्रतिदेय राशि अवधारित करेगा;

(ख) उस दशा में, जहाँ उपधारा (1) के अधीन निर्धारण किया गया है, यदि उप-धारा (2) के खण्ड (क) के अधीन आवेदन द्वारा निर्धारिती ने ऐसे निर्धारण पर आपत्ति की है या आय-कर अधिकारी के मतानुसार ऐसा निर्धारण किसी तात्विक पहलू से गलत, अपर्याप्त या अपूर्ण है, तो आय-कर अधिकारी लिखित आदेश द्वारा निर्धारिती की कुल आय या हानि का नया निर्धारण करेगा और ऐसे निर्धारण के आधार पर उसके द्वारा संदेय या उसको प्रतिदेय राशि अवधारित करेगा।

स्पष्टीकरण :—इस धारा के प्रयोजनों के लिये,—

(1) उप-धारा (1) के अधीन कोई निर्धारण किसी तात्विक पहलू से गलत, अपर्याप्त या अपूर्ण माना जायेगा यदि—

(क) उप-धारा (1) के अधीन अवधारित कुल आय की राशि इस अधिनियम के अधीन निर्धारिती की उचित रूप से कर प्रभार्य कुल आय की राशि के अधिक अथवा कम हो; अथवा

(ख) उप-धारा (1) के अधीन अवधारित कर की संदेय राशि की रकम निर्धारिती द्वारा इस अधिनियम के अधीन कर की उचित रूप में संदेय रकम से अधिक अथवा कम हो; अथवा

(ग) उप-धारा (1) के अधीन अवधारित किसी हानि की रकम उचित संगणना किये जाने पर इस अधिनियम के अन्तर्गत अवधार्य हानि, यदि कोई हो, की रकम से अधिक या कम हो; अथवा

(घ) उप-धारा (1) के अधीन अवधारित किसी अवक्षय मोक, विकासार्थ रिबेट या किसी अन्य मोक या कटौती की रकम इस अधिनियम के अन्तर्गत उचित रूप में अनुदेय, अवक्षय मोक, विकासार्थ रिबेट या, यथास्थिति, अन्य भत्ते या कटौती की रकम से अधिक या कम हो; अथवा

(ङ) उप-धारा (1) के अधीन अवधारित प्रतिदाय की रकम उचित संगणना किये जाने पर इस अधिनियम के अधीन शोधा प्रतिदाय, यदि कोई हो, की रकम से अधिक या कम हो; अथवा

(च) वह हैसियत, जिसमें उप-धारा (1) के अधीन निर्धारिती पर निर्धारण किया गया है, उस हैसियत से, जिसमें निर्धारिती इस अधिनियम के अधीन उचित रूप में निर्धार्य है, भिन्न है;

(2) किसी निर्धारिती के सम्बन्ध में "हैसियत" से अभिप्रेत है व्यष्टि, हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब या धारा (2) के खण्ड (31) में निर्दिष्ट किन्हीं अन्य व्यक्तियों में प्रवर्ग का वर्गीकरण, और जहाँ निर्धारिती कोई फर्म हो, रजिस्ट्रीकृत फर्म या अरजिस्ट्रीकृत फर्म के रूप में इसका वर्गीकरण।"] (संख्या 126)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 30, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

खण्ड 30, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 30, as amended, was added to the Bill

खण्ड 31 से 33 विधेयक में जोड़ दिए गये

Clauses 31 to 33 was added to the Bill.

सभापति महोदय : खण्ड 34 के लिए कुछ संशोधन थे । श्री कंवरलाल गुप्त अपरिचित नही हैं ।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : मैं अपना संशोधन प्रस्तुत नहीं करता ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 34 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

खण्ड 34 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 34 was added to the Bill

खण्ड 35 से 43 विधेयक में जोड़ दिये गये

Clauses 35 to 43 were added to the Bill

सभापति महोदय : खण्ड 44 के लिये कुछ संशोधन थे ।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : मैं अपने संशोधन प्रस्तुत नहीं करता ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 44 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

खण्ड 44 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 44 was added to the Bill

खण्ड 45

Clause 45

श्री शिवचन्द्र झा (मधुबनी) : मैं संशोधन संख्या 21 प्रस्तुत करता हूँ ।

The amount of fee for filing the case of wrong assessment in the High Court was Rs. 250 in the Original Bill, which was reduced by to Rs. 125 by the Select Committee. I want that this amount should be increased to Rs. 150.

Shri Vidya Charan Shukla : It will be better to accept the recommendations of the Select Committee, as the increase of Rs. 25 in it will make no difference.

संशोधन संख्या 21 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ

Amendment No. 21 was put and negatived

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 45 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

खंड 45 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 45 was added to the Bill

खंड 46 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 46 was added to the Bill

खंड 47

Clause 47

श्री शिवचन्द्र झा : मैं संशोधन संख्या 22 प्रस्तुत करता हूं ।

Shri Vidya Charan Shukla : In this case also we should accept what the Select Committee has suggested.

संशोधन संख्या 22 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ

The Amendment No. 22 was put and negatived

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 47 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

खंड 47 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 47 was added to the Bill

खंड 48 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 48 was added to the Bill

खंड 49

Clause 49

श्री शिवचन्द्र झा : मैं संशोधन संख्या 23 प्रस्तुत करता हूं ।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 23 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ

Amendment No. 23 was put and negatived

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 49 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

खण्ड 49 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 49 was added to the Bill

खण्ड 50 और 51 विधेयक में जोड़ दिये गये

Clauses 50 and 51 were added to the Bill

खण्ड 52

Clause 52

श्री शिवचन्द्र झा : मैं संशोधन संख्या 24, 25, 26, 27, 28 और 29 प्रस्तुत करता हूं ।

Mr. Chairman, clause 52 is very important clause. There is a provision of punishment to those who do not file their returns. I am of the opinion that if you are serious to check the evasion of taxes, you should strictly deal with it. So I want to suggest that the term of vigorous imprisonment should be two years instead of one and "not be less than four rupees or more than ten rupees" should be replaced by "not be less than seven rupees or more than ten rupees".

Shri Vidya Charan Shukla : This clause was discussed in details in the Select Committee and it was decided to increase the term of imprisonment and the rate of fine, consequently the term of imprisonment was increased from 6 months to 1 year. So, there is no propriety of making more increase in this repect. I request hon. Member not to press the amendments.

संशोधन संख्या 24 से 29 तक मतदान के लिए रखे गये और अवीकृत हुए

The Amendments Nos. 24 to 29 were put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 52 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

खण्ड 52 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 52 was added to the Bill

खण्ड 53 से 55 विधेयक में जोड़ दिये गये

Clauses 53 to 55 were added to the Bill

खण्ड 56

Clause 56

श्री शिवचन्द्र झा : मैं संशोधन संख्या 30 प्रस्तुत करता हूं ।

Shri Vidya Charan Shukla : Mr. Chairman, Sir, I am not prepared to accept this amendment as the rate of 9 per cent is alright.

संशोधन संख्या 30 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ

The amendment No. 30 was put and negatived

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 56 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

खण्ड 56 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 56 was added to the Bill

खण्ड 57 से 59 विधेयक में जोड़ दिये गये

Clauses 57 to 59 were added to the Bill

खण्ड 60

Clause 60

श्री शिवचन्द्र झा : मैं संशोधन संख्या 31 और 35 प्रस्तुत करता हूं, जिनमें 20 रुपये के स्थान पर 100 रुपये करने का सुझाव दिया गया है ।

Shri Vidya Charan Shukla : This amendment will not further facilitate the tax collection. So I request Shri Jha not to press his amendment.

संशोधन संख्या 31 और 32 मतदान के लिए रखे गये और अस्वीकृत हुए

The Amendments Nos. 31 and 32 were put and negatived

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 60 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

खण्ड 60 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 60 was added to the Bill

खण्ड 61

Clause 61

श्री शिवचन्द्र झा : मैं संशोधन संख्या 33 और 34 प्रस्तुत करता हूं ।

Shri Vidya Charan Shukla : I think we should accept the limits prescribed by the Select Committee in this respect. So hon. Member should not press his amendments.

संख्या 33 और 34 मतदान के लिए रखे गये और अस्वीकृत हुए

Amendments Nos. 33 and 34 were put and negatived

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 61 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

खंड 61 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 61 was added to the Bill

खंड 62

Clause 62

श्री शिवचन्द्र झा : मैं संशोधन संख्या 35 प्रस्तुत करता हूँ ।

संशोधन संख्या 35 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ

Amendment No. 35 was put and negatived

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 62 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

खंड 62 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 62 was added to the Bill

खंड 63

Clause 63

श्री शिवचन्द्र झा : मैं संशोधन संख्या 36 प्रस्तुत करता हूं ।

संशोधन संख्या 36 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ

Amendment No. 36 was put and negatived

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 63 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

खंड 63 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 63 was added to the Bill

खंड 64

Clause 64

श्री शिवचन्द्र झा : मैं संशोधन संख्या 37 प्रस्तुत करता हूं ।

संशोधन संख्या 37 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ

Amendment No. 37 was put and negatived

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि 64 खंड विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

खंड 64 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 64 was added to the Bill

खंड 65 और 66 विधेयक में जोड़ दिये गये

Clauses 65 and 66 were added to the Bill

खंड 67

Clause 67

श्री शिवचन्द्र झा : मैं संशोधन संख्या 38 प्रस्तुत करता हूं ।

संशोधन संख्या 38 मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ

Amendment No. 38 was put and negatived

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 67 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

खंड 67 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 67 was added to the Bill

खंड 68

Clause 68

श्री शिवचन्द्र झा : मैं संशोधन संख्या 39 प्रस्तुत करता हूं।

संशोधन संख्या 39 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ

Amendment No. 39 was put and negatived

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 68 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

खंड 68 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 68 was added to the Bill

खंड 69

Clause 69

श्री शिवचन्द्र झा : मैं संशोधन संख्या 40 प्रस्तुत करता हूं।

संशोधन संख्या 40 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ

Amendment No. 40 was put and negatived

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 69 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

खंड 69 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 69 was added to the Bill

खंड 70 और 71 विधेयक में जोड़ दिये गये

Clause 70 and 71 were added to the Bill

खंड 72

Clause 72

श्री शिवचन्द्र झा : मैं संशोधन संख्या 41 प्रस्तुत करता हूं।

I want to say that it should be Rs. 150 instead of Rs. 125 in respect of companies.

Shri Vidya Charan Shukla : Originally the limit of it was Rs. 250 which was reduced to Rs. 125 by the Select Committee. As it is the unanimous decision of the Select Committee so we should accept it as it is.

संशोधन संख्या 40 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ

Amendment No. 40 was put and negatived

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 72 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

खंड 72 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 72 was added to the Bill

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 73 और 74 विधेयक के अंग बनें "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted.

खंड 73 और 74 विधेयक में जोड़ दिये गये

Clauses 73 and 74 were added to the Bill

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

खंड 1 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 1 was added to the Bill

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

अधिनियमन सूत्र विधेयक में जोड़ दिया गया

The Enacting Formula was added to the Bill

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि शीर्षक विधेयक में जोड़ दिया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाये।"

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। चूंकि कुछ संशोधन स्वीकार किये गये हैं, अत: यह विधेयक अब अगले दिन लिया जाये।

श्री विद्याचरण शुक्ल : मेरे विचार से तो हमारे पास इतना समय नहीं है।

मैंने नियम 93 (3) के अन्तर्गत कुछ परिणामी संशोधनों की सूचना दी थी, जिन्हें सम्बन्धित खण्डों पर चर्चा के समय प्रस्तुत नहीं किया गया था। मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 27,—पंक्तियां 9 से 11 तक निकाल दी जायें। (127)

पृष्ठ 27, पंक्ति 12,—

"(b)" (ख) को निकाल दिया जाये। (128)

पृष्ठ 29,—पंक्तियां 18 से 25 निकाल दी जायें। (129)

पृष्ठ 29, पंक्ति 26,—

"(b) in any other case" ((ख) किसी अन्य मामले में) शब्द निकाल दिये जायें। (130)

श्री कंवरलाल गुप्त (दिल्ली सदर) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। इन संशोधनों को परिचालित किया जाये, क्योंकि उन्हें परिचालित नहीं किया गया है।

सभापति महोदय : नियमों के अनुसार ऐसे परिणामी संशोधनों को तीसरे वाचन के समय भी प्रस्तुत किया जा सकता है।

श्री तेन्नेटी विश्वनाथम : विधेयक के दूसरे वाचन के समय हममें से अधिकांश ने विधेयक का समर्थन किया था। अब विधेयक में कुछ संशोधन स्वीकार कर लिए गए हैं। इसमें एक खण्ड अत्यधिक विवादास्पद है। मूलत: उसमें आयकर अधिकारी को यह अधिकार दिया गया था कि वह कर-निर्धारण के किसी भी मामले को, अन्तिम रूप से एक बार निबटाये जाने के बाद पुन: कर-निर्धारण के लिए ले सकता है। प्रवर समिति में इस पर ध्यानपूर्वक विचार किया गया और उससे असहमति प्रकट की गई। इसके स्थान पर एक विकल्प ढूंढा गया। उप-खण्ड 3 को संशोधित करके एक नया रूप दे दिया गया। सरकार उस पर सहमत हो गई थी। किन्तु मन्त्री महोदय ने जो संशोधन सभा में स्वीकार कर लिया जिसके परिणामस्वरूप सभी छोटे करदाताओं को आयकर अधिकारी की मुट्ठी में रख दिया गया है। इस संशोधन का परिणाम यह होगा कि आयकर अधिकारी किसी भी व्यापारी पर थोड़ा भी नाराज होकर उसको पुन: कर-निर्धारण के लिए नोटिस भेज दिया करेगा। चाय पार्टी में कर अधिकारी को प्रसन्न न करने या उसे उपहार न देने से आज भी आयकर

अधिकारी नाराज होकर व्यापारी से बदला लेते हैं। प्रस्तुत संशोधन के पारित हो जाने से ऐसी घटनाओं की संख्या बढ़ेगी और साथ ही भ्रष्टाचार भी बढ़ेगा। इस दृष्टि से हम इस पक्ष में नहीं हैं कि आयकर अधिकारी जैसे छोटे व्यक्ति को इतनी बड़ी शक्ति दी जाये। प्रवर समिति में जिस बात को मन्त्री ने सहर्ष स्वीकार किया था, उसे मन्त्री ने अब अस्वीकार कर दिया है। विभागीय बैठक के निर्णय के दबाव के कारण मन्त्री ने उक्त खण्ड में संशोधन तुरन्त स्वीकार कर लिया। क्या यह उचित है ? यह एक बहुत ही बुरी परम्परा होगी कि मन्त्री जिस बात को प्रवर समिति में स्वीकार करता है, उसको वह सभा में एक संशोधन स्वीकार करके पलट देता है। ऐसी परम्परा अपनाई जानी चाहिए कि एक मन्त्री जो स्वीकार करता है, उसके स्थान पर आने वाला अन्य मन्त्री भी पहले की बात को स्वीकार करे।

विधेयक के उस खण्ड को छोड़कर जिसमें छोटे करदाताओं को आयकर अधिकारी के दया के पात्र बना दिये गये हैं, शेष सम्पूर्ण विधेयक ठीक है।

श्री नन्द कुमार सोमानी : श्रीमान, प्रस्तुत विधेयक से आयकर की प्रक्रियाओं को सरल बनाने की दिशा में बहुत सीमित प्रगति ही होगी। आयकर तथा अन्य सम्बद्ध मामलों से सम्बन्धित प्रक्रिया को सीधा और सरल बनाने की दिशा में जितना इस विधेयक से किया गया है, उससे कहीं अधिक किया जा सकता था। जब भी कर-निर्धारण की प्रक्रिया, परिशोधन की प्रक्रिया, कर की अधिकतम सीमा अथवा विभिन्न मदों के खर्च की परिभाषा या उचित छूट देने आदि के बारे में उचित संशोधन या परिवर्तन की मांग की गई, सरकार ने उसे स्वीकार नहीं किया।

मैं सभा का ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहता हूं कि कराधान के विभिन्न पहलुओं, कर निर्धारण की समस्याओं और काले धन आदि के विषयों पर अनेक समितियां और आयोग नियुक्त किये जा चुके हैं। ऐसे विषय पर विचार करते समय जब विभिन्न समितियों के निष्कर्षों को एक साथ जोड़ दिया जाता है तो स्थिति और भी जटिल हो जाती है। इससे उन लोगों को भी झटका-सा लगता है जो ईमानदारी से कर का भुगतान करके देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाना चाहते हैं।

वित्त मन्त्रालय को कार्य इस ढंग से करना चाहिए कि उसके कार्य से लोगों के मन में विश्वास पैदा हो। किन्तु इसके विपरीत कर के ढांचे में और कर उगाहने की रीति में इतने परिवर्तन हो चुके हैं कि लोगों का विश्वास डिग गया है। रुपये-पैसे के मामले में लोग भावुक होते हैं। अतः वित्त मन्त्रालय को इस सम्बन्ध में दीर्घावधि तक चलाने वाली नीतियां अपनानी चाहिये। नीतियां स्पष्ट होनी चाहिए। यदि सरकार के लिए यह सम्भव नहीं है कि वह कर सम्बन्धी नीति को लम्बी अवधि के लिए निर्धारित करे तो उसे कम से कम पांच वर्ष अर्थात् एक पंचवर्षीय योजना की अवधि के लिए कर सम्बन्धी नीति निर्धारित करनी चाहिए। सरकार को ऐसी नीतियां और मार्गदर्शी सिद्धान्त अपनाने चाहिए जो कम से कम पांच वर्ष तक चलें। यदि कर सम्बन्धी विधियों में अल्पावधि के पश्चात् ही परिवर्तन कर दिया जाता है तो करदाता सरकार की नीतियों को शंका की दृष्टि से देखने लगते हैं। अतः सरकार को कर सम्बन्धी विधियों में पांच वर्ष में एक बार परिवर्तन करना चाहिये और

नीतियाँ तथा मार्गदर्शी सिद्धान्त स्पष्ट तथा सुदृढ़ होने चाहिए, जिससे करदाताओं के मन में उनके प्रति विश्वास पैदा हो सके।

ऋणों के परिशोधन में बहुत कुछ कहा गया है। मैं कहना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में सरकार को अपनी नीति सरल और लोचदार बनानी चाहिए तथा समय विशेष की विशिष्ट मांगों को करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए जिससे कि विभिन्न न्यायोचित खर्चों के सम्बन्ध में जो समय-समय पर करने पड़ते हैं तथा उद्योग के विस्तार में कठिनाइयां न आयें।

मैं पहले भी कह चुका हूं कि भारतीय कम्पनियों को दी जाने वाली कुछ खनन रियायतें घरेलू कम्पनियों को न देने का कोई विशेष औचित्य नहीं है आखिर घरेलू कम्पनियां भी देश के कानून के अन्तर्गत आती हैं और वे तांबा तथा अन्य खनिजों के विकास कार्य में मूल्यवान योगदान दे रही हैं। हालांकि यह विभाग सरकार के लिए राजस्व वसूल करता है किन्तु विभिन्न सिद्धान्तों को किस प्रकार लागू किया जाए इस विषय पर विभाग में कोई विचार नहीं किया जाता। मेरा सुझाव है कि इस मन्त्रालय अथवा केन्द्रीय प्रत्यक्ष करों अथवा अप्रत्यक्ष करों के बोर्ड में एक राष्ट्रीय संगणक केन्द्र स्थापित करके आर्थिक विश्लेषण का इस प्रकार प्रयोग किया जाए कि किसी भी क्षेत्र में कर आदि लगने से पहले इस विश्लेषण से कुछ सीखा जा सके।

जहां तक कर निर्धारण प्रक्रिया का सम्बन्ध है, मैं यह कहना चाहता हूं कि इस प्रक्रिया को और अधिक कड़ा बनाने तथा अधिक जुर्माना लगाने के जोश में करदाताओं की मुश्किलें न बढ़ा दी जायें। यह सभी जानने हैं कि देश में बहुत कम छोटे व्यापारी अपना वार्षिक हिसाब-किताब व्यवस्थित ढंग से रखते हैं और यही लोग हैं जिन्हें आय-कर कानून की उलझी हुई तकनीक का पता नहीं है। अतः ये छोटे व्यापारी इस विशिष्ट कानून के विभिन्न उपबन्धों को समझ नहीं पायेंगे और न ही उनका अनुसरण कर पाएंगे। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह छोटे व्यापारियों को इसके बारे में शिक्षित करें और उस समय तक धीरे-धीरे ही आगे बढ़ें जब तक उन्हें इसका ज्ञान न हो जाए।

अन्त में मैं यही कहना चाहता हूं कि आयकर, धन कर और अन्य सभी करों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को आसान तथा युक्तिसंगत बनाया जाए जिससे कि पिछले 10-15 वर्षों में बनाए गए कानूनों का सरलीकरण हो सके और साधारण करदाता भी, चाहे वह किसी क्षेत्र में काम करता हो इसको समझ सके और अपना कर अदा कर सके।

श्री एस० आर० दामानी (शोलापुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। हमने प्रवर समिति में इस विधेयक पर चर्चा की थी और कठिनाइयों पर काबू पाने के लिए दिए गए सुझावों को सुना था। प्रवर समिति में सभी साक्षियों ने यह कहा था कि 7500 रुपये तक तक के कर निर्धारण के मामलों को पुनः उठाना हानिकारक होगा और करदाताओं में भय की भावना उत्पन्न करेगा। विधेयक प्रस्तुत करने वाले मन्त्री इससे संतुष्ट थे और उन्होंने यह माना था कि कर-निर्धारण को फिर से आंकने की बात केवल आयुक्त की अनुभति से ही हो सकती है। अब सरकार द्वारा उस संशोधन को वापिस लेना ठीक नहीं है। कर-निर्धारण पर पुनः विचार किए

जाने के भय से करदाता अपनी विवरणी ठीक से नहीं प्रस्तुत करेंगे जिससे विधेयक को सरल करने का उद्देश्य समाप्त हो जाएगा। मैं मन्त्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह इस भय की भावना को समाप्त करें। मैं चाहता हूं कि केन्द्रीय राजस्व बोर्ड द्वारा कुछ ऐसे निर्देश जारी किए जाएं जिससे कि कर निर्धारण के मामले अक्सर न चालू किए जाएं और करदाताओं को परेशान न किया जाए। जहां तक व्यय की राशि को कराधान से घटाने का सम्बन्ध है, हमने इस बात पर जोर देकर कहा था कि 10 लाख की पूंजी वाली छोटी कम्पनियों को विज्ञापन और अन्य प्रक्रियाओं आदि पर बहुत धन खर्च करना पड़ेगा जबकि उस कम्पनी को जिसकी पूंजी 5 करोड़ रुपये है थोड़ा अधिक तो खर्च करना पड़ेगा, किन्तु यह अनुपाततः उतना अधिक नहीं होगा। अतः $2\frac{1}{2}$ प्रतिशत की व्यवस्था छोटी कम्पनियों के लिए हानिकारक और बड़ी कम्पनियों को लाभप्रद होगी।। इससे छोटे उद्योगपतियों के स्थान पर सरकार अधिक पूंजी वालों को प्रोत्साहन दे रही है। इसलिए हमने कहा था कि या तो सरकार कम्पनी द्वारा किए गए वास्तविक खर्च को स्वीकार करे या फिर खण्ड प्रणाली जैसे 25 लाख तक 5 प्रतिशत, उससे अधिक पर 4 प्रतिशत आदि को अपनाया जाए जिससे सभी के साथ न्याय हो सके।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) : Sir, the Bill was introduced with two objects, namely, simplification and rationalisation of income-tax. But by accepting Mr. Salve's amendment, the Government have done great harm to small assessees. Only big companies have been benefited by this Bill. Under this Bill, companies will be entitled to $2\frac{1}{2}$ per cent expenditure and as such, well wishers of the companies may support this Bill but people who have little interest in the small assessees cannot support it. Therefore, basically I do not support the Bill. The Government, by introducing this piceemeal legislation, have made only a half-hearted attempt whereas what were required for simplification, was presentation of a well thought out comprehensive Bill. You will be surprised to know that in the Select Committee's sittings during a period of a year or so not even once the Bill was put to vote and sometimes ever when the majority was against the Government, the Bill was not put to voting. We could have evolved a compromise by mutual talks, but now Government have deviated from their stand. That is not a good practice. The idea of assessing the small assessees without calling for them was based on the thinking that these petty shopkeepers etc. whose income is 5 to 10 thousand rupees a year do not maintain the accounts properly. The Income-tax Officers after checking their accounts a little issued the assessment orders to them. The select committee said that unless there was a complaint that some saving or dishonesty was there, the Income-tax Officers should not be given the arbitrary powers of reopening their case without assessing any reason. But after Shri Salve's amendment, the I.T.O. has been empowered with such arbitrary powers. There is no limit. If the assessee is at fault, we do not support him. For that, there are already powers under the Income-tax Act. I would like to read section 147 you will see that if there is any lacuna, it has the discretion to assessee under section 143. If he notices that some mistake has been committed, he has powers to reassess. I reard—"147. if (a)" The Income tax Officer has reason to believe that by reason of the ommission or failure on the part of an assessee to make a return under section 139 for any assessment year to the Income-tax Officer or to disclose fully and truly all material facts necessary for his assessment for that year, or

(b) notwithstanding that there has been no ommission or failure as mentioned in clause (a) on the part of the assessee, the Income-tax Officer has in consequence of infor-

mation in his possession the reason to believe that income chargeable to tax has escaped assessment for any assessment year" —In that case he can reopen the case why do you than want to give more powers to Income-tax Officers ?

This Bill is yet to go to the Rajya Sabha. The Minister should consult others and should not be overtaken by the Officers.

In conclusion, I would like to say that the Bill has done great harm to the small assessees.

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : ऐसा कहना मूल रूप से गलत है कि आय-कर अधिकारी कभी भी कर निर्धारण के मामले पर पुनर्विचार कर सकता है। कर निर्धारण पर पुनर्विचार करने के लिए धारा 153 के अनुसार समय सीमा निर्धारित है। यदि कोई करदाता चुनौती देता है और यह कहता है कि उसके आंकड़े सही हैं और जो कर निर्धारण किया गया है वह गलत है क्योंकि यह मेरी पीठ पीछे किया गया है तो चाहे आय-कर नहीं जमा किया हो इसके बारे में सिवाय इसके कुछ नहीं कर सकता कि करदाता को बुलाये और साक्ष्य ले तथा अन्तिम कर निर्धारण करे तत्पश्चात् नियमित प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

श्री एस० आर० दामानी : छोटे करदाताओं को अकारण ही कठिनाई होगी और उन्हें कई बार आयकर अधिकारी के पास जाना पड़ेगा। आयकर के वकीलों को करना पड़ेगा और इसमें काफी धन व्यय करना पड़ेगा।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : छोटे करदाताओं को वकील करने की बिल्कुल कोई आवश्यकता नहीं। वह केवल यही लिख देगा कि "मैं इस निर्धारण पर आपत्ति करता हूँ। मैं इसे स्वीकार नहीं करता" वह केवल इतना ही कह सकता है उसकी विवरणी अन्तिम है।

मेरे मित्र श्री गुप्त ईमानदार करदाताओं के हितैषी हैं। धारा 143 और धारा 147 के अंतर्गत आय-कर अधिकारी को क्या अधिकार प्राप्त है ? यदि वह धारा 147 के अन्तर्गत खोलता है तो धारा 143 के अन्तर्गत भी खोलेगा। आपत्ति यह की जा रही है कि उसे धारा 143 के अन्तर्गत नहीं धारा 147 के अन्तर्गत खोलना चाहिए। इसका भी कोई कारण है। दोनों 147 (क) और 147 (ख) को लेकर दीर्घकालीन चर्चा अथवा मुकद्दमेबाजी हुई है और श्री गुप्त मेरी इस बात की पुष्टि करेंगे कि 80 प्रतिशत मामले इन धाराओं के सीमित क्षेत्र तथा सम्बद्ध विशिष्टताओं के कारण ही उत्पन्न हुए।

मूल प्रश्न यह है कि जब किसी करदाता का कम निर्धारण होता है तो क्या आय-कर अधिकारी को निश्चित सीमाओं में, क्योंकि धारा 143 के अन्तर्गत निर्धारण धारा 153 के अन्तर्गत ही हो सकता है, निर्धारण को फिर से आंकने का अधिकार देना चाहते हैं कि नहीं ? श्री गुप्त को धारा 153 की जांच करनी चाहिए। उनके कहे अनुसार धारा 143 के अन्तर्गत हर समय निर्धारण नहीं किया जा सकता। एक ईमानदार करदाता को चाहे यह बड़ा हो या छोटा, जो यह नहीं चाहता कि आयकर अधिकारी स्वेच्छा से उस पर देनदारी निर्धारित करे भयभीत करने की आवश्यकता नहीं।

जो करदाता प्रावधिकताओं के अन्तर्गत कुछ संरक्षण चाहते हैं अथवा सही और उचित विवरणी पेश करने के कारण संरक्षण चाहते हैं वे केवल वही हैं खण्ड 30 के मेरे संशोधन द्वारा आसानी से इस तरह का संरक्षण नहीं मिलेगा।

Shri Shiva Chandra Jha (**Madhubani**) : The Minister had said that certain provisions in the Bill were in the nature of new experiments. The Minister should tell the House whether any period had been fixed after which the working of these provisions would be evaluated. Also whether the Government would bring forward a comprehensive legislation in the light of that evaluation and other reports on over-tax system which might be received.

This Bill was not a step in the direction of socialism. It would help big companies and encourage private capital. This Bill was nothing but a tinkering with the problem, of economic growth of the country. The Government should take certain radical steps for the industrial development of the country. The banks which had not been nationalised should be nationalised. The Government should give up the idea of giving any relief to former rulers. The Government should nationalise 75 monopoly houses in the country immediately. Plantations industry and foreign companies should also be nationalise. These steps would enable the Government to reconstruct our society and tone up our economy.

श्री विद्याचरण शुक्ल : यद्यपि खण्ड 30 में प्रस्तावित संशोधनों पर कुछ विवाद उठ खड़ा हुआ है किन्तु सब मिलाकर चर्चा रचनात्मक रही है और इसमें भाग लेने वाले माननीय सदस्यों ने इसका स्तर बनाए रखा है। मैं माननीय सदस्यों को इस विधेयक के कुछ जटिल प्रश्नों का ठीक तरह से अध्ययन करने और वाद-विवाद में उनका अच्छा योगदान देने के लिए बधाई देता हूँ।

मैंने वाद-विवाद के दौरान कई सुझावों पर विचार करने का आश्वासन दिया है और मैं उन सुझावों पर जो कि विभिन्न कारणों से चर्चा के समय स्वीकृत नहीं किए गए शीघ्र ही विचार करूंगा जिससे वे कराधान के हमारे उद्देश्य के अनुरूप हैं तो उनका उपयोग किया जा सके।

जहां तक खण्ड 30 का सम्बन्ध है मैंने इसे पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि जहाँ भी सभा के सामने प्रवर समिति की सिफारिश पेश की जाती है, वहाँ समिति के प्रतिवेदन के साथ जुड़ा हुआ श्री साल्वे के विमतिटिप्पण (minute of dissent) काफी बल है। मैंने उस समय यह भी कहा था कि इस खण्ड के विषय में मैं सदन का मार्ग दर्शन प्राप्त करना पसन्द करूँगा तथा विभिन्न सदस्यों के विचार सुनने के बाद ही निर्णय करूँगा कि श्री साल्वे द्वारा प्रस्तावित संशोधनों को स्वीकार करने अथवा प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित विधेयक को यह कहना किसी भी माननीय सदस्य को शोभा नहीं देता कि सरकार अपनी वचनबद्धता से हट रही है। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि सरकार ने अपने अधिकारियों, कानूनी विशेषज्ञों की सहायता से तथा प्रवर समिति के सदस्यों ने सोच-विचार करने के बाद एक योजना बनाई है तथा कुछ संशोधन स्वीकार किए हैं किन्तु अन्तिम निर्णय तो सदन को ही लेना है, सरकार इस या उस ओर वचनबद्ध नहीं हो सकती अतः ऐसे आरोप लगाना उचित नहीं। दूसरे यह कि इस विधेयक द्वारा हमने उपबन्धों (Provisions) को सरल तथा उन्हें ग्राह्य बनाने का प्रयास किया है। दुर्भाग्यवश जब भी पहले ऐसा करने का प्रयत्न किया गया कानून और निर्णय अधिक जटिल होते गए हैं। आशा है इस बार हम इस अधिनियम के उपबन्धों को कुछ सरल बनाने में सफल हो जाएंगे। वास्तव में हम इन कराधान (taxation) कानूनों को केवल राजस्व की वसूली के लिए

प्रयुक्त करें तो यह इतने जटिल नहीं होंगे किन्तु हम सभी जानते हैं कि राजस्व वसूल करने के साथ-साथ कराधान के इन कानूनों से हमें अन्य उद्देश्यों, जैसे सामाजिक न्याय, समानता लाने तथा धनी और निर्धन के बीच अन्तर को कम करने के उद्देश्य की पूर्ति भी करनी होती है। इसके लिए हमें ऐसे भी उपबन्ध सम्मिलित करने पड़ते हैं जो कि केवल राजस्व के लिए आवश्यक न हों यदि आप आर्थिक शक्ति को कुछ थोड़े से हाथों में केन्द्रित होने से रोकना चाहते हैं तो इन कानूनों में ऐसी कई बातें भी सम्मिलित करनी पड़ेंगी जिन्हें हमने नीति के रूप में स्वीकार किया हुआ है और इन्हीं से ही यह कानून जटिल बन जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि इनको कुछ और सरल बनाना संभव नहीं।

खण्ड 30 जिसके बारे में काफी विवाद है इस विधेयक का सबसे अधिक महत्वपूर्ण खण्ड है।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker in the Chair]

हम चाहते हैं कि संक्षिप्त कर निर्धारण होना चाहिए। हमें यह बताया गया है कि संक्षिप्त कर निर्धारण की प्रक्रिया में अन्याय हो सकता है। किन्तु कठिनाई यह है कि धारा 147 और 143 के अन्तर्गत इन मामलों पर पुनर्विचार करना सम्भव नहीं है। न्यायालय के निर्णयों के कारण ऐसा करना बड़ा जटिल तथा कठिन हो जाएगा। इसके कारण छोटे करदाताओं को कष्ट उठाना पड़ेगा। हमारे विचार में छोटे करदाता को जिसका मामला संक्षिप्त रूप में निपटाया गया है, आय-कर अधिकारी के पास जाने का अवसर मिलेगा और उसे यह बताएगा कि अमुक गलती की गई है और इसलिए उसकी सुनवाई की जानी चाहिए। अतः हमने श्री साल्वे द्वारा पेश किए गए संशोधन को स्वीकार किया है। यदि आय-कर अधिकारी को मामले पर पुनर्विचार करने या न करने की शक्ति दी गई है तो इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता क्योंकि आय-कर अधिकारी को ये शक्तियाँ धारा 147 और 148 के अन्तर्गत उपलब्ध हैं। इस संशोधन द्वारा कोई नई शक्ति नहीं दी गई है।

यह कहा गया है कि इस विधेयक से बड़ी कम्पनियों को लाभ होने वाला है। इस विधेयक से अधिकांशतः छोटे करदाताओं को लाभ होगा न कि बड़ी कम्पनियों को। कुछ व्यय की राशि को कराधान की राशि घटाने के बारे में जो नया उपबंध रखा गया है उससे छोटे लोगों को अपना उद्योग बढ़ाने में सहायता मिलेगी। इसमें बड़े लोगों को अधिक सहायता नहीं मिलने वाली है बल्कि इससे मध्यम तथा छोटे स्तर के लोगों को चाहे वह नियमित क्षेत्र में है या गैर नियमित क्षेत्र में है, सहायता मिलेगी।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं सरकार द्वारा प्रस्तावित संशोधनों को सभा के मतदान के लिए रखता हूँ। प्रश्न यह है :

कि पृष्ठ 27 में पंक्ति 9 से 11 तक हटा दी जाये [127]

पृष्ठ 27 पंक्ति 12 में

"(बी)" हटा दिया जाए [128]

पृष्ठ 29 में पंक्ति 18 से 25 तक हटा दी जाए [129]

पृष्ठ 29 पंक्ति 26 में

"(बी) In any other case" [किसी अन्य मामले में] हटा दिया जाए

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाए"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) विधेयक
SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES ORDERS (AMENDMENT) BILL

विधि तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री हनुमन्तय्या) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :—

"कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूचियों में कतिपय जातियों और जनजातियों को सम्मिलित करने तथा उन सूचियों में से उनको निकालने, प्रतिनिधित्व का पुनर्समंजन करने, और जहाँ तक उक्त जातियों को उक्त सूचियों में इस प्रकार सम्मिलित करने या उनमें से उनको निकालने के कारण ऐसा पुनर्समंजन तथा संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों का पुनः परिसीमन आवश्यक है, उसका तथा तत्सम्बन्धी विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार किया जाए।"

संविधान की धारा 341 और 342 में कहा गया है कि राष्ट्रपति किसी राज्य या संघ राज्य-क्षेत्र के सम्बन्ध में उन जातियों, मूलवंशों या आदिमजातियों अथवा जातियों, मूल वंशों या आदिम जातियों के भागों का उल्लेख कर सकेगा, जो इस संविधान के प्रयोजनों के लिए यथास्थिति उस राज्य का संघ राज्य क्षेत्र के सम्बन्ध में अनुसूचित जातियां समझी जाएंगी। इन्हीं उपबन्धों के अधीन राष्ट्रपति ने संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 जारी किया जिसमें तत्कालीन 'क' तथा 'ख' राज्यों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों का उल्लेख किया गया। अगले वर्ष तत्कालीन 'ग' राज्य से सम्बन्धित राष्ट्रपति ने संविधान (अनुसूचित जाति 'ग' राज्य) आदेश, 1951 तथा संविधान (अनुसूचित जनजाति 'ग' राज्य) आदेश, 1951 जारी किया। जम्मू-कश्मीर-दादरा तथा नगर हवेली, पांडेचेरी, गोआ-दमन तथा दीव की अनुसूचित जातियों का उल्लेख अलग आदेश द्वारा किया गया। अंदमान तथा निकोबार द्वीप, गोआ-दमन, दीव, उत्तर प्रदेश तथा नागालैंड की अनुसूचित जनजातियों के बारे में अलग से राष्ट्रपति आदेश

जारी किया गया। राष्ट्रपति के आदेशों को केवल संसद में कानून बनाकर बदला जा सकता है। विभिन्न आदेशों के अन्तर्गत उल्लिखित अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की सूचियों की संसद में तथा संसद के बाहर इस आधार पर आलोचना की गई कि ये सूचियां उचित नहीं हैं और अनियमितताओं से पूर्ण हैं। परिणामस्वरूप राज्य सरकारों को इन सूचियों में संशोधन करने के लिए कहा गया और 1965 में सरकार ने श्री लोकुर की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की। लोकुर समिति द्वारा दी गई सिफारिशों पर सरकार ने विचार किया और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित संसद सदस्यों तथा राज्य मंत्रियों से बातचीत की। विचार विमर्श के बाद सरकार ने 21 अगस्त, 1967 को लोक-सभा में एक विधेयक पेश किया। 1 मार्च, 1968 में यह विधेयक दोनों सदनों की संयुक्त समिति को सौंप दिया। संयुक्त समिति ने सार्वजनिक निकायों संगठनों तथा इस विषयों में रुचि लेने वाले व्यक्तियों से उनके विचार जाने तथा राज्य सरकारों से कहा कि वह विधेयक की सूची के बारे में अपने राज्य के लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त करे। समिति ने अध्ययन दल बनाए और ये दल उन क्षेत्रों में गए जहां अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं ताकि जिन सूचियों को विधेयक में शामिल किए जाने का विचार है, उनके बारे में उन लोगों के क्या विचार हैं? समिति की विभिन्न संगठनों तथा व्यक्तियों से 262 ज्ञापन तथा अभ्यावेदन प्राप्त हुए जिनमें आर्थिक, सामाजिक तथा अन्य आधारों पर 400 जातियों को सूचियों में शामिल करने अथवा निकालने का अनुरोध किया गया था। समिति ने 22 बैठकों में उन लोगों के विचार भी सुने जिन्होंने अभ्यावेदन भेजे थे। संयुक्त समिति ने 17 नवम्बर, 1969 को अपनी रिपोर्ट पेश की। उसके बाद से सरकार को विभिन्न संगठनों तथा व्यक्तियों से कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए जिनमें सूची में जातियों को शामिल करने अथवा सूचियों में संशोधन करने का अनुरोध किया गया है। इन अभ्यावेदनों पर ध्यानपूर्वक विचार किया गया है और जिन मामलों में सरकार ने अनुभव किया कि सूचियों में जातियों को शामिल करने या सूचियों में संशोधन करने में कोई औचित्य है तो सरकार उपयुक्त संशोधन करेगी। अनुसूची में 1961 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार लगभग 2125 जातियों तथा उप-जातियों और 622 समुदायों का उल्लेख किया गया है। अतः यह विधेयक जटिल बन गया है क्योंकि किसी भी व्यक्ति के लिए 2700 तथा उससे अधिक समुदायों तथा जातियों के नाम और गुण-अवगुण को स्मरण रखना और संतोष-जनक निर्णय देना सम्भव नहीं है। अतः हमें जातियों को शामिल करने या निकालने के लिए विषय की व्यापकता पर ध्यान देना होगा। सरकार प्रायः संयुक्त समिति द्वारा पेश किए विधेयक को स्वीकार कर लेती है। केवल एक या दो मामलों में सरकार अपने विचार रखती है। संयुक्त समिति ने यह सिफारिश की है कि जो व्यक्ति अपना धर्म त्याग कर ईसाई धर्म या इस्लाम धर्म अपना लेता है तो उसे अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं समझा जाना चाहिए। समिति के प्रतिवेदन में यह भी कहा गया है कि मेरे से पहले वाले मंत्री ने समिति को यह सूचित किया कि यह संशोधन स्वीकार करना उनके लिए सम्भव नहीं। हमने भी इस संशोधन की जांच की और यह पाया कि यह संशोधन स्वीकार करने योग्य नहीं क्योंकि यह संशोधन ईसाई धर्म तथा इस्लाम धर्म अपनाने वाले व्यक्तियों तथा अन्य धर्म अपनाने वाले व्यक्तियों के बिच भेदभाव करता है। (**व्यवधान**) मैं इस समय केवल संवैधानिक पहलू को स्पष्ट कर रहा हूँ। 1961 की जनगणना में जातिगत धर्म अपनाने वाले अनुसूचित जनजातियों के लोगों की संख्या 4.19 प्रतिशत बताई गई है। यदि जातिगत धर्म त्याग कर दूसरा धर्म अपनाने वाले व्यक्ति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के योग्य नहीं

समझा जाता है तो कई अनुसूचित जनजातियां अनुसूची से हट जाएंगी, इन कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार है कि संवैधानिक दृष्टिकोण से इस संशोधन पर सदन द्वारा विचार किया जाए। मैंने सम्बद्ध व्यक्तियों से भी बातचीत की है और उनका विचार है कि ईसाई धर्म अपनाने वाले व्यक्ति को दुगना लाभ होता है। एक तो ईसाई मिशनरियां उनकी सहायता करती हैं तथा दूसरे सरकार से भी उसे सहायता मिलती है। दूसरी ओर अनुसूचित जनजातियों को केवल सरकार से ही सहायता प्राप्त होती है। मैं एक ऐसा उपाय निकाल रहा हूँ जो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए न्याययुक्त होगी। अतः जिन माननीय सदस्यों के विचार भिन्न हैं, वे ऐसा न समझें कि सरकार पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण अपना रही है। मेरा अनुरोध है कि वे तब तक धैर्य रखें जब तक मैं कोई उपाय, जो सबको स्वीकार्य होगा, नहीं खोज लेता।

एक दूसरे संशोधन में सुझाव दिया गया है कि आसाम के चाय बागानों के श्रमिकों को भी अनुसूची में शामिल कर लिया जाए। अधिकांश श्रमिक बिहार, उड़ीसा तथा मध्य प्रदेश के हैं जहां ये अनुसूचित जनजाति वर्ग में आते हैं। इन प्रवासी श्रमिकों को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किया जाए या नहीं, इस प्रश्न पर भारत सरकार ने तथा इस सम्बन्ध में बनाई गई विभिन्न समितियों ने ध्यान दिया है। पिछड़े वर्ग सम्बन्धी आयोग का विचार था कि उनको अन्य पिछड़े वर्गों की सूची में शामिल कर लिया जाए क्योंकि ये श्रमिक सामाजिक तथा शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं। आयोग ने इन श्रमिकों को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने की सिफारिश नहीं की। इस प्रकार अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग ने भी इन श्रमिकों को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने के लिए आग्रह नहीं किया। आयोग के अध्यक्ष ने प्रतिवेदन प्रस्तुत करते समय पत्र में लिखा कि जीवन निर्वाह के लिए उनको सहायता दी जानी चाहिए। लोकुर समिति भी इन श्रमिकों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के पक्ष में नहीं थी। इस सबके बावजूद भी सरकार पक्षपात का रवैया नहीं अपनाएगी और सदस्यों के विचार सुने जायेंगे ताकि सम्बद्ध वर्ग के साथ न्याय किया जा सके। प्राप्त प्रतिवेदनों के आधार पर मैं कह सकता हूं कि ये प्रवासी श्रमिक अपनी विशेषताएं खो बैठे हैं और इसलिए सदन में इस पर सावधानी-पूर्वक विचार विमर्श होना चाहिए।

संविधान के अनुच्छेद संख्या 341 के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य में जाति की आर्थिक और सामाजिक अवस्था के आधार पर अनुसूचित जातियों की एक सूची बनाई जाती है। ये सूचियाँ विभिन्न प्रकार की होती हैं और प्रत्येक राज्य द्वारा दी गई सूची पर उस राज्य में जाति की अवस्था को ध्यान में रखकर विचार किया जाता है। संयुक्त समिति ने यह सुझाव दिया है कि यदि कोई अनुसूचित जाति का व्यक्ति दूसरे राज्य में जा बसता है जहां उसकी जाति अनुसूचित नहीं की जाती, तो ऐसे व्यक्ति को, उस राज्य में जिसमें वह जा बसा है, अनुसूचित जाति का सदस्य समझा जाएगा। परन्तु इस संशोधन से तो भेदभाव की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी क्योंकि उसी जाति का व्यक्ति जो पहले से ही उस राज्य में रह रहा है अनुसूचित जाति का नहीं समझा जाएगा और उन लाभों से वंचित रह जाएगा जो लाभ प्रवासी श्रमिक को मिलेंगे। सदन में इस पर भी विचार होना चाहिए।

कानून बनने के बाद महापंजीयक के लिए यह आवश्यक हो जाएगा कि वह नई सूची के अनुसार अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों की संख्या का अनुमान लगाए।

इसके बाद निर्वाचन आयोग संशोधित जनसंख्या आँकड़ों के अनुसार चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन करेगा । विधेयक के छठे तथा नवें खण्ड में यह उपबन्ध दिया गया है कि चुनाव आयोग चुनाव क्षेत्रों के परिसीमन के लिए कार्रवाई करेगा । इन खण्डों की पुनः जाँच की गई है और इस सम्बन्ध में निर्वाचन आयोग के कार्य को सुविधाजनक बनाने के लिए यह आवश्यक समझा गया है कि इन खण्डों में कुछ परिवर्तन किया जाए । आवश्यक संशोधन किए जा रहे हैं । वर्तमान कानून के अन्तर्गत यदि कोई स्त्री अनुसूचित जाति के व्यक्ति से विवाह करती है तो उसे वे सुविधाएं नहीं दी जातीं जो उसके पति को दी जाती हैं । इससे अनियमितता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है । संयुक्त समिति ने सुझाव दिया है कि ऐसी स्त्री को भी वही सुविधाएं दी जानी चाहिए जो उसके पति को प्राप्त हैं क्योंकि पत्नी और पति का सामाजिक तथा आर्थिक दर्जा समान होता है । समिति के इस संशोधन अथवा सुझाव का स्वागत है क्योंकि इससे सवर्ण लड़कियों को हरिजनों से विवाह करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा और अस्पृश्यता को समाप्त करने और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों का दर्जा ऊपर उठाने में सहायता मिलेगी । विधेयक पर सावधानीपूर्वक विचार किया जाना चाहिए क्योंकि समुदायों की संख्या बहुत अधिक है ।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :—

"कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूचियों में कतिपय जातियों और जनजातियों को सम्मिलित करने तथा उन सूचियों में से उनको निकालने, प्रतिनिधित्व का पुनर्समंजन करने, और जहां तक उक्त जातियों को उक्त सूचियों में इस प्रकार सम्मिलित करने या उनमें से उनको निकालने के कारण ऐसा पुनर्समंजन तथा संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों का पुनरसीमन आवश्यक है, उसका तथा तत्सम्बन्धी विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार किया जाए ।"

श्री आर० एस० अरुमुगम (टेंकासी) : अध्यक्ष महोदय, यद्यपि संयुक्त समिति ने, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) विधेयक 1967 पर विचार करके, अपना प्रतिवेदन एक वर्ष पूर्व भेज दिया था, फिर भी यह विधेयक सभा के समक्ष आज लाया जा रहा है । संयुक्त समिति ने अपने प्रारूप प्रतिवेदन को अन्तिम रूप देते समय यह कहा था कि "कनी" नाम की अनुसूचित जनजाति की वर्तनी में अशुद्धि होने के कारण इसे हटाया जा रहा है । उस समय तत्कालीन मन्त्री श्री गोविन्द मेनन ने इस बात को स्वीकार किया था । उन्होंने कहा था कि यदि संसद के समक्ष कोई इस प्रकार का संशोधन आया तो मैं इसे स्वीकार करूंगा । मुझे आशा थी कि सरकार स्वयं इसके लिए संशोधन प्रस्तुत करेगी, परन्तु उसने ऐसा नहीं किया । अब मुझे आशा है कि वह मेरा प्रस्तुत किया गया संशोधन स्वीकार करेगी ।

मैं उक्त संयुक्त समिति का सदस्य था और हमने संयुक्त समिति में यह निर्णय किया था कि यदि कोई हरिजन एक राज्य से अन्य राज्य को स्थानान्तरण कर जाता है, तो उसे उस राज्य में जहाँ कि वह स्थानान्तरण कर के आया है, एक हरिजन समझा जायेगा । मेरा मत है कि इस निर्णय में किसी प्रकार का परिवर्तन करना सरकार के लिए उचित नहीं है । इसी सन्दर्भ में मैं यह भी कहना चाहूँगा कि केवल कुछ जातियों को सूचियों में सम्मिलित करने मात्र से, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की समस्या का कोई प्रत्यक्ष हल नहीं होगा । मुझे खेद के साथ यह

कहना पड़ता है कि हमारी वर्तमान सरकार उनकी समस्याओं को सुलझाने के लिए पूर्ण रुचि से कोई कार्य नहीं कर रही है।

हममें से सभी इस बात को कह चुके हैं कि हरिजनों की उन्नति उनकी शिक्षा में ही निहित है। इसी सन्दर्भ में हमें इस बात पर भी विचार करना चाहिये कि क्या हरिजन छात्रों को दी गई छात्रवृत्तियां पर्याप्त हैं ? क्या इन वर्तमान छात्रवृत्तियों से उपलब्ध होने वाली धन राशि से निर्धन माता-पिता अपने बच्चों को शिक्षा देने में समर्थ हो सकते हैं ? मेरा यह विचार है कि प्रस्तुत छात्रवृत्तियों को देने के लिए माता-पिता की आय-सीमा बहुत कम रखी गई है, इसे बढ़ा दिया जाना चाहिए। आज कालिजों में हरिजनों को काफी मात्रा में, विज्ञान से सम्बद्ध विषयों में प्रवेश नहीं मिलता है। यदि एक हरिजन छात्र मैडिकल कालिज की किसी परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है तो उसको देय छात्रवृत्ति नहीं दी जाती। हरिजन छात्रों को आसानी से छात्रावासों में स्थान नहीं दिया जाता। यद्यपि हमने इन सभी मामलों को यहां तथा अन्य स्थानों पर अनेक बार उठाया है, फिर भी सरकार ने इन समस्याओं की ओर कभी ध्यान देने की कोशिश नहीं की है। अपनी इन्हीं शिकायतों के बारे में तमिलनाडु के विद्यार्थियों का एके जलूस, तमिलनाडु के मन्त्री को ज्ञापन देने के लिए गया था। परन्तु उनकी शिकायतों को दूर करने की अपेक्षा उन्हें बन्दी बना लिया गया। ऐसी परिस्थितियों में भला हरिजन क्या उन्नति कर सकते हैं ?

मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या सभी शिक्षित लोगों की नौकरियां दी जा रही हैं। आज हजारों नवयुवक बेकार सड़कों पर मारे-मारे फिर रहे हैं। यह सुझाव दिया गया था कि भर्ती और चयन समितियों में हरिजन प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाना चाहिये। क्या इस ओर कोई ध्यान दिया गया है ? सेवाओं में पदोन्नति के मामले में हरिजनों को जो मिलना चाहिये था, क्या वह उन्हें दिया गया है ? इस सभा में और इससे बाहर यह अनेक बार कहा गया है कि राजदूतों और राज्यपालों के कुछ पद भी हरिजनों को दिये जाने चाहिये, परन्तु क्या सरकार ने कभी इस प्रस्ताव पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया है ? मुझे खेद से यह कहना पड़ता है कि सरकार इन पदों पर हरिजनों की नियुक्ति करना अपनी प्रतिष्ठा के प्रतिकूल समझती है।

अब जरा आर्थिक क्षेत्र को ही लीजिये। क्या इस क्षेत्र में हरिजनों का देय उन्हें दिया गया है ? उनकी आर्थिक स्थिति आज भी वही है जो वर्षों पहले थी। इस सम्बन्ध में केवल नारे ही सुनने को आते हैं। हरिजनों की आर्थिक प्रगति के लिए उन्हें किसी प्रकार की कोई औद्योगिक सुविधा नहीं दी गई है। आज भी आये दिन हरिजनों को जलाया जाता है, उन्हें पीटा जाता है। उन्हें अभी तक अछूत समझा जाता है। मैं अस्पृश्यता की ही एक घटना आपके समक्ष रखता हूं.....।

अध्यक्ष महोदय : श्री अरुमुगम, मैं आपका अंग्रेजी अनुवाद समझ रहा हूं। प्रस्तुत विधेयक का क्षेत्र बड़ा सुनिश्चित है। यह कोई सामान्य चर्चा नहीं है।

श्री आर० एस० अरुमुगम : श्रीमान जी, जब तक हरिजनों के लिए यह सब कुछ नहीं किया जाता, तब तक भला सूची में किसी परिवर्तन का क्या लाभ हो सकता है ? इसी लिए तो मैं यह सब सुझाव प्रस्तुत कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपने निवेदन करूंगा कि आप कृपया अपने आपको विधेयक की सीमा तक ही सीमित रखिये। मुझे यह भय है कि यदि कोई कल को आप का भाषण पढ़ेगा, तो वह कहेगा कि इस समय अध्यक्ष महोदय कहां थे ? प्रस्तुत विधेयक का कार्यक्षेत्र केवल अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की सूचियों में कुछ जातियों को सम्मिलित करने तथा निकालने तक ही सीमित है। जब कि आप यह प्रश्न उठा रहे हैं कि किसी गाँव में किसी का कत्ल कर दिया गया, पुलिस ने उसमें कोई कार्यवाही नहीं की।

श्री आर० एस० अरुमुगम : मैं भी यही कह रहा हूं कि केवल कुछ अन्य जातियों को सूचियों में सम्मिलित कर देने मात्र से ही अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों की समस्यायें हल नहीं होंगी। जब तक हरिजनों के समक्ष आने वाली दुर्बलताओं को दूर करने के लिए कोई उपाय नहीं किये जायेंगे, तब तक उन्हें इन से कोई ठोस लाभ होने वाला नहीं है। अन्त में मैं यह आशा करता हूं कि मैंने "कनी" नाम जाति को सूची में जोड़ने का जो संशोधन रखा है, उसे स्वीकार कर लिया जायेगा।

श्री प्र० के० देव (कालादांडी) : अध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत विधेयक पिछले आम चुनावों के बाद ही हमारे मित्र श्री अशोक मेहता द्वारा पेश किया गया था। यह ठीक समय पर ही पेश किया गया था ताकि हमारे अभागे भाइयों को इससे लाभ हो सके। लोक-सभा ने उसी दिन प्रस्तुत विधेयक पर चर्चा करके उसी दिन उसे संयुक्त समिति को सौंप दिया। आज 4 वर्षों से भी अधिक समय के बाद यह विधेयक पुनः चर्चा के लिए सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। आज जब पुनः अगले आम चुनाव सिर पर आ गये हैं, तो सरकार को इस विधेयक की सूची के पुनरीक्षण की याद आई है।

[(श्री क० ना० तिवारी पीठासीन हुए)
Shri K. N. Tiwari in the chair]

इससे यह स्पष्ट होता है कि सरकार अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के सुधार के बारे में पूर्णतया सतर्क नहीं है, और न ही वह सूची का पुनःरीक्षण करना चाहती है, बल्कि वह यह सब कुछ राजनीतिक उद्देश्यों की वजह से कर रही है।

मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूँ कि जब प्रस्तुत विधेयक, अधिनियम बन जायेगा तो फिर सरकारी उपक्रम तथा जनगणना पंजीयक और चुनाव आयोग आदि जो सम्बद्ध कार्य आरम्भ करेंगे, क्या उसका आधार 1961 की जनगणना होगी या 1971 की जनगणना। जब तक मुझे इस प्रश्न का स्पष्ट उत्तर नहीं दिया जाता तब तक मुझे इस बात की आशंका है कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के निर्वाचन क्षेत्र निर्धारित किये जा रहे हैं, अतः यह सम्भव हो सकता है कि सरकार 1972 में आम चुनाव न करवाये। सरकार इसी कार्य का तर्क प्रस्तुत करके 1974 या 1975 तक चुनावों को स्थगित कर सकती है और ऐसा करने से यह लोकप्रिय सरकार जब तक चाहे, सत्तारूढ़ रह सकती है। अतः मैं फिर कहूँगा कि मंत्री महोदय को मेरे प्रश्न का स्पष्ट उत्तर देना चाहिए।

एक अन्य प्रश्न मैं यह उठाना चाहता हूँ कि अलग-अलग राज्यों के अलग-अलग अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूचियाँ क्यों तैयार की जाती हैं ? सम्पूर्ण देश के लिए अनु-

सूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए एक समेकित सूची न बनाने का क्या औचित्य है ? हमारे यहां राष्ट्रीय एकता का प्रचार किया जाता है, यह कहा जाता है और कहा जाता है कि लोगों को एक क्षेत्र से दूसरे में जाना चाहिए परन्तु स्थानांतरण के लिए अपेक्षित सुविधायें नहीं दी जातीं, हमें समझ नहीं आती कि मध्यप्रदेश, बिहार और उड़ीसा आदि में जिन कुछ लोगों को अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के अन्तर्गत मान्यता दी जा चुकी है, वही लोग जब आसाम के चाय बागों में काम करने के लिये जाते हैं, तो उन्हें इस मान्यता से वंचित क्यों कर दिया जाता है ? इसका औचित्य क्या है ? यदि सरकार यह स्वीकार करती है कि अनुसूचित जनजातियों के लोगों द्वारा धर्म बदलने पर उनके जातीय चरित्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो फिर भला उनके एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाने से उनके जातीय चरित्र में क्यों अन्तर समझा जाता है। आसाम में गैर-अनुसूचित जातियों तथा गैर अनुसूचित जनजातियों के लोगों के निहित स्वार्थ ही इसके लिए उत्तर-दायी हैं। इसीलिए तो उड़ीसा तथा छत्तीसगढ़ प्रदेश से आसाम में गई हुई आदिवासी जनसंख्या को उसके वैध अधिकार से वंचित कर दिया जाता है। मंत्री महोदय ने आसाम के लोगों को इस प्रकार की बात मानकर, उन्हें संविधान के अनुच्छेद 19 (घ) में गये, विचरण के अधिकार से वंचित किया है और वह भी इस अपराध में उनके सहभागी बने हैं। मेरा विचार है कि संयुक्त समिति की सिफारिशें स्वीकार कर, इस विधेयक को पास कर दिया जाना चाहिए।

स्त्री-पुरुष की समानता के अधिकार के सम्बन्ध में, प्रस्तुत विधेयक से सम्बद्ध मन्त्रियों ने समय-समय पर अपने-अपने दृष्टिकोण प्रस्तुत किये हैं। जब कोई अनुसूचित जाति का लड़का, किसी गैर-अनुसूचित जाति की लड़की से विवाह करता है, तो वह लड़की अनुसूचित जाति की बन जाती है। परन्तु जब कोई गैर-अनुसूचित जाति का लड़का, अनुसूचित जाति की लड़की से विवाह कर लेता है, तो भला वह लड़का, अनुसूचित जाति का क्यों स्वीकार नहीं किया जाता। अनुच्छेद 15 के अन्तर्गत दी गई स्त्री-पुरुष की समानता अब कहाँ चली जाती है ?

मैं कह रहा था कि अनुसूचित जातियों के लोगों के साथ सदा ही निहित स्वार्थों वाले लोग अन्याय करते रहे हैं। 1957 में जब मैं इस सदन में पहली बार आया था तो मैंने उड़ीसा राज्य के "भट्टादास' लोगों को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने की मांग की थी। हमने इसके लिए ज्ञापन दिये और अन्ततः यह मांग स्वीकार कर ली गई। परन्तु कोरापुर जिले के ब्राह्मणों ने इसके रास्ते में हर सम्भव बाधा डाली। अन्त से इन सफल हुये और श्री जगन्नाथ राव को अपने लिये कोई अन्य चुनाव क्षेत्र चुनना पड़ा और अब श्री ख० प्रधानी उसी क्षेत्र के प्रतिनिधि के रूप में हमारे बीच बैठे हैं। परन्तु लक्षण के लिए जो "दोराडा" शब्द रखा गया है, वह ठीक नहीं है। श्री प्रधानी ने संशोधन प्रस्तुत किया है कि इसके स्थान पर "भराडा" शब्द रखा जाना चाहिए।

उड़ीसा में भइयें अनुसूचित जनजातियों के अन्तर्गत आते हैं, परन्तु जब वह सीमा पार कर बिहार के सिंहगम जिले में पदार्पण कर जाते हैं तो वह अनुसूचित जातियों के अन्तर्गत आने लगते हैं।

भुया आदिवासी हैं और बिहार के निहित स्वार्थ उनकी जाति को अनुसूचित आदिम जातियों की सूची में सम्मिलित करने में बाधा डाल रहे हैं।

कैब्रत तथा किओत जो मछुये हैं तथा आसाम तथा पश्चिम बंगाल में ये अनुसूचित जातियां हैं परन्तु उड़ीसा में इस जाति को गलती से सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। उनकी हैसियत से मेरा निवेदन है कि उन्हें अनुसूचित जातियों की सूची में सम्मिलित किया जाना चाहिये।

शक्ति अर्जित करने की भावना से इस बात पर प्रभाव डाला गया है और श्री उनके के लड़के और सारंगगढ़ के महाराजा में मध्य प्रदेश में गोंड जाति का नेता बनने के लिये चल रहे संघर्ष के कारण राजगोंड का नाम सूची से निकाल दिया गया।

गोंड और राजगोंड में कोई अन्तर नहीं है। एक उड़िया कहावत है :

"केत्ते बेले गोंड पत्तर बीके
केत्ते बेल गोंड झत्तर टेके।"

जिसका अर्थ यह है कि गोंड पत्ते बेचकर जीविका कमाता है तथा छाता तानकर स्वयं को राजा घोषित करता है। यह एक उचित कहावत है और मेरा निवेदन है कि राजगोंड को सूची में सम्मिलित किया जाना चाहिये।

इन सब तथ्यों को ध्यान में रख कर मैं निवेदन करता हूं कि इस मामले पर भावुकता छोड़ कर निष्पक्ष रूप से विचार किया जाना चाहिए तथा कोई दल-सचेतक जारी नहीं किया जाना चाहिये तथा इसे बहुत ही विवेकपूर्ण विचार दिया जाना चाहिये और जो वास्तव में पददलित और अभागे लोग हैं उन्हें संविधान के उपबन्धों द्वारा लाभ पहुँचाया जाना चाहिये।

श्री बसुमतारी (कोकराझार) : मैं इस विधेयक का हार्दिक समर्थन करता हूँ और आशा करता हूं कि मंत्री महोदय संयुक्त समिति के प्रतिवेदन को स्वीकार करेंगे। संयुक्त समिति अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की मांग पर बनाई गई थी क्योंकि वर्तमान व्यवस्था में अनेक आदिवासियों के प्रति अन्याय किया जा रहा है।

संविधान के इस उपबन्ध की भावना यह थी कि अविकसित लोगों को उन्नत समुदायों के स्तर पर लाया जाये। परन्तु जब नियम बनाये गये तब वे इस तरह से बनाये गये कि महात्मा गांधी जो कुछ चाहते थे, उसमें उस भावना को समाप्त किया गया। ईसाई मिशनरियों अथवा धर्म-परिवर्तित लोगों के साथ हमारा कोई विवाद नहीं है। हम केवल यह चाहते हैं कि आदिवासियों में अविकसित वर्गों के लोगों का विकास किया जाय। मन्त्री महोदय कहते हैं कि उन्हें सरकार तथा मिशनरियों से सहायता मिल रही थी, न केवल यह देश··· (**व्यवधान**) मैं मन्त्री महोदय से आसाम की स्थिति के बारे में कह रहा था। वहाँ 24 प्रतिशत साक्षरता है। किसी एक विशेष जिले में 55 प्रतिशत साक्षरता है। साक्षरता एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न है। हमारा सरकार के साथ कोई विवाद नहीं है। वह महसूस करते हैं कि धर्म-परिवर्तित लोगों को धर्म-अपरिवर्तित लोगों से अधिक सुविधा दी गयी थी। धर्म-परिवर्तित तथा धर्म-अपरिवर्तित लोगों में भेद रखा जाना चाहिये जिससे आदिवासियों के नाम से कोई अन्य व्यक्ति लाभ नहीं उठा सके। समस्त आसाम में 25 भारतीय प्रशासन सेवा अधिकारी हैं। उनमें से आदिवासियों के कितने व्यक्ति हैं ? तीन दिन पूर्व मेघालय के मुख्य मन्त्री ने मुझे भला-बुरा कहा। उन्होंने कहा कि श्री बसुमतारी आदिवासियों को मैदान और पहाड़ी

क्षेत्र दो भागों में विभाजित कर रहे हैं। मैंने इसे स्वीकार किया परन्तु काशी और गारो आदिवासियों में से मेघालय के लिये कितने गारो लिये गये। उन्होंने इसका कोई उत्तर नहीं दिया। यह मन्त्री महोदय ने स्वयं ने कहा था। वह उन्हें चाहे जो कुछ दें परन्तु आगे बढ़े हुये लोगों से हमें संरक्षण दीजिए।

सरकार उस क्षेत्र से प्रतिबन्ध हटाने में क्या कर रही है। वहां कुछ लोग हैं जिनकी सम्पत्ति है परन्तु हमारे नेताओं ने उन्हें विकसित करने के लिए महात्मा गांधी की भावना नहीं रखी। परिणामस्वरूप आदिवासी आदिवासी ही रह गये हैं।

संविधान की पांचवीं अनुसूची के अन्तर्गत जो क्षेत्र हैं उनमें आदिवासी आदिवासी की तरह ही रहते हैं। साथ ही यदि कोई आदिवासी क्षेत्र से बाहर चला जाता है तो वह आदिवासी नहीं रह जाता है। सरकार को यह सीमा हटानी चाहिये ताकि आदिवासी लोगों के साथ न्याय हो सके क्योंकि सरकार ने हमें न्याय देने के लिये कहा है।

आदिवासी आर्थिक तथा अन्य प्रकार से अभी भी पिछड़े हैं। मैंने लगभग सभी 889 आदिवासी ब्लाकों का दौरा किया। वहाँ स्थिति बड़ी दयनीय है। उनकी सहायता करने के नाम से स्कूल, हाई स्कूल और कालिज हैं परन्तु अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के छात्रों का केवल 2-3 प्रतिशत है। यदि यह 40-50 प्रतिशत नहीं है तो उन्हें अनुदान नहीं मिल सकता है।

तब मैं आसाम में आदिवासियों का उल्लेख करता हूँ। आसाम के चाय के बागानों में 10 से 21 लाख तक आदिवासी कार्य कर रहे हैं। वे लोग उड़ीसा, मध्य प्रदेश और बिहार के हैं। वे गोंड, संथाल आदि जातियों के हैं। उनको इस सूचीं में सम्मिलित नहीं किया गया है। यदि सरकार इन लोगों के पाथ न्याय करना चाहती है और आसाम में अन्य लोगों के समकक्ष सरकार इन लोगों को लाना चाहती है तो वह आसाम की बात क्यों सुनती है? इस मामले में किसी प्रकार के राजनैतिक कारण नहीं होने चाहियें।

उदाहरण के लिए आसाम सरकार राज्य विधान मंडल में आदिवासियों के लिए स्थान बढ़ाना नहीं चाहती है क्योंकि ऐसा करने से मिजो भी मेघालय की तरह अलग राज्य की मांग करेंगे। जब उनकी तकलीफों को नहीं समझा जाता है और मांगें पूरी नहीं की जाती हैं तो सरकार को ऐसे संकट का सामना करना पड़ता है। इस संशोधन के बारे में विस्तार से नहीं कहना चाहता हूँ परन्तु संयुक्त समिति के प्रतिवेदन का क्या लाभ है।

मैं मंत्री महोदय श्री हनुमन्तय्या से निवेदन करना चाहता हूँ कि वह इस मामले पर किसी राजनैतिक दृष्टिकोण से विचार न करें। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये आरक्षण की अवधि को बढ़ाने के लिये अनुरोध इसीलिये किया जा रहा है क्योंकि वे अन्य समुदायों की तुलना में कहीं अधिक नीचे हैं। सन्थालों तथा मुण्डा आदि लोगों के नाम सूची से नहीं हटाये जाने चाहिये। इन समुदाय के साथ न्याय होना चाहिये।

Shri Ram Singh Ayarwal (Sagar) : There are provisions of inclusion of certain castes in the list and exclusion of some castes from the list.

The Bill shows that many such castes have not been included in the list. At present there are certain adivasi communities which are not regarded as Scheduled Tribes in certain areas. This creates great discontent. An adivasi community in whichever part of the country it might be, should receive the same recognition.

I had to hight election petition in the High Court. In Sagar district, Ayarwal caste was not included in the list of scheduled castes. My parents wrote 'Chamar' as their caste. Ayarwal is surname. The administration should look into these matters regarding surnames throughout the whole state. Harijan communities should be recognised as scheduled castes or scheduled tribes.

There is 'Dheever' community in Sagar District of Madhya Pradesh. In some states this community is called 'Khevat'. This community is also called 'Bhrova' in the area of Sagar District. This community is not recognised as a Scheduled Castes or Scheduled Tribes. The economic and social condition of the people belonging to this community is very bad. These people cleanse the utensils in the houses of other people. This community should be included in the list of Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

The people belonging to 'Dhobi' community in Madhya Pradesh were previously regarded as Harijans. But this community was excluded from the list of Scheduled Castes on the suggestion of a leader. The people belonging to this community are experiencing a great hardship. This community should be included in the list of Scheduled Castes.

"Gadheras" who are engaged in the task of preparing bricks should also be regarded as Scheduled Castes.

Now I come to conversion. The converts to Christianity or Buddhism should continue to get the same facilities which they enjoyed when they were Scheduled Castes or Scheduled Tribes so long as they continue to be loyal to the country.

इसके पश्चात् लोक-सभा बुधवार, 18 नवम्बर, 1970/27 कार्तिक 1892 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok-Sabha then adjourned this Eleven of the clock on Wednesday the 18th November. 1970/Kartika 27, 1892 (Saka).

Printed at : Shahdara Printing Press, K-18, Navin Shahdara Delhi-32. 5.2.70—340